खण्ड-524, अंक-03
गुरुवार, 09 अग्रहायण, शक संवत् 1945
(दिनांक 30 नवम्बर, 2023 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठाहरवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, 2023)

(खण्ड 524 में 04 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-173
मा0 मुख्य मंत्री एवं मा0 वित्त मंत्री की तरफ से आज दिनांक 30-11-2023 एवं कल दिनांक 01-12-2023 को मा0 सदस्यों हेतु मध्याह्न भोज की सदन को सूचना...	173-174
नियम-301 एवं नियम-51 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं की ग्राह्यता सम्बन्धी मा0 अध्यक्ष के निर्देश	174-175
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	175-178
जनपद बरेली में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के तत्कालीन कार्य-परिषद् के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	178-179
जनपद सुल्तानपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	179
जल निगम ग्रामीण द्वारा भारी पैमाने पर किये गये अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	179-180
जनपद देवरिया के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता व अन्य लोगों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	180-181
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में फीना-धनौरा मार्ग से मुस्तफाबाद मलेशिया तक मार्ग का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	181-182
जनपद जौनपुर के शाहगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	182
फायर विभाग के द्वारा एन0ओ0सी0 दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	183
जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड उरुवा के अन्तर्गत नीबी सम्पर्क मार्ग से डांडी कुर्मी बस्ती में सड़क निर्माण/मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	183
जनपद अमरोहा के नौगावां सादात विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरखेड़ा में साफ-सफाई एवं रास्तों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	184

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा परसकटुई राजू सिंह के खेत से दलित बस्ती तक सम्पर्क मार्ग बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	184
जनपद गोण्डा व बहराइच के मध्य बहने वाली टेढ़ी नदी की साफ-सफाई कराने तथा विलुप्त होने से बचाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	184-185
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के अन्तर्गत सिंचाई की समस्या के निदान हेतु शोभऊ माइनर की पाइप लाइनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	185
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के अन्तर्गत कतिपय नदियों पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	186
जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरदौलिया-बनकटवा मार्ग पर सड़क व पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	186
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सलोन के ग्राम सभा रजियापुर में मट्टन नाले पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	186-187
जनपद मथुरा के जिला परिवहन सम्भागीय अधिकारी, मथुरा एवं खनन विभाग के अधिकारी की मिली-भगत से हो रहे राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	187
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत ईटगांव दियोरियाकला में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	187
जनपद बुलन्दशहर के स्याना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 100 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	188
जनपद बुलन्दशहर के सैदपुर रोड के ग्राम धमैड़ा से स्याना रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	188

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा व चन्दौका के बीच में चमरौधा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	188-189
जनपद शाहजहाँपुर के पुवायां के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा मेसर्स बैसिल कम्पनी की कार्य-प्रणाली जानने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	189
जनपद महोबा के नगर पालिका चरखारी में नियुक्त फर्जी अधिकारी की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	189
जनपद ललितपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घण्टाघर से गोविन्द सागर डैम तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	190
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत ग्राम बसन्त खेड़ा से सुल्तानगढ़ मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	190
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के पगरा रामनगर-सोहसा सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	190-191
उत्तर प्रदेश विकास परिषद्, झांसी द्वारा तालपुरा योजना झांसी के अन्तर्गत कब्जा की गयी किसानों की जमीन को मुक्त कराने तथा मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	191
जनपद मेरठ के सरधना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत के हो रहे विकास कार्यों के शिलापट पर जन-प्रतिनिधि का नाम न लिखे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	191-192
जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मनसइता नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	192
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे पर बिरसिंहपुर व गोपी खेड़ा के बीच बड़ा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	192
उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा प्रत्येक जिले को आवंटित 20 करोड़ रुपये के उपरान्त टेण्डर प्रक्रिया नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	193

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के ग्राम पंचायत रार में उमाशंकर मिश्र के खेत से सीहूपुर सरहद तक जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	193
जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के बिजवाड़ा की पटरी माखर तक बने पटरी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	193-194
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	194
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत 100 बेड का हास्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	194-195
पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास, सिंचाई विभाग की निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु प्रहरी ऐप की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	195
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में कतिपय मार्गों एवं पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	195
जनपद अम्बेडकरनगर के आलापुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर में आवासीय बिल्डिंग तथा डॉक्टर की तैनाती के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	195
जनपद बाँदा के बबेरू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कैनाज रजवाहा के स्थान पर जनहित में सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	196
जनपद चन्दौली के अन्तर्गत स्थित सैदपुर घाट मार्ग से माथेला मार्ग की विशेष मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	197
जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव के ग्राम अजीतगंज में ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	197
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत टौंस नदी के ऊपर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	197-198
जनपद सुल्तानपुर के ईसौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अलीगंज में सी0एच0सी0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	198

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पानी की टंकी बनाये जाने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	198
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में राजकीय महिला कॉलेज या महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	199
जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा बेंती में राजकीय हाई स्कूल गर्ल्स कॉलेज को इण्टर कॉलेज में उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	199
जनपद बदायूँ के दातागंज विधान सभा क्षेत्र में रामगंगा नदी पर ब्लॉक समरेर के ग्राम पुढ़ता तथा नगरिया छानू अप्रोच मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	199-200
प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	200
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	200
भदोही विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निप्पन त्रिमुहानी का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	201
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के संयुक्त चिकित्सालय लालगंज में किडनी व हृदय रोग के चिकित्सक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	201
नगर पालिका परिषद् पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के अन्तर्गत जी0टी0 रोड चन्धासी से परशुरामपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	202
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में मोटा आम से आजाद चौक तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	202
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत बुढ़नपुर के ग्राम-हल्दुआ रामपुर से कांठ रोड पर कडूला नदी के पुल तक 02 किमी0 पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	202-203

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रामदासपुर में यमुना नदी पर सेतु निर्माण में बरती जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	203
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत मुंगराबादशाहपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	203
जनपद गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों तथा दवा की उपलब्धता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	204
जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बहेड़ी सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	204
जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चलने वाले खनिज से भरे वाहन का मानक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	204-205
पूर्व की भाँति नियम-56 के अन्तर्गत अग्राह्य सूचनाएं भी शासन को भेजे जाने का अनुरोध	205-206
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	206
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन से पारित होने के उपरान्त माननीय राज्यपाल द्वारा बिना स्वीकृति के वापस प्राप्त होने पर सदस्यों को उसकी सूचना से अवगत न कराये जाने सम्बन्धी श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' का औचित्य का प्रश्न ...	206-208
श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा विधायकों से सम्बन्धित विषय पर औचित्य का प्रश्न उठाए जाने का प्रयास	208-210
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 का वित्तीय वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	210
उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	210
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1140/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-229-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(287)-2023, दिनांक 06 सितम्बर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	211

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1139/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-228-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(288)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	211
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1141/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-230-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(289)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	211
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1142/ ग्यारह-2-23- 9(47)-17-टी0 सी0-231-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश-(290)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	211
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1143/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-232-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(291)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	212
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1164/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-233-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(292)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	212
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1345/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-236-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(293)-2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	212
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1346/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-237-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(294)-2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	212-213
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1347/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-238-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(295)-2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	213
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1348/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0 सी0-239-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(296)-2023, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	213
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1338/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-234-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(297)-2023, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	213

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1339/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-235-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(298)-2023, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	213-214
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1428/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-242-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(300)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	214
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1429/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-243-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(301)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	214
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1432/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-246-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(302)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	214
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1433/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-247-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(303)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	214-215
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1434/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-248-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(304)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	215
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1426/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-240-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(305)-2023, दिनांक 06 नवम्बर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	215
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1430/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-244-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(306)-2023, दिनांक 06 नवम्बर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	215
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1431/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0 सी0-245-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(307)-2023, दिनांक 06 नवम्बर, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	215-216
उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	216
यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, बायां तट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ का वित्तीय वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	216

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य बाँध सुरक्षा संगठन वाल्मीकि भवन, उतरेठिया, लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	216
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की यू0पी0ई0आर0सी0 (रूफटाप सोलर पी0वी0 ग्रिड पारस्परिक प्रणालियां सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 द्वितीय संशोधन (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	216-217
उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	217
महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2022-23) उ0प्र0 विधान मण्डल का 23वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	217
उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-23 का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	217
उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-23 की द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	218
उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-23 की तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	218
उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-23 की चतुर्थ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	218
उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-23 की पंचम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	218
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष 2022-23 का गृह विभाग से सम्बन्धित समिति का इक्यावनवाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	219
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष 2022-23 का राजस्व विभाग से सम्बन्धित समिति का बावनवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	219
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष 2022-23 का लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित समिति का तिरपनवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	220

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	220
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का सोलहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	220-221
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का सत्रहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	221
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	221
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	221
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-23) का सप्तम् प्रतिवेदन सं0-1 (जनरल एवं सोशल सेक्टर) (सदन के पटल पर रखा गया)	222
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-23) का पंचम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	222
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-23) का षष्ठम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	222
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का दसवाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	222
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	223
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का 12वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	223
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2022-23) का तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	223
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2022-23) का चतुर्थ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	223
याचिकाओं का उपस्थापन	223

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	223
श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	224
श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	224
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	224
श्री राम रतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	224
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	224
श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	224
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	225
श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	225
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	225
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	225
श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	225
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	225
श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	226
श्री वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	226

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	226
श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	226
श्री राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	226
श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	226-227
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	227
श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	227
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	227
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	227
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	227
श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	227-228
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	228
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	228
श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	228
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	228
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	228

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	228-229
डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	229
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	229
श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	229
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	229
श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	229
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	229-230
श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	230
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	230
श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	230
श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	230
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	230
डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	231
श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	231
श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	231

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	231
इंजी0 बृजेश कटेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	231
श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	231
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	231-232
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	232
श्री जियाऊर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	232
श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	232
श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	232
श्री विशम्भर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	232
श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	232-233
श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	233
श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	233
श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	233
श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	233
श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	233

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	233
श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	234
श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	234
श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	234
श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	234
डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	234
श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	234
श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	235
श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	235
श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	235
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	235
श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	235
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	235
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित भूतपूर्व सैनिकों की सेना में की गयी पूर्व सेवा को जोड़ने से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	236
श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	236

विषय	पृष्ठ-संख्या
मा0 सदस्यों के विधान सभा क्षेत्रों में कराये जा रहे विकास कार्यों से सम्बन्धित शिलापट पर क्षेत्रीय विधायक का नाम अंकित न कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	236-238
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)	239
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित) ...	239
आज (पुरःस्थापित) विधेयकों को विचार एवं पारण हेतु आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	240
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	240-251
नियम-56 के अन्तर्गत दो सूचनाएं कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा लगाये जाने पर दोनों सूचनाओं को निरस्त करने के निर्देश	251
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	251-253
उत्तर प्रदेश श्रीशुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 (जारी) ...	253-254
श्री माता प्रसाद पाण्डेय की नियम-56 की सूचना को कल लिए जाने के निर्देश	254
उत्तर प्रदेश श्रीशुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 (क्रमागत) ...	255-257
उत्तर प्रदेश श्रीदेवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 ...	257-258
उत्तर प्रदेश श्रीअयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 ...	258
उत्तर प्रदेश श्रीशुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023, उ0प्र0 श्रीदेवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 तथा उ0प्र0 श्रीअध्योध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर चर्चा... ...	259-276
उत्तर प्रदेश श्रीशुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 (मतदान एवं पारण)...	276-287
उत्तर प्रदेश श्रीदेवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 (मतदान एवं पारण)	287-300
उ0प्र0 श्रीअध्योध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 (मतदान एवं पारण)	300-313
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित) ...	313-318
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित) ...	319-323

विषय				पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा		...		324-333
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-195 के अनुसार अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा की परिधि के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न		...	...	333-336
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं		...	...	236-341
नत्थियाँ	...	...	...	342-359

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2023 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-367

1.	अकित भारती, श्री	गाजीपुर
2.	अंकुर तिवारी, श्री	सन्तकबीरनगर
3.	अखिलेश, श्री	आजमगढ़
4.	अखिलेश यादव, श्री	मैनपुरी
5.	अजय, श्री	गोण्डा
6.	अजय कुमार, डॉ0	बागपत
7.	अजय सिंह, श्री	बस्ती
8.	अजीत पाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
9.	अजीत सिंह पाल, श्री	कानपुर देहात
10.	अताउर रहमान, श्री	बरेली
11.	अतुल गर्ग, श्री	गाजियाबाद
12.	अतुल प्रधान, श्री	मेरठ
13.	अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
14.	अनिल प्रधान, श्री	चित्रकूट
15.	अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री	सन्तकबीरनगर
16.	अनिल कुमार मौर्य, डॉ0	सोनभद्र
17.	अनिल कुमार सिंह, श्री	उन्नाव
18.	अनिल राजभर, श्री	वाराणसी
19.	अनुपमा जायसवाल, श्रीमती	बहराइच
20.	अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री	अलीगढ़
21.	अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती	हाथरस
22.	अभय सिंह, श्री	अयोध्या
23.	अभिजीत सिंह ''साँगा'', श्री	कानपुर नगर
24.	अमन गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
25.	अमरेश कुमार, श्री	लखनऊ
26.	अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
27.	अमित सिंह चौहान, डा0	अयोध्या
28.	अमिताभ बाजपेई, श्री	कानपुर नगर
29.	अरमान खान, श्री	लखनऊ
30.	अरुण कुमार, डॉ0	बरेली
31.	अर्चना पाण्डेय, श्रीमती	कन्नौज
32.	अलका सिंह, श्रीमती	हरदोई
33.	अवधेश प्रसाद, श्री	अयोध्या
34.	अवधेश सिंह, डॉ0	वाराणसी
35.	अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री	चित्रकूट
36.	अशोक कुमार, श्री	रायबरेली
37.	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
38.	असीम अरुण, श्री	कन्नौज
39.	असीम कुमार, श्री	कुशीनगर
40.	आकाश सक्सैना (हनी), श्री	रामपुर
41.	आदित्यनाथ योगी, श्री	गोरखपुर
42.	आनन्द कुमार यादव, श्री	बहराइच
43.	आर0 के0 पटेल, डॉ0	जौनपुर
44.	आर0 के0 वर्मा, डॉ0	प्रतापगढ़
45.	आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती	प्रतापगढ़
46.	आलमबदी, श्री	आजमगढ़
47.	आशा मौर्य, श्रीमती	सीतापुर
48.	आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री	हरदोई
49.	आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
50.	आशुतोष शुक्ल, श्री	उन्नाव
51.	आशु मलिक, श्री	सहारनपुर
52.	इकबाल महमूद, श्री	सम्भल
53.	इन्द्राणी देवी, श्रीमती	श्रावस्ती
54.	उमर अली खान, श्री	सहारनपुर
55.	उमाशंकर सिंह, श्री	बलिया
56.	ऊषा मौर्या, श्रीमती	फतेहपुर
57.	ऋषि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज

58. एम0 पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
59. ओमकुमार, श्री बिजनौर
60. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
61. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
62. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
63. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
64. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
65. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
66. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
67. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
69. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
70. कैलाश, श्री चन्दौली
71. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
72. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
73. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
74. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
75. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
76. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
77. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
78. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
79. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
80. चन्दन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
81. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
82. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
83. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
84. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
85. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
86. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
87. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
88. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
89. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
90. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
91. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
92. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
93. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
94. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
95. जाहीद, श्री भदोही
96. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
97. जियाऊर्रहमान, श्री मुरादाबाद
98. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
99. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
100. श्री जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
101. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
102. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
103. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
104. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
105. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
106. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
107. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
108. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
109. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
110. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
111. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
112. दुधराम, श्री बस्ती
113. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
114. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
115. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
116. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
117. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
118. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
119. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
120. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
121. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
122. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
123. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री प्रयागराज
124. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
125. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
126. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
127. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज

128. नासिर कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
129. नाहिद हसन, श्री — शामली
130. नितिन अग्रवाल, श्री — हरदोई
131. निर्मल वर्मा, श्री — सीतापुर
132. नीरज बोरा, डॉ0 — लखनऊ
133. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 — वाराणसी
134. नीलिमा कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
135. पंकज पटेल, श्री — जौनपुर
136. पंकज कुमार मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
137. पंकज गुप्ता, श्री — उन्नाव
138. पंकज सिंह, श्री — गौतमबुद्धनगर
139. पंचानन्द पाठक (पी0 एन0 पाठक), श्री — कुशीनगर
140. पल्टूराम, श्री — बलरामपुर
141. पल्लवी पटेल, डॉ0 — कौशाम्बी
142. पीयूष रंजन निषाद, श्री — प्रयागराज
143. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री — आगरा
144. पूजा, श्रीमती — आजमगढ़
145. पूजा पाल, श्रीमती — कौशाम्बी
146. पूनम संखवार, श्रीमती — कानपुर देहात
147. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
148. प्रकाश द्विवेदी, श्री — बांदा
149. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
150. प्रतीक भूषण सिंह, श्री — गोण्डा
151. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री — बुलन्दशहर
152. प्रदीप कुमार यादव, श्री — औरैया
153. प्रदीप कुमार सिंह, श्री — हाथरस
154. प्रदीप शुक्ला, श्री — गोरखपुर
155. प्रभात कुमार वर्मा, श्री — गोण्डा
156. प्रभाष कुमार, श्री — हरदोई
157. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री — चंदौली
158. प्रवीण पटेल, श्री — प्रयागराज
159. प्रसन्न कुमार, श्री — शामली
160. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री — गोण्डा
161. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री — फिरोजाबाद
162. प्रेमसागर पटेल, श्री — महराजगंज
163. फतेह बहादुर, श्री — गोरखपुर
164. फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
165. बम्बा लाल, श्री — उन्नाव
166. बल्देव सिंह औलख, श्री — रामपुर
167. बाबूराम, श्री — पीलीभीत
168. बाबूलाल, श्री — आगरा
169. बावन सिंह, श्री — गोण्डा
170. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती — देवरिया
171. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री — हाथरस
172. बृजेश कठेरिया, इंजी0 — मैनपुरी
173. बृजेश कुमार, श्री — उन्नाव
174. बेचई सरोज, श्री — आजमगढ़
175. बेदी, श्री — गाजीपुर
176. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती — आगरा
177. ब्रजभूषण राजपूत, श्री — महोबा
178. ब्रजेश यादव, श्री — बदायूं
179. ब्रिजेश, श्री — सहारनपुर
180. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
181. भूपेश चौबे, श्री — सोनभद्र
182. मदन भैया, श्री — मुजफ्फरनगर
183. मंजू त्यागी, श्रीमती — खीरी
184. मनीष असीजा, श्री — फिरोजाबाद
185. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री — कुशीनगर
186. मनीष रावत, श्री — सीतापुर
187. मनीषा, श्रीमती — हमीरपुर
188. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री — रायबरेली
189. मनोज कुमार पारस, श्री — बिजनौर
190. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 — हमीरपुर
191. मनोहर लाल, श्री — ललितपुर
192. मन्जू शिवाच, डॉ0 — गाजियाबाद
193. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — अमेठी
194. महबूब अली, श्री — अमरोहा
195. महाराजी प्रजापति, श्रीमती — अमेठी
196. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री — अमरोहा
197. महेन्द्र नाथ यादव, श्री — बस्ती
198. महेन्द्र पाल सिंह, श्री — गोरखपुर

199. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूं
200. महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर नगर
201. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
202. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — हरदोई
203. मानवेन्द्र सिंह, श्री — शाहजहांपुर
204. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती — बुलन्दशहर
205. मुकेश चौधरी, श्री — सहारनपुर
206. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 — फिरोजाबाद
207. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती — अलीगढ़
208. मूल चन्द्र सिंह, श्री — जालौन
209. मेघश्याम, श्री — मथुरा
210. मो0 ताहिर खान, श्री — सुल्तानपुर
211. मोहन वर्मा, श्री — कुशीनगर
212. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री — कानपुर नगर
213. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री — कानपुर नगर
214. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री — मुरादाबाद
215. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री — आगरा
216. योगेश धामा, श्री — बागपत
217. योगेश वर्मा, श्री — खीरी
218. योगेश शुक्ला, श्री — लखनऊ
219. रघुराज प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
220. रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
221. रत्नाकर मिश्रा, श्री — मिर्जापुर
222. रफीक अंसारी, श्री — मेरठ
223. रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
224. रमा शंकर सिंह, श्री — मिर्जापुर
225. रमेश सिंह, श्री — जौनपुर
226. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री — जौनपुर
227. रमेश जायसवाल, श्री — चन्दौली
228. रविदास मेहरोत्रा, श्री — लखनऊ
229. रवि शर्मा, श्री — झांसी
230. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री — अलीगढ़
231. रश्मि आर्य, डॉ0 — झांसी
232. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री — महोबा
233. राकेश प्रताप सिंह, श्री — अमेटी
234. राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकरनगर
235. राकेश राठौर, श्री — सीतापुर
236. राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
237. रागिनी, डॉ0 — जौनपुर
238. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 — बरेली
239. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री — इटावा
240. राजकुमार सहयोगी, श्री — अलीगढ़
241. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री — सुल्तानपुर
242. राजबाला सिंह, श्रीमती — रामपुर
243. राजमणि, श्री — प्रयागराज
244. राजीव गुम्बर, श्री — सहारनपुर
245. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री — बदायूं
246. राजेन्द्र कुमार, श्री — प्रतापगढ़
247. राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
248. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
249. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
250. राजेश कुमार गौतम, श्री — सुल्तानपुर
251. राजेश चौधरी, श्री — मथुरा
252. राजेश त्रिपाठी, श्री — गोरखपुर
253. राजेश्वर सिंह, श्री — लखनऊ
254. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती — आगरा
255. राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकरनगर
256. राम अवतार सिंह, श्री — बिजनौर
257. रामकृष्ण भार्गव, श्री — सीतापुर
258. रामकेश निषाद, श्री — बांदा
259. रामखिलाड़ी सिंह, श्री — सम्भल
260. रामचन्द्र यादव, श्री — अयोध्या
261. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री — मैनपुरी
262. राम निवास वर्मा, श्री — बहराइच
263. रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
264. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री — बलरामपुर
265. राम फेरन पाण्डेय, श्री — श्रावस्ती
266. राम बिलाश चौहान, श्री — मऊ
267. राम मूर्ति वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
268. रामरतन कुशवाहा, श्री — ललितपुर

269. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
270. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
271. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
272. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
273. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
274. लकी यादव, श्री जौनपुर
275. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
276. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
277. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
278. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
279. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
280. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
281. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
282. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड
283. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
284. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
285. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
286. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
287. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
288. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
289. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
290. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
291. विपुल दुबे, श्री भदोही
292. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
293. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
294. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
295. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
296. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
297. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
298. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
299. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
300. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
301. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
302. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
303. शशांक वर्मा, श्री खीरी
304. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
305. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
306. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
307. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
308. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
309. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
310. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
311. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
312. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
313. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
314. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
315. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
316. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
317. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
318. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
319. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
320. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
321. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
322. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
323. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
324. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
325. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
326. सभाकुंवर, श्री देवरिया
327. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
328. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
329. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
330. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
331. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
332. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
333. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
334. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
335. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
336. सुधाकर सिंह, श्री मऊ
337. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
338. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
339. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
340. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच

341.	सुरभी, डॉ	फर्रुखाबाद
342.	सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री	कुशीनगर
343.	सुरेन्द्र चौरसिया, श्री	देवरिया
344.	सुरेन्द्र मैथानी, श्री	कानपुर नगर
345.	सुरेश कुमार, श्री	अमेठी
346.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
347.	सुरेश राही, श्री	सीतापुर
348.	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
349.	सुशांत सिंह, कुँवर	बिजनौर
350.	सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
351.	सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री	गाजीपुर
352.	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
353.	सैय्यदा खातून, श्रीमती	सिद्धार्थनगर
354.	सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0	मेरठ
355.	सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
356.	सौरभ सिंह सोनू, श्री	खीरी
357.	स्वामी ओज्मवेश, श्री	बिजनौर
358.	हंसु राम, श्री	बलिया
359.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी
360.	हरिओम, श्री	कासगंज
361.	हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
362.	हरीश चन्द्र, श्री	बदायूं
363.	हरेन्द्र सिंह, श्री	हापुड़
364.	हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	प्रयागराज
365.	हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
366.	हिमान्शु यादव, श्री	बदायूं
367.	हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़

नोट :-उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद) तथा आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र ''दयालु'') भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए एक समान मानक का नियम बनाये जाने के सम्बन्ध में

***1-श्री पंकज कुमार मलिक (अनुपस्थित)-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिये निर्धारित अंकों/प्रतिशत का एक समान मानक का नियम बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरूण)-

जी नहीं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति दी जाती है।

सामाजिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना होने के कारण पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में पूर्व की कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जबकि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग में उक्तानुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक छात्रों को धनराशि प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति व जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने वाले समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग में पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्र छात्रवृत्ति की पात्रता श्रेणी में आते हैं, जिन्हें बजट की उपलब्धता की सीमा तक धनराशि प्रदान की जाती है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति की धनराशि में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि भी सम्मिलित होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

जब प्रश्न खत्म हो जायेंगे यदि समय होगा तब आपको अवसर दिया जाएगा। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में किसानों की आमदनी व कृषि ग्रोथ दर को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

***2-श्री मनोज कुमार पाण्डेय तथा श्री अखिलेश-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाये जाने की किन-किन योजनाओं से किसान की आय लागत के सापेक्ष बढ़ी है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2017 से 2023 तक प्रदेश की कृषि ग्रोथ दर क्या रही है ? क्या सरकार ने कृषि दर को और बढ़ाये जाने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

जी हां।

प्रदेश में कृषकों के सतत् उन्नयन एवं कृषि उत्पादन के साथ-साथ कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि विकास दर में वृद्धि कराना भी है।

कृषि विभाग द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के लिए निम्न योजनाएं संचालित की गयी हैं:-

1-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना।

2-गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना।

3-प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना।

4-नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी।

5-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम।

6-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर)।

7-संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना (राज्य सेक्टर)।

8-कृषोन्नति योजना (बीज ग्राम योजना) (केन्द्र सेक्टर)।

9-परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0 के0 वी0 वाई0)।

10-नमामि गंगे योजना।

11-जनपद हमीरपुर में जैविक खेती की विकास योजना।

12-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

13-वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम)।

14-मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना।

15-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0एम0)।

16-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान (पी0 एम0 कुसुम)।

17-खेत तालाब योजना।

18-नेशनल मिशन ऑन एडबिल ऑयल (ऑयल सीड्स)।

19-नेशनल मिशन ऑन एडविल ऑयल (ट्री बोर्न ऑयल सीड्स)।

20-सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन।

21-सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना।

22-प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू योजना।

23-पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गयी है। राज्य सरकार सभी फसलों के उत्पादन लागत का 1.5 गुना से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार को प्रस्तावित करती है।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के सतत् प्रयास से किसानों की आय में आशातीत वृद्धि हुई है।

जी हां। उत्तर प्रदेश में कृषि उपखण्ड का वार्षिक वृद्धि दर निम्नवत् है :-

वर्ष	प्रचलित भावों पर गत वर्ष से बृद्धि (प्रतिशत)
2017-18	7.5
2018-19	8.3
2019-20	9.8
2020-21	7.1
2021-22	21.2
2022-23	6.8 (अनन्तिम)

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अखिलेश-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने मा0 कृषि मंत्री जी से यह जानने की इच्छा की थी कि सरकार ने मार्च, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वायदा किया था तो वह कौन-सी योजनाएँ है, जो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, इसमें हमारा नाम है। प्रश्न संख्या-2 देखिए।

श्री अध्यक्ष-

उसमें अखिलेश जी का भी नाम है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

जी, मान्यवर। पहला नाम हमारा है।

श्री अध्यक्ष-

पहले पाण्डेय जी का नाम है उनका नंबर पहले आएगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मूल प्रश्न हमारा है।

श्री अध्यक्ष-

मूल तो दोनों का ही है, क्योंकि एक साथ नाम आया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

ठीक है, अगर आप परम्परा बदल दें तो दूसरा वाला प्रस्तुत करेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप अखिलेश जी, इनके बाद बोल लें। मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी आप बोलें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि उत्तर प्रदेश की 60 फीसदी आबादी जो कृषि पर आधारित है उससे जुड़े हुए प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का आपने हमको अवसर दिया है। मान्यवर, आज सवाल यह नहीं है कि कौन, क्या कह रहा है लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर किसान की क्या स्थिति है। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने के लिए और रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन एग्रीकल्चर यानि कृषि है और कृषि आधारित यह देश है। किसान ऐसे भी तमाम संकटों में चाहे वह ओलावृष्टि हो तो किसान के ऊपर संकट है। पानी न गिरे तो किसान के ऊपर संकट है, बाढ़ आए तो किसान के ऊपर संकट है, रोग आ जाए तो किसान के ऊपर संकट है और छुट्टा जानवर अगर खेत को चर जाए तो किसान के ऊपर संकट है।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट पाण्डेय जी, यदि किसी माननीय सदस्य को बात करना आवश्यक ही है, राजेन्द्र जी के बगल में जो मा0 सदस्य बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि बाहर लॉबी मैंने बहुत अच्छी बनवाई है इसीलिए बनवाई है कि अगर आपने कोई बात करनी है तो वहाँ कर लें। मेरा

निवेदन है कि यहाँ पर जो भी प्रश्न किये जाते हैं मा0 मंत्री जी से जिन भी सदस्यों के द्वारा और मा0 मंत्री जवाब देते हैं वह पूरे प्रदेश के सम्बन्धित इश्यूज होते हैं। वह सब प्रश्न और उत्तर हम सब लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उससे ज्यादा जरूरी यदि किसी को बात करनी है, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि पीछे लॉबी में कॉफी पीजिए और अपनी बातचीत करिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आग्रह यह कर रहा था कि चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सूखा और चाहे किसानों को फसल को साड़ों द्वारा नष्ट किया जाए। यह सारे नुकसान किसान के हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उत्तर स्पष्ट नहीं है। मा0 मंत्री जी को भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम पिछले 5 वर्षो में देखें तो उत्तर प्रदेश के तुलनात्मक चाहे वह अरूणांचल प्रदेश हो, चाहे वह बिहार हो, चाहे वह गोवा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो इन सारे राज्यों में एग्रीकल्चर ग्रोथ में आशातीत वृद्धि हुई है और कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को टू टाइम करके किसानों को सहयोग किया है और किसानों की आमदनी को दोगुना करने का काम किया है। सवाल यह है कि आपने तो कहा था कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे लेकिन क्या मान्यवर, सरकार ने कोई हिसाब-किताब लगाया है कि पिछले 5 वर्षो में लागत के हिसाब से जो उसका उत्पादन है, और उसको जो उत्पादन का मूल्य मिल रहा है, क्या उसका रेट दोगुना हुआ। सवाल यह है कि यदि उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर रेट को हम देखें तो वर्ष 2017 में आपने जो उत्तर दिया है उसमें आपने स्वीकार किया है कि वर्ष 2017 में 7.5 परसेन्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ थी और आज आपने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि यह घटकर अनन्तिम एग्रीकल्चर ग्रोथ 6.8 परसेंट रह गई है तो सवाल यह है कि किसान घाटे में है या फायदे में है।

यदि हम सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र में, योगदानों में जी0एस0वी0ए0 के योगदान को देखें तो वर्ष 2012 में जहां 27.63 था वहीं 2022 में घटकर यह 25.33 रह गया है, जो अपने आप में चिंताजनक है। वहीं अगर हम मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना करें तो कृषि पर उत्तर प्रदेश में अपने कुल व्यय का 2.9 प्रतिशत व्यय कृषि के लिए आवंटित किया है, जो दूसरे राज्यों द्वारा कृषि पर किये जाने वाले औसत व्यय के 5.8 से भी आधा है, जो स्वतः इस बात को दर्शाता है कि सरकार किसानों के प्रति कितना उदासीन है। अगर हम यहीं पर किसानों की आत्महत्या के सवाल पर देखें तो स्थिति यह है कि दो महीने के अंदर ही 'बिजनौर में बैंक के तकाजे से परेशान कर्जदार किसान ने खाया जहर, हुई मौत', 'कर्ज में डूबे किसान ने पेड़ से लटक कर दी जान', 'बदायूं में एक किसान ने कर ली आत्महत्या'।

श्री अध्यक्ष-

आप वह इश्यू बाद में लीजिएगा, पाण्डेय जी मूल प्रश्न पर आइए ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

आर्थिक तंगी से किसान ने मलिहाबाद में की आत्महत्या।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न कृषि पर है, आप मूल प्रश्न पर आइए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, अब सवाल यह है कि यह बहुत आवश्यक मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आवश्यक मामला है, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ और 4 मिनट हो गये हैं, आपको अपनी बात कहते हुए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हम शत-प्रतिशत आपके निर्देशों का पालन करेंगे लेकिन किसानों पर बहस हो रही है और किसान संकट में है तो यदि उत्तर प्रदेश की 60 फीसदी आबादी पर चर्चा नहीं होगी तो केवल वादा करने और भाषण देने से सवाल हल नहीं हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

भाषण दीजिए या प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हम आपके माध्यम से सरकार से 2 अनुपूरक पूछना चाहते हैं। पहला कि सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाए जाने और आय को दोगुना करने के लिए गेहूँ का समर्थन मूल्य 35 सौ और धान का समर्थन मूल्य 28 सौ करने का निर्णय क्या सरकार करेगी ? दूसरा, आज छुट्टा जानवरों से पूरे उत्तर प्रदेश का किसान त्राहिमाम् त्राहिमाम् कर रहा है। यह हम भाषण नहीं दे रहे हैं, हम लोग गांव में देखते हैं। अभी ठिठुरती हुई सर्दी में 80 साल का बूढ़ा किसान मेढ़ पर बैठकर डंडा लेकर केवल साँड़ ताकने का काम कर रहा है। तो क्या सरकार इन छुट्टा जानवरों के द्वारा अन्नदाता किसानों की फसल जो चौपट हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, क्या इसका सर्वे कराकर और इसके बदले में जो किसान का नुकसान हो रहा है, उसका मुआवजा दिलाये जाने पर विचार करेगी और निर्णय करेगी ?

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो बार-बार आत्महत्या की बात करते हैं तो बिना किसी की पुष्टि हुए यह नहीं कहा जा सकता कि किस वजह से आत्महत्या हुई। मान्यवर, यह हमेशा यही बात करते हैं। यह गलत परम्परा है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय सदस्य से यह बात कही है कि मूल प्रश्न पर आइए। मैने उनको रोका है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं रिकार्ड साथ लेकर आया हूँ और आपको यह रिकार्ड दे रहा हूँ, आप इनकी जाँच करा लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बिना पुष्टि के आप कैसे कह सकते हैं कि किस वजह से आत्महत्या हुई।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले भी कहा है कि इस इश्यू को नहीं लेंगे, आप मूल प्रश्न पर आइए। माननीय कृषि मंत्री जी।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मनोज पाण्डेय जी स्वयं कृषि मंत्री रहे हैं। इन्हीं से हम लोगों ने उत्तराधिकार लिया है। इसलिए मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि जब यह कृषि मंत्री थे तो क्या ग्रोथ रेट कृषि क्षेत्र की थी।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी के अपने स्थान से अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे आप बैठिए, सुनिए तो सही, उत्तर आने दीजिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष 2014-15 में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 3.3 प्रतिशत थी और जब आपने हम लोगों को हैण्डओवर किया तो उस साल कुल मिलाकर 3.6 प्रतिशत थी। आपने इतनी लंबी बहस की यह आपके कारण ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट नीचे की ओर गयी थी और जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आयी है, हम लोगों ने निरंतर प्रयास करके इस ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसका जवाब मैंने आपको दिया है कि वर्ष 2017-18 में हमारा ग्रोथ रेट 7.5 प्रतिशत रहा, वर्ष 2018-19 में कृषि क्षेत्र का ग्रोथ रेट 8.3 प्रतिशत रहा, वर्ष 2019-20 में ग्रोथ रेट 9.8 प्रतिशत रहा, वर्ष 2020-21 में 7.1 प्रतिशत रहा चूंकि यह कोविड काल था। वर्ष 2021-22 में हमारा ग्रोथ रेट बढ़कर 21.2 प्रतिशत रहा और वर्ष 2022-23 का चूंकि अभी पूरा आंकलन नहीं हो पाया है, इसलिए अनन्तिम रिपोर्ट लिखी गयी है जो 6.8 प्रतिशत है। आप यह जानते हैं कि ग्रोथ रेट का आधार क्या होता है। जो पूर्व वर्ष है उसकी तुलना में विकास हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने जो प्रयास किया उसके परिणामस्वरूप 2021-22 में 21.2 परसेंट ग्रोथ रेट आयी उसकी तुलना में हमारा 6.8 परसेंट अनन्तिम है ये अन्तिम नहीं है। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो आपके कंप्रीजन में हम लोग इस समय दूने रेट से दूनी रफ्तार से चल रहे हैं। अभी

आपने 2 प्रश्न किये हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा कि किसान के अनाज की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, जब आपकी सरकार थी तो उस समय गेहूं की MSP कीमत रु0 1450 थी, आपने उसको रु0 2500 नहीं किया था। मोदी जी और योगी जी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने दो महीना पहले इस बात का एलान कर दिया कि इस साल हम रु0 2275 में गेहूं खरीदेंगे। पिछले साल जो हम लोगों ने खरीद की थी, उससे इस साल हम लोगों ने रु0 2125 रेट दिया और रु0 2125 में इस साल रु0 150 बढ़ाया है। आप कहेंगे तो सारी फसलों के बारे में आपको बता दूंगा लेकिन आप सुनना नहीं चाहेंगे। कल आप चर्चा कर रहे थे कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला था। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ाये गये विभिन्न जींस के लगभग 18 जींस की कीमतें पिछले 9 वर्षो के भीतर दूना करने की व्यवस्था की गयी है, उसकी वजह से किसान की आमदनी बढ़ी है आपकी वजह से नहीं बढ़ी बल्कि योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने खरीददारी की समुचित व्यवस्था करायी और उस खरीददारी का परिणाम यह है कि आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों ने राज्य के भीतर 5-5 हजार क्रय केन्द्र खोले और ज्यादा जरूरत पड़ी तो 6 हजार क्रय केन्द्र खोले। आप 7 लाख मैट्रिक टन खरीदते थे, हम 52, 55 लाख मीट्रिक टन खरीदते हैं और सभी फसलों को मिला करके 5 साल के भीतर आपने कुल 28000 करोड़ रुपये के करीब भुगतान किया था और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 1,05,000 करोड़ का भुगतान हुआ है। आप 14000 करोड़ रुपये सलाना गन्ना मूल्य का भुगतान करते थे और अब 36000 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य के रूप में सलाना भुगतान किया जा रहा है। इसकी वजह से ग्रोथ रेट बढ़ी है। गन्ना, उद्यान, कृषि, कंबाइण्ड सबने अपना-अपना प्रोडेक्शन बढ़ाया है उसके परिणाम स्वरूप हमारे कृषि क्षेत्र की जी0डी0पी0 बढ़ी है और साथ-साथ में खरीददारी करके किसान को बेहतर मूल्य मिल सके और एम0एस0पी0 इसलिए बनायी गयी थी कि जब रेट नीचे की ओर जाते हैं तो किसान का नुकसान न हो और किसान को लागत से अधिक कीमत मिले।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय के बोलने का प्रयास करने पर)

आप बैठ जाइये, सुन लीजिये। आप इतना लम्बा बोलते हैं और हमें बोलने देना नहीं चाहते हैं। आप बैठिये मैं आपको बताता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप सुनिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

हम लोगों ने जो खरीद का प्रयास किया है उसके परिणामस्वरूप आज मार्केट रेट हाई हुआ है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी यहां बैठे हुए हैं, यह भी कृषि मंत्री रहे हैं और आप भी कृषि मंत्री रहे हैं। हमारे सामने दोनों पूर्व कृषि मंत्री बैठे हैं, इनके एरिया में बाजरे और ज्वार का उत्पादन होता है, आप दोनों की सरकार ने कभी बाजरे की खरीद की, कभी आपने

ज्वार की खरीद की, कभी सरसौ की खरीद की, कभी चना की खरीद की, आपने नहीं किया। यह किया है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। 1,10,000 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद अब तक हम लोग कर चुके हैं। हमारा प्रयास है और उन प्रयासों के परिणामस्वरूप ही जी0डी0पी0 बढ़ना सम्भव हुआ है। ये सिर्फ यहां बैठ करके खाली भाषण देने से नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने धरती पर काम किया है। किसानों को संरक्षण देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज राज्य के 2,62,00,000 किसानों के खातों में 63,000 करोड़ रुपये की धनराशि बिना धान, गेहूं बेचे हुए दे दी गई है उसके परिणामस्वरूप जी0डी0पी0 बढ़ रही है।

(सदन में व्यवधान के मध्य)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दो स्पेशिफिक प्रश्न थे, माननीय मंत्री जी कह दें कि हम उसे नहीं करेंगे। मान्यवर, आपका संरक्षण उधर नहीं, इधर होना चाहिये। मैंने दो अनुपूरक पूछे कि क्या गेहूं और धान के समर्थन मूल्य को यह रु0 3500, रु0 2500 करेंगे। यह कह दें कि नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया उसका उत्तर आ गया है। आपने 2 अनुपूरक किये। आप कुछ भी पूंछेंगे वो कुछ भी बता देंगे। मनोज जी, आप मेरी बात सुनिये। आपस में बात-चीत नहीं, प्लीज मेरे को नाम लेकर बाहर निकालना पड़ेगा। आई एम सॉरी। प्लीज मेरी बात सुनिये।

(सदस्य, श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मनोज जी, मेरी बात सुनिये। मैं आपका ही प्रश्न पढ़ रहा हूँ। आपके प्रश्न में है कि क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाये जाने की किन-किन योजनाओं से किसान की आय लागत के सापेक्ष बढ़ी है ? तो उन्होंने सबका बताया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने ज्वार का भी बताया, बाजरे का भी बताया, वह सारे के सारे किसान की आय वृद्धि में आते हैं। आपने जो गायों और छुट्टा जानवरों की बात की है, वह बात इसमें नहीं थी। जो आपने रेलिवेंट प्रश्न किये हैं, उसका रेलिवेंट उत्तर आया है। अगला अनुपूरक श्री अखिलेश जी करें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, किसान की आय कैसे बढ़े ? हमने किसान की आमदनी बढ़ने के सम्बन्ध में पूछा था।

श्री अध्यक्ष-

वह सब उन्होंने बताया है, सबके उत्तर आये हैं। आय बढ़ेगी, उसका भी उत्तर आया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, इन्होंने स्वीकार किया है कि इनकी एग्रीकल्चर ग्रोथ घटी है।

श्री अध्यक्ष-

कोई घटी हुई नहीं है। उन्होंने पूरी बात बताई है कि 3 परसेण्ट थी और आज 21 परसेण्ट आई है।

(सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप अपने साथी के अनुपूरक प्रश्न पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। श्रीमान पाण्डेय जी, आप अपने साथी, अखिलेश जी के प्रश्न पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, इसलिए आप उनको नहीं बोलने देना चाहते हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, इस मुद्दे पर आज किसान संकट में हैं, साँड़ उसका खेत चरे जा रहा है, किसान बदहाली की कगार पर है और सरकार का जवाब किसानों के विरुद्ध है। सरकार किसानों के प्रति उदासीन है, इसलिए इस मुद्दे पर हम 2 मिनट के लिए बहिर्गमन करते हैं।

(मुख्य सचेतक, समाजवादी पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए)।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते है, क्योंकि इस पर वाकआउट हो गया। श्री विनोद चतुर्वेदी जी भी वाकआउट कर गये। डॉ0 अजय कुमार जी, आप पूछिये।

(सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह और श्री विनोद चतुर्वेदी के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी वॉकआउट कर रही है। आप लोग वॉकआउट कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं तो आपका प्रश्न कैसे लेंगे ? आपके नेता ने कहा कि हम वाकआउट कर रहे हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह अगला प्रश्न है। हम पिछले प्रश्न के लिए वाकआउट किये थे।

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा हम वाकआउट कर रहे हैं। लेकिन अभी तो आप बाहर भी नहीं गये हैं, बाहर जाकर तो अंदर आइये।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं बाहर जाकर आया हूँ।

श्री अध्यक्ष-

चतुर्वेदी जी, आप बाहर जाकर अंदर आए, उतनी देर में प्रश्न चला गया।

(सदन में हँसी)

(सदस्य श्री विनोद चतुर्वेदी के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिए कि जो पाण्डेय जी ने कहा है, गलत कहा है। मैं आपको अवसर दूँगा।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, मेरी मजबूरी है, बुन्देलखण्ड की वैसे ही स्थिति खराब है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आपकी मजबूरी, आपकी पार्टी तो समझे। चलिए, विनोद चतुर्वेदी जी, आप प्रश्न कर लीजिए।

कृषि में प्रयुक्त रसायनों के दुष्प्रभाव के दृष्टिगत हानिकारक कृषि रसायनों के उत्पाद एवं बिक्री को प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध में

***3-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसलों में प्रतिवर्ष नए रोगों, फफूंदियों, कीटों और खरपतवारों के पैदा होने पर कोई शोध सरकार कराती है ? क्या सरकार कृषि में प्रयुक्त रसायनों के दुष्प्रभाव के दृष्टिगत हानिकारक रसायनों का उत्पादन, बिक्री और प्रयोग प्रतिबंधित कर इसे दंडात्मक बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

फसलों में नए रोगों, फफूंदियों, कीटों और खरपतवारों के पैदा होने पर भारत सरकार/राज्य सरकार को प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं के अनुसार केन्द्रीय शोध संस्थानों, राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से शोध कार्य किया जाता है।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीयन समिति (CIB & RC) के माध्यम से विभिन्न हितधारकों यथा उद्योग, संघों, किसानों आदि से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों का परीक्षण कराकर कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि फसलों में नए रोगों, फफूंदियों, कीटों और खरपतवारों के पैदा होने पर भारत सरकार/राज्य सरकार को प्राप्त आँकड़ों/सूचनाओं के अनुसार केन्द्रीय शोध संस्थानों, राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से शोध कार्य किया जाता है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीयन समिति (सी0आई0बी0 एण्ड आर0सी0) के माध्यम से विभिन्न हितधारकों यथा उद्योग संघों, किसानों आदि से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों का परीक्षण कराकर कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें यह बतायें कि यह अधिनियम 1968, 29 पेज का है, उसे कोई किसान कभी पढ़ता भी नहीं होगा। माननीय मंत्री जी, हम बुन्देलखण्ड से आते हैं और यह देखिये, 18 जिलों में फसलों की पैदावार कम हुई है, जिनमें पाँच जिले बुन्देलखण्ड के हैं, महोबा, ललितपुर, बाँदा, झाँसी और जालौन। हमारे वहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मटर होता है और उस मटर की हालत यह हुई है कि पूरे जिले में आधा मटर किसानों को बखरना पड़ा, क्योंकि उसमें इली लग गई और जो चना था, उसको भी बखरना पड़ा। डीजल मँहगा, खाद मँहगी और बीज मँहगा, कैसे किसान अपना सरवाइवल करे। 60 परसेण्ट नहीं, बुन्देलखण्ड में तो 90 परसेण्ट लोग किसानी पर आधारित हैं। बुन्देलखण्ड में न कोई बिजनेस है। बुन्देलखण्ड में खनिज सम्पदा थी, वह भी सरकारों ने खत्म कर दी। पहाड़ हैं तो वह गड्ढे हो गये और नदियाँ हैं तो बिल्कुल सूखने की कगार पर हैं। बुन्देलखण्ड का आदमी किसानी से ही जिन्दा है। उसी से वह अपनी बेटियों की शादी, लड़कों की पढ़ाई और सब कुछ करता है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति में किसान कैसे जिन्दा रहेगा ?

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि कितने किसानों पर शोध किया गया और कितने लोगों को दण्ड दिया गया है, इसकी लिस्ट मिल जाये। कितने एकड़ फसल को कीट एवं फफूंदी से बचाया गया है। दूसरा किसानों की जो फसलें फफूंदी या कीटों से नष्ट हो जाती है उनके लिए कितने किसानों को सरकार ने मुआवजा दिया है। चना, मटर की फसल पर जो इल्लियों का प्रकोप हुआ है उससे निपटने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जायेगी ? प्रदेश में कौन-कौन सी कीटनाशक दवाईयां प्रतिबन्धित की गयी हैं। कीटनाशी अधिनियम 1968 यह 29 पेज का है, हम नहीं पढ़ सकते तो किसान क्या पढ़ेगा। माननीय मंत्री जी आपके द्वारा

बताया गया है कि खतरनाक रसायनों/कीटनाशक प्रयोग के सम्बन्ध में समय-समय पर कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य शोध संसाधनों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि पिछले एक साल से अध्ययन किये गये हों तो कृपया रिपोर्ट संलग्न करने की कृपा करें। यह मेरे दो प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष-

दो प्रश्न कौन-कौन से हैं।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, दो ही प्रश्न बोले हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो दो प्रश्न बोले हैं वह फिर से बोल दीजिये।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, कितने किसानों पर शोध किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

एक प्रश्न हो गया है।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, कितने लोगों को दण्ड दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आपके दो प्रश्न हो गये हैं।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, दो प्रश्न नहीं हुये हैं अभी एक ही प्रश्न हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आपने दो प्रश्न किये हैं। माननीय मंत्री जी उत्तर दे दीजिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, इन्होंने पहले पूछा था, कितनी दवाईयों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। दवाईयों पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार जिस अधिनियम को आपने बताया है उसके अन्तर्गत भारत सरकार के अधिकार में आता है। पिछले वर्ष बासमती में ही इस तरीके से शिकायत आयी थी, उनके प्रोडेक्ट में क्राप्ट रेवेन्यू जा रहा है तो ऐसी दो दवाईयों को ट्राइसाइक्लाजोल और ग्लूकोजिन जिसके भीतर पाया गया था प्रतिवर्ष राज्य सरकार के पास अधिकार 60 दिन का है और उसको उस मौसम के भीतर 60 दिन के लिए प्रतिबन्धित कर दिया गया है। 25 सितम्बर 2023 से दो महीने के लिए और 30 सितम्बर 2022 से अब तक के लिए है। दूसरा आपने

प्रश्न किया है कि कार्रवाई कितने लोगों के खिलाफ की गयी है, 3850 नमूना लिया गया था आहरित नमूनों का प्रतिशत 103 था, विश्लेषित नमूने 2908, मानक नमूनों की संख्या-2735 है, अधोमानक की संख्या 173 है, वर्ष 2023-24 में दायर वादों की संख्या 298 है, जिनके लाइसेंस निलम्बित किये गये हैं वह 38 हैं और जिन पर आर्थिक दण्ड लगाया गया है वह 59 हैं, अभी तक 7 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी है। दूसरा आपने कहा बुन्देलखण्ड के हमारे किसान भाई उन्नतिशील खेती कर सकें, बीमारियों के बारे में जानकारी हो सके इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत सरकार के द्वारा वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कृषि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करवायी है। जिसका सीधा लाभ मिल रहा है। यदि कोई शिकायत पायी जाती है तो आप उन तक पहुंचाने का काम करेंगे।

मैं प्रतिवर्ष दो साल में दो बार कम से कम झांसी मण्डल के भीतर और दो से तीन बार बांदा मण्डल में जाता हूं और जैसा आपने कहा कि मटर फेंक दिया गया, चना फेंक दिया गया, इतनी अच्छी फसल पिछले साल मटर की आयी जिसकी खरीददारी के लिए वहां पर कंपनियों के साथ एम0ओ0यू0 करके आपूर्ति की गई और इससे वहां के किसानों को प्रतिकिलो 80 पैसा ज्यादा लाभ मिल सका।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मा0 मंत्री जी, मैंने इस वर्ष का कहा है और आप पुराने वर्ष का बता रहे हैं कि फसल अच्छी थी। इस वर्ष खड़ी फसल बखर दी गई है, आप पता लगा लें मैं गांव बता देता हूं। कैथेरी है, बिनौरा है और कौंच ब्लॉक के कई गांव हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लिख करके दे दो।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

हमारे एक पड़ोसी हैं मा0 समरपाल सिंह जी कुछ पूछना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कहां के पड़ोसी हैं, क्षेत्र के या कुर्सी के। दो अनुपूरक हो गये हैं इसलिए अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में कृषि शिक्षा एवं कृषि शोध कार्य पर व्यय की गयी धनराशि व आगामी बजट में धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

***4-डॉ0 अजय कुमार-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में कृषि शिक्षा एवं शोध पर बजट का कितने प्रतिशत धनराशि व्यय की गई ? क्या सरकार प्रदेश में कृषि की बदहाल स्थिति के दृष्टिगत कृषि क्षेत्र में उत्थान हेतु आगामी बजट में कृषि शिक्षा और कृषि शोध हेतु धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हेतु कुल धनराशि रु0 41772.15 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके सापेक्ष कुल धनराशि रु0 36107.81 लाख निर्गत/व्यय किया गया, जो प्रावधानित बजट का 86.43 प्रतिशत है।

जी हाँ।

प्रदेश सरकार द्वारा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 41772.15 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट बढ़ोत्तरी करते हुए धनराशि रु0 53445.05 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, कृषि शिक्षा और कृषि शोध पर धनराशि बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपके प्रति बहुत-बहुत आभार। मान्यवर, कृषि शोध और अनुसंधान को स्लो मैजिक के रूप में परिभाषित किया गया है। इस पर किया गया सार्वजनिक निवेश 10 से 15 गुना तक रिटर्न देता है लेकिन ट्रेजडी यह है कि फिलहाल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्वेस्टमेंट कृषि जीडीपी का मात्र 0.3 से 0.4 परसेंट तक ही आंकलित किया गया है, अभी तक इतना ही बढ़ाया गया है। जब कि जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया में 6 से लेकर 10 गुना तक कृषि अनुसंधान पर खर्च किया जाता है। हमारे जैसे समकक्ष देश जैसे मलेशिया, ब्राजील आदि देश भी हम से ज्यादा कृषि में इन्वेस्ट करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की समीक्षाओं में लगातार कृषि अनुसंधान पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्न समितियों की रिपोर्ट में कृषि अनुसंधान एवं विकास पर कृषि जीडीपी का कम से कम 1 फीसदी आवंटन करने की सिफारिश की गई है। यही स्थिति जहां देश में है वही स्थिति प्रदेश में भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। मान्यवर, चूंकि 1960 के दशक में भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना उससे हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी लेकिन हरितक्रान्ति ने कई समस्याएं भी पैदा कर दीं, जिनके उत्तर अभी आने बाकी हैं। आज जरूरी है कि हाईब्रिड टेक्नोलॉजी, संरक्षित खेती, परिसीजन खेती, बायो एनर्जी क्रॉप्स, बायो फोर्टीफिकेशन, आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस, रिमोट सेंसिंग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर केन्द्रित इनोवेशन पर आज बढ़ावा दिये जाने की जरूरत है। अतः मैं इन बातों के जरिये सदन को बताना चाहता हूं कि खेती में, कृषि में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, कृषि शोध की बहुत जरूरत है। यह इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि हम एग्रीकल्चर ग्लोब्लाइजेशन में विकसित राष्ट्रों के समकक्ष खड़े हो सकें और बढ़ती आबादी की रफ्तार को दृष्टिगत रखते हुए कृषि पैदावार को अधिक बढ़ाना हमारे लिए एक उद्देश्य बना हुआ है। अतः

मेरा सुझाव के रूप में मा0 मंत्री जी से अनुपूरक सवाल है कि क्या मा0 मंत्री जी आगामी बजट में दो गुनी राशि बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, हमने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, उसी से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी, की सरकार कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के लिए कितनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और उस क्षेत्र में हम लोगों ने प्रयास किया है, वर्ष 2022-23 में रुपये 361 करोड़ हम लोगों ने उस पर निर्गत किया और इस साल के बजट के भीतर प्राविधान था, वह रुपये 417 करोड़ 72 लाख 15 हजार था, उसके सापेक्ष हम लोगों ने रुपये 534 करोड़ 45 लाख का बजट रखा। हमने कई महाविद्यालयों का संचालन प्रारम्भ कर दिया है। साथ-साथ उन विश्वविद्यालयों के भीतर भी हमने कई महाविद्यालय बढ़ाये हैं आगे की तरफ, जैसे बांदा में ही हम लोगों ने 2 महाविद्यालय बढ़ाये हैं और तीसरा महाविद्यालय पशु और वेटनरी हाउस को अगले साल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उसके खोले जाने के लिए भी हम लोगों ने धनराशि दी है, इसी तरह से नरेन्द्र देव में, सरदार बल्लभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के भीतर शुगरकेन टेक्नोलॉजी और शुगर टेक्नोलॉजी, महाविद्यालय हमने इसी साल से शुरू कराया है। हरदोई में भी हम एक महाविद्यालय शुरू कराने जा रहे हैं, लखीमपुर खीरी में पठन-पाठन शुरू करा दिया है और इसी साल पठन-पाठन आजमगढ़ में शुरू हो गया है और प्रयास है कि अगले साल गोण्डा के नये परिसर में कक्षा शुरू किये जाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कृषि शिक्षा के लिए, के नये कि उचित बजट देकर के हम वहां पर काम करायें, वहां पर इनक्यूबेशन सेंटर खोल रहे हैं और वहां पर हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर टिशु कल्चर स्थापित किए जा सकते हैं वहां पर हम टिशु कल्चर को भी स्थापित करने का काम कर रहे हैं, फसलें में कितना कंटेट आ रहा है रासायनिक का, उसकी जांच के लिए हमने अभी नरेन्द्र देव में लैब स्थापित की है, सेक्स सर्टिड सिमन पर भी काम शुरू कराया गया है, जिससे कि पशुओं से गोरा की जगह गोरी पैदा हो सके, उसके लिए हमने इंतजाम कर दिया है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश एवं छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में

***5-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षारत सभी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश कराते हुए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी नहीं।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य है। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में 22.50 प्रतिशत एस0सी0, एस0टी0 समाज से जुड़े 5 करोड़ 62 लाख लोगों से जुड़ा प्रश्न है। मान्यवर, मैने प्रश्न किया था कि एस0सी0, एस0टी0 के बच्चों को व्यावसायिक एवं तकनीकि शिक्षा में, क्या निशुल्क प्रवेश देकर पढ़ाने का काम करेंगे। मान्यवर, तो इसमें उत्तर आया है कि दशमोत्तर कक्षाओं में हम कर रहे हैं, वह भी जो सरकारी विद्यालय हैं या एडेड विद्यालय हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब सरकार शून्य पर प्रवेश करती थी, वर्ष 2016-17 में, तो 11 लाख 37 हजार लोगों ने शून्य पर प्रवेश लिया था, व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थानों में और जिस पर सरकार ने रुपये 1766.59 खर्च किये थे।

मान्यवर, वर्ष 2021-22 में जब आपने कह दिया कि दलितों को, एस0सी0, एस0टी0 को प्रवेश पैसे के साथ देंगे, तो इनकी संख्या घट कर 8 लाख 3 हजार हो गयी है और सरकार ने उस मद में मात्र 1089.16 करोड़ रुपये देने का काम किया है। पुनः वर्ष 2022-23 जब आप शुल्क पर प्रवेश ले रहे हैं, तो 9 लाख 40 हजार प्रवेश हो पाया है और आपको 1057 करोड़ रुपये देना पड़ा है। 403 लोगों की इस विधान सभा में 80 लोग उस समाज से जुड़े हैं, जिनकी भावना उन 5 करोड़ 62 लाख लोगों से जुड़ी है और संस्थाओं से जुड़े लोग भी हैं। आज जब शून्य पर प्रवेश था तो निश्चित रूप से 22.50 के अलावा भी 27 से 35 प्रतिशत लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे, इस एस0सी0, एस0टी0 के लोग। अब आज पैसा लेकर प्रवेश हो रहा है, साल भर बाद वापस करेंगे, तो निश्चित रूप से यह विश्वास के साथ तथा इस गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि वह संख्या 7 से 9 प्रतिशत ही हो पा रही है, वह दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। मान्यवर, चूंकि संस्था से मैं भी जुड़ा हूं, जहां बी0एड0, बी0टी0सी0 से लेकर तमाम, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो तमाम जो संस्थाएं व्यावसायिक हैं। और साथ-साथ तकनीकी हैं, उसमें बड़े पैमाने में लोग पढ़ते थे। आज पैसा देकर पढ़ने के कारण उनकी संख्या घट गयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज उनको शिक्षित करने की जरूरत है।

मान्यवर, संविधान में आर्टिकल 44 और 45, आजादी के पहले 1932 के पूना पैक्ट के समझौते के आर्टिकल-7 में महात्मा गाँधी और बाबा साहब की भावना के तहत इस वर्ग के समाज को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गयी है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि शिक्षा से वंचित कर बड़े-बड़े जहाज इत्मिनान से डुबोये जा रहे हैं, समूह सखी श्रमिक बनाकर मेले और रैलियों में बुलाये जा रहे हैं।

हे आदमी, तू लेता रहे मुफ्त का अनाज, चन्द पैसे के आनंद का सफर, तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाये जा रहे हैं,

ये आज की व्यवस्था है। मान्यवर, आज की तारीख में ये व्यवस्था बदलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न करिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, हमारे मा0 मंत्री जी बड़े योग्य हैं। पहले अफसर रहे हैं, सरकार का आदेश मानते रहे हैं अब तो सरकार में हैं। इनको भी कम से कम उस वर्ग की भावना का पालन करना चाहिए कि इस वंचित समाज को अगर नौकरी न दे सकें, तो कम से कम शिक्षा तो जरूर दें।

मान्यवर, हमारे अनुपूरक में तीन प्रश्न हैं। पहला, क्या मा0 मंत्री जी उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत एस0सी0/एस0 टी0 के छात्रों के पढ़ने का जो अनुपात है, वह सौ में कितने प्रतिशत इन कक्षाओं में पढ़ पा रहे हैं। दूसरा, क्या सरकार बाबा साहब की इच्छानुसार एस0सी0/एस0टी0 छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश दिलाकर पढ़ाने का काम करेगी। तीसरा, शैक्षणिक सत्र को जिस तरीके से आप पूरा वर्ष मानते हैं अन्य चीजों में, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, शैक्षणिक सत्र को पूरा वर्ष मानते हुए उनकी शिक्षा के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के आवेदन की जो व्यवस्था है, क्या पूरे सत्र को मानने का कार्य करेंगे, ये मेरा आपसे प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

श्री असीम अरूण-

मान्यवर, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मूल रूप से जो छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार देती है, उसमें संतुलन बनाने की आवश्यकता हमेशा महसूस हुई कि कोई भी बच्चा इससे वंचित न रह जाए और साथ-साथ जो पूर्व की सरकारों में घोटाले हुए हैं, उनको हम लोग रोकने के पूरे उपाय करें। हमें दोनों ही मुद्दों में सफलता प्राप्त हुई है।

मान्यवर, मा0 सदस्य के प्रश्न में एक प्रश्न उनकी अपनी ही सरकार से जुड़ा हुआ है, जिसको जीरो बैलेन्स एडमिशन कहा जाता था, उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही रोक

दिया था। क्यों रोका, ये तो मा0 मंत्री जी स्वयं उस समय के यहाँ बैठे हैं, बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों रोका, लेकिन उसका हल डबल इंजन की सरकार ने निकाला है ? मुझे सदन को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश सरकार ने भी एक फ्री-शिप कार्ड की व्यवस्था की है। इस बार की जो नियमावली प्रख्यापित की गयी है, उसमें व्यवस्था आयी है। कैसे काम करेगा, आसान शब्दों में जो छात्र किसी जगह एडमिशन ले रहे हैं, वह हमारे पोर्टल पर आते हैं। वह अपना फार्म डाउनलोड करते हैं, तो उनको एक कार्ड मिल जाता है, जो इस बात का प्रमाण-पत्र है कि सरकार उनको स्कॉलरशिप देगी, अगर वह पात्रता पूरी करेंगे और उसको लेकर वह एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। जैसा पूर्व में मैंने कहा कि यह संतुलन बहुत जरूरी है कि कोई बच्चा इससे वंचित न रहे और किसी प्रकार के घपले का कोई रास्ता न खुल जाए, जैसे पहले खोल कर रखा गया था।

मान्यवर, इस वर्ष जो सरकारी विद्यालय हैं, एडेड कॉलेज है, उसमें शुरू कर दिया गया है और इसके अनुभव के आधार पर सरकार बाद में विचार कर सकती है कि इसको प्राइवेट कॉलेज में भी लागू किया जाए या न किया जाए। इसके अतिरिक्त और भी मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों के काम को आसान करने के लिए पिछले वर्षो में जो बच्चे फार्म भरते थे, फिर उनका परीक्षण होता था और परीक्षण में कुछ बच्चे छूट जाते थे, जैसे कि किसी ने मार्क्स गलत भर दिया, किसी के आधार में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, उसने कुछ और डाल दी, तो अब जो नया पोर्टल बना है, उसमें एक नयी तकनीक आयी है, जिसमें आप अपना आधार नम्बर डालिए, तो आपके फोन पर एक ओ0टी0पी0 आता है और आधार का पूरा डेटा पोर्टल में आ जाता है। तो जो सस्पेक्ट डेटा होता था, वह अब सिस्टम ही खत्म हो गया है। सी0बी0एस0सी0, यू0पी0 बोर्ड, आई0सी0एस0सी0 ऐसे मुख्य बोर्डों से हमने इन्टीग्रेसेन कर लिया। बच्चे अपना रोल नम्बर डालते हैं, प्रमाणित होता है और वहाँ का डाटा सीधे हमारे पोर्टल पर आ जाता है। जो सस्पेक्टेड डाटा के नाम से बहुत बच्चे वंचित हो जाते थे, उनकी छोटी सी गलती होती थी, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गयी, उसकी वजह से बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी। यह गलत था इसको भी हम लोगों ने ठीक कर दिया है। अंत में बताना चाहूँगा कि पहली बार पिछले वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति के करीब 56,000 बच्चे ऐसे थे जिनको किसी तकनीकी त्रुटि की वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिल पायी थी। उनको केन्द्र सरकार से अनुमति लेकर पहली बार ऐसा हुआ है कि इस वित्तीय वर्ष में हमने उनका भुगतान किया है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय चौधरी राजेन्द्र जी ने एक सुनिश्चित प्रश्न किया कि माननीय मंत्री जी जब निःशुल्क एडमीशन था, तब कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के

छात्र पढ़ते थे, कुल संख्या के अनुपात में ? अब जब से उनसे पैसा लेकर एडमीशन शुरू हुआ है तो उससे कितना घटा ? मंत्री जी ने बताया कि 10 प्रतिशत अब रह गये, जबकि पहले 25 से 27 प्रतिशत रहते थे। तो क्या इन बातों का संज्ञान लेते हुए जो हमारी संवैधानिक बाध्यता है कि 22 प्रतिशत से हमेशा उनको अवसर मिलेगा, उनकी आबादी के अनुपात में। क्या उस अनुपात को पूरा करने के लिए निःशुल्क, जिस तरह से सरकारी विद्यालयों में किया जा रहा है, चूँकि सरकारी विद्यालयों की संख्या बहुत कम है और निजी विद्यालयों की संख्या उससे कई गुना ज्यादा है तो उस अनुपात को पूरा करने के लिए निजी संस्थाओं में भी निःशुल्क प्रवेश देने पर विचार करेंगे ? इसमें अनुपात भी बता दें कि अब क्या अनुपात हो गया है ?

श्री असीम अरुण-

मान्यवर, पुनः एक सवाल समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार से होगा कि आपने यह नियम बनाया कि किसी एक क्लास में 40 प्रतिशत से ज्यादा एस0सी0 बच्चों को हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे, अगर 40 से 41 प्रतिशत हुआ तो हम नहीं देंगे। यह नियम क्यों बनाया, मैं समझ नहीं पाया ? अगर आपके पास इसकी जानकारी हो तो जरूर हमको बतायें कि आपने ऐसा क्यों किया ? हमने इस व्यवस्था को भी बदला है। अब आपके सवाल का सीधा जवाब है। यह आँकड़ा अभी 11 या 12 प्रतिशत है, यह मेरे पास तत्काल उपलब्ध नहीं है, मेरे पोर्टल पर है। मैं इसको निकाल कर निश्चित रूप से आपको दे दूँगा लेकिन मूल बात यहाँ पर पुनः आती है कि जिस तरीके से जो पुराने घपले हुए हैं उसको न होने दें। इसके लिए इस वर्ष से बच्चों के लिए फेसियल रिकग्नीशन या बॉयोमेट्रिक अटेन्डेंस की व्यवस्था भी चरणवार तरीके से शुरू की जा रही है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आदरणीय योगी जी ने जो निर्देश हम लोगों को दिया है इससे जो घपले की सम्भावना थी वह भी खत्म हो जायेगी। कोई भी बच्चा शुल्क प्रतिपूर्ति से बचेगा नहीं और अगले वर्ष हम लोग यह विचार करेंगें कि क्यों न हम प्राइवेट कॉलेजेज को भी दें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-06 पुकारे जाने तथा श्री अवधेश प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अवधेश प्रसाद जी, इसी पर आपने नियम-56 के अन्तर्गत एक नोटिस दी है, अगर आप इस समय पूछ लें तो हम उसको छोड़ देते हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, हमने नियम-56 में दिया है उसको सुन लीजिएगा ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उस समय ले लेंगे।

प्रदेश में शराब खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में

***6-श्री स्वामी ओउ्मवेश-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम के दृष्टिगत शराब की दुकानों से शराब खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल)---

आधार से सम्बन्धित अधिनियम का उद्देश्य निम्नवत् उल्लिखित हैः-

''भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को सुशासन के रूप में ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करके ऐसी सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के, जिसके लिये भारत की संचित निधि से व्यय उपगत किया जाता है, दक्ष, पारदर्शी और लक्ष्यित परिदान के लिये, तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम'' मदिरा उपभोक्ता द्वारा मदिरा क्रय करते हुए इसके मूल्य का भुगतान किया जाना, वित्तीय एवं अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं, जैसा कि उक्त अधिनियम के उद्देश्य में वर्णित है, से आच्छादित नहीं है। अतः मदिरा क्रय करने हेतु आधार कार्ड की अनिवार्यता विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय यशस्वी, तेजस्वी अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नौजवानों की जवानी बचाने सम्बन्धी संवेदनशील ज्वलन्त प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। मैं स्वामी ओउ्मवेश आपकी तहे दिल से भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। आपको बार-बार धन्यवाद देता हूं। मैंने कल आपको महाना से महान कहकर सम्बोधित किया था, इसलिए आपने भी दरियादिली की हद पार करके मेरी चांदपुर से बास्टा मानपुर चौराहा अहरौला मार्ग जनपद बिजनौर की सड़क का चौड़ीकरण स्वीकृत करा दिया। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप महान ही नहीं अपितु दयालु भी हो। कल मैने आपसे आर्य समाज के संस्थापक गुरूवर महर्षि दयानन्द सरस्वती की तस्वीर लगाने की प्रार्थना की थी, आपने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया कि मैं जरूर लगवाऊँगा। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी की तरह आप भी सच ही बोलते हैं। पता नहीं आप कितने दिन बाद बुलायेंगे। एक पते की बात मैं और बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप विषय पर बात करिये।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको याद होगा मैंने इसी माननीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर इशारा करके कहा था कि हमारा स्टाफ का मामला है, वह माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी प्रमाणित कर दिया है। आप पूछेंगे कि क्या प्रमाण है। मैं बताता हूं एक दिन मेरे डेंगू बुखार आ गया।

श्री अध्यक्ष-

आप आबकारी पर प्रश्न पूछिये, डेंगू पर कहां चले गये हैं।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष जी, पता नहीं आप फिर कितने दिन बाद बुलायेंगे, सुन लीजिए। आपसे बात करके बहुत आनन्द आ रहा है। आप पूछेंगे कि क्या प्रमाण है। मैं बताता हूं, एक दिन मेरे डेंगू बुखार आ गया था तो माननीय मेरे प्यारे मुख्य मंत्री जी को जैसे ही पता लगा उन्होंने 8 बजे मुझे फोन करके पूछा कि स्वामी जी क्या डेंगू बुखार आ गया है, इतने विशालकाय शरीर में मच्छर ने असर कर दिया। अगले दिन ही मेरा बुखार उतर गया। ऐसा लग रहा है कि डेंगू ने यह सोच लिया कि ऐसा न हो कि माननीय मुख्य मंत्री जी डेंगू पर बुलडोजर चला दें। माननीय मुख्य मंत्री जी का इतना असर हुआ कि डेंगू भी छू-मन्तर हो गया।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न करिये।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि प्रदेश में युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम के दृष्टिगत शराब की दुकानों से शराब खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने पर सरकार विचार करेगी ? माननीय आबकारी मंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिये और यह कह दिया कि मदिरा क्रय करने हेतु आधार कार्ड की अनिवार्यता विधिसम्मत् नहीं है। जहां जरूरी है, वहां तो विधिसम्मत् है और जहां जरूरी नहीं है, वहां विधिसम्मत् नहीं है। युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाने का आधार कार्ड आज हमारा 80 प्रतिशत युवा नशे का आदी हो चुका है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस घर में, जिस गांव में, जिस जिले में, जिस प्रदेश में, जिस देश के युवा शराबी, कवाबी, बलहीन, चरित्रहीन हो जाते हैं, वह घर, प्रदेश, देश टूट जाया करता है। शराब बुराई और अपराधों की जननी है।

श्री अध्यक्ष-

स्वामी जी कृपया अब आप प्रश्न करिये।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष जी, आज बोल लेने दीजिए, पता नहीं कल अवसर मिले या न मिले।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको कल फिर बुला लूंगा।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष जी, शराब अपराधों की जननी है। जितने भी अपराध होते हैं, वह सारे शराब पीकर होते हैं, चाहे बलात्कार, कत्ल, अपहरण, एक्सीडेन्ट की घटना हो, सब की सब घटनायें शराब पीकर होती हैं। यदि उत्तर प्रदेश में शराब पर पूर्ण पाबन्दी लगा दी जाए तो न तो पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी और न ही अस्पतालों की आवश्यकता पड़ेगी। शराब अन्दर बुद्धि बाहर, शराब पीकर युवा ऐसी घटनायें करते हैं, जिन घटनाओं को सुनकर शर्म भी शर्मसार हो जाती है। भाई बहन से बलात्कार करता है, पिता बेटी से बलात्कार करता है। शराब रिश्तों को तार-तार कर देती है। शराब डंकनी है, यह हमारी शानदार संस्कृति पर डकैती डाल रही है। इसे समाप्त होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

स्वामी जी, आप अपना अनुपूरक प्रश्न करें अन्यथा मुझे अगला प्रश्न लेना पड़ेगा।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, मैं केवल एक मिनट लूँगा। हमें अपना प्रदेश बचाना है। मा0 मुख्य मंत्री जी को अपना बुलडोजर शराब की दुकानों पर चलाना चाहिये। मा0 मुख्य मंत्री जी अगर ऐसा करेंगे तो मैं उस बुलडोजर का ड्राइवर बनकर शराब की दुकानों को धराशायी करने का काम करूँगा। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार पड़ोसी राज्य से सबक लेकर उत्तर प्रदेश में भी शराब पर पूर्ण पाबन्दी लगाकर प्रदेश के युवाओं को शराब की लत से हटाकर अमर शहीद पं0 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ सरीखे राष्ट्रभक्त बनाने का कार्य करेगी ? मैं आज सदन से भी निवेदन करूँगा कि सभी मा0 सदस्य यहाँ पर हाथ उठाकर शराब न पीने की घोषणा करें। शराब पीना छोड़ दो, शराब की बोतल तोड़ दो। धन्यवाद।

श्री नितिन अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो अनुपूरक प्रश्न किया है, अगले प्रश्न के रूप में वह प्रश्न लगा हुआ है, उसका उत्तर मैं तब दे दूँगा। आपने जो मूल प्रश्न मुझसे किया था, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो आबकारी अधिनियम, 1910 है उसकी धारा-22 यह प्राविधानित करती है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है, उसे शराब की बिक्री नहीं की जायेगी और इसी अधिनियम की धारा-23 यह प्राविधानित करती है कि किसी भी युवा जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है उसको शराब अथवा मदिरा की बिक्री के कार्य में नहीं

लगाया जायेगा। यह हमारे आबकारी अधिनियम में प्राविधानित है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी को भी बार का लाईसेंस अथवा दुकानों का लाईसेंस इश्यू करते हैं तो जैसाकि मैंने अभी अधिनियम की धारा-22 तथा 23 के बारे में बताया, उसमें यह शर्त लिखी होती है कि अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर पेनॉल्टी भी लगायी जायेगी और आपका लाईसेंस भी कैंसिल कर दिया जायेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम आबकारी की डेफिनिशन में बतायें तो उत्तर प्रदेश को हमने 402 क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है जहाँ पर हमारे इंस्पेक्टर्स तैनात होते हैं। प्रदेश में ऐसे कुल 402 क्षेत्र हैं जहाँ पर 402 इंस्पेक्टर्स तैनात हैं और उनका काम भी यही है। जो इन्फोर्समेंट की टीमें हैं वह लगातार देखती रहती हैं कि कहीं इन शर्तों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आपने आधार की बात कही कि आधार अनिवार्य करना चाहिये कि नहीं करना चाहिये तो मैं मा0 सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का गजट नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता कहाँ पर होनी चाहिये। मैं इसे पढ़ देता हूँ, आपको स्पष्ट हो जायेगा। गजट नोटिफिकेशन में उन्होंने बिल्कुल साफतौर पर लिखा है कि 'For good governance efficient and transparent delivery of subsidies, benefit and services' और जिसका खर्चा कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इण्डिया, जो भारत सरकार की एक निधि है, उससे उसका पैसा लिया जाता है और इन सर्विसेज में अगर उस पैसे का इस्तेमाल होता है उसी कंडीशन में हम आधार को अनिवार्य करते हैं, उसके अलावा और किसी चीज में अनिवार्यता नहीं है। इसलिये मैंने यह उत्तर दिया है कि शराब अथवा मदिरा का जो क्रय-विक्रय है, वह इस अधिनियम में नहीं आता है, अनिवार्यता के अधिनियम में नहीं आता है। इसलिये यह उचित नहीं है और विधिसम्मत नहीं है।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

स्वामी जी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। आपने आधार कार्ड की अनिवार्यता के बारे में पूछा था, उस पर मा0 मंत्री जी ने कहा है कि अनिवार्यता नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने अनुपूरक पूछा है कि क्या सरकार पड़ोसी राज्य से सबक लेकर उत्तर प्रदेश में भी शराब पर पूर्ण पाबन्दी लगाने का काम करेगी ? मेरे इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। बहुत सारी चीजें समझने वाली होती हैं।

श्री नितिन अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा है वह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यही प्रश्न दूसरे मा0 सदस्य ने लगाया है, मैं अभी उसका उत्तर दे दूँगा।

प्रदेश में शराब बन्दी कानून लागू किये जाने के सम्बन्ध में

***7-श्री अभय सिंह-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतों के नियंत्रण के लिए अन्य प्रदेशों की भांति प्रदेश में भी शराब बन्दी कानून सरकार लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी नहीं,

मद्यनिषेध राज्य की नीति है, किन्तु मदिरा सेवियों को मानक मदिरा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या-8 के अन्तर्गत प्राप्त मदिरा के व्यवसाय अधिकार के तहत इस अधिकार को जन सामान्य को हस्तान्तरित करती है। इस हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग राज्य की विकास योजनाओं के संचालन हेतु किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी लागू किये जाने से मदिरा उपभोक्ताओं को मानक मदिरा उपलब्ध नहीं हो पायेगी और अन्य स्रोतों से अवैध तस्करी कर लायी गयी मदिरा के सेवन से जनहानि की सम्भावना बलवती होगी। यदि उ0प्र0 में पूर्ण शराब बन्दी लागू कर दी जाएगी तो राज्य सरकार को भारी राजस्व से वंचित होना पड़ेगा तथा राज्य की विकास योजनायें प्रभावित हो सकती हैं, जो जनहित में नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अभय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने शराब बंदी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अभी हमसे पूर्व में स्वामी जी ने प्रश्न किया था जिसका जवाब मा0 मंत्री जी ने दिया है। यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा है। हम जब भी अपने कार्यालय में बैठते हैं तो रोजाना दो-चार महिलायें आती हैं और अपना दुखड़ा बताती हैं, अपनी परेशानी बताती हैं कि किस तरह से उनके पति शराब पीकर उनके बच्चों के साथ हादसे कर रहे हैं और जमीनें बेच रहे है। मा0 मंत्री जी ने बताया कि यदि शराब नहीं बेचेंगे तो धन का अभाव हो जाएगा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपके ही अनुसार गुजरात एक डेवलप स्टेट है, बिहार में आपकी ही सरकार ने शराब बन्द करायी है तो फिर अब जब यहां पर आपकी डबल इंजन की सरकार है और

इतना डेवलप स्टेट है तब भी आपको धन का अभाव नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश में शराब बन्द नहीं कर रहे हैं। आप शराब बन्दी नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। हमने अभी मा0 मंत्री जी से सुना कि 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब पीने और बेचने पर रोक लगी हुई है। हम आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते है कि बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है इसी राजधानी में यहां से 6-7 किलोमीटर दूर समिट बिल्डिंग है। यहां के हर बार में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे हुए हैं जिसके माध्यम से वहां पर रोजाना देखा जा सकता है कि कम से कम पचासों लड़के और लड़कियाँ जिनकी उम्र 20 साल से कम है शराब पीकर जमीन में पड़े रहते हैं, नाली में पड़े रहते हैं। हम वहां की पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं जो बेचारे रात के 12 बजे 1 बजे उन लड़कों, लड़कियों को उठाकर घर पहुँचाते हैं। आप इसी बिल्डिंग में जाकर देख सकते हैं कि कैसे भारतीय संस्कृति तार-तार हो रही है, मर्यादायें भंग हो रही हैं। किस तरह की स्थिति बनी हुई है जिसके बारे में टी0वी0 बोल रहा है, अखबार बोल रहा है लेकिन आबकारी विभाग को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किस तरह से वहां पर बच्चों को शराब परोसी जा रही है और बेची जा रही है। इस तरह शराब की वजह से हमारा समाज खत्म हो रहा है और हर तरफ अनैतिक स्थितियाँ फैली हुई हैं। हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हमारे दो अनुपूरक हैं और दोनों का आप जवाब दे दें, क्योंकि समय कम है। क्या सरकार 21 साल से कम आयु के बच्चों को शराब बेचने वालों पर कानूनी कार्यवाही करायेगी ? दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब बेचने पर जो मॉनीटरिंग की व्यवस्था है उस सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज को मगांकर देखने पर दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री नितिन अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, यह जान कर अच्छा लगा कि कम से कम समाजवादी पार्टी के लोगों को अब चिन्ता हुई है। जब प्रदेश में इनकी सरकार थी तो पूरे प्रदेश को शराब माफियाओं ने जकड़ रखा था और उस वक्त जिस तरीके की घटनायें उत्तर प्रदेश में हुईं और यहां तक की मैं यह कहना चाहूँगा कि जब इनकी सरकार प्रदेश में थी तो जो पॉलिसी एक्साइज की बनती थी वह शराब माफिया बैठ कर बनवाते थे, यह लोग उस पॉलिसी को बनवाते थे और पूरे प्रदेश में उस वक्त जो मौतें हुई हैं वह इनके कारण और इनकी पॉलिसी के कारण हुई हैं। मेरे सामने जो प्रश्न आया है उसका मै जवाब देना चाहता हूँ। मा0 सदस्य ने पूछा कि इतनी मौतों को कैसे रोका जाएगा ? मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 सदन को जो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, के समक्ष बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2022 में जब आदरणीय योगी जी की दूसरी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी आज पौने दो वर्ष हो चुके हैं सरकार को बने हुए 25 करोड़ की जनसंख्या में 1 भी मौत उत्तर प्रदेश में कच्ची या नकली शराब पीने से नहीं हुई है। जिस तरीके से आबकारी विभाग ने प्रवर्तन की कार्यवाहियों को किया

है, माफियाओं को बंद करने का काम किया है और आज मैं सदन में खड़े होकर यह कह सकता हूँ कि 100 प्रतिशत माफियाओं की कमर तोड़ने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो वह हमारी सरकार ने किया है। आपने दो अनुपूरक प्रश्न किए हैं। एक तो 21 वर्ष से कम उम्र के नौजवानों को यदि शराब परोसी जाएगी तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ? आपसे पहले स्वामी जी ने जो प्रश्न किया था उसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारे अधिनियम में धारा-22 और धारा-23 में प्राविधानित है कि यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा और पैनेल्टी भी लगायी जाएगी। दूसरी चीज आपने सी0सी0टी0वी0 फुटेज की बात की है, तो हमारी हर शराब की दुकानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे हुए हैं और अगर हमें कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारी प्रर्वतन की टीमें लगातार घूमती रहती हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है और कैमरों में कोई पकड़ में आता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी। अभी तक ऐसी कोई भी घटना प्रदेश में नहीं हुई है।

श्री अभय सिंह-

किसी दिन कोई डेलीगेशन भेज दीजिए। विधान सभा से किसी भी दिन शनिवार को या शुक्रवार को कोई डेलीगेशन वहां भेज दीजिए। वे जाकर देख लें कि कितनी उम्र के बच्चों को शराब परोसी जा रही है और पिलाई जा रही है। सिर्फ एक ही जगह भेज दें।

प्रदेश में जातीय जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में

***8-डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जातीय जनगणना कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

जनगणना की विषयवस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची के क्रमांक-69 पर अंकित है। जनगणना कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियमावली, 1990 बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा कराया जाता है।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, हम आपके आभारी हैं कि आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर हमें प्रश्न पूछने का आपने अवसर दिया। मान्यवर भारत की सच्चाई है जाति व्यवस्था। जातियों के कारण सम्मान भी मिलता है और जातियों के कारण अपमान भी मिलता है। बाबा साहेब डा0 भीमराव आम्बेडकर ने जो हमें व्यवस्था दी थी। आज उसके आधार पर अगर देखा जाये तो समाज के

बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिन्हें हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली। इसको लेकर पूरे देश में आन्दोलन भी चल रहा है और देश की बहुत बड़ी-बड़ी पार्टियां आज जाति आधारित जनगणना की बात कह रही हैं। मैंने पिछले सत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि जाति आधारित जनगणना कराई जाये। लेकिन उस दौर में शासन की तरफ से आदरणीय शाही जी ने जवाब दिया था कि यह भारत सरकार का काम है। जब हमने बिहार की बात की थी तो इन्होंने कहा कि हम बिहार से उदाहरण नहीं ले सकते। लेकिन आपके बीच मुझे यह बताते हुए अपार खुशी है कि बिहार सरकार ने हिम्मत दिखाई और जाति आधार पर जनगणना भी करायी, सर्वेक्षण भी कराया और उसको लेकर जब हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी और सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गयी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में जाति जनगणना को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को उसके जाति सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इंकार कर दिया। और कहा कि राज्य को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गयी थी कि राज्य सरकार आगे और आंकड़े जारी न करे। पीठ ने कहा कि हम इस समय कुछ भी नहीं रोक रहे हैं। हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते हैं। यह गलत होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि मामले में गोपनीयता का उल्लंघन है। हाईकोर्ट का आदेश गलत है। इस पर पीठ ने कहा चूंकि किसी भी व्यक्ति का नाम और अन्य पहचान प्रकाशित नहीं किया गया है इसलिए यह तर्क कि गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है। यह सही नहीं हो सकता है। मान्यवर, जब देश की सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रही है। भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लगता है कि पूरे पिछड़े वर्ग का इनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है। मण्डल आयोग की सिफारिशों का सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हमारे नेता स्व0 माननीय मुलायम सिंह यादव नहीं हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। पासवान जी हमारे बीच नही हैं। शरद जी हमारे बीच नही हैं। कितनी लड़ाईयों के बाद मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं। क्या आप बता सकते हैं यहां पर डा0 संजय निषाद जी बैठे हैं। आशीष पटेल जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछिये। भाषण नहीं दीजिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मैं भाषण नहीं देता। यह देश की सच्चाई है।

श्री अध्यक्ष-

आप भाषण दे रहे हैं। प्रश्न पूछिए। सच्चाई तो बहुत सारी चीजों में है। जो प्रश्न है, उस पर पूछें।

डा0 संग्राम यादव-

यह देश की सच्चाई है। आज जाति के आधार पर देश के 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कितने ओ0बी0सी0 वर्ग के कुलपति हैं।

श्री अध्यक्ष-

जाति जनगणना जो आपने प्रश्न लगाया है उस पर प्रश्न पूछें। भाषण मत दीजिए।

डा0 संग्राम यादव-

मान्यवर, यहां बताया जाता है कि 403 विधायक बैठेंगे तब 403 विधायकों के बैठने का इन्तजाम करते हैं। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय आप नहीं दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, सरकार इसका उत्तर देगी।

डॉ संग्राम यादव-

हमने आप ही से सीखा है। आपने कहा कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। आप कहते हैं कि आपका प्रधानमंत्री पिछड़ा है। भारत का पिछड़े वर्ग का संवैधानिक आयोग आज जिस तरह से पिछड़ों के हकों को मारने का काम आप कर रहे हैं। आप पिछड़ों के साथ बैठे हैं। इनको इतिहास माफ नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष-

संग्राम जी अगर प्रश्न है तो पूछिये। कल जैसा भाषण मत करिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी बिहार सरकार तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना या जातीय सर्वेक्षण कराने का कार्य करेगी और आरक्षण का दायरा बढ़ा कर के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी क्या 75 प्रतिशत आरक्षण देने पर उत्तर प्रदेश की सरकार विचार करेगी हम इसमें आपसे स्पष्ट उत्तर की उम्मीद चाहते हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने ही वहां से लालजी वर्मा जी की और इशारा करके कहा तो लालजी वर्मा जी जानते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं हुई है इसलिए इन्होंने आगे से यह बात बताई है कि आप जातीय जनगणना की बात न करो और सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना नहीं गयी है। आप पता नहीं कहां से नोट करके लाये हैं और लाकर के अपने विचार व्यक्त कर दिये भारत में भारतीय संविधान लागू है जबकि आपका संविधान में कभी भी भरोसा नहीं रहा है। यह सदन साक्षी है कि भारत के संविधान के द्वारा इनको बहुमत मिला था

और बहुमत की सरकार थी तो आपने क्या-क्या उत्पीड़न उस वक्त किया मैं उसका साक्षी हूं। आपकी कितनी आस्था है भारत के संविधान में उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे यह लगता है आपका न तो डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी के ऊपर भरोसा है न ही आपको भारत रत्न भीम राव अंबेडकर जी पर भरोसा है इन दोनों ने कभी जात-पात की बात नहीं की है। जब हम विद्यार्थी थे तो उस समय आदरणीय डा0 राम मनोहर लोहिया जी जीवित थे और हम लोगों का समाजवादी युवजन सभा के साथ भी उठना बैठना होता था बराबर डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि जात को तोड़ो और समाज को जोड़ो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि हम देश के भीतर समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं और भारतीय संविधान के भीतर उसी की व्यवस्था की गयी है। अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो मा0 अध्यक्ष जी के पास भेज दीजिए। किसी भी कागज के भीतर कुछ भी आप लिख कर के आये और सदन में संज्ञान लिया जाये। मैं समझता हूं कि यह नियमों के विपरीत है और आपके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं दिखाया गया है और जहां तक सवाल है जनगणना का तो संविधान में अनुच्छेद-246 के भीतर में प्रावधान है कि किस प्रकार से कौन कानून बनायेगा और उसके भीतर संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची बनी हुई है। जनगणना की जो अनुसूची है उसके क्रमांक-69 में जनगणना का अधिकार भारत की संसद को है और भारत की संसद के अधिकार को अतिक्रमण करके राज्य जनगणना नहीं करा सकता है और उसके लिए भारत की संसद ने कानून भी बना रखे हैं सन् 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया और उसके भीतर प्राविधान किया गया है कि किस प्रकार से जनगणना करायी जायेगी और जो काम बिहार के मा0 मुख्य मंत्री महोदय, की चर्चा आप लोगों ने की तो जिस तरीके का महिलाओं का अपमान मा0 मुख्य मंत्री महोदय ने सदन में किया है उसको सारी दुनिया जानती है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप बैठिए आपका उत्तर आ गया।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष-

सरकार का जवाब आ चुका है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार पिछड़ों और दलितों को उनका हक नहीं देना चाहती है। सरकार की पिछड़ा और दलित विरोधी नीतियों के कारण हमारा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

(श्री लालजी वर्मा, सदस्य, समाजवादी पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बर्हिगमन कर गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ।

प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य श्री पंकज पटेल, श्रीमती पिंकी यादव और डॉ0 आर0 के0 वर्मा वाक आऊट कर गये। तारांकित प्रश्न संख्या-12 श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी का है।

प्रदेश में किसानों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में

***9-श्री पंकज पटेल-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की 60 वर्ष की उम्र के पश्चात् उनको पेंशन देने की योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार 60 वर्ष उम्र के ऊपर के किसानों को पेंशन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश में सभी 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यह 18 से 40 वर्ष के प्रवेश आयु समूह के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

इस योजना के किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिमाह 3000/-रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। साथ ही, प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के अर्ह नागरिकों, जिनमें पात्र किसान भी सम्मिलित हैं, को प्रतिमाह रुपये 1000/-वृद्धावस्था पेंशन के रूप में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रादेशिक विकास दल/प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को होमगार्ड की भाँति ड्यूटी एवं दैनिक/मासिक ड्यूटी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में

***10-श्रीमती पिंकी सिंह-**

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक विकास दल/ प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को होमगार्ड की भांति ड्यूटी एवं उनके बराबर दैनिक अथवा मासिक ड्यूटी भत्ता

दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रादेशिक विकास दल/ प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को होमगार्ड्स की भांति ड्यूटी एवं ड्यूटी भत्ता देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गिरीश चन्द्र यादव)-

जी नहीं।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार

प्रदेश में उद्योग स्थापित करके रोजगार देने एवं उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में

***11-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से सरकार की अनुदानित लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने की कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (श्री राकेश सचान)-

जी हां।

प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक योजनाऐं संचालित की जा रही हैं। इसमें 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' में परियोजना लागत रु0 50 लाख तक की परियोजनाओं की स्थापना में परियोजना लागत का 15 से 35 प्रतिशत तक, 'मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना' में रु0 25 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत तक अनुदान की व्यवस्था है। इसी प्रकार 'एक जनपद एक उत्पाद' के अन्तर्गत वित्त पोषण योजना में परियोजना लागत का 10 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान अधिकतम रु0 20 लाख की सीमा तक उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' एवं 'एक जनपद एक उत्पाद' योजनाओं के अन्तर्गत कौशल विकास एवं टूल किट वितरण के माध्यम से पारम्परिक उत्पादों से जुड़े कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुये आधुनिक टूलकिट उपलब्ध करायी जाती है।

इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारत सरकार की योजना 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' के अन्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु 20.70 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 0.57 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किये जाने की व्यवस्था है। मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपने पास से लगाना होता है, वहीं अनुसूचित

जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांग जन हेतु परियोजना लागत का मात्र 5 प्रतिशत अंशदान अपने पास से लगाना होता है। 'एक जनपद एक उत्पाद' वित्त पोषण योजना विभिन्न श्रेणी के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने व विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना विभिन्न श्रेणी के पारम्परिक कारीगरों को बढ़ावा देने के लिये लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर व्यय एवं उसके सापेक्ष स्थापित फैक्ट्रीज व रोजगार का जनपदवार विवरण की जानकारी

***12-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने में कुल कितना व्यय हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि व्यय के सापेक्ष प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेन्ट तथा वर्तमान तक कितना रोजगार धरातल पर पूर्ण किया गया है ? क्या सरकार इन्वेस्टर समिट से जनपदवार पूर्ण संख्या में प्राप्त इन्वेस्टमेन्ट, प्राप्त धनराशि तथा जनपदवार स्थापित फैक्ट्रीज का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

सरकार द्वारा प्रदेश में अधिकाधिक निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से फरवरी, 2023 में 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023' का आयोजन किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के सफल आयोजन के पश्चात् ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित किये जाने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित 'इन्वेस्टर्स समिट' के दौरान राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के साथ रु0 4.28 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किये गए। इसके पश्चात् प्रदेश सरकार द्वारा 03 ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी क्रमशः 29 जुलाई, 2018, 28 जुलाई, 2019 तथा 03 जून, 2022 को आयोजित की गयी थी, जिसका विवरण संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक बहुत ही गम्भीर विषय से सम्बन्धित मेरा प्रश्न स्वीकार करते हुए मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया है जिसके लिए आपको

[†] छापा नहीं गया।

बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार लगातार करोड़ों रुपये के निवेश की बात करती है और ढिंढोरा पीटती है। वर्ष 2018 में सरकार ने दावा किया था कि हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स समिट कराया है। बड़े-बड़े विज्ञापनों और अखबारों में तो इन्वेस्टर्स समिट की फोटो दिखाई देती है पर धरातल पर कहीं नहीं दिखाई देती हैं। पहले इन्वेस्टर्स समिट में सरकार ने कहा कि 4.28 करोड़ रुपये का निवेश आया है जिसमें 500 कंपनियों ने शिरकत की। सरकार ने ऐसा दावा किया कि इसमें 1043 एम0ओ0यू0 साइन हुए। सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी में 100 करोड़ रुपये खर्च करने की बात प्रत्यक्ष रूप से कही है। दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी में सरकार ने अनुपूरक बजट में लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही है। मैं मानती हूँ कि यह खर्च सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से किया है और सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से कितना खर्च किया है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इसी सदन के बहुत सारे सदस्य और मंत्रि-मण्डल के लोग पूरे विश्व में इन्वेस्टमेन्ट ढूढने गये थे। बहुत अच्छी बात होती अगर प्रदेश में इन्वेस्टमेन्ट आया होता और करोड़ों और अरबों के निवेश हुए होते। नौजवानों को रोजगार मिले हम सब यही चाहते हैं। सरकार ने अपने जवाब में मुझे कई पन्नों की एक लिस्ट पकड़ा दी कि कहां-कहां पर निवेश हुये हैं। सरकार ने इन इन्वेस्टर्स समिट्स को आयोजित करने के लिए जो पैसा रेड कारपेट पर खर्च किया है वह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा था। सरकार श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करती और क्यों नहीं बताती कि बुन्देलखण्ड में जिलेवार कितना इन्वेस्टमेन्ट हुआ, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में कितना इन्वेस्टमेन्ट हुआ, सरकार क्यों नहीं बताती कि जिलेवार कितना इन्वेस्टमेन्ट हुआ, कितने कारखाने बने और कितने नौजवानों को रोजगार मिले। सरकार यह स्पष्ट करे कि कितने करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेन्ट आया और जो एम0ओ0यू0 साइन हुये थे उनमें से कितने धरातल पर उतरे हैं। इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं और पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ढिढोरा पीटा कि हमारा उत्तर प्रदेश नम्बर-1 पर आ गया है। हम भी चाहते हैं कि नम्बर-1 पर उत्तर प्रदेश रहे और नौजवानों को रोजगार मिले।

सरकार से मेरे तीन मूल प्रश्न हैं। मैं आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार बतायेगी कि इन इन्वेस्टर्स समिट की व्यवस्था करने पर सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है, मेरा दूसरा सवाल, क्या सरकार जिलेवार लिस्ट जारी करेगी कि जो एम0ओ0यू0 साइन हुये थे उनसे जिलेवार कितना निवेश आया है और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सरकार जो एम0ओ0यू0 साइन करने की बात कह रही है तो अगर यह कम्पनियाँ आई होतीं तो रोजगार तो मिला होता, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश के जितने नौजवानों को रोजगार मिल गया है उसकी जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखेगी। मैं सरकार से यह भी जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इसमें श्वेत-पत्र जारी करेगी। मान्यवर, कृपया मुझे उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने में कुल कितना व्यय हुआ है ? सरकार द्वारा प्रदेश में अधिकाधिक निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से फरवरी, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का अयोजन किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के सफल आयोजन के पश्चात् ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने पर सरकार विचार कर रही है। उपरोक्तानुसार प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के साथ 4.28 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों एवं एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किये गये। इसके पश्चात् प्रदेश सरकार द्वारा तीन ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी क्रमशः 29 जुलाई, 2018, 28 जुलाई, 2019 तथा 3 जून, 2022 को आयोजित की गयी थी, जिसका विवरण संलग्न है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मेरा सवाल स्पष्ट रूप से यह था कि रेड कार्पेट वेलकम में जो निवेशक आये थे उसमें कितना व्यय किया गया था, क्योंकि यह सरकार की गाढ़ी कमाई का पैसा है। यह मेरा पहला प्रश्न था और दूसरा प्रश्न यह है कि जिलेवार सरकार यह सूची जारी करेगी कि जो एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं इनका कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर बना होगा, कहीं फैक्ट्री बनी होगी, कहीं पर तो कोई मिल बना होगा ? तीसरा प्रश्न यह था कि कितने रोजगार मिले हैं ? यह तो बड़े स्पष्ट सवाल थे इनके जवाब तो माननीय मंत्री जी के पास होने चाहिए थे।

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

मान्यवर, मोना जी हमारी बड़ी बहन हैं और प्रमोद तिवारी जी जब यहां बोलते थे तो सदन बहुत ध्यान से सुनता था। हमें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह सवाल बहुत अच्छे से पूछते थे और उनको यह पता होता था कि क्या पूछना है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मान्यवर, मैं इनका बड़ा सम्मान करती हूं और मेरा सीधा सवाल था कि इन्वेस्टर्स समिट में कितना खर्च हुआ है ? क्योंकि छः साल से ज्यादा हो गये है क्या खर्चों का ब्यौरा इनके पास नहीं है ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मोना जी, आपने मंत्री जी से पूछा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उसमें ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी पर कितना खर्च हुआ था ? इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो ग्लोबल

इन्वेस्टर्स समिट हुआ था उसके बाद अभी कोई ग्राउण्ड ब्रेकिंग नहीं हुई है, जब हुई नहीं है तो खर्चा कहां से होगा ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था मैने उसके खर्चे की बात की है।

श्री अध्यक्ष-

आपने गलती से ग्राउण्ड ब्रेकिंग लिख दिया है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मैंने दोनों की बात की है कि दोनों में कितना खर्च हुआ है ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी को छः साल में अभी तक यही नहीं पता है की कितना इन्वेस्टमेन्ट आया है ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से जिस तरह से आज भारत पूरी दुनिया में इण्डस्ट्री लगाने के लिए तथा निवेश करने के लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है और लोग आकर्षित होकर निवेश करने के लिए आ रहे हैं।

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हम दुनिया के 17 देशों में और 21 शहरों में गये थे और उसका जो माहौल तैयार हुआ उस समय 19 हजार 58 एम0ओ0यू0 थे जो बढ़कर 26 हजार हो गये हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि हमने निवेशकों का भरोसा जीता है और रहा सवाल पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का, तो वह भी मैंने दिया है, कुल 859 इकाई शुरू हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, प्रश्नकाल समाप्त[†]।

जैविक खाद के प्रयोग हेतु प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में

***13-श्री लकी यादव-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति पर दुष्प्रभाव के कारण आम जनमानस के जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को जैविक खाद के प्रयोग करने के लिये कोई विशेष प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] नोट :- तारांकित प्रश्न संख्या-12 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

परम्परागत कृषि विकास योजना एवं नमामि गंगे योजना के माध्यम से प्रदेश के 70 जनपदों में जैविक खेती कार्यक्रम का क्रियान्वयन 5964 क्लस्टर (119280 हे0 क्षेत्रफल) में किया जा रहा है, जिसमें 1.78 लाख से अधिक कृषक सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से 2000 क्लस्टर (40000 हे0 क्षेत्रफल) नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 जनपदों हेतु स्वीकृत है।

योजनान्तर्गत 62 प्रतिशत धनराशि कृषकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषि निवेश यथा बायोफर्टीलाइजर, बायोपेस्टीसाइड, फॉस्फेट रिच आर्गेनिक मैन्योर (प्रॉम), हरी खाद, वेस्ड डी-कम्पोजर, जीवामृत, बीजामृत इत्यादि तैयार करने हेतु देय है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में

***14-श्रीमती पूजा-**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण, योजना, संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण हेतु शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 द्वारा नीति निर्धारित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

मझवार जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के सम्बन्ध में

***15-श्री पीयूष रंजन निषाद -**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मझवार जाति को अनूसूचित जाति का दर्जा सरकार प्रदान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में पूरे उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक-53 पर मझवार जाति सूचीबद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

महिला खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में

***16-डॉ0 रागिनी-**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं को खेल में प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रदेश की कितनी महिलाओं ने राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खेलो में प्रतिभाग किया अथवा पदक जीता है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

प्रदेश में खिलाड़ियों (महिला/पुरुष) को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गयी नीतियां निम्नवत् हैं :-

01-उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022।

02-राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि।

03-उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022।

04-उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बिना पारी की पदोन्नति) नियमावली-2022।

05-उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली-2002।

06-उत्तर प्रदेश खेल नीति-2023।

07-प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार।

08-एकलव्य क्रीड़ा कोष नियमावली-2021 के अन्तर्गत प्रदेश के खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता/फैलोशिप प्रदान करना।

09-भूतपूर्व प्रसिद्ध पहलवानों/महानुभाव खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता।

उक्त के अतिरिक्त खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु संचालित योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

01-आवासीय क्रीड़ा छात्रावास।

02-खेलो इण्डिया सेन्टर का संचालन।

03-प्रशिक्षण शिविरों का संचालन।

04-सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को सुविधायें।

05-प्रदेशीय क्रीड़ा संघों/क्लबों/समितियों को अनुदान।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

ऑपरेशन ग्रीन योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य के सम्बन्ध में

***17-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना के अन्तर्गत वर्तमान तक कौन-कौन से कार्य किए गए हैं ? क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में आलू, टमाटर, गोभी, मिर्च, लौकी आदि सब्जियां खेत से सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने और उनको स्टोर करने की कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह)-

जी, हाँ।

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अन्तर्गत आपरेशन ग्रीन योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 में आलू, टमाटर तथा प्याज की फसल के लिए भारत सरकार द्वारा जनपदों को क्लस्टर्स के रूप में चिन्हित किया गया है। चिन्हित क्लस्टर्स जनपदों में फसल हार्वेस्टिंग के समय में आलू, प्याज एवं टमाटर का बाजार मूल्य निर्धारित ट्रिगर प्राइस से कम होने की स्थिति में आवेदन करने वाले कृषक, एफ0पी0ओ0, सहकारी समितियाँ, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता को उनके उत्पाद के परिवहन एवं भण्डारण दोनों पर अनुदान अनुमन्य है।

आलू क्लस्टर्स के रूप में चयनित 17 जनपदों में योजनान्तर्गत निर्धारित पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2022-23 में आलू फसल के परिवहन एवं भण्डारण पर कुल रु0 51,78,723/-की धनराशि का अनुदान आवेदकों को दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछड़ा वर्ग के दशमोत्तर के छात्रों की छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में

***18-श्री राम सिंह पटेल-**

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति के कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कितने छात्रो को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी ? क्या सरकार ने अवशेष आवेदनों के निरस्तीकरण की पुनरावृत्ति रोकने के प्रयास किये है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नही, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप)-

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के 2344689 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष 1596455 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी।

संगत नियमावली में व्यवस्था है कि ''अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में विधान मण्डल द्वारा आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि की सीमा तक नियमावली के प्रावधानों/शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र छात्र/छात्राओं को विहित वरीयता श्रेणी नियम-11 के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। योजनान्तर्गत धनराशि समाप्त होने पर यदि पात्र छात्र की देयता लम्बित रहती है, तो वह देयता अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।''

अवशेष आवेदनों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अधिक बजटीय प्रावधान कराये जाने का प्रयास किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रावधान कुल रु0 145000.00 के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रु0 185000.00 का बजट प्रावधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

एक जनपद एक खेल योजना के अन्तर्गत सम्मिलित जनपदों एवं खिलाड़ियों को उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में

***19-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक जनपद एक खेल की कोई योजना संचालित है ? यदि हां, तो उक्त योजना में कितने जनपदों को सम्मिलित किया गया है तथा उक्त में क्या-क्या सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

इस योजना में प्रदेश के कुल 75 जनपदों को सम्मिलित किया गया है। खिलाड़ियों को सम्बन्धित खेलों में मुफ्त प्रशिक्षण, खेल उपकरण एवं खेल किट की सुविधा दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को कृषि उपज का उचित/लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु राज्य परामर्शी समिति के गठन के सम्बन्ध में

***20-श्री अशरफ अली खान-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित/लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु राज्य परामर्शी समिति का गठन सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश के किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु प्रदेश की सहाय्य मूल्यों की संस्तुतियों को कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में मूल्य परामर्शदात्री परिषद् का गठन शासनादेश दिनांक 17 जुलाई, 1991 द्वारा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में

1-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले निम्न आय वर्ग के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं हेतु संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त सम्बन्धित शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत व उ0प्र0 में निवासरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को नियमावली में निर्धारित व्यवस्थानुसार उपलब्ध बजट की सीमा तक पात्रता के आधार पर उसी वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किया जाता है। धनराशि समाप्त होने पर यदि पात्र छात्र की देयता लम्बित रहती है, तो वह देयता अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं होती है।

उपरोक्तानुसार।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रण में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या एवं प्रशिक्षण देने हेतु स्वीकृत पदों के सम्बन्ध में

2-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रण में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है तथा उक्त में प्रशिक्षण देने हेतु कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या सरकार यह भी

बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री कपिल देव अग्रवाल)-

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के नियंत्रण में उत्तर प्रदेश राज्य में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। उक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्यदेशक के 868 पद तथा अनुदेशक के कुल 7768 पद स्वीकृत हैं।

कार्यदेशक एवं अनुदेशक के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	कार्यदेशक	868	337
2	अनुदेशक	7768	5220

उपरोक्तानुसार विवरण अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में व प्रदेश के बाहर अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में

3-श्री अनिल प्रधान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे की प्रदेश के बाहर स्थित संस्थानों में अध्ययनरत एवं प्रदेश में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि 1 अप्रैल, 2023 से 26 अगस्त, 2023 तक कितने छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

जी हां।

प्रदेश के अन्दर समस्त मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों को नियमावली के नियमों के अधीन शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लम्बित 36607 अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अध्ययनरत छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है, पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को मार्च, 2024 में धनराशि प्रदान की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा मण्डल में मझवार जाति की संख्या के सम्बन्ध में

4-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1961 में आगरा मण्डल में मझवार जाति के लोगों की संख्या 33034 थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2023 में आगरा मण्डल के सभी जिलों में निवास कर रहे मझवार जाति के लोगों की कुल संख्या कितनी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

आगरा मण्डल के अन्तर्गत आगरा, मथुरा, मैनपुरी तथा फिरोजाबाद जनपद हैं, जिसमें मझवार जाति की सेन्सस (Census) 1961 डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैण्डबुक (District Census handbook) उत्तर प्रदेश के अनुसार (शहरी एवं ग्रामीण) आगरा की कुल जनसंख्या-33034 तथा मैनपुरी में कुल 02 अंकित है। जनपद मथुरा तथा फिरोजाबाद के आंकड़े संस्थान में उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 2023 तक मझवार जाति के लोगों की जातिवार जनगणना के आंकड़े संस्थान में उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति द्वारा जाति प्रमाण-पत्र निरस्त करने सम्बन्धी शासनादेश की जानकारी

5-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपद स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति द्वारा किसी व्यक्ति का जाति प्रमाण-पत्र निरस्त करने का आदेश करने से क्या उसके भाई, बहन, बेटे, बेटी, पोते, पोती आदि रक्त सम्बन्धियों का जाति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा अथवा प्रत्येक जाति प्रमाण-पत्र निरस्त कराने, जाति प्रमाण-पत्र बनवाने की तरह अलग अलग निरस्तीकरण प्रक्रिया अपनानी होगी ? क्या सरकार उक्त विषय पर शासनादेश की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

किसी व्यक्ति के जाति प्रमाण-पत्र को जनपद स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति द्वारा निरस्त करने का आदेश एक आधार हो सकता है किन्तु उसके भाई, बहन, बेटे, बेटी, पोते, पोती आदि रक्त सम्बन्धियों के जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में शासनादेश

संख्या-685/26-3-2011, दिनांक 28 फरवरी, 2011 द्वारा गठित जनपद स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति द्वारा जांचोपरान्त जांच आख्या प्रतिकूल आने पर तहसीलदार या प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को प्रमाण-पत्र निरस्त करने का अधिकार है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

फसल बीमा राशि के भुगतान की समय-सीमा के सम्बन्ध में

6-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को फसल बीमा का भुगतान कितने दिन में किये जाने का प्रावधान है ? क्या सरकार बीमा राशि के भुगतान की अधिकतम समय-सीमा 30 दिन निश्चित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर 02 माह के अन्दर किये जाने का प्राविधान है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा विभिन्न जोखिमों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति देने हेतु निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर प्रदेश में संचालित है। योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन भारत सरकार स्तर से किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा अन्तर्गत रधिया देवरिया में तरणताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में

7-श्री मोहन वर्मा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के रधिया देवरिया में तैराकी (स्वीमिंग) करने वाले खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए तरणताल बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

खेल विभाग द्वारा पूर्व से ही जनपद कुशीनगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत 50x25 मी0 का तरणताल बनाया गया है, जिसमें तैराकी खेल का परीक्षण/अभ्यास विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

'खेलो इंडिया खेलो' के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के मोतीचक में मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में

8-श्री मोहन वर्मा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'खेलो इंडिया खेलो' के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के मोतीचक में मिनी स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खेलो इण्डिया खेलो की गाइड लाइन के अनुसार जिलाधिकारी, कुशीनगर से प्राप्त प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जा रहा है।

जनपद-बदायूँ की मण्डी समिति इस्लामनगर की चहारदीवारी, गेट एवं पिलर्स का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

9-श्री ब्रजेश यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदांयू के विधान सभा क्षेत्र सहसवान में मण्डी समिति इस्लाम नगर की चहारदीवारी, गेट एवं पिलर्स आदि का निर्माण कार्य दिनांक 05-07-2014 को प्रारम्भ किया गया था जिसे 25-06-2015 तक समाप्त किया जाना था किन्तु बजट के अभाव में वर्तमान तक उक्त कार्य पूर्ण नही किया जा सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जनपद बदायूँ की मण्डी समिति इस्लामनगर की चहारदीवारी, गेट एवं गेट पिलर्स का निर्माण कार्य दिनांक 05-07-2014 को प्रारम्भ कराया गया था तथा कार्य वास्तविक रूप से दिनांक 25-06-2015 को पूर्ण करा दिये जाने के उपरान्त दिनांक 30-06-2016 को मण्डी समिति को हस्तगत कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अपूर्ण मण्डी स्थलों के निर्माण के सम्बन्ध में

10-श्री राम सिंह पटेल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मे विगत 5 वर्षों में कितने मण्डी स्थलों का निर्माण प्रारम्भ हुआ तथा उक्त में कितने मण्डी स्थल वर्तमान तक भी अपूर्ण हैं ? क्या सरकार अपूर्ण मण्डी स्थलों को निर्मित कराकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में संचालित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हां।

विगत 05 वर्षो में 09 मण्डी/उपमण्डी/अतिरिक्त मण्डी स्थल क्रमशः बीघापुर (उन्नाव), भिनगा जरार, केमरी (विलासपुर), महाराजगंज (परतावल), पडरौना (कुशीनगर), किसान एग्री मॉल, ऊँचाहार (लालगंज), गुरुबक्शगंज (रायबरेली) स्वीकृत की गयी है।

स्वीकृत एवं पूर्व से अधूरी 06 मण्डी/उपमण्डी/अतिरिक्त मण्डी स्थल क्रमशः बीघापुर, मिश्रिख, कर्वी, भिनगा, मलिहाबाद (लखनऊ) एवं ठठिया (कन्नौज) का निर्माण पूर्ण कराया गया है।

निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् मण्डी संचालित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

किसानों की आय तथा लागत में संतुलन हेतु नई योजना बनाये जाने के सम्बन्ध

11-श्री लकी यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि कार्य में उपयोगी रासायनिक उर्वरक खाद, दवायें तथा सिंचन कार्य की बढ़ती कीमतों के कारण किसानों की प्रति वर्ष लागत दर बढ़ने के कारण किसान विभिन्न समस्याओं से परेशान है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों की आय तथा लागत का संतुलन की दिशा में किसानों के हित में नई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

कृषि में प्रयुक्त किए जा रहे रासायनिक उर्वरक प्रदेश सरकार कृषकों को आवश्यकतानुसार निर्धारित दर पर उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों पर अनुदान भी दिया जाता है।

कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता में कोई समस्या नहीं है। इस पर भी प्रदेश सरकार द्वारा 50 से 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। साथ ही कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में सस्ती एवं लोकप्रिय सिंचाई हेतु अनुदान पर सोलर पम्पों की स्थापना भी की जाती है।

प्रदेश सरकार द्वारा कृषि के निवेश क्षेत्र में विभिन्न योजनायें, किसानों के लागत सन्तुलन हेतु चलाई जा रही हैं। कुछ प्रमुख योजनायें निम्न हैं:-

गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना, एग्रीजंक्शन योजना, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी, जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम, प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना, संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना, कृषोन्नति योजना (बीज ग्राम योजना), परम्परागत कृषि विकास योजना, नमामि गंगे, जैविक खेती की विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान, खेत तालाब योजना, नेशनल मिशन ऑन एडबिल ऑयल, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजना, पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना।

इसके साथ ही सरकार द्वारा उत्पादित फसलों के विक्रय/विनियम हेतु न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना, मूल्य सहायता योजना, मण्डी व्यवस्था, कृषि निर्यात नीति आदि के माध्यम से भी आय एवं लागत को संतुलित करते हुए कृषकों के अधिकाधिक लाभ हेतु कार्य किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्डों में स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में

12-डॉ0 अजय कुमार-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक विकास खण्ड में खिलाड़ियों की सुविधा हेतु स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो वर्तमान में किस-किस गाँव में स्टेडियम निर्माण प्रस्तावित है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण योजना संचालन एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में निर्गत नीति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रावधानानुसार जिलाधिकारी,

बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के किसी विकास खण्ड में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन में किसानों को फसल बीमा दिये जाने के सम्बन्ध में

13-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 2018 से 2022 तक सरकार द्वारा कितने किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया है ? क्या सरकार उक्त किसानों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद जालौन में वर्ष 2018 से 2022 तक वितरित की गयी क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष	मौसम	बीमित कृषकों की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या	वितरित क्षतिपूर्ति (लाख रु0 में)
2018-19	खरीफ	91863	6600	140.81
	रबी	92008	1276	55.44
	योग	**183871**	**7876**	**196.25**
2019-20	खरीफ	55867	5257	227.37
	रबी	55866	4014	390.11
	योग	**111733**	**9271**	**617.48**
2020-21	खरीफ	52389	3846	175.07
	रबी	49932	471	116.71
	योग	**102321**	**4317**	**291.78**
2021-22	खरीफ	54769	29005	1489.46
	रबी	56311	11901	757.96
	योग	**111080**	**40906**	**2247.42**
2022-23	खरीफ	59539	50539	3816.14
	रबी	60395	2434	626.58
	योग :	**119934**	**52973**	**4442.72**
	महायोग :	**628939**	**115343**	**7795.65**

बीमा कम्पनी द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के किसानों को कृषि यन्त्र, खाद एवं बीज पर सब्सिडी देने के सम्बन्ध में

14-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अति पिछड़े जनपद जालौन के लिये सरकार द्वारा वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक कृषि यन्त्रों (सीड ड्रिल, रोटावेटर, हैरो, कल्टीवेटर, थ्रेसर) आदि एवं स्प्रिंकलर सेट तथा खाद एवं बीज के लिये कृषि विभाग को कितना बजट दिया गया एवं कृषि विभाग जालौन द्वारा सब्सिडी देकर जनपद के कितने किसानों को लाभान्वित किया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद जालौन में वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक 6309 कृषकों को कृषि यन्त्रों के क्रय पर नियमानुसार धनराशि रुपये 29,49,30,830.00 का अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से वितरित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक 69247 कृषकों को बोआई हेतु बीज के क्रय पर नियमानुसार धनराशि रुपये 16,65,80,770.16 को अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से वितरित किया गया।

जी हाँ।

विवरण संलग्न[†]।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में उद्यान विभाग द्वारा किसानों को बागवानी/फल संरक्षण एवं ड्रिप सिस्टम पर सब्सिडी देने के सम्बन्ध में

15-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में उद्यान विभाग को विगत पांच वर्षों में कितना बजट दिया गया तथा उद्यान विभाग द्वारा कितने किसानों को बागवानी/फल संरक्षण एवं ड्रिप सिस्टम पर सब्सिडी देकर लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त किसानों की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिए नत्थी (क) आगे पृष्ठ सं0-342 पर।

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जनपद-जालौन को विगत पांच वर्षों में दिये गये बजट का विवरण निम्नवत् है :-

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत वर्षवार जनपद जालौन को आवंटित बजट एवं लाभान्वित कृषकों का विवरण ।

वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट (लाख में)	लाभान्वित कृषक (संख्या)
2018-19	3.580	243
2019-20	0.254	292
2020-21	21.776	292
2021-22	20.545	408
2022-23	18.115	826

पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत वर्षवार जनपद जालौन को आवंटित बजट एवं लाभान्वित कृषक (संख्या) का विवरण ।

वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट (लाख में)	लाभान्वित कृषक (संख्या)
2018-19	837.83	2611
2019-20	662.97	2356
2020-21	697.18	2245
2021-22	339.82	610
2022-23	1282.16	2411

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के विकास खण्ड हेरिंगटनगंज के गांव सिधौरा में राजकीय आई0टी0आई0 में पठन-पाठन आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में

16-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या के विकास खण्ड हेरिंगटनगंज के गांव सिधौरा में स्थापित राजकीय आई0टी0आई0 में पठन-पाठन कार्य सरकार आरम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय को निजी हाथों द्वारा संचालित करने का अधिकार दे दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जनपद-अयोध्या के विकास खण्ड हेरिंगटनगंज के गांव सिधौरा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मिल्कीपुर, अयोध्या के भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। जिसके पूर्ण होने के पश्चात् उसमें पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

भवन निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त।

जी नहीं। प्रदेश सरकार द्वारा नवीन आई0टी0आई0 को पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित किये जाने की नीति बनायी गयी है, जिसके अनुपालन में प्रश्नगत संस्थान को पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में

17-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 से दिनांक 29-03-2023 तक पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्र-छात्राओं के द्वारा छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु कितने आवेदन किए गए थे ? क्या सरकार बताएगी कि कुल आवेदक के सापेक्ष कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त हो रही है ? क्या विभाग द्वारा आवेदन निरस्त करने की सूचना सरकार को है ? यदि हां, तो कितने आवेदन निरस्त किये गये हैं तथा कितने आवेदन अवशेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री असीम अरूण-

जी हां।

समाज कल्याण विभाग में संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में दिनांक 29-03-2023 तक आवेदन करने वाले छात्रों का विवरण निम्नवत् है :-

<u>पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना</u>

क्र0	वर्ष	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग
1	2020-21	4,21,578	3884	1,38,263
2	2021-22	4,64,701	3528	1,78,751
3	2022-23	5,52,954	3941	1,92,842

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

क्र0	वर्ष	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग
1	2020-21	9,89,116	14214	6,73,927
2	2021-22	14,74,713	18962	10,71,809
3	2022-23	13,63,312	15804	9,01,486

उक्त योजना में आवेदन के सापेक्ष निम्नलिखित विवरण के अनुसार छात्र/छात्राओं को धनराशि उनके आधार सीडेड बैंक खाते में अन्तरित की गयी है:-

पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना

क्र0	वर्ष	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग
1	2020-21	3,62,511	2,007	1,18,153
2	2021-22	3,20,390	815	1,24,193
3	2022-23	3,86,139	1,579	1,72,566

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

क्र0	वर्ष	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग
1	2020-21	8,02,648	8,132	5,00,204
2	2021-22	12,29,471	8,930	5,38,642
3	2022-23	9,39,995	6,427	7,04,506

जी हां।

वर्षवार, योजनावार एवं वर्गवार निरस्त आवेदन की संख्या का विवरण निम्नवत् है :-

पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना

क्र0	वर्ष	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग
1	2020-21	59,067	638	20,110
2	2021-22	1,44,311	115	54,558
3	2022-23	1,66,815	181	20,276

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

क्र0	वर्ष	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग
1	2020-21	1,86,468	2,013	1,73,723
2	2021-22	2,45,242	3,177	5,33,167
3	2022-23	4,23,317	3,040	1,96,980

वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 3,03,527 छात्रों को फण्ड एडेड योजना होने के कारण देयता अग्रेतर वर्षों में नियमानुसार अग्रेनीत नहीं की गयी है।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के 21,406 छात्रों द्वारा पुनः आधार आधारित डेमोग्रेफिक आथेन्टिकेशन न कराये जाने के कारण भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

समाज कल्याण विभाग में स्थानान्तरण नीति में अनियमितता के सम्बन्ध में

18-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में 02 अगस्त, 2022 को हुए बाबुओं के तबादलों में स्थानान्तरण नीति तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश का उल्लंघन किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तबादलों में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

जी हाँ, बाबुओं के तबादलों में स्थानान्तरण नीति के उल्लंघन का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसकी सचिव स्तर के अधिकारी से जाँच करायी जा रही है।

जी हाँ, जाँचोपरान्त जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

19-श्री पंकज पटेल-

[मा0 सदस्य द्वारा प्रश्न वापस लिया गया]

जनपद अयोध्या स्थित ग्राम स्वावलम्बी विद्यालय रनीवा, आचार्य नगर में विगत 10 वर्षों में प्राप्त अनुदानों के दुरुपयोग/गबन किये जाने का प्रकरण

20-श्री अभय सिंह-

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम स्वावलम्बी विद्यालय रनीवा, आचार्य नगर, अयोध्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग के के0आर0डी0पी0 योजना व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत विगत 10 वर्षों में प्राप्त अनुदानों के दुरुपयोग/गबन एवं उक्त संस्था के मकानों को अनियमित तरीके से किराये पर देकर किराये से प्राप्त धनराशि/दान के दुरुपयोग/गबन की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराकर संस्था ग्राम स्वावलम्बी विद्यालय रनीवा, आचार्य नगर, अयोध्या के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम स्वावलम्बी विद्यालय रनीवा, आचार्य नगर, अयोध्या सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयंशासी संस्था है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई (भारत सरकार) से वित्त पोषित/प्रमाणित एवं नियन्त्रणाधीन कार्यरत है। के0आर0डी0पी0 योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजना है, जिसकी जांच की कार्यवाही खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार द्वारा ही की जा सकती है।

राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप में रजत पदक विजेता दिव्यांग गार्गी चौधरी को प्रदेश स्तर पर प्रोत्साहन राशि दिलाये जाने व उ0प्र0 की खेल नीति में डैफ श्रेणी शामिल किये जाने के सम्बन्ध में

21-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ख-नं0-106321, दिनांक 25-08-2023 जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली दिव्यांग गार्गी चौधरी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप 10 मी0 पिस्टल प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया गया है, को प्रदेश स्तर पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने एवं उ0 प्र0 की खेल नीति में डैफ श्रेणी शामिल किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

उक्त पत्र मा0 मुख्य मंत्री जी सन्दर्भ संख्या-18138230170070, दिनांक 05-09-2023 के माध्यम से निदेशालय में प्राप्त हुआ था।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सामान्य खिलाड़ियों के भाँति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1617/बयालिस-2020-135 (विविध) /2013, दिनांक 30-09-2020 के माध्यम से दिव्यांग खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान किये जाने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है। शासन की गाइड लाइन्स स्वीकार करने वाले मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त दिव्यांगजन प्रदेशीय क्रीड़ा संघों के माध्यम से प्रस्ताव/आवेदन पर नियमानुसार पुरस्कार/अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाता है। शासनादेश संख्या-1658/ बयालिस-2023-135 (विविध)/2013, दिनांक 25 मई, 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन को मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की गयी है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रदेशीय डैफ खेल संघ मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त नहीं है। जिसके फलस्वरूप मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त होने से

पूर्व खिलाड़ियों द्वारा अर्जित की गयी उपलब्धियों पर पुरस्कार राशि दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। चूंकि सुश्री गार्गी चौधरी, दिव्यांग खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जिन दो प्रतियोगिताओं में उपलब्धियाँ प्राप्त की गयी हैं, जो क्रमशः 65वीं नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप, 10 मी0 पिस्टल इवेन्ट, भोपाल, दिसम्बर, 2022 (रजत पदक) व 25वीं नेशनल डैफ श्रेणी, इन्दौर, फरवरी, 2023 (रजत पदक) है। उक्त संघ शासनादेश संख्या-1658/बयालिस-2023-135 (विविध)/2013, दिनांक 25 मई, 2023 के तहत मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त सुश्री गार्गी चौधरी, दिव्यांग खिलाड़ी को खेल विभाग द्वारा दी जा रही शासकीय सहायता/पुरस्कार हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र व खेल प्रमाण-पत्र आदि खेल निदेशालय को प्राप्त नहीं हुए हैं। इस सम्बन्ध में सूचना निदेशालय के पत्र संख्या-723/सं0ग0/मा0मु0मं0सं0/ 2023-24, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 द्वारा सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रत्येक जनपद में खेल स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में

22-श्री जै किशन साहू-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युवा बच्चों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी हेतु प्रत्येक जनपद में खेल स्टेडियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना तथा जनपदों में खेल स्टेडियम बनाने की समय-सीमा क्या है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रस्तर-1 (1) के प्रावधानानुसार प्रथम चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में चरणबद्ध तरीके से 01 ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें सर्वप्रथम उन जनपदों को प्राथमिकता से लिया जायेगा, जहाँ पर एक भी विभागीय स्टेडियम नहीं है। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से नियमसंगत प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर निर्माण की कार्यवाही करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में नये लघु एवं कुटीर उद्योग लगाये जाने व औद्योगिक दर के सम्बन्ध में

23-श्री लकी यादव-

क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत स्थापित लघु एवं कुटीर उद्योगों का विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में रोजगार हेतु नये उद्योग लगाने पर विचार करेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि अन्य जनपदों की

तुलना में जौनपुर में औद्योगिक दर क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26-08-2020 द्वारा दिनांक 01-07-2020 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के सुगमतापूर्वक पंजीकरण हेतु उद्यम रजिस्ट्रेशन फाइल करने की प्रक्रिया लागू की गयी है। उद्यम पोर्टल पर उपलब्ध विवरणानुसार जनपद जौनपुर में दिनांक 01-7-2020 से दिनांक 31-10-2023 तक कुल 32562 उद्यम रजिस्ट्रेशन हुये हैं।

प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' में परियोजना लागत रु0 50 लाख तक की परियोजनाओं की स्थापना में परियोजना लागत का 15 से 35 प्रतिशत तक, 'मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना' में रु0 25 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत तक अनुदान की व्यवस्था है। इसी प्रकार 'एक जनपद एक उत्पाद' के अन्तर्गत वित्त पोषण योजना में परियोजना लागत का 10 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान अधिकतम रु0 20 लाख की सीमा तक उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 द्वारा उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु कई प्रोत्साहन व सुविधायें प्रदान की जा रही हैं :-

(1) उक्त नीति के अन्तर्गत राज्य के बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु क्रमशः 25 प्रतिशत, 20 प्रतिशत व 15 प्रतिशत पूंजीगत उपादान एवं मध्यांचल व पश्चिमांचल क्षेत्र में क्रमशः 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत पूंजीगत उपादान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं के लिये 2 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत उपादान दिये जाने का प्राविधान है।

(2) उक्त नीति के अन्तर्गत राज्य में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं यथा 10 से 50 एकड़ तक के एम0एस0एम0ई0 पार्क तथा फ्लैटेड फैक्ट्री के विकास हेतु विकासकर्ता द्वारा लिये गये ऋण पर 50 प्रतिशत तक ब्याज उपादान अधिकतम रु0 2.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक 07 वर्षों तक उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

(3) उद्योग स्थापना के लिये पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 100 प्रतिशत और मध्यांचल व पश्चिमांचल क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर में 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है एवं प्रदेश की महिलाओं के लिये 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

(4) उक्त नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले नये सूक्ष्म उद्योगों हेतु पूंजीगत ब्याज उपादान के सम्बन्ध में ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु0 25 लाख प्रति इकाई 05 वर्ष के लिये दिये जाने की व्यवस्था है।

जनपद जौनपुर में मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 से अब तक 350 लाभार्थियों को मार्जिन मनी रु0 846.42791 लाख, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 से अब तक 31 लाभार्थियों को मार्जिन मनी रु0 50.7975 लाख व प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 से अब तक 437 लाभार्थियों को मार्जिन मनी रु0 1594.62 लाख की सब्सिडी का लाभ देते हुये उद्योग लगाने हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही जनपद जौनपुर में स्थित सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) में वर्ष 2018-19 से 31 मार्च, 2023 तक उद्योग लगाने हेतु 16 भू-खण्ड 59940 वर्गमीटर का आवंटन किया गया है, जिससे लगभग 4450 रोजगार सृजित हुये हैं।

विभाग द्वारा औद्योगिक दर की जनपदवार सूचना संकलित नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत हथकरघा व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभान्वित करने एवं सरकारी डिपो व खरीद केन्द्र खोलने तथा हथकरघा तकनीक का आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

24-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत हथकरघा व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभान्वित करने हेतु नगर बिलारी में सरकारी सूत डिपो खोल कर सस्ता सूत उपलब्ध कराने, तैयार माल बेचने, सरकारी ख़रीद केन्द्र खोलने तथा हथकरघा की आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों को मिल गेट प्राइस योजना के अन्तर्गत अनुमानित दर पर धागा उपलब्ध कराया जाता है।

योजनान्तर्गत पात्र बुनकर/संस्था राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से संचालित यार्न डिपो से अनुमानित दर पर धागा खरीद सकते हैं। सरकारी खरीद केन्द्र खोलने की कोई योजना विभाग से संचालित नहीं की जाती है।

आधुनिक हथकरघा तकनीक का प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बुनकर सेवा केन्द्रों के माध्यम से कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आई0टी0आई0 कालेजों में निर्बल वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिलाये जाने के सम्बन्ध में

25-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या व्यवसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित आई0टी0आई0 कालेजों में स्थानीय विधायक की संस्तुति पर प्रत्येक वर्ष निर्बल वर्ग के 5 छात्रों को प्रत्येक वर्ष-प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश कराये जाने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की कार्यवाही अभ्यर्थी के इच्छित व्यवसाय हेतु निर्धारित अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सम्पादित किया जाता है। अभ्यर्थी के द्वारा आवेदित व्यवसाय में प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के मेरिट साफ्टवेयर द्वारा तैयार करके मेरिट के अनुसार ही अभ्यर्थी को व्यवसाय एवं संस्थान आवंटित किया जाता है।

दिव्यांगजनों को बी0पी0एल0 श्रेणी में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में

26-डॉ0 अजय कुमार-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के दिव्यांगजनों को बी0 पी0 एल0 श्रेणी में सम्मिलित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-108 दिनाँक 13-03-2023 उन्हे प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

जी हाँ।

दिनांक 14-03-2023 को खाद्य एवं रसद विभाग को परीक्षणोपरान्त शीघ्र समुचित कार्यवाही करने की अपेक्षा के निर्देश के साथ पत्र प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम द्वारा पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

27-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 से दिनांक 28-08-2023 तक प्रदेश में पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड द्वारा

पिछड़े वर्ग के कितने लाभार्थियों को कृषि पारम्परिक तकनीकी व्यवसाय तथा लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु प्रशिक्षणोपरान्त ऋण उपलब्ध कराया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से आसान ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण वितरित किया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2012-13 से ऋण देना बन्द कर दिया गया है, जिससे वित्तीय वर्ष 2020-21 से 28-08-2023 तक निगम द्वारा पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को कृषि पारम्परिक व्यवसाय, तकनीकी तथा लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ग्रामीण क्षेत्र में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में

28-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं का विवरण सदन के पटल रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जालौन में रेशम कीट को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में

29-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या रेशम उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में रेशम कीट को बढ़ावा देने के लिये विगत पांच वर्षों में विभाग को कितना बजट दिया गया तथा विभाग द्वारा जनपद के किन-किन गांवों/शहरों में कीट पालन किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा कितने किसानों को सब्सिडी देकर रेशम कीट का लाभ पहुँचाया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जनपद जालौन में रेशम कीट को बढ़ावा देने के लिये विगत पांच वर्षों में विभाग द्वारा कुल धनराशि रु0 66.80450 लाख का बजट आवंटित किया गया है तथा विभाग द्वारा जनपद जालौन के महेबा विकास खण्ड के ग्रामों-चरसोनी, शेखुपुरा, गुढा, मैनुपुर, देवकली, मडैयन, विकास खण्ड कदौरा के ग्राम-गुलौली, सुरौला, मुस्ताजनगर, सुरौली, विकास खण्ड-जालौन के ग्राम महियाखास एवं प्रतापपुरा में किसानों द्वारा एरी रेशम कीट पालन का कार्य किया जा रहा है तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित सिल्क समग्र-2 के अन्तर्गत जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा के ग्राम सुरौला के 05, गुलौली में 10 कृषकों तथा विकास खण्ड महेबा के ग्राम मैनुपुर में 05 कृषकों को कुल रु0 10.00 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ब्लाक मड़ियाहूँ में स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में

30-डॉ0 रागिनी-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ब्लाक मडियाहूँ में स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त स्टेडियम के निर्माण हेतु सरकार धन आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ब्लाक-मडियाहूँ में स्टेडियम के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव जिलाधिकारी स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद लखनऊ में फूल मण्डी स्थापित करने के सम्बन्ध में

31-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के चौक क्षेत्र में पुरानी फूल मण्डी संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद लखनऊ के आस-पास फूलों की खेती से जुड़े पुष्प उत्पादक किसानों/व्यापारियों हेतु स्थाई व्यवस्था के लिए दुबग्गा अथवा मलिहाबाद में स्थल का चयन कर फूल मण्डी स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हां।

लखनऊ के आस-पास फूलों की खेती से जुड़े पुष्प उत्पादक किसानों/व्यापारियों के लिए अधिसूचना दिनांक 16 मार्च, 2016 से सभी प्रकार के फूलों के व्यापार हेतु किसान बाजार परिसर के विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को अधिसूचित किया गया है, जिसमें चौक क्षेत्र में कारोबार कर रहे पुष्प व्यापारियों का व्यापार स्थानान्तरित कराने हेतु जिला प्रशासन को निर्देशित किया जा चुका है।

साथ ही उप मण्डी स्थल, मलिहाबाद, लखनऊ, जो पूर्व से निर्मित है, में सभी प्रकार के फूलों के व्यापार हेतु अधिसूचना निर्गत कराने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में इटौंजा के पास अवैध रूप से संचालित सब्जी मण्डी को वैध घोषित करने के सम्बन्ध में

32-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में लखनऊ-सीतापुर रोड पर इटौंजा के पास अवैध रूप से सब्जी मण्डी संचालित होने से किसानों, व्यापारियों को असुविधा तथा राजस्व की हानि भी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सब्जी मण्डी को जनहित में वैध मण्डी स्थल घोषित करते हुए आवश्यक निर्माण सुनिश्चित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जनपद लखनऊ में लखनऊ-सीतापुर रोड पर इटौंजा के पास मानपुर में परम्परागत रूप से बाजार लगती है, जिसमें स्थानीय किसानों द्वारा फल-सब्जी इत्यादि लाकर बेचा जाता है।

शासनादेश दिनांक 24-5-2020 द्वारा आलू, प्याज, लहसुन, नीबू, अदरक, टमाटर एवं मिर्च को छोड़कर शेष समस्त सब्जी/फल एवं अन्य निर्दिष्ट कृषि उत्पाद की सूची से हटा दिया गया है, जिसके कारण इन जिन्सों पर मण्डी समिति स्तर से विधिक कार्यवाही सम्भव नहीं है। 07 निर्दिष्ट जिन्सों को छोड़कर शेष समस्त फल एवं सब्जियों पर मण्डी शुल्क/विकास सेस देय नहीं है। अतः किसी प्रकार की राजस्व की हानि नहीं हो रही है।

वर्तमान में नवीन मण्डी स्थल, सीतापुर रोड, लखनऊ एवं मण्डी स्थल, दुबग्गा में फल/सब्जी का व्यवसाय हो रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य मण्डी स्थल का निर्माण कराया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

ट्रांजिट हास्टल डालीबाग, सचिवालय कालोनी, लखनऊ में नियमित सफाई कार्य के सम्बन्ध में

33-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-08-2023, जो कि ट्रांजिट हास्टल डालीबाग, सचिवालय कालोनी, लखनऊ में नियमित जनहित सफाई आदि कार्य कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

श्री हाकिम लाल बिन्द, मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 23 अगस्त, 2023 के क्रम में तत्काल विशेष सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग की अध्यक्षता में एक विभागीय समिति का गठन किया गया, जिसमें अन्य सदस्य व्यवस्थाधिकारी, ट्रांजिट हॉस्टल, डालीबाग, लखनऊ एवं अवर अभियन्ता (सिविल), ट्रांजिट हॉस्टल, डालीबाग, लखनऊ। समिति द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को ट्रांजिट हॉस्टल, डालीबाग, लखनऊ की सफाई व्यवस्था का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त राज्य सम्पत्ति अनुभाग-4 के पत्र संख्या 2499/बत्तीस-4-2022-एलसी-9/2022, दिनांक 25 सितम्बर, 2023 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिविल अनुरक्षण खण्ड-2, लो0नि0वि0, लखनऊ एवं सम्बन्धित व्यवस्थाधिकारी को ट्रांजिट हॉस्टल के बाहरी परिसर की नियमित रूप से नगर निगम, लखनऊ से समन्वय स्थापित कर सफाई कराए जाने के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित व्यवस्थाधिकारी एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रांजिस्ट हॉस्टल डालीबाग विधायक निवास नहीं है, बल्कि एक सरकारी कॉलोनी है, जिसमें कोई भी मा0 विधायक अध्यासित नहीं हैं। बाहरी परिसर की साफ-सफाई नगर निगम द्वारा कराई जाती है तथा आवासों की साफ-सफाई अध्यासियों द्वारा स्वयं की जाती है। ट्रांजिट हॉस्टल में उपरोक्तानुसार साफ-सफाई की जा रही है। विभागीय अधिकारियों द्वारा इसका नियमित अनुश्रवण भी किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां में मिनी स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में

34-श्री निर्मल वर्मा-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां में युवाओं को खेल में प्रोत्साहन देने हेतु मिनी स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

ग्रामीण मिनी स्टेडियम एवं ओपेन जिम निर्माण योजना संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में निर्गत नीति विषयक हेतु शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रावधानानुसार जनपद से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या एवं सीट व वर्तमान में प्रशिक्षणरत् अभ्यर्थियों की संख्या के सम्बन्ध में

35-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु कितनी सीटों की व्यवस्था की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में कितने अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के 7 जनपदों में 8 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं, इन 8 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु कुल 1050 सीटों की व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान में 830 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अभ्युदय योजना संचालन के सम्बन्ध में

36-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कबसे अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त योजना में अध्ययनरत् छात्रों का प्रथम परिणाम का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

प्रदेश में अभ्युदय योजना का संचालन दिनांक 16-02-2021 से किया जा रहा है।

उक्त योजना प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-सिविल सेवा, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0 इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को निःशुल्क साक्षात/ आनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उदेदश्य से प्रारम्भ की गयी है।

अभ्युदय योजना के प्रारम्भ होने से अब तक लगभग एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया तथा अन्तिम रूप से कुल 327 अभ्यर्थियों ने विभिन्न परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 23 अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग एवं 95 अभ्यर्थी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अन्तिम रूप से चयनित हुये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों की स्थापना व संचालन के सम्बन्ध में

37-श्री अनिल प्रधान-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर में ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र की स्थापना की गई है ? क्या सरकार की ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों को सुचारु रूप से संचालित कराने हेतु कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों के अन्तर्गत चयनित स्थलों पर 133 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों (रिन) की स्थापना की गयी है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश शासन कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-3/2021/483/ 80-1-2021-600(1)/2021, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा 128 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों को उप मण्डी स्थल घोषित किया गया है। इन उप मण्डी स्थलों का संचालन सम्बन्धित मण्डी समितियों द्वारा किया जाता है तथा मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के 'आवंटन विनियमावली-2016' (अद्यतन संशोधित) लागू है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

बेरोजगार युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग शुरू करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में

38-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग शुरू करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु आसान किस्तों पर

ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने की कोई योजना संचालित है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत 31 अगस्त, 2023 तक कितने युवाओं को लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का जिलेवार ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' में परियोजना लागत रु0 50 लाख तक की परियोजनाओं की स्थापना में परियोजना लागत का 15 से 35 प्रतिशत तक, 'मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना' में रु0 25 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत तक अनुदान की व्यवस्था है। इसी प्रकार 'एक जनपद एक उत्पाद' के अन्तर्गत वित्त पोषण योजना में परियोजना लागत का 10 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान अधिकतम रु0 20 लाख की सीमा तक उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 द्वारा उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु कई प्रोत्साहन व सुविधायें प्रदान की जा रही हैं-

(1) उक्त नीति के अन्तर्गत राज्य के बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु क्रमशः 25 प्रतिशत, 20 प्रतिशत व 15 प्रतिशत पूंजीगत उपादान एवं मध्यांचल व पश्चिमांचल क्षेत्र में क्रमशः 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत पूंजीगत उपादान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं के लिये 2 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत उपादान दिये जाने का प्राविधान है।

(2) उक्त नीति के अन्तर्गत राज्य में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं यथा 10 से 50 एकड़ तक के एम0एस0एम0ई0 पार्क तथा फ्लैटेड फैक्ट्री के विकास हेतु विकासकर्ता द्वारा लिये गये ऋण पर 50 प्रतिशत तक ब्याज उपादान अधिकतम रु0 2.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक 07 वर्षों तक उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

(3) उद्योग स्थापना के लिये पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 100 प्रतिशत और मध्यांचल व पश्चिमांचल क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर में 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी प्रदान किये जाने का प्राविधान है एवं प्रदेश की महिलाओं के लिये 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

(4) उक्त नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले नये सूक्ष्म उद्योगों हेतु पूंजीगत ब्याज उपादान के सम्बन्ध में ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु0 25 लाख प्रति इकाई 05 वर्ष के लिये दिये जाने की व्यवस्था है।

इस प्रकार कई लाभप्रद योजनायें पूर्व से लागू होने के कारण ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में तरणताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में

39-श्री मोहन वर्मा-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के गांव रधिया देवरिया के तालाब (पोखरा) में खिलाड़ी तैराकी की प्रैक्टिस करते हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि खिलाड़ी ने उक्त तालाब में तैराकी करने वाले जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में 50 मीटर वटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार रधिया देवरिया स्थित तालाब में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए तरणताल बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

युवा कल्याण विभाग में तरणताल के निर्माण तथा तैराकी प्रतियोगिता के आयोजन सम्बन्धी कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

युवा कल्याण विभाग में तरणताल के निर्माण तथा तैराकी प्रतियोगिता के आयोजन सम्बन्धी कोई योजना संचालित नहीं है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ग्राम सभा वृन्दावन एवं महुअवा में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में

40-श्री मोहन वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के विकास खण्ड सुकरौली के ग्राम सभा वृन्दावन एवं महुअवा में वर्ष 2017-2018 में सब-प्लान योजना के अन्तर्गत अनुसूचित बाहुल्य बस्ती में सड़क निर्माण के लिए शासन द्वारा प्रथम किस्त जारी की गयी थी ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? यदि हाँ, तो उक्त गाँव में अपूर्ण सड़क के निर्माण के लिए दूसरी किस्त सरकार जारी करेगी ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ। अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (सब-प्लान) योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के विकास खण्ड सुकरौली में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती ग्राम सभा-महुअवा एवं वृन्दावन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम किस्त के रूप में क्रमशः रु0 12.00 लाख एवं रु0 10.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी।

जी हाँ।

अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता की धनराशि से करायी जाती थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 से भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजना के संचालन किये जाने पर सहमति प्रदान नहीं की गयी है। भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजना का संचालन किये जाने की अनुमति प्रदान न किये जाने के कारण अपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने में कठिनाई है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

अनाधिकृत रूप से कब्जा किये गये राज्य सम्पत्ति विभाग के लखनऊ स्थित विधायक निवास को कब्जा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

41-श्री अशरफ अली खान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मण्डल दल के वर्तमान व पूर्व सदस्यों, दर्जा प्राप्त मंत्रियों (वर्तमान व पूर्व) को राज्य सम्पति विभाग के लखनऊ स्थित कतिपय स्थानों पर विधायक निवास आवंटित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त आवासों में वर्तमान में किन आवासों पर अनाधिकृत रूप से कब्ज़ा है ? क्या सरकार अनाधिकृत रूप से कब्ज़ा किये गये उक्त आवासों को कब्ज़ा मुक्त कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के वर्तमान माननीय सदस्यों को आवास आवंटित किया गया है। विधान मण्डल के पूर्व सदस्यों एवं दर्जा प्राप्त मंत्री के रूप में किसी को आवास आवंटित नहीं किया गया है। यद्यपि कतिपय आवास पूर्व माननीय सदस्य विधान मण्डल एवं अन्य महानुभावों के अनाधिकृत अध्यासन में है।

अनाधिकृत आवासों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	विधायक निवास/राजकीय कॉलोनी का नाम	आवास संख्या
1	विधायक निवास-1, खण्ड-अ, दारुलशफा	5ए, 39ए
2	विधायक निवास-2 नया, दारुलशफा	106
3	विधायक निवास-3, ओ0सी0आर0	बी-303, बी-304, बी-705
4	विधायक निवास-5, मीराबाई मार्ग	15/16
5	बहुखण्डीय मंत्री आवास, डालीबाग	ए-201, ए-603, ए-1003, ए-1101, बी 202 एवं बी-401
6	बटलर पैलेस कॉलोनी	सी 23
7	गुलिस्ता कॉलोनी	59

क्र0-सं0	विधायक निवास/राजकीय कॉलोनी का नाम	आवास संख्या
8	निरालानगर कॉलोनी	सी 19
9	डालीबाग कॉलोनी	8/9

जी हाँ।

अप्राधिकृत अध्यासियों से आवास रिक्त कराने हेतु यथास्थिति उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) अधिनियम, 1980 एवं उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ते एवं प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 एवं तत्सम्बन्धी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली, 1973 तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 एवं तत्सम्बन्धी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली, 2018 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के नेशनल पब्लिक इण्टर कॉलेज जलालाबाद के मैदान में बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

42-श्री अशरफ अली खान-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के क़स्बा जलालाबाद के 15 किलोमीटर की परिधि में कोई भी इंडोर खेल ग्राउण्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार छात्रों/युवाओं के हित में नेशनल पब्लिक इण्टर कॉलेज जलालाबाद के मैदान में बहुउद्देश्यीय हॉल (इंडोर स्टेडियम) का निर्माण पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा संचालित खेलो इण्डिया खेलो की गाइड लाइन के अनुसार बहुउद्देश्यीय हाल के निर्माण का कोई प्रस्ताव जिलाधिकारी स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद शामली के कृषि उपज मण्डी समिति थानाभवन में दुकान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

43-श्री अशरफ अली खान-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में कृषि उपज मण्डी समिति थानाभवन में व्यापारियों के लिये नई दुकानों का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों एवं व्यापारियों के हित में कृषि उपज मण्डी

समिति थानाभवन में नई दुकानों का निर्माण कार्य करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ,

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में मण्डी समिति थानाभवन के अनुमोदित प्रस्ताव संख्या-13 दिनांक 14-03-2023 के क्रम में 05 नग 'स' श्रेणी की दुकानों के निर्माण हेतु दिनांक 20-09-2023 को प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

44-श्री अखिलेश-

(दिनांक 29-11-2023 को अतारांकित प्र0सं0-196 के द्वारा उत्तरित ।)

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों के मरम्मत के सम्बन्ध में

45-श्री महेंद्र नाथ यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में मण्डी परिषद् द्वारा कितनी सड़के निर्मित हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान में अनुरक्षण हेतु कोई व्यवस्था न होने से अधिकांश सड़के जर्जर हैं ? क्या सरकार उक्त सड़को की मरम्मत/ निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

बस्ती विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान तक मण्डी परिषद् द्वारा कुल 46 नग सम्पर्क मार्गों का निर्माण समय-समय पर कराया गया है।

प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण अनुभाग-1 के पत्र संख्या-2392/23-1-2013-72 सा0/12 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्धारित की गयी ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013'' को मण्डी परिषद् द्वारा अंगीकृत किया गया है।

वर्ष 2017-18 में 13, वर्ष 2018-19 में 05, वर्ष 2019-20 में 02, वर्ष 2022-23 में 01 मार्ग कुल 21 मार्गों पर मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में 01 सम्पर्क मार्ग एन0एच0-28 पर जिनवा से सिसवारी लम्बाई 1.99 किमी0 की मरम्मत हेतु दिनांक 07-10-2023 को बजट आवंटित किया गया था, परन्तु यह मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रहण कर लिया गया है।

उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013 के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा 03 वर्ष का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित है, यदि इस अवधि में कोई मरम्मत आवश्यक होती है तो सम्बन्धित फर्म द्वारा करायी जाती है। अनुरक्षण नीति में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप 08 वर्ष पश्चात् नवीनीकरण एवं 03 से 08 वर्ष की सीमा में यदि आवश्यक है तो विशेष मरम्मत का कार्य मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर को हल्दी उत्पादक जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में

46-श्री मोहन वर्मा-

क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती के दृष्टिगत एक जिला-एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत कुशीनगर जनपद को हल्दी उत्पादक जिला घोषित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में संचालित 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना के अन्तर्गत किसी जनपद विशेष को उसमें हो रहे किसी वस्तु विशेष के उत्पादन के आधार पर उत्पादक ज़िला घोषित किए जाने का प्रविधान नहीं है।

सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में केले के रेशे से बने उत्पाद तथा केले के उत्पाद को चयनित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद में एस0ई0जेड0 क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

47-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में स्थापित एस0ई0जेड0 क्षेत्र में अब तक कितने उद्यमियों को उद्योग की स्थापना हेतु जगह आवंटित की जा चुकी है तथा कितने उद्यमियों ने वर्तमान तक अपने उद्योग स्थापित कर लिए हैं ? क्या किसी निश्चित समय-सीमा तक उक्त क्षेत्र में क्षमता के अनुरूप औद्योगिक इकाइयां स्थापित कराना सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जनपद मुरादाबाद में स्थापित एस0ई0जेड0 क्षेत्र में अब तक 94 उद्यमियों को उद्योग की स्थापना हेतु जगह आवंटित की जा चुकी है, जिनमें से 62 आवंटियों द्वारा भू-खण्ड पर

निर्माण कार्य कर उद्योग स्थापित कर लिये गये हैं एवं 03 इकाईयां निर्माणाधीन हैं, जो शीघ्र ही उत्पादनरत हो जायेंगी। प्राधिकरण नियमानुसार प्रस्तावित परियोजना निवेश के सापेक्ष निम्न तालिका के अनुसार अनुमन्य समयावधि निर्धारित की जाती है :-

क्रम-संख्या	परियोजना में प्रस्तावित कुल पूंजी निवेश अवधि	अनुमन्य
1	रु0 25.00 करोड़ तक	02 वर्ष
2	रु0 25.00 करोड़ से अधिक किन्तु रु0 50.00 करोड़ से कम	03 वर्ष
3	रू.50.00 करोड़ से अधिक किन्तु रु0 100.00 करोड़ से कम	04 वर्ष
4	रु0 100.00 करोड़ से अधिक	05 वर्ष

बुजुर्ग मां-बाप को तंग करने वाली संतानों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में

48-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बुजुर्गों के साथ उनके बच्चों और निःसंतान बुजुर्गों के साथ समाज के उपेक्षित व्यवहार से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियम के क्रम में विगत 5 वर्षों के दौरान संरक्षित कराए गये बुजुर्ग मां-बाप को तंग करने वाली संतानों के विरुद्ध उक्त अवधि में की गई दण्डात्मक कार्रवाई के जिलेवार आंकड़े सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ

जी हाँ।

विगत 05 वर्षों में बुजुर्ग मां-बाप को तंग करने वाली संतानों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम-संख्या	जनपद	दण्डात्मक कार्यवाही की संख्या
1	प्रयागराज	44
2	महोबा	02
3	झाँसी	01
4	कानपुर नगर	114

क्रम-संख्या	जनपद	दण्डात्मक कार्यवाही की संख्या
5	सीतापुर	04
6	बुलन्दशहर	03
7	गाजियाबाद	202
8	भदोही	01
9	मुरादाबाद	05
10	रामपुर	38
11	मुजफ्फरनगर	06
12	वाराणसी	127
13	महराजगंज	06
कुल योग :		**553**

शेष 62 जनपदों में अधिकरणों के समक्ष ऐसे प्रकरण प्राप्त नहीं हुये हैं, जिनमें दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन एवं स्टेडियम, ओपन जिम का निर्माण व खेल किट के वितरण के सम्बन्ध में

49-श्री नाहिद हसन-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में ग्रामीण युवाओं में खेल प्रतिभाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण स्टेडियम, ओपन जिम का निर्माण, खेल किटों के वितरण आदि के क्या उपाय किए जा रहे हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

(1) प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का वार्षिक आयोजन कराया जाता है।

(2) शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में जनपद से नियम संगत प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण की कार्यवाही करायी जाती है।

(3) युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन योजनान्तर्गत खेल सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में मझवार जाति की संख्या के सम्बन्ध में

50-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में तहसीलवार मझवार जाति के लोगों की वर्तमान में संख्या क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

जनपद फिरोजाबाद में तहसीलवार मझवार जाति के लोगों की वर्तमान में संख्या के आंकड़े संस्थान में उपलब्ध नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

मण्डी परिसरों में अनुदानित दर पर किसानों और मजदूरों को जलपान/आहार एवं मुफ्त रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

51-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने मण्डी परिसरों में अनुदानित दर पर किसानों और मजदूरों के लिए जलपान/आहार एवं मुफ्त रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध है ? क्या सरकार इन सुविधाओं से वंचित सभी मण्डी समिति परिसरों में किसी निश्चित समय-सीमा तक उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

कृषकों के ठहरने/रात्रि विश्राम हेतु समस्त संभागों में स्थित मण्डी समितियों में कुल 122 कृषक विश्राम गृह संचालित हैं, जहाँ पर कृषकों को ठहरने/रात्रि विश्राम की मुफ्त व्यवस्था है तथा किसानों और मजदूरों के लिए मण्डी में कैण्टीन की व्यवस्था है, जहाँ जलपान/आहार प्रचलित दर पर उपलब्ध होते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

अमरोहा शहर में कॉटन वेस्ट उद्योग को बिजली सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में

52-श्री महबूब अली-

क्या वस्त्र एवं हथकरघा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमरोहा शहर में कॉटन वेस्ट उद्योग को बिजली सब्सिडी कब से मिलना शुरू हुई तथा इसके बन्द करने के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

1-प्रदेश के शहर अमरोहा में काटन वेस्ट उद्योग (धुनकरों) को शासनादेश संख्या-1668/63-व0उ0-2016-56(एच)/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा विद्युत सब्सिडी का लाभ मिलना शुरू हुआ है।

प्रदेश के शहर अमरोहा में काटन वेस्ट उद्योग (धुनकरों) को निम्नानुसार वर्षवार सब्सिडी दी गई है :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 2.00 करोड की सब्सिडी

वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 2.00 करोड़ की सब्सिडी

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट प्राविधान नहीं हुआ

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 1.00 करोड़ की सब्सिडी

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 1.00 करोड़ की सब्सिडी

जनपद अमरोहा में काटन वेस्ट उद्योग के कारोबारियों को मिलने वाली सब्सिडी बंद नहीं की गयी है। वर्तमान में उक्त योजना प्रभावी है।

2-अग्रेतर अवगत कराना है कि सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा उक्त योजना का लाभ दिलाने के सम्बन्ध में धुनकरों से आधार कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, मोबाइल नम्बर आदि उपलब्ध कराने के लिये कहा गया तो उनके द्वारा यह कहते हुये रूचि नहीं दिखाई गयी कि उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था से बहुत ही कम लाभ मिलता है। न ही धुनकरों द्वारा कोई आवेदन एवं अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराये गये। उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा भी किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की गयी है। इन कारणों से धुनकरों को लाभान्वित नहीं कराया जा सका है, एवं वर्ष 2019-20 के पश्चात् प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अनुदान की प्रतिपूर्ति नहीं दी गयी है।

3-वर्तमान में भी इस मद में सब्सिडी दिये जाने हेतु धुनकरों अथवा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के तहसील मुख्यालय पर स्थापित कृषि मण्डी को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में

53-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के तहसील मुख्यालय पर कृषि मण्डी की स्थापना लगभग 6 वर्ष पूर्व हुई थी, जो अभी तक चालू नहीं हो पायी है ? क्या सरकार उक्त मण्डी को संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बलिया के अन्तर्गत वर्ष 2015 में उप मण्डी स्थल, रानीगंज (बैरिया) के निर्माण हेतु जनपद बलिया में जमीन क्रय की गयी थी। उप मण्डी स्थल रानीगंज/बैरिया ग्राम-सोनबरसा में निर्मित होकर मण्डी समिति बलिया को दिनांक 10-06-2019 को हैण्ड ओवर हुआ है, जिसमें निर्मित 'ब' श्रेणी की 05 नग एवं 'स' श्रेणी की 05 नग कुल 10 नग दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक 14-10-2019, 13-03-2020, 08-04-2021 एवं दिनांक 28-03-2023 को तिथि नियत की गयी थी। कोविड-19 के प्रभाव के कारण भी दुकान आवंटन की कार्रवाई प्रभावित रही है। वर्तमान में दुकानों के आवंटन हेतु कार्यवाही क्रमिक है।

जहां तक मण्डी के संचालन का प्रश्न है, उप मण्डी स्थल बैरिया में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लाइसेंसी व्यापारियों द्वारा किये जा रहे व्यापार के विनियमन हेतु मण्डी कार्मिकों की व्यवस्था कर दी गई है। उप मण्डी स्थल बैरिया में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा गेहूँ खरीद हेतु 01 क्रय केन्द्र खोला गया था तथा वर्तमान में 01-01 क्रय केन्द्र बाजरा एवं मक्का की खरीद हेतु खोला गया है, जिससे मण्डी शुल्क एवं विकास सेस प्राप्त होता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

54-श्री तसलीम अहमद-

[01 मंगलवार के अतारांकित प्र0 सं0-201 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद जालौन में वर्ष 2021-22 व 2022-23 में सरकार द्वारा गेहूँ/चना खरीद के विवरण के सम्बन्ध में

55-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 2021-22 व 2022-23 में सरकार द्वारा गेहूँ/चना की खरीद लक्ष्य कितना था तथा उक्त के सापेक्ष

कितनी खरीद की गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा की जाती है। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में जनपद जालौन में 92654.1 मी0 टन व 2022-23 में 276.20 मी0 टन गेहूं की खरीद की गई है।

चने की खरीद केन्द्र सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत की जाती है, जिसमें जनपदीय लक्ष्य निर्धारण नहीं होता है, बल्कि प्रदेश स्तर पर अधिकतम क्रय सीमा निर्धारित की जाती है। जनपद जालौन में वर्ष 2022-23 में 430.550 मी0 टन चने की खरीद हुई।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में मण्डी परिषद् के अन्तर्गत आने वाली सड़कों के नव निर्माण के सम्बन्ध में

56-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में मण्डी परिषद् के अन्तर्गत आने वाली कतिपय सड़कों के नव निर्माण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 नं0-220760, दिनाँक 17-08-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

मा0 सदस्य, विधान सभा के प्रश्नगत पत्र में अंकित समस्त 07 नग सम्पर्क मार्गों का सर्वेक्षण कराया गया। पत्र में क्रमांक-1 पर अंकित सम्पर्क मार्ग नगर पंचायत बिन्दकी के स्वामित्व का है तथा क्रमांक-03, 05 एवं 06 पर अंकित सम्पर्क मार्ग का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराया गया है, जिसकी मरम्मत का दायित्व पंचायती राज विभाग का है।

पत्र में क्रमांक-02, 04 एवं 07 पर अंकित मार्ग ग्राम के अन्दर की गलियाँ हैं। ग्राम के अन्दर आन्तरिक गलियों के नव निर्माण हेतु कोई योजना मण्डी परिषद् में संचालित न होने के कारण उक्त मार्गों का नव निर्माण मण्डी परिषद् से कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में

57-श्री अनिल प्रधान-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे भरतकूप से गढ़ीवा (चित्रकूट) तक विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है ? क्या सरकार उक्त एक्सप्रेस-वे को कार्यालय तहसीलदार कर्वी चित्रकूट द्वारा प्रस्तावित प्लान नम्बर एक (प्रथम वरीयता स्थल) से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर 2.5 से 2.6 से ग्राम पहरा, तरांव, रैपुरवा माफी, पण्डरी, चकलागुरुबाबा, भम्भई, चकलाराजरानी, अहमदगंज, रानीपुरभट्ट, डिलौरा, तरौंहा रूरल होते हुए गढ़ीवा तक बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-

जी हाँ।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के (0+000) चैनेज से प्रारम्भ होकर (निकट गोण्डा गाँव) रानीपुर खाकी गाँव के पास से गुजरते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 135-बी0जी0 (निकट गाँव अहमदगंज) तक विस्तारित किया जाना है।

दिनांक 18-06-2023 को उच्चस्तरीय समिति की बैठक में तहसीलदार कर्वी चित्रकूट द्वारा प्रस्तावित प्लान नम्बर एक (प्रथम वरीयता स्थल) से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर 2.5 से 2.6 तक ग्राम पहरा, तरांव, रामपुर माफी, पंडरी, चकलागुरुबाबा, भम्भई, चकलाराजरानी, अहमदगंज, डिलौरा होते हुए गढ़ीवा तक प्रस्तावित संरेखण पर भी विचार किया गया। परन्तु विभिन्न तकनीकी, आर्थिक एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों/ आवश्यकताओं के दृष्टिगत विचारोपरान्त इस प्रस्ताव को उपयुक्त नहीं पाया गया।

दिव्यांग पेंशन तथा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की पात्रता मानक व अगस्त, 2023 तक वितरित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के विवरण की जानकारी के सम्बन्ध में

58-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगजनों को पेंशन तथा मोटराइज्ड ट्राई साइकिल की पात्रता के मानक क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में अगस्त, 2023 तक कितने दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना हेतु निर्गत नियमावली दिनांक 07-10-2016 में पात्रता के मानक निम्न हैं :-

ऐसे निःशक्तजन जिनमें न्यूनतम 40 प्रतिशत की निःशक्तता राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई हो।

जो निःशक्तजन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं एवं वास्तव में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं, वे अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/सहायता पाने वाला व्यक्ति इस नियमावली के अन्तर्गत भरण-पोषण अनुदान के लिये पात्र नहीं होगा।

राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण-पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।

लाभार्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

आय-गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रु0 46080/-तथा शहरी क्षेत्रों में रु0 56460/-प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित है।) की परिभाषा के अन्दर आने वाले निःशक्तजन अनुदान के पात्र होंगे।

अनुदान प्राप्त करने हेतु जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

आयु-यह अनुदान 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र निःशक्तजन को प्रदान किया जायेगा।

निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना के सम्बन्ध में निर्गत नियमावली दिनांक 22-01-2020 में पात्रता के मानक निम्न हैं :-

दिव्यांगता की स्थिति-नियमावली के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, सम्बन्धित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो।

क्षमता-दिव्यांगजन जिन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की जानी है, की 'पात्रता' के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थितियों के अतिरिक्त, जनपद स्तर की तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण किया जायेगा और भौतिक परीक्षण में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु उपयुक्त पाये जाने पर ही व्यक्ति को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान करने की अग्रेतर प्रक्रिया की जायेगी। जनपद स्तर की तकनीकी समिति में जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी होंगे। इस समिति का गठन प्रत्येक जनपद में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु तकनीकी समिति के नाम से जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

आयु-16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक के दिव्यांगजन, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे।

आय-दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु0 1,80,000/-से अधिक नहीं होनी चाहिये। आय हेतु तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

अवधिः-इस योजना के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन को पूरे जीवन काल में केवल एक बार मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किया जायेगा। योजना में लाभान्वित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि दिव्यांगजन जिन्हें लाभान्वित किया जाना है, को भारत सरकार/स्थानीय निकाय/ मा0 सांसद निधि/मा0 विधायक निधि या अन्य सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित स्रोतों से उसे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से पूर्व में लाभान्वित नहीं किया गया हो।

माह अगस्त, 2023 तक कुल 8,000 दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया है।

जी हाँ (जनपदवार सूची संलग्न)।

प्रश्न नहीं उठता।

निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना के अन्तर्गत जनपदवार वितरित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित लाभार्थियों का विवरण :-

क्र0-सं0	जनपद का नाम	वितरित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की संख्या
1	आगरा	180
2	अलीगढ़	140
3	प्रयागराज	240
4	अम्बेडकरनगर	100
5	अमेठी	80
6	अमरोहा	80
7	औरैया	60
8	आजमगढ़	200
9	बागपत	60
10	बहराइच	140
11	बलिया	140

क्र0-सं0	जनपद का नाम	वितरित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की संख्या
12	बलरामपुर	80
13	बाँदा	80
14	बाराबंकी	120
15	बरेली	180
16	बस्ती	100
17	भदोही	60
18	बिजनौर	160
19	बदायूं	120
20	बुलन्दशहर	140
21	चन्दौली	80
22	चित्रकूट	40
23	देवरिया	140
24	एटा	80
25	इटावा	60
26	अयोध्या	100
27	फर्रुखाबाद	80
28	फतेहपुर	100
29	फिरोजाबाद	100
30	गौतमबुद्धनगर	60
31	ग़ाज़ियाबाद	100
32	गाजीपुर	140
33	गोण्डा	140
34	गोरखपुर	180
35	हमीरपुर	40
36	हापुड़	60
37	हरदोई	160

क्र0-सं0	जनपद का नाम	वितरित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की संख्या
38	हाथरस	60
39	जालौन	60
40	जौनपुर	180
41	झाँसी	80
42	कन्नौज	60
43	कानपुर देहात	80
44	कानपुर नगर	200
45	कासगंज	60
46	कौशाम्बी	60
47	कुशीनगर	140
48	लखीमपुर खीरी	160
49	ललितपुर	40
50	लखनऊ	180
51	महराजगंज	100
52	महोबा	40
53	मैनपुरी	80
54	मथुरा	100
55	मऊ	80
56	मेरठ	140
57	मिर्जापुर	100
58	मुरादाबाद	120
59	मुज़फ्फरनगर	120
60	पीलीभीत	80
61	प्रतापगढ़	140
62	रायबरेली	120
63	रामपुर	100

क्र0-सं0	जनपद का नाम	वितरित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की संख्या
64	सहारनपुर	140
65	सम्भल	80
66	सन्तकबीरनगर	60
67	शाहजहांपुर	100
68	शामली	60
69	श्रावस्ती	40
70	सिद्धार्थनगर	100
71	सीतापुर	180
72	सोनभद्र	80
73	सुल्तानपुर	100
74	उन्नाव	100
75	वाराणसी	160
	योग :	**8,000**

59-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[01-सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-203 के अन्तर्गत स्थानान्तरण]

जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र में क्रिकेट स्टेडियम स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

60-श्री पीयूष रंजन निषाद-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र में क्रिकेट स्टेडियम न होने से खिलाड़ियों/युवाओं को अभ्यास हेतु असुविधायें होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार करछना में क्रिकेट स्टेडियम स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रयागराज में इस हेतु जनपद स्तर पर खेल विभाग का स्टेडियम स्थापित एवं संचालित है, जिसमें सम्पूर्ण जनपद के खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध है।

युवा कल्याण विभाग द्वारा क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना सम्बन्धी कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बैरिया में निर्मित कृषि उत्पादन मण्डी समिति के संचालन के सम्बन्ध में

61-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया मुख्यालय पर जमीन खरीद कर कृषि उत्पादन मण्डी समिति का निर्माण लगभग 06 वर्ष पूर्व किया गया था किन्तु वर्तमान तक उक्त मण्डी का संचालन नहीं हुआ है ? क्या सरकार कृषि उत्पादन मण्डी बैरिया मुख्यालय को संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बलिया के अन्तर्गत वर्ष 2015 में उप मण्डी स्थल, रानीगंज (बैरिया) के निर्माण हेतु जनपद बलिया में जमीन क्रय की गयी थी। उप मण्डी स्थल रानीगंज/बैरिया ग्राम-सोनबरसा में निर्मित होकर मण्डी समिति, बलिया को दिनांक 10-06-2019 को हैण्डओवर हुआ है, जिसमें निर्मित 'ब' श्रेणी की 05 नग एवं 'स' श्रेणी की 05 नग कुल 10 नग दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक 14-10-2019, 13-03-2020, 08-04-2021 एवं दिनांक 28-03-2023 को तिथि नियत की गयी थी। कोविड-19 के प्रभाव के कारण भी दुकान आवंटन की कार्यवाही प्रभावित रही है। वर्तमान में दुकानों के आवंटन हेतु कार्यवाही क्रमिक है।

जहां तक मण्डी के संचालन का प्रश्न है, उप मण्डी स्थल बैरिया में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लाइसेंसी व्यापारियों द्वारा किये जा रहे व्यापार के विनियमन हेतु मण्डी कार्मिकों की व्यवस्था कर दी गई है। उप मण्डी स्थल बैरिया में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा गेहूँ खरीद हेतु 01 क्रय केन्द्र खोला गया था तथा वर्तमान में 01-01 क्रय केन्द्र बाजरा एवं मक्का की खरीद हेतु खोला गया है, जिससे मण्डी शुल्क एवं विकास सेस प्राप्त होता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में फसलों पर लगने वाले लागत व मिलने वाले लाभ का प्रति बीघा अनुपात की जानकारी एवं पृथक से कृषि बजट पेश किये जाने के सम्बन्ध में

62-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की फसलों पर लागत व फसल से मिलने वाले लाभ का वर्तमान में प्रति बीघा अनुपात क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रति बीघा किसानों को मिल रहा लाभ उसके परिवार के पालन-पोषण के लिए अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के किसानों के हितार्थ पृथक से कृषि बजट पेश किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ प्राप्त हो सके, इसलिये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य से फसलों के उत्पादन लागत के आधार पर फसलों के सहायिक मूल्य की संस्तुतियां प्राप्त करती है। राज्यों से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार प्रति वर्ष खरीफ व रबी मौसम की फसलों के 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' की घोषणा करती है। किसानों को फसलों पर लागत के सापेक्ष मिलने वाले लाभ का विवरण निम्नवत् है :

खरीफ-

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु0/कु0) विपणन वर्ष 2014-15	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु0 /कु0) विपणन वर्ष 2023-24	लागत (रु0/कु0)
धान सामान्य	1360	2183	1455
ज्वार	1530	3180	2120
बाजरा	1250	2500	1371
मक्का	1310	2090	1394
उर्द	4350	6950	4592
मूंग	4600	8558	5705
अरहर	4350	7000	4444
मूंगफली	4000	6377	4251
सोयाबीन	2560	4600	3029
तिल	4600	8635	5755

रबी-

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु0/कु0) विपणन वर्ष 2014-15	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु0/कु0) विपणन वर्ष 2024-25	लागत (रु0/कु0)
गेहूं	1400	2275	1128
जौ	1100	1850	1158
चना	3100	5440	3400
मसूर	2950	6425	3405
लाही-सरसों	3050	5650	2855

जी नहीं।

किसानों को फसलों की लागत के सापेक्ष लगभग 1.5 गुना से अधिक कीमत प्राप्त हो रही है।

प्रदेश में पूर्ण रूप से शराब बन्दी लागू किये जाने के सम्बन्ध में

63-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिन-प्रतिदिन शराब के बढ़ते नशे के रोकथाम हेतु प्रदेश में पूर्ण रूप से शराब बन्दी लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त के रोकथाम के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी नहीं।

मद्यनिषेध राज्य की नीति है, किन्तु मदिरा सेवियों को मानक मदिरा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या-8 के अन्तर्गत प्राप्त मदिरा के व्यवसाय अधिकार के तहत इस अधिकार को जन-सामान्य को हस्तान्तरित करती है। इस हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग राज्य की विकास योजनाओं के संचालन हेतु किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी लागू किये जाने से मदिरा उपभोक्ताओं को मानक मदिरा उपलब्ध नहीं हो पायेगी और अन्य स्रोतों से अवैध/तस्करी कर लायी गयी मदिरा के सेवन से जनहानि की सम्भावना बलवती होगी। यदि उ0प्र0 में पूर्ण शराब बन्दी लागू कर दी जाएगी तो राज्य सरकार को भारी राजस्व से वंचित होना पड़ेगा तथा राज्य की विकास योजनायें प्रभावित हो सकती हैं, जो जनहित में नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ब्लाक स्तर पर खेल स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में

64-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु ब्लॉक स्तर पर खेल स्टेडियम बनवाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक जिले में आलू कय केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में

65-श्री अशरफ अली खान-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू किसानों के हितार्थ प्रत्येक जिले में आलू क्रय केन्द्र की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी नहीं।

आलू एक अतिशीघ्र खराब होने वाली फसल है तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत उत्पादन अधिक होने अथवा गत वर्ष की तुलना में बाजार भावों में 10 प्रतिशत से अधिक गिरावट होने की स्थिति में आलू उत्पादक किसानों को उनकी आलू फसल की लागत के सापेक्ष उचित मूल्य दिलाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जाती है।

शासन के पत्र दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा संस्तुत प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन लागत रु0 650 प्रति कुन्तल को आधार मानकर बाजार हस्तक्षेप योजना का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 10 मार्च, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश में दिनांक 10 मार्च, 2023 से दिनांक 09 अप्रैल, 2023 तक बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की गई थी, जिसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा नामित उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक विपणन सहकारी संघ (हॉफेड) तथा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ द्वारा चिन्हित जनपदों

में खोले गये क्रय केन्द्रों पर किसानों से रु0 650 प्रति कुन्तल की दर से एफ0ए0क्यू0 आलू क्रय किये जाने की सुविधा उपलब्ध थी।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों का नवीनीकरण/मरम्मत हेतु अनुरक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में

66-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में मण्डी परिषद् द्वारा कितनी सड़कें निर्मित हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त हेतु वर्तमान में अनुरक्षण हेतु कोई व्यवस्था न होने से अधिकांश सड़कें जर्जर हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

मण्डी परिषद् द्वारा विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज क्षेत्रान्तर्गत समय-समय पर कुल 17 नग सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया है।

प्रदेश के समस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/अनुरक्षण हेतु ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति-2013'' को मण्डी परिषद् द्वारा अंगीकृत किया गया है। मण्डी परिषद् द्वारा 03 वर्ष का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित है, यदि इस अवधि में कोई मरम्मत आवश्यक होती है तो सम्बन्धित फर्म द्वारा करायी जाती है। अनुरक्षण नीति में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप 08 वर्ष पश्चात् नवीनीकरण एवं 03 से 08 वर्ष की सीमा में यदि आवश्यक है, तो विशेष मरम्मत का कार्य मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कराया जाता है।

वर्ष 2017-18 में 06, वर्ष 2018-19 में 01, वर्ष 2022-23 में 03 मार्ग कुल 10 मार्गों पर मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र काल्पी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में

67-श्री विनोद चतुर्वेदी -

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र काल्पी में गरीबों/मजदूरों/अति पिछड़ों/जनजाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के हितो को दृष्टिगत रखते हुये नया कृषि महाविधालय खोलने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रदेश में राजकीय क्षेत्र के 04 कृषि विश्वविद्यालय यथा-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा स्थापित हैं। जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) वर्ष 2018 से संचालित है तथा जनपद गोण्डा एवं लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) में भी पठन-पाठन प्रारम्भ कर दिया गया है तथा राजकीय महाविद्यालय, हरदोई में भी सत्र, 2023-24 से पठन-पाठन प्रारम्भ कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त जनपद प्रयागराज में एक निजी क्षेत्र का कृषि विश्वविद्यालय (शुऑटस) स्थापित है तथा जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

उक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों एवं इनके अन्तर्गत नवनिर्मित महाविद्यालयों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं आदि की व्यवस्था एवं इनको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।

अतएव जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र काल्पी में नए कृषि महाविद्यालय खोलने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

68-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[दिनांक 29-11-2023 को अतारांकित प्र0सं0-197 के द्वारा उत्तरित।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के दुबौलिया मार्ग पर पाण्डुल घाट से भरुकहवा तक सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

69-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के दुबौलिया मार्ग पर पाण्डुल घाट से भरुकहवा तक की सड़क जर्जर है ? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग दुबौलिया कप्तानंगज मार्ग से भरुकहवा लम्बाई 1.46 किमी0 का मूल निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1997 में कराया गया था। यह मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, अतः मण्डी परिषद् स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के बभनान-अइला मार्ग से अइला (छोटा पूरा) तक सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

70-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के बभनान-अइला मार्ग से अइला (छोटा पूरा) तक की सड़क जर्जर है ? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 2018-19 में कराया गया। वर्तमान में इस मार्ग पर आबादी भाग में उचित जल निकासी न होने के कारण 02 स्थानों पर लगभग 20 मी0 लम्बाई में पैच बन गये हैं।

प्रदेश के समस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/अनुरक्षण हेतु ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013'' को मण्डी परिषद् द्वारा अंगीकृत किया गया है। मण्डी परिषद् द्वारा 03 वर्ष का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित है, यदि इस अवधि में कोई मरम्मत आवश्यक होती है, तो सम्बन्धित फर्म द्वारा करायी जाती है। अनुरक्षण नीति में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप 08 वर्ष पश्चात् नवीनीकरण एवं 03 से 08 वर्ष की सीमा में यदि आवश्यक है, तो विशेष मरम्मत का कार्य मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कराया जाता है। लगभग 20 मी0 लम्बाई में जो भाग क्षतिग्रस्त है, को वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के एन0एच0-27 से चौखड़ा गाँव तक सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

71-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगजं के एन0एच0-27 से चौखड़ा गाँव तक सड़क जर्जर है ? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण विधान सभा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALADS) के अन्तर्गत कराया गया था, जिसकी मरम्मत का उत्तरदायित्व पंचायती राज विभाग का है। मण्डी परिषद् स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत 2005 से 2023 तक मण्डी परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़कें व उक्त सड़कों के पुनर्निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में

72-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली, जनपद-बस्ती के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 2005 से 2023 तक कितने सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है ? क्या सरकार मण्डी परिषद् द्वारा बनायीं गयी उक्त जर्जर एवं गड्ढा युक्त सड़कों का पुनर्निर्माण/मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

वर्ष 2005 से वर्ष 2023 तक मण्डी परिषद् द्वारा विधान सभा क्षेत्र रुधौली क्षेत्रान्तर्गत कुल 30 नग सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया है।

प्रदेश के समस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/अनुरक्षण हेतु 'उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013' को मण्डी परिषद् द्वारा अंगीकृत किया गया है। मण्डी परिषद् द्वारा 03 वर्ष का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित है, यदि इस अवधि में कोई मरम्मत आवश्यक होती है, तो सम्बन्धित फर्म द्वारा करायी जाती है। अनुरक्षण नीति में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप 08 वर्ष पश्चात् नवीनीकरण एवं 03 से 08 वर्ष की सीमा में यदि आवश्यक है, तो विशेष मरम्मत का कार्य मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कराया जाता है।

वर्ष 2017-18 में 09, वर्ष 2018-19 में 03, वर्ष 2019-20 में 03, वर्ष 2021-22 में 01 एवं वर्ष 2022-23 में 02 मार्ग कुल 18 मार्गों पर मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में हथकरघा को बढ़ावा देने/पुनर्जीवित करने की योजना व अतिरिक्त बजट की व्यवस्था के सम्बन्ध में

73-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में हथकरघा को बढ़ावा देने/पुनर्जीवित करने के लिये सरकार कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त उद्योग को बढ़ाने के लिये अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

विभाग के माध्यम से वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं से प्रदेश के समस्त जनपदों के पात्र हथकरघा बुनकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं :-

1-झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना।

2-मुख्य मंत्री हैण्डलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना।

3-संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना।

4-हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना।

इसके साथ-साथ भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है, जिसके द्वारा हथकरघा बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों द्वारा स्वयं के व्यय पर सौर ऊर्जा चलित पम्प लगाने पर सब्सिडी देने के सम्बन्ध में

74-श्री जगदीश नारायण-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों द्वारा स्वयं के व्यय पर सौर ऊर्जा चलित पम्प लगाने पर सब्सिडी देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0 एम0-कुसुम) योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत टेण्डर मूल्य या बेंच मार्क मूल्य जो भी कम हो, पर केन्द्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान है।

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गरौठा नगर, गुरसराय नगर एवं मोंठ नगर में युवाओं हेतु मिनी स्टेडियम बनवाये जाने विषयक

75-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गरौठा नगर, गुरसराय नगर एवं मोंठ नगर में युवाओं के समुचित विकास हेतु

मिनी स्टेडियम बनवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-208942, दिनांक 04 सितम्बर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

76-श्री अभय सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा प्रश्न वापस लिया गया।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में शूटिंग रेंज को संचालित करने के सम्बन्ध में

77-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए शूटिंग रेंज को संचालित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद मुख्यालय पर खेल विभाग का एक स्टेडियम है, जिसमें बैडमिन्टन, तैराकी, एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबाल, कुश्ती, क्रिकेट, खो-खो, कबड्डी, बास्केटबाल, लान-टेनिस, टेबल-टेनिस, वालीबॉल, स्केटिंग, शूटिंग रेंज की सुविधा उपलब्ध है।

खेल विभाग द्वारा जनपद बिजनौर में एथलेटिक्स, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, खो-खो, बास्केटबाल, कयाकिंग एण्ड कैनोइंग, शूटिंग तथा तैराकी खेल के प्रशिक्षण शिविर संचालित हैं। इसके साथ ही 'एक जिला एक खेल योजना' के अन्तर्गत भारोत्तोलन खेल का प्रशिक्षण शिविर संचालित है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों को सब्सिडी देकर हरी मटर का बीज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

78-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों को सब्सिडी देकर हरी मटर का बीज उपलब्ध कराया जाता था, जिसे बन्द कर दिया गया है ? क्या सरकार योजना पुनः शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा केन्द्र की वित्त पोषित योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हरी मटर बीज पर सब्सिडी वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक उपलब्ध करायी जाती थी, जो वर्तमान में संचालित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

आर्गेनिक तरीके से पैदा किये जा रहे खाद्यान्न फसलों के उत्पादकों का पंजीकरण, फसलों का सर्वे व आर्गेनिक तरीके से फसलों का उत्पादन बढ़ाने की योजना के सम्बन्ध में

79-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आर्गेनिक तरीके से पैदा किये जा रहे खाद्यान्न फसलों के उत्पादकों का कोई पंजीकरण अथवा सर्वे सरकार द्वारा कराया जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त सर्वे का फसलवार सारांश सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार आर्गेनिक तरीके से पैदा किये जा रहे गन्ने एवं अन्य खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां। उत्तर प्रदेश में आर्गेनिक तरीके से खाद्यान्न उत्पादन कराने के लिए प्रदेश के 70 जनपदों में नमामि गंगे एवं परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 1.78 लाख से अधिक किसानों द्वारा 5964 क्लस्टर (119280 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में जैविक खेती पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र गाजियाबाद द्वारा जैविक प्रमाणीकरण (पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण) का कार्य चयनित रीजनल काउंसिल के माध्यम से संचालित किया जाता है। जैविक प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु सर्वेक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) कराया जाता है। तदोपरान्त मानक के अनुसार पी0 जी0 एस0-ग्रीन (कन्वर्जन) एवं पी0 जी0 एस0-आर्गेनिक (जैविक) स्कोप प्रमाण-पत्र कृषकों को निर्गत किये जाते हैं। यह एक सतत् कार्यक्रम है, जिसे प्रदेश सरकार प्रोत्साहित कर रही है।

सर्वेक्षण (सहकर्मी मूल्यांकन) के आधार पर खरीफ वर्ष 2023 में धान 44478.45 हे0 क्षेत्रफल, मूंग 15000.44 हे0 क्षेत्रफल, अरहर 1903.73 हे0 क्षेत्रफल, उर्द 12083.11 हे0 क्षेत्रफल, मक्का 12498.52 हे0 क्षेत्रफल, श्री अन्न 14237.60 हे0 क्षेत्रफल, तिल 3006.62 हे0 क्षेत्रफल, मूंगफली 1624.75 हे0 क्षेत्रफल, अन्य फसलें 1381.33 हे0 क्षेत्रफल, सब्जियां 13065.45 हे0 क्षेत्रफल सम्मिलित है।

जैविक खेती कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रदेश के 70 जनपदों में पूर्व से संचालित हैं, जिसमें अन्य खाद्यान्न फसलों के साथ-साथ गन्ने का उत्पादन भी सम्मिलित है, जिसका वर्तमान में क्षेत्रफल 7854.402 हेक्टेयर है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मण्डियों की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

80-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निर्मित मण्डियां जिनमें क्रय-विक्रय बहुत कम होता है, की कीमती जमीनें भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर ली गयी हैं ? क्या सरकार उन जमीनों को अवैध कब्जा से मुक्त करवाकर उनका उपयोग अन्य सरकारी योजनाओं के लिए करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी नहीं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों के अन्तर्गत निर्मित मण्डियों में नियमानुसार कृषि उत्पादों का क्रय-विक्रय किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की किसी भी निर्मित मण्डी की भूमि पर भू-माफियाओं का कोई भी अवैध कब्जा नहीं है।

जमीनों पर भू-माफियाओं का कोई कब्जा नहीं है। इसलिये जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों को उर्वरक एवं बीज समय से उपलब्ध कराये जाने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में

81-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को उर्वरक और बीज समय पर न मिल पाने के कारण उनकी फसलों की बुआई पिछड़ जाती है और उत्पादन तथा उनकी आय में गिरावट आती है ? क्या सरकार किसानों के लिए समय पर उर्वरक और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कोई ठोस नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं। प्रदेश में किसानों को उर्वरक एवं बीज मानक के अनुरूप समय से उपलब्ध कराये जाने की सारणी निर्धारित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश सरकार कृषकों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। भारत सरकार के द्वारा प्रदेश को निर्धारित मानक के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति की जाती है। भारत सरकार के सहयोग के प्रतिफल कृषकों को ससमय गुणवत्तायुक्त उर्वरक नियमानुसार उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता है। इसी प्रकार निर्धारित सारणी के अनुसार राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर बीज उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

फसलों की उपज को समर्थन मूल्य पर क्रय करने हेतु समय पर क्रय केन्द्रों पर खरीद चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

82-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तिल, उरद, मूंग, मूंगफली आदि खरीफ फसलों की उपज समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा समय पर किसानों से न खरीदे जाने के कारण किसानों को सस्ते बाजार भाव में बेंचना पड़ता है, जिससे उन्हें उपज का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है ? क्या सरकार किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम दिलाने हेतु उक्त फसलों की उपज को समर्थन मूल्य पर क्रय करने हेतु समय पर क्रय केन्द्रों पर खरीद चालू करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा नामित स्टेट एजेन्सी, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 (पी0सी0एफ0), उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन लि0 (पी0सी0यू0) एवं उत्तर प्रदेश सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि0 (जेफेड) के माध्यम से खरीफ, 2023 में मूल्य समर्थन योजना पर मूंग, उरद, मूंगफली एवं तिल की खरीद की व्यवस्था की गई है। उक्त योजनान्तर्गत खरीद हेतु दिनांक 25-10-2023 से 24-01-2024 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राकृतिक खेती पर शोध कार्य के सम्बन्ध में

83-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती से सम्बन्धित शोध कराए गए हैं ? यदि हां तो उक्त शोधों और सुझावों को किसानों तक पहुंचाने की कोई योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

प्राकृतिक खेती पर शोध कार्य प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों एवं 41 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर किया जा रहा है। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से बुन्देलखण्ड के सभी 47 विकास खण्डों में 23500 हे0 क्षेत्रफल में 470 क्लस्टर गठित कर चरणबद्ध तरीके से वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौ-आधारित प्राकृतिक खेती योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें गौ-उत्पाद आधारित निवेशों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत दिनांक 24-11-2023 तक कुल 19277 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

प्राकृतिक खेती पद्धति से बीजोत्पादन का कार्य कृषि विभाग के अधीन संचालित बीज प्रक्षेत्रों पर भी वर्ष 2022-23 से प्राकृतिक पद्धति से खेती की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 10 से 20 हे0 क्षेत्रफल के 60 बीज प्रक्षेत्रों पर 01 हे0 तथा 20 हे0 से अधिक 74 बीज प्रक्षेत्रों पर 02 हे0 क्षेत्रफल सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में पंजीकृत किसान एवं व्यापारी की संख्या तथा वर्तमान में प्रदेश में जनपदवार स्थापित कुल अनाज मण्डियों की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी

84-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में कुल कितने किसान एवं व्यापारी विगत तीन वित्तीय वर्षों में तय लक्ष्य के सापेक्ष पंजीकृत किये गये हैं तथा वर्तमान में प्रदेश में जनपदवार कुल कितनी अनाज मण्डियाँ स्थापित हैं एवं इनमें से कितनी सुचारु रूप से संचालित हैं एवं कितनी मण्डियाँ बन्द हैं ? क्या सरकार इन बन्द मण्डियों की सूची जनपदवार सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी ? क्या सरकार की इन बन्द पड़ी मण्डियों को पुनः चालू करने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

तहसील जसराना, फिरोजाबाद जनपद की मण्डी समिति, शिकोहाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आती है। इस मण्डी समिति में ई-नाम परियोजना संचालित है, जिसमें क्षेत्र के 3877 कृषक एवं 224 व्यापारी पंजीकृत हैं।

वर्तमान में प्रदेश में कुल 222 प्रधान मण्डी स्थल स्थापित हैं, जिसमें व्यापार/प्रशासनिक कार्य सुचारु रूप से संचालित हैं। (सूची संलग्न)[†]

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

[†] देखिए नत्थी (ख) आगे पृष्ठ सं0-343-351 पर।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर व सिरिसिया हेतिमपुर पडरौना के ट्राँजिट हास्टल निर्माण में मानक विपरीत घटिया निर्माण कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में

85-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पडरौना, जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर व राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सिरिसिया हेतिमुपर पडरौना के ट्राँजिट हास्टल निर्माण हेतु प्रत्येक विद्यालय में 2 करोड़ 64 लाख रु0 की स्वीकृति की गयी है, जिसमें कार्यदायी संस्था यू0पी0सी0एल0डी0एफ0 है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा जिस फर्म को काम दिया गया उस फर्म के द्वारा मानक विपरीत व घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त में जांच कर फर्म के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

जी हाँ।

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, मा0 सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 10-08-2023 के क्रम में जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा दिनांक 23-08-2023 को ट्राँजिट हास्टल के निर्माण कार्य की जांच हेतु निम्नवत् त्रिस्तरीय कमेटी गठित की गयी है :-

1-जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर, अध्यक्ष।

2-अधिशासी अधिकारी निर्माण खण्ड पी0डब्लू0डी0, कुशीनगर-सदस्य।

3-जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुशीनगर-सदस्य।

उक्त समिति द्वारा ट्रांजिट हास्टल के निर्माण कार्य की स्थलीय जांच की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा में स्थापित सेंट्रल सिल्वर यार्न संयंत्र को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

86-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 में केन्द्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जनपद एटा में स्थापित सेंट्रल सिल्वर यार्न संयंत्र 2020 से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संयंत्र के बन्द होने के मुख्य कारण सदन के पटल पर

रखते हुए उक्त संयंत्र को पुनः चालू करने की कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जनपद एटा में स्थापित केन्द्रीय पूनी संयंत्र खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई (भारत सरकार) के अधीन है, जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही अथवा निर्णय खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में अहेरिया/बहेलिया समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

87-श्री सचिन यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में अहेरिया/बहेलिया समाज के लोगों को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किये जा रहे हैं ? क्या सरकार उक्त लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में उ0प्र0 के लिए अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-4 पर 'बहेलिया' जाति सूचीबद्ध है। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में जिला प्रशासन द्वारा आरक्षित भूमि पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में

88-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में मिनी स्टेडियम बनाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा आरक्षित भूमि पर मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में मिनी स्टेडियम बनाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा आरक्षित भूमि युवा कल्याण विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में निःशुल्क दर्ज कराने के उपरान्त शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी के स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण खेल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में

89-डॉ0 मन्जू शिवाच-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण खेल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

ग्रामीण खेल एवं ओपेन जिम निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के अनुपालन हेतु शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम चरण में उन 20 जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर स्टेडियम निर्मित किए जायेंगे जहाँ पूर्व से विभागीय स्टेडियम निर्मित नहीं हैं। जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर के विकास खण्ड-मुरादनगर के ग्राम-पतालानिवाड़ी में पूर्व से विभागीय ग्रामीण स्टेडियम निर्मित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में खेलों को प्रोत्साहन देने तथा स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने विषयक योजना

90-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में खेलों को प्रोत्साहन देने तथा स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना संचालित है ? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी योजनाएं बिन्दकी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

खेल विभाग द्वारा जनपद मुख्यालय पर स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना की गयी है, जिसमें विभिन्न खेल सुविधायें-तरणताल, आधुनिक जिम, बैडमिन्टन कोर्ट, टेबुल टेनिस, एथलेटिक्स, सिन्थेटिक जॉगिंग ट्रैक, फुटबाल, हॉकी, क्रिकेट खेल सुविधाओं के साथ-साथ खेल विभाग का आवासीय क्रिकेट छात्रावास संचालित है। साथ ही खेलो इण्डिया की एक जनपद एक खेल योजनान्तर्गत एथलेटिक्स खेल का प्रशिक्षण शिविर संचालित है। इसके अतिरिक्त जनपद फतेहपुर में स्पोर्ट्स कालेज भी निर्माणाधीन है।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में खेलो इण्डिया अन्तर्गत खेल अवस्थापना के सृजन सम्बन्धित योजना

91-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में खेलो इण्डिया अन्तर्गत खेल अवस्थापना के सृजन से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को सरकार प्रेषित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव

खेलो इण्डिया योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद स्तर पर निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कराकर जिलाधिकारी के स्तर से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। अभी तक जनपद से प्रस्ताव अप्राप्त है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में स्टेडियम एवं ओपेन जिम बनाये जाने विषयक

92-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम बनाये जाने प्रस्तावित हैं ? यदि हाँ, तो कितने और कहाँ कहाँ पर ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम बनाये जाने प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो युवा कल्याण विभाग के शासनादेश दिनाँक 14 मार्च, 2023 जो प्रदेश में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम निर्माण योजना से सम्बन्धित है, के अनुपालन में कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत 6 वर्षों में वर्षवार देशी/विदेशी शराब तथा बीयर की बिक्री में वृद्धि व प्रदेश में नवयुवकों के भविष्य का ध्यान देते हुए मदिरा के बढ़ते सेवन की रोकथाम विषयक कार्य योजना का विवरण

93-श्रीमती पूजा-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 6 वर्षों में वर्षवार देशी/विदेशी शराब तथा बीयर की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ? क्या सरकार प्रदेश में नवयुवकों के भविष्य का ध्यान देते हुए मदिरा के बढ़ते सेवन की रोकथाम के लिए शराब की दुकानों की संख्या कम करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

प्रदेश में विगत 6 वर्षों में वर्षवार देशी/विदेशी शराब तथा बीयर की बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि का विवरण संलग्न[†] है।

जी नहीं।

प्रदेश में युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिये संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-22 में प्राविधानित है कि कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम उम्र का है उसे शराब की बिक्री नहीं की जायेगी तथा धारा-23 के प्राविधानानुसार कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है उसे इस व्यवसाय में कार्य हेतु नहीं रखा जायेगा। इस प्रकार युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने की व्यवस्था आबकारी अधिनियम में है। दुकानों की संख्या कम करने से असेवित क्षेत्र उत्पन्न होंगे, जिससे अवैध शराब की बिक्री बढ़ेगी, फलस्वरूप जनस्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा एवं जनहानि की सम्भावना बढ़ेगी, जो जनहित में नहीं होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में शराब बन्दी लागू करने व वर्ष 2017 से दिसम्बर, 2022 तक जहरीली शराब से हुयी मौतों की जानकारी

94-श्रीमती पूजा-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतों के नियन्त्रण के लिए गुजरात, बिहार, पंजाब प्रदेशों की भांति प्रदेश में भी शराब बन्दी सरकार लागू करेगी ? क्या सरकार जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2022 तक जहरीली शराब से मौतों का विवरण देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिए नत्थी (ग) आगे पृष्ठ सं0-352 पर।

श्री नितिन अग्रवाल-

प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी से राज्य सरकार को भारी राजस्व से वंचित होना पड़ेगा तथा राज्य की विकास योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं, जो जनहित में नहीं होगा। इसके अतिरिक्त शराब बन्दी से अवैध मदिरा के निर्माण/तस्करी से एक ओर जहाँ राजस्व की हानि होगी वहीं दूसरी ओर इसके उपभोग से जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अद्यतन विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में गत वर्ष जनवरी, 2022 से अगस्त, 2023 तक मादक पदार्थों की बरामदगी तथा तस्करों पर पंजीकृत मुकदमों का विवरण

95-श्री मोहन वर्मा-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में गत वर्ष जनवरी, 2022 से अगस्त, 2023 तक कितनी मात्रा में तस्करों के साथ मादक पदार्थों की बरामदगी हुई है तथा उक्त में कितने मामलों में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जनपद कुशीनगर में माह जनवरी, 2022 से अगस्त, 2023 तक 679.41 बल्क लीटर अवैध मदिरा तस्करों के साथ बरामद की गयी है। इस कार्यवाही में तस्करों के विरुद्ध कुल 11 अभियोग आबकारी अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत करते हुए 12 वाहन अवैध मदिरा की तस्करी में पकड़े गये।

इसके अतिरिक्त जनपद कुशीनगर में उक्त अवधि में अवैध मद्य निष्कर्षण व अवैध मदिरा की बरामदगी के कुल 1630 अभियोग पंजीकृत कर 46031.80 ब0ली0 अवैध मदिरा जब्त करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध आबकारी अधिनियम व आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम सिलाना में कतिपय सड़कों का लेपन स्तर तक नव निर्माण कराने विषयक

96-डॉ0 अजय कुमार-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम सिलाना में आनन्द पाल ठेकेदार के घर से हलालपुर तक एवं छपरौली कस्बे में

[†] देखिए नत्थी (घ) आगे पृष्ठ सं0-353-354 पर।

चौधरी चरण सिंह पुस्तकालय से रठौड़ा तक लेपन स्तर तक नव निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 नं0-083564, दिनांक 08-11-2022 के क्रम में निदेशक, मण्डी परिषद् के पत्र संख्या-211/वी0आई0पी0/रा0म0 (उ0कृ0वि0)/2023, दिनांक 03-03-2023 द्वारा प्रश्नकर्ता को सूचित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़कों का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हां।

डॉ0 अजय कुमार, मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र ख-7 नं0-083564, दिनांक 08-11-2022 नहीं, अपितु पत्र ख-7 नं0-83564, दिनांक 18-11-2022 प्राप्त हुआ है, जिसे उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद्, मेरठ को अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए पत्र की प्रति मा0 विधायक जी को अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी है।

नवीन सम्पर्क मार्गों का निर्माण क्षेत्रीय कृषकों को अपना उत्पाद मण्डी स्थल तक सुगम परिवहन, मार्ग की उपयोगिता, जिलाधिकारी से अनुमोदित प्रस्ताव एवं मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मण्डी समिति/मण्डी परिषद् द्वारा गांवों में सी0सी0 रोड तथा सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

97-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मे मण्डी समिति/मण्डी परिषद् द्वारा गांवो में सी0सी0 रोड अथवा सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाता था, वर्तमान में बन्द है ? क्या सरकार की उक्त कार्यों को चालू किये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

मण्डी परिषद् द्वारा गाँवों की गलियों में सी0सी0 रोड निर्माण की कोई योजना वर्तमान में संचालित अथवा प्रस्तावित नहीं है। नवीन सम्पर्क मार्ग निर्माण योजना वर्तमान में संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन में किसानों की मटर, मसूर, चना, लाही आदि की बुआई हेतु यूरिया एवं डी0ए0पी0 सही समय पर उपलब्ध कराने की मांग

98-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में खाद की कमी के कारण यूरिया एवं डी0ए0पी0 किसानों की मटर, मसूर, चना, लाही आदि बुआई सही समय पर नहीं

हो पाती है ? क्या सरकार जनपद जालौन के सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराई गयी डी0ए0पी0 एवं यूरिया का विवरण पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

रबी-2023-24 में जनपद जालौन के दलहनी एवं तिलहनी फसलों की समय से बुआई हेतु यूरिया एवं डी0ए0पी0 की निजी एवं सहकारी क्षेत्र के विक्रय केन्द्रों पर निम्नानुसार पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है :-

(मात्रा मी0 टन0 में)

उर्वरक का नाम	जनपद का नवम्बर, 2023 तक लक्ष्य	कुल उपलब्धता	सहकारिता क्षेत्र का नवम्बर, 2023 तक लक्ष्य	सहकारिता क्षेत्र में उपलब्धता
डी0ए0पी0	15579.00	19945.00	10749.00	11173.00
यूरिया	20307.00	20255.00	14012.00	14504.00

जनपद जालौन के निजी एवं समस्त सहकारी बिक्री केन्द्रों पर उपरोक्त उपलब्धता के अनुसार क्षेत्रीय कृषकों की मांग के सापेक्ष निरन्तर सुगमतापूर्वक वितरण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

99-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[01-सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-204 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

100-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

[मा0 सदस्य द्वारा प्रश्न वापस लिया गया।]

प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से बेरोजगारों को प्राप्त रोजगार का विवरण

101-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से कितनी कम्पनी प्रदेश में स्थापित हुईं तथा कितने बेरोजगारों को इन कम्पनियों में रोजगार प्राप्त हुआ ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री जसवन्त सैनी)-

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित 'इन्वेस्टर्स समिट' के दौरान राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के साथ रु0 4.28 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों

(एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किये गए। इसके पश्चात् प्रदेश सरकार द्वारा 03 ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी क्रमशः 29 जुलाई, 2018, 28 जुलाई, 2019 तथा 03 जून, 2022 को आयोजित की गयी थी, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1-प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह जुलाई, 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें संचालित 66 परियोजनाओं में कुल 1,14,664 रोजगार का सृजन हुआ है।

2-द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह जुलाई, 2019 में आयोजित किया गया था तथा इसमें कुल 257 परियोजनाओं का संचालन प्रारम्भ हो चुका है, जिसमें एम0ओ0यू0 के अनुसार कुल 70,033 रोजगार का सृजन हुआ है।

3-तृतीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह 3 जून, 2022 को आयोजित किया गया था तथा इसमें 520 परियोजनाओं का संचालन प्रारम्भ हो चुका है, जिसमें एम0ओ0यू0 अनुसार कुल 1,39,396 रोजगार का सृजन हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में समथर उप मण्डी को विस्तारित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

102-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में समथर उप मण्डी का विस्तारित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-172451, दिनांक 11 अगस्त, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

मा0 विधायक जी का समविषयक पत्र संख्या -क-7 न0-208886, दिनांक 08-08-2023, संख्या-क-7 न0-208887, दिनांक 14-08-2023 एवं संख्या-क-7 न0-221306, दिनांक 05-09-2023 प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में उप मण्डी स्थल, समथर के विस्तार की माँग के दृष्टिगत जिलाधिकारी, झांसी से उपयुक्त एवं निर्विवादित निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेल का स्तर उठाने के उद्देश्य से बालिका खेलकूद महाविद्यालय स्थापित करने विषयक कार्य योजना

103-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कहां-कहां खेल महाविद्यालय स्थापित हैं ? क्या प्रदेश में खेल का स्तर उठाने के उद्देश्य से विशेषकर बालिका खेलकूद महाविद्यालय स्थापित करने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

कहीं नहीं।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-2023/001-227242-2023, दिनांक 13-07-2023 द्वारा मेजर ध्यान चन्द स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रु0 38853.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त प्रायोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 30000.00 लाख में से धनराशि रु0 97,13,43,750/- (सत्तानवे करोड़ तेरह लाख तैंतालिस हजार सात सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत ठेला व पटरी विस्थापित दुकानदारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की मांग

104-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत ठेला व पटरी दुकानदारों को विस्थापित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि विस्थापितों को उपलब्ध कराया गया रोजगार उनके नाम और दिए गए रोजगार का विवरण सदन के पटल रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सीवेज शोधन संयंत्र से जोड़े गये गांवों का विवरण

105-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के किस गाँव में, कौन से वर्ष में सीवर लाइन डाल दी गई थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने ग्रामों को सीवेज शोधन संयंत्र से जोड़ दिया गया है ? क्या सरकार उक्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 124 ग्राम आते हैं, जिनमें से 2 गाँव गैर आबादी के हैं एवं 6 गाँव नोएडा एवं गाजियाबाद परिक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, तद्नुसार शेष कुल 116 ग्रामों में वर्तमान तक सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान तक 37 ग्रामों को सीवेज शोधन संयंत्र से संयोजित कर दिया गया है तथा 21 ग्रामों को वर्ष 2024 के अन्त तक सीवेज शोधन संयंत्र से संयोजित किये जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। अवशेष ग्रामों के सीवेज को डी-स्लजिंग वाहनों द्वारा निकटतम क्रियाशील डी-स्लजर प्वाइन्ट में सीवेज प्रवाहित कर सीवेज का निस्तारण किया जा रहा है तथा कुछ ग्रामों के सीवेज को सेप्टिक टैंक के द्वारा को ट्रीटमेन्ट किया जा रहा है।

जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भूमि उपयोग बदलकर नियम विरुद्ध बिल्डरों और ग्रुप हाउसिंग को फायदा पहुँचाये जाने से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट का विवरण

106-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भूमि उपयोग बदलकर नियम विरुद्ध बिल्डरों और ग्रुप हाउसिंग को फायदा पहुँचाये जाने से सम्बन्धित मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश वर्ष 2011 के क्रम में उक्त प्रकरण की जांच प्रदेश शासन द्वारा कराकर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने हेतु दिनांक 15-10-2012 को प्रेषित किया गया था। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भूमि उपयोग बदलकर नियम विरुद्ध बिल्डरों और ग्रुप हाउसिंग को फायदा पहुंचाये जाने से सम्बन्धित मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश वर्ष 2011 के क्रम में उक्त प्रकरण की जांच कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही में लिए गए निर्णय का विवरण संलग्न है।

जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा/ग्रेटर नोएडा व यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा धारा-12 ए लगाये जाने के कारण प्रभावित ग्रामीणों को प्रधानमंत्री शहरी योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक

107-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा/ग्रेटर नोएडा व यमुना विकास प्राधिकरण ने इण्डस्ट्रियल एक्ट की धारा-12 ए लगाकर कतिपय ग्रामों से पंचायत के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिये जाने के कारण उन अधिसूचित ग्रामों के लाखों निर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री शहरी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों के पात्र लोगों को प्रधानमंत्री

शहरी आवास योजना को आच्छादित कर लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

नोएडा-ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित 81 गावों के निवासियों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत निर्बल एवं कमजोर लोगों के लिये भवन निर्माण एवं आवंटन के सम्बन्ध में कोई आदेश/लक्ष्य नोएडा प्राधिकरण को नहीं दिया गया है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निजी क्षेत्र की सहभागिता से 10000 (दस हजार) किफायती आवास बनाये जाने का लक्ष्य दिया गया था। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अर्ह लाभार्थियों के चयन हेतु डिमांड सर्वे का विज्ञापन विभिन्न समाचार-पत्रों में देते हुऐ आवेदन आमंत्रित किये गये, जिसके लिये आवेदन करने की तिथि दिनांक 17-03-2021 निर्धारित की गई थी, जिसे अन्तिम रूप से दिनांक 25-06-2021 तक बढ़ाया गया। उक्त योजना में दिनांक 25-06-2021 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या-1215 थी। चूँकि प्राप्त आवेदनों की संख्या लक्ष्य से काफी कम थी। अतः योजना में 1000 भवनों के निर्माण का निर्णय लिया गया। उक्त के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (योजना कोड 2021/2022) का प्रकाशन दिनांक 21-10-2021 को विभिन्न समाचार पत्रों में कराया गया।

इस योजना में निम्नलिखित दो ग्रुप हाउसिंग भू-खण्ड शामिल थे। भू-खण्ड संख्या सेक्टर क्षेत्रफल जीएच-01, ओमीक्रोन-1ए 20350, आईएन-01 (इन्फार्मल सेक्टर) सेक्टर-02 से 53071 उक्त योजना की अन्तिम तिथि दिनांक 15-11-2021 थी, परन्तु इस तिथि तक कोई बिड प्राप्त न होने के कारण योजना को वापस ले लिया गया। यीडा-यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र के 110 ग्रामों को औद्योगिक नगरी में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसमें प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमन्त्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 30-01-2019 के अनुसार लाभार्थियों का चयन जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से कराये जाने का प्राविधान है, इस सम्बन्ध में पात्र लाभार्थियों की सूची प्राप्त कर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ व बलिया की बन्द कताई मिल को पुनः चालू कराने की मांग

108-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल -

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ व बलिया की कताई मिल बन्द है ? क्या सरकार उक्त बन्द काटन मिलों को पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0, कानपुर की मऊ स्थित इकाई वर्ष 2005 से बन्द है तथा सभी कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/छटनी मुआवजा का लाभ देकर सेवामुक्त किया जा चुका है व यू0पी0 स्टेट यार्न कम्पनी लि0, कानपुर की रसड़ा (बलिया) स्थित इकाई उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्राविधानों के अनुरूप दिनांक 16-10-2000 से विधिक रूप से बन्द है।

प्रदेश में प्रति वर्ष किसानों की आमदनी को दो गुना करने की कार्य योजना बनाने विषयक

109-श्रीमती पूजा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रति वर्ष किसानों की आमदनी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि किसानों की आमदनी को दो गुना करने की योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी डबलिंग फारमर्स इन्कम वाल्यूम-2 के पृष्ठ-27 पर प्रस्तुत आंकडों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-13 में कृषक हाउसहोल्ड की औसत आय रु0 53698 वार्षिक थी।

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गयी 'ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति और परिवारों की भूमि एवं पशुधन धृतियों का मूल्यांकन, 2019' के अनुसार कृषक हाउसहोल्ड की औसत वार्षिक आय (जुलाई, 2018 से जून, 2019 में) रु0 96732 रही है।

जी हां। प्रदेश में कृषकों के सतत् उन्नयन एवं कृषि उत्पादन के साथ-साथ कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि विकास दर में वृद्धि कराना भी है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसानों को लाभान्वित करने के लिए निम्न योजनाएं संचालित की गयी है :-

1-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0 किसान)।

2-गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना।

3-प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना।

4-नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी।

5-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम।

6-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर)।

7-संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना (राज्य सेक्टर)।

8-कृषोन्नति योजना (बीज ग्राम योजना) (केन्द्र सेक्टर)।

9-परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0 के0 वी0वाई0)।

10-नमामि गंगे योजना।

11-जनपद हमीरपुर में जैविक खेती की विकास योजना।

12-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

13-वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम)।

14-मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना।

15-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0एम0)।

16-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान (पी0 एम0-कुसुम)।

17-खेत तालाब योजना।

18-नेशनल मिशन ऑन एडबिल ऑयल (ऑयल सीड्स)।

19-नेशनल मिशन ऑन एडबिल ऑयल (ट्री बोर्न ऑयल सीड्स)।

20-सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन।

21-सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना।

22-प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू योजना।

23-पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गयी है। राज्य सरकार सभी फसलों के उत्पादन लागत का 1.5 गुना से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार को प्रस्तावित करती है।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के सतत् प्रयास से किसानों की आय में आशातीत वृद्धि हुई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में मिनी स्टेडियम/खेल का मैदान बनाने हेतु स्वीकृत धनराशि का निर्धारित मानकों के विपरीत उपयोग की जांच कराने विषयक

110-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में मिनी स्टेडियम/खेल का मैदान बनाने हेतु वर्ष 2023 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मिनी स्टेडियम /खेल का मैदान का प्रस्तावित मानक क्या था तथा उक्त हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी तथा उक्त धनराशि से किस गाटा संख्या में एवं कितने रकबे में मिनी स्टेडियम/खेल का मैदान विकसित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मिनी स्टेडियम/खेल का मैदान के निर्माण मे किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि पूर्व में विकसित खेल के मैदान में ही निर्धारित मानकों के विपरीत उक्त धनराशि खुर्द-बुर्द की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्राम पंचायत-त्रिपुरारपुर में मिनी स्टेडियम/खेल का मैदान बनाने हेतु वर्ष 2023 में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 28वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान से बाहर खरीदी गई जमीन का विवरण

111-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 28वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान से बाहर कितनी जमीन किन-किन ग्रामों में खरीदी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की महायोजना के बाहर निष्प्रयोज्य जमीनों की खरीददारी की जांच में जनपद मथुरा के ग्राम सेऊ पट्टी बांगर की 16.0736 हे0, ग्राम सेऊ पट्टी खादर की 3.4018 हे0, ग्राम कौलाना बांगर की 7.1582 हे0, ग्राम कौलाना खादर की 7.6150 हे0 ग्राम सोतीपुर बांगर 1.0293 हे0 तथा ग्राम नौहझील बांगर की 1.4320 हे0, कुल 36.7061 हे0 तथा जनपद हाथरस के ग्राम मिढावली की 14.4887 हे0 भूमि महायोजना के बाहर क्रय होना पाया गया है। जनपद मथुरा व हाथरस में महायोजना के बाहर भूमि क्रय से सम्बन्धित प्रकरण में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 थाना कासना, ग्रेटर नोएडा में पंजीकृत है, जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। उक्त एक प्रकरण में सी0बी0आई0 जांच भी गतिमान है।

जनपद गौतमबुद्धनगर के गांवों में चारागाह और तालाबों की जमीन का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण का विवरण उपलब्ध कराने की मांग

112-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के किन-किन गांवों में चारागाह और तालाबों की जमीन का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हाँ।

गौतमबुद्धनगर के निम्नलिखित ग्रामों में चारागाह/पशुचर की भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया :-

क्र0-सं0	ग्राम का नाम	प्राधिकरण
1	सलारपुर	यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
2	निलोनी शाहपुर	यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
3	खानपुर	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
4	मिर्जापुर	यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
5	ब्रहमनपुर गजरौला उर्फ नवादा	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
6	मोरना	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
7	निठारी उर्फ सुठारी	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

क्र0-सं0	ग्राम का नाम	प्राधिकरण
8	रसूलपुर राय	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
9	साकीपुर	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
10	इटहैरा	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
11	बिरौडा	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
12	मथुरापुर	यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
13	पचोकरा	यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
14	चाँदपुर	यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

तालाब एवं पोखर की भूमि का पुनर्ग्रहण निम्नलिखित ग्रामों में किया गया :-

क्र0-स0	ग्राम का नाम	प्राधिकरण
1	हरौला	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
2	निठारी उर्फ सुठारी	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
3	ब्रहमनपुर गजरौला उर्फ नवादा	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
4	रोही, दयानतपुर	यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
5	रोनीजा	यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित नोएडा/ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा जमीनों का अधिग्रहण तथा तीनों प्राधिकरणों द्वारा किसानों के बच्चों को रोजगार दिए जाने की मांग

113-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित नोएडा/ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है, क्या सरकार बतायेंगे कि तीनों प्राधिकरणों द्वारा किसानों के बच्चों को रोजगार दिए जाने की दिशा में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कब तक स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में उपरोक्त प्राधिकरणों के माध्यम से कौशल विकास केन्दों की स्थापना किए जाने की योजना बतायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

नोएडा-कौशल विकास केन्द्र का क्रियान्वयन जिला प्रशासन के स्तर पर किया जाता है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक भू-खण्डों के सम्बन्ध में आवंटी एवं प्राधिकरण के मध्य सम्पादित होने वाले पट्टा प्रलेख की धारा के अनुसार आवंटी अपने उद्योगों में कुशल व अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति के समय कुल श्रम शक्ति का 5 प्रतिशत उन परिवारों से नियुक्त करेगा, जिनकी भूमि औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु अधिग्रहीत की गयी है।

ग्रेटर नोएडा-कौशल विकास केन्द्र का क्रियान्वयन जिला प्रशासन के स्तर पर किया जाता है।

यीडा-यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना हेतु भूखण्ड आरक्षित किया गया है। उक्त भू-खण्ड को उ0प्र0 कौशल विकास मिशन विभाग के पक्ष में निःशुल्क आवंटन हेतु निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में विभिन्न सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा प्रति बोरी विक्रय मूल्य व उत्पादन मूल्य का विवरण

114-श्री तुफानी सरोज-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न सीमेन्ट फैक्ट्रीज में वर्तमान में प्रति बोरी सीमेन्ट का कुल उत्पादक मूल्य तथा उन फैक्ट्रियों से निकलने वाली सीमेंट की प्रति बोरी विक्रय मूल्य क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उत्पादक एवं विक्रय मूल्य में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो कितना तथा उक्त के अन्तर के कारण क्या हैं ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

प्रदेश में वर्तमान में सीमेन्ट कारखाने निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। उत्पादन की लागत के आधार पर कम्पनियों द्वारा प्रति बोरी विक्रय मूल्य का निर्धारण किया जाता है। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सीमेन्ट के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जाता है और इस सम्बन्ध में न ही कोई डाटा एकत्रित व संरक्षित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्य योजना की जानकारी

115-श्री तुफानी सरोज-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रदेश में दलहन एवं तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रमशः केन्द्र पोषित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन तथा नेशनल मिशन ऑन इडिबिल ऑयल योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में चलायी जा रही है। दोनों योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न मदों जैसे-क्लस्टर प्रदर्शन, प्रमाणित बीज वितरण, फार्मर मशीनरी तथा लोकल इनिशिएटिव पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।

इसके साथ ही राज्य सहायतित निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम तथा निःशुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत कृषकों को दलहन एवं तिलहन बीज मिनीकिट उपलब्ध कराया जा रहा है तथा दलहन एवं तिलहन प्रदर्शन इकाई स्थापित करने के साथ ही कृषकों को प्रशिक्षित करने हेतु किसान पाठशाला आयोजित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में वृद्धों को पेंशन अनुमन्य करने के आधार तथा पात्रता सूची में सम्मिलित कर उनके खाते में पेंशन भेजे जाने का विवरण

116-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धों को पेंशन अनुमन्य करने के क्या आधार हैं तथा उक्त योजना में कितने वृद्धों को पात्रता सूची में सम्मिलित कर उनके खाते में पेंशन भेजी जा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

उ0प्र0 में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को पेंशन प्रदान की जाती है। आवेदक की आय सीमा शहरी क्षेत्र में रु0 56,460/-एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46,080/-वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रथम एवं द्वितीय त्रैमासिक किस्त (माह अक्टूबर) तक आधार सीडेड तथा एन0पी0सी0आई0 पोर्टल पर अपडेटेड 46.66 लाख वृद्धजनों को पेंशन प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मण्डी समिति के मार्गों के मरम्मत/ पुनर्निर्माण हेतु 01 अप्रैल, 2021 से 01 अप्रैल, 2023 तक आवंटित धनराशि का विवरण

117-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मण्डी समिति के मार्गों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु 01 अप्रैल, 2021 से 01 अप्रैल, 2023 तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हां।

प्रदेश की मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत पूर्व निर्मित सम्पर्क मार्गों के मरम्मत कार्य हेतु गड्ढा मुक्तीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 6764.52 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 9595.85 लाख, कुल धनराशि रु0 16,360.37 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कतिपय स्थानों पर वृद्धा पेंशन रोके जाने के लिये लापरवाह अधिकारियों की जांच एवं अवशेष पेंशन के भुगतान विषयक

118-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कतिपय स्थानों पर वृद्धा पेंशन रोके जाने के लिये लापरवाह अधिकारियों की जांच एवं अवशेष पेंशन के भुगतान कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01 जुलाई, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

जी हाँ।

जनपद झाँसी में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों के खातों के बैंकों का विलय हो जाने अथवा अन्य तकनीकी कारणों से कतिपय बैंकों के आई0एफ0एस0सी0 कोड परिवर्तित हो गये थे, जिनको सही कराकर पी0एफ0एम0एस0 सर्वर पर अपलोड कर दिया गया है।

पी0एफ0एम0एस0 सर्वर से रिस्पाँस प्राप्त होने पर पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में अन्तरित कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पावर पम्प की स्थापना करने की योजना की जानकारी

119-श्री तुफानी सरोज-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पावर पम्प की स्थापना करने की कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही

जी हां।

वर्तमान में प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0 एम0-कुसुम) योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत टेण्डर मूल्य या बेंच मार्क मूल्य जो भी कम हो, पर केन्द्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान है। शासनादेशानुसार एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर बुकिंग हेतु उसका विज्ञापन समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है। तत्पश्चात् कृषि विभाग की वेबसाइट (upagriculture.com) पर पंजीकृत कृषक जनपद हेतु निर्धारित तिथि को 'पहले आओ-पहले पाओ' के सिद्धान्त पर आनलाइन धनराशि रु0 5000.00 जमा कर बुकिंग कर सकते है, बुकिंग के उपरान्त कृषक की बुकिंग कन्फर्म होने के एक सप्ताह के अन्दर अवशेष कृषक अंश की धनराशि सम्बन्धित कृषक को आनलाइन अथवा चालान के माध्यम से इंडियन बैंक के किसी भी शाखा में जमा करना होता है। तत्पश्चात् बोरिंग आदि के सत्यापन के उपरान्त सम्बन्धित कृषक के खेत पर भारत सरकार द्वारा चयनित की गयी संस्थाओं द्वारा सोलर पम्प की स्थापना कर दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में फसल ऋतु में किसानों को समय से खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने विषयक

120-श्री तुफानी सरोज-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में सरकारी खाद की कितनी दुकान वर्तमान में संचालित है तथा उक्त में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 18-09-2023 तक कितने टन खाद सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि फसल ऋतु में किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को समय अन्तर्गत खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद जौनुपर में सरकारी खाद की कोई दुकान संचालित नहीं है। जनपद जौनुपर में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत साधन सरकारी समिति की 190, इफको की 60, औद्यानिक समिति

10, पी0सी0एफ0 की 07 सहित विभिन्न संस्थाओं की कुल 432 दुकानें संचालित हैं। जनपद जौनपुर में सहकारी तथा निजी उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 144869.15 मी0 टन खाद तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 18-09-2023 तक कुल 67581.80 मी0 टन खाद जनपदों में उपलब्ध करायी गयी है।

जी नहीं।

फसल ऋतु में कृषकों को पर्याप्त मात्रा में सुगमतापूर्वक उर्वरक उपलब्ध करायी जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

के0डी0 सिंह बाबू मेमोरियल सोसायटी, लखनऊ हॉकी खेल ग्राउण्ड का निर्माण कराये जाने विषयक

121-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या वी0आई0पी0/174/1095, दिनांक 02-09-2023 आई0जी0आर0एस0 संख्या-18157230174423 जो के0 डी0 सिंह बाबू मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ हॉकी खेल ग्राउण्ड का निर्माण कराए जाने विषयक है उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हां।

सन्दर्भित पत्र प्राप्त हुआ।

क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या-1073/ जन-सुनवाई/2022-23 दिनांक 22 सितम्बर, 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि के0 डी0 सिंह बाबू मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ का हॉकी ग्राउण्ड नेशनल पी0जी0 कालेज, लखनऊ के अन्तर्गत आता है, जिस पर क्षेत्रीय खेल कार्यालय लखनऊ का कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे सम्बन्धित आख्या निदेशालय के पत्र संख्या-781/ नि0 लखनऊ स्टे0 पत्रा0/2023-24, दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के माध्यम से सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन को अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत खेल का मैदान बनवाने की मांग

122-श्रीमती विजमा यादव-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत खेलकूद का मैदान न होने के कारण अनेक खेल प्रतिभाएं साधन के

अभाव में लुप्त हो जाती हैं ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में खेल का मैदान बनवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-डीएफए/43634/38-7099 (99) /342/ 2019, दिनांक 22 जनवरी, 2020 में निहित व्यवस्थानुसार मनरेगा कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत खेल मैदान की स्थापना का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जाता है। जिसके क्रम में जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में 17 खेल जनपद-प्रयागराज मैदान का निर्माण मनरेगा कन्वर्जेन्स योजना से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासों के आवंटन में ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाये जाने विषयक

123-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासों के आवंटन में ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सचिवालय कालोनी महानगर लखनऊ के आवास संख्या-सी-52, सी-54 एवं सी-85 का आवंटन भी ऑनलाइन किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त के क्या कारण है ? क्या सरकार ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया के विपरीत ऑफलाइन किये गये आवंटनों को निरस्त करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी नहीं।

सचिवालय कॉलोनी, महानगर स्थित आवास सं0-सी-52, सी-54 एवं सी-85 का ऑफलाइन आवंटन राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 के नियम-25 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 के नियम-25 में निम्नवत् प्रावधान है :-

''सरकार ऐसे कारणों से, जो लिखित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे, किसी आवंटिती एवं भवन या आवंटितियों के वर्ग एवं भवनों के प्रकार के मामले में इस नियमावली के समस्त या किसी उपबन्ध को अधिनियम के अधीन शिथिल कर सकती है।''

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 के नियम-25 में उल्लिखित उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सचिवालय कॉलोनी, महानगर स्थित आवास सं0-सी-52, सी-54 एवं सी-85 का ऑफलाइन आवंटन किया गया है। अतः उक्त किए गए आवंटनों को निरस्त करने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का अवसर नहीं है।

जनपद लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासों में अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास आवंटन नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य श्रेणी के आधार पर आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में

124-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासों में अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास आवंटन नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य श्रेणी के आधार पर अध्यासी रह रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे अध्यासियों का आवंटन निरस्त करते हुए अनुमन्य श्रेणी के आधार पर पात्र आवेदकों को आवास आवंटित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रोन्नत कर्मचारियों/अधिकारियों से प्रोन्नति से पूर्व अनुमन्य श्रेणी के आवंटित आवास खाली करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 के नियम-22 में नियमावली के प्रख्यापन के पूर्व में किए गए विधिसम्मत् आवंटनों को संरक्षण प्रदान किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 के नियम-4 (1) (दो) में अनुमन्यता श्रेणी से निम्न श्रेणी का आवास दिए जाने का प्रावधान है।

जनपद लखनऊ के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासों के आवंटन में आनलाइन प्रक्रिया के अतिरिक्त ऑफलाइन प्रक्रिया से किये गये आवंटन निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

125-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासों के आवंटन में ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2022-23 में सचिवालय कालोनी महानगर एवं बादशाहनगर, लखनऊ के सभी आवासों का आवंटन भी ऑनलाइन किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अद्यतन सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा उक्त कालोनियों में निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत ऑफलाइन आवंटन किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे ऑफलाइन किये गये आवंटनों को निरस्त करते हुये दोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

वर्ष 2022 2023 में महानगर एवं बादशाहनगर कालोनी में ऑनलाइन आवंटन के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 के नियम-25 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए कतिपय आवासों का आवंटन ऑफलाइन भी किया गया है।

ऑनलाइन किए गए आवंटनों की सूची संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

'राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016' के नियम-25 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन कतिपय आवासों का नियमानुसार ऑफलाइन आवंटन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिए नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ सं0-355-359 पर।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 के नियम-25 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त ऑफलाइन आवास आवंटित किए गए हैं।

उ0प्र0 राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रदेश के सचिवालयों में कार्यरत कर्मचारियों को आवास आवंटित करने की प्रक्रिया तथा वरीयता के अनुसार आवास आवंटन की मांग

126-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रदेश के सचिवालयों में कार्यरत कर्मचारियों को आवास आवंटित करने की प्रक्रिया क्या है तथा आवास आवंटित करने की कोई वरीयता क्रम बनाया गया है ? यदि हां, तो उक्त वरीयता क्रम में से कितने कर्मचारियों को आवास आवंटित हो गया है और कितने शेष हैं ? क्या सरकार वरीयता क्रम की अद्यतन सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों को आवास का आवंटन राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 के अधीन किया जाता है।

आवेदकों द्वारा चयन किए गए प्रत्येक आवास के विकल्प में से आवेदकों के आवेदन की तिथि के आधार पर तैयार आवास की श्रेणीवार वरीयता सूची के आधार पर वरिष्ठ आवेदक को ऑनलाइन प्रोसेसिंग द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन किया जाता है।

आवास आवंटन हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदन के दिनांक के आधार पर आवंटन प्रणाली के अन्तर्गत सूची स्वतः निर्मित होती है।

वर्ष 2018 में ऑनलाइन ई-आवंटन प्रणाली आरम्भ की गई थी। ई-आवंटन प्रणाली में 2018 से अब तक विभिन्न श्रेणी में कुल 3059 आवास आवंटित हुए हैं और विभिन्न श्रेणी में 2843 आवेदन शेष हैं।

सूची संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम-इमलौटा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई के सम्बन्ध में

127-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा तहसील के ग्राम इमलौटा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को फसलों का नुकसान का बीमा

[†] छापा नहीं गया।

क्लेम दिलवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-172536, दिनांक 04 सितम्बर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की गयी है। जनपद झांसी की गरौठा तहसील के ग्राम पंचायत इमलौटा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ-2020 से रबी-2022-23 मौसम तक बीमित कृषकों को वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नवत् है :-

मौसम	बीमित कृषकों की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या	वितरित क्षतिपूर्ति (रु0 में)
1	2	3	4
खरीफ 2020	516	251	402332.00
रबी 2020-21	345	345	2745618.00
खरीफ 2021	446	264	146683.00
रबी 2021-22	315	1	10046.00
खरीफ 2022*	632	362	2055162.00
रबी 2022-223	350	क्षति नहीं पायी गयी है।	
खरीफ 2023	342	क्रॉप-कटिंग प्रयोगों का सम्पादन प्रक्रियाधीन है।	

*बीमा कम्पनी द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय कालोनी में सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आवंटित किये जाने विषयक

128-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय कालोनी महानगर/बादशाहनगर, लखनऊ में सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को किस नियमावली के अन्तर्गत आवास आवंटित किया जाता है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

लखनऊ नगर निगम सीमा में कार्यरत सचिवालय सहित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में आवास का आवंटन 'राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016' के अन्तर्गत किया जाता है।

जी हाँ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) एवं तत्सम्बन्धी राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 की प्रति संलग्न† है।।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों के आवंटन में अनियमितता के सम्बन्ध में

129-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र पत्र सं0-क-6 न0- 704003, दिनांक 28 सितम्बर, 2022, जो राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों के आवंटन में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र में सन्दर्भित आवासों के आवंटन सम्बन्धी प्रकरण के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उक्त आवासों के अध्यासियों को उनकी आपवादिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 के नियम 25 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ऑफलाइन माध्यम से नियमानुसार आवास आवंटित किए गए हैं।

उक्त वस्तुस्थिति से माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य को राज्य सम्पत्ति विभाग के पत्र संख्या-आई/243119/2022-32-2013/26/2021, दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापा नहीं गया।

जनपदवार जहरीली शराब पीने से हुई मृत्यु पर सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता एवं दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण

130-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2017 से 02-03-2023 तक जनपदवार कितने लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है ? क्या सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता एवं दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

प्रदेश में 01 अप्रैल, 2017 से 02-03-2023 तक अवैध/जहरीली शराब पीने से हुई मृत्यु की दुःखद घटनाओं का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	जनपद का नाम	घटना का दिनांक	मृतकों की संख्या
1	आजमगढ़	06/07 जुलाई, 2017	26
2	बाराबंकी	10 जनवरी, 2018	04
3	गाजियाबाद	12/13 मार्च, 2018	04
4	कानुपर नगर	19 मई, 2018	05
5	कानपुर देहात	19 मई, 2018	04
6	बिजनौर	17 अगस्त, 2018	01
7	शामली	21 अगस्त, 2018	05
8	कुशीनगर	05/06 फरवरी, 2019	08
9	सहारनपुर	07/08 फरवरी, 2019	83
10	कानुपर नगर	08/09 मार्च, 2019	10
11	बाराबंकी	27/28 मई, 2019	24
12	सीतापुर	27 जनवरी, 2020	01
13	खीरी	19 मार्च, 2020	02
14	कानुपर नगर	12 अप्रैल, 2020	02
15	लखनऊ	12/13 नवम्बर, 2020	03
16	फिरोजाबाद	17 नवम्बर, 2020	03
17	प्रयागराज	20 नवम्बर, 2020	07
18	बुलन्दशहर	08 जनवरी, 2021	06

क्र0-सं0	जनपद का नाम	घटना का दिनांक	मृतकों की संख्या
19	मीरजापुर	01 मार्च, 2021	02
20	फतेहपुर	12 मार्च, 2021	02
21	प्रतापगढ़	13/15 मार्च, 2021	04
22	प्रयागराज	15/16 मार्च, 2021	09
23	चित्रकूट	20/21 मार्च, 2021	07
24	प्रतापगढ़	31 मार्च, 2021	04
25	अयोध्या	01 अप्रैल, 2021	02
26	बदायूं	02 अप्रैल, 2021	02
27	हाथरस	26 अप्रैल, 2021	06
28	फतेहपुर	8/11 मई, 2021	03
29	अम्बेडकरनगर	10 मई, 2021	05
30	अलीगढ़	27/28 मई, 2021	35
31	आगरा	23/24 अगस्त, 2021	08
32	रायबरेली	26 जनवरी, 2022	06
33	आजमगढ़	21 फरवरी, 2022	03

आबकारी विभाग में अवैध/जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मृत्यु की घटनाओं में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

उपरोक्त जनपदों में अवैध/जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मृत्यु के दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की गयी है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मशरूम उत्पादन और कम्पोस्ट उत्पादन इकाइयां स्थापित करने हेतु अनुदानित ऋण उपलब्ध कराने व उत्पादन इकाइयों की संख्या के सम्बन्ध में

131-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मशरूम उत्पादन और कम्पोस्ट उत्पादन इकाइयां स्थापित करने हेतु अनुदानित ऋण उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार विगत पांच वर्षों में स्थापित मशरूम उत्पादन और कम्पोस्ट उत्पादन इकाइयों की

संख्या एवं उनके संचालकों को दिये गये अनुदान का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हां।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' के अन्तर्गत 45 जनपद एवं 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के अन्तर्गत 30 जनपद में मशरूम उत्पादन इकाई व मशरूम कम्पोस्ट इकाई की स्थापना के कार्यक्रम संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत कृषकों को प्रति इकाई अनुमन्य लागत धनराशि रु0 20.00 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु0 8.00 लाख क्रेडिट लिंक बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है।

विगत पांच वर्षों में 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' एवं 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के अन्तर्गत स्थापित मशरूम उत्पादन एवं कम्पोस्ट उत्पादन इकाई का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	मशरूम उत्पादन इकाई		मशरूम कम्पोस्ट इकाई		योग	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2018-19	1	8.00	1	8.00	2	16.00
2	2019-20	1	8.00	1	8.00	2	16.00
3	2020-21	1	8.00	1	8.00	2	16.00
4	2021-22	5	40.00	3	24.00	8	64.00
5	2022-23	7	56.00	5	40.00	12	96.00
	योग-	**15**	**120.00**	**11**	**88.00**	**26**	**208.00**

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की गरौठा तहसील के ग्राम इमलौटा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को फसल बीमा क्लेम दिलवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-172536 दिनांक 04 सितम्बर, 2023 पर कृत कार्रवाई की जानकारी

132-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा तहसील के ग्राम इमलौटा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को फसलों का नुकसान का बीमा

क्लेम दिलवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0 172536, दिनांक 04 सितम्बर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की गयी है। जनपद झांसी की गरौठा तहसील के ग्राम पंचायत इमलौटा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2020 से रबी 2022-23 मौसम तक बीमित कृषकों को वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नवत् हैः-

मौसम	बीमित कृषकों की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या	वितरित क्षतिपूर्ति (रु0 में)
1	2	3	4
खरीफ 2020	516	251	402332.00
रबी 2020-21	345	345	2745618.00
खरीफ 2021	446	264	146683.00
रबी 2021-22	315	1	10046.00
खरीफ 2022*	632	362	2055162.00
रबी 2022-23	350	क्षति नहीं पायी गयी है।	
खरीफ 2023	342	क्रॉप-कटिंग प्रयोगों का सम्पादन प्रक्रियाधीन है।	

*बीमा कम्पनी द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा निःशुल्क इलेक्ट्रिक रिक्शा उपलब्ध कराये जाने की मांग

133-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा निःशुल्क इलेक्ट्रिक रिक्शा हेतु अनेक पात्र दिव्यांग वंचित हैं ? क्या सरकार उक्त दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक रिक्शा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक रिक्शा उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने हेतु खेलकूद के साधन के साथ स्टेडियम का निर्माण कराने की माँग

134-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अभ्यास हेतु विधान सभा क्षेत्र सगड़ी मे खेलकूद के साधन की उपलब्धता के साथ ही स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण, योजना, संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण हेतु शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार जिलाधिकारी के स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के अनुसार ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जाता है। उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-1(1) के अनुसार प्रथम चरण में प्रदेश के उन जनपदों को प्राथमिकता से लिया जाएगा जहाँ पर एक भी विभागीय स्टेडियम नहीं है।

खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत देवराजदीद महराजगंज में मल्टीपरपज हॉल निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे परीक्षणोंपरान्त भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा।

जनपद-आजमगढ़, विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम चिउटरहा लोहरा एवं श्रीकान्तपुर व विकास खण्ड-तरवां के ग्राम-चिल्लूपुर में पूर्व से विभागीय ग्रामीण स्टेडियम निर्मित हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

135-श्री राकेश प्रताप सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा प्रश्न वापस लिया गया ।]

खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में युवक मंगल दल का गठन कर ब्लाक स्तर पर युवा क्लबों का गठन एवं स्टेडियम बनाये जाने की मांग

136-श्री अरमान खान-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में युवक मंगल दल का गठन कर ब्लाक स्तर पर युवा क्लबों का गठन एवं स्टेडियम व खेल का मैदान बनाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, क्या सरकार जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम मिनी इण्डोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार व मोहनलालगंज के खुझौली में खेल विभाग की भूमि पर एकेडमी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

जनपद-लखनऊ के राजाजीपुरम इण्डोर मिनी स्टेडियम का निर्माण/संचालन युवा कल्याण विभाग द्वारा नहीं किए जाने के कारण जीर्णोद्धार नहीं कराया जा सकता है।

मोहनलालगंज के खुझौली में खेल विभाग की भूमि पर एकेडमी निर्माण की युवा कल्याण विभाग के पास कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शादी हेतु सरकार द्वारा दिये जाने वाली अनुदान राशि को दो गुना कराने की मांग

137-श्री अतुल प्रधान-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शादी हेतु सरकार द्वारा दिये जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत दो गुना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

शादी अनुदान योजना में अनुदान राशि को मंहगाई के सापेक्ष बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में आबकारी नीति में आबकारी दुकानों के आवंटन में आरक्षण का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराने की मांग

138-श्री अतुल प्रधान-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आबकारी नीति में आबकारी दुकानों के आवंटन में आरक्षण का प्राविधान है ? यदि हां, तो आरक्षणवार प्रदेश के जिलों में आवंटन का अद्यतन विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या-8 के अन्तर्गत राज्य सरकार को पेय मदिरा के उत्पादन, वितरण व व्यापार पर एकांतिक विषेशाधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार इस अधिकार को जन सामान्य को हस्तान्तरित करती है और इस हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपभोग राज्य की विकास योजनाओं को संचालित किये जाने में किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आबकारी नीति निर्गत करती है और निर्गत आबकारी नीति के तहत प्रदेश की आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन कराया जाता है।

आबकारी दुकानों के आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था व्यवहारिक, सामाजिक, संवैधानिक दृष्टि से तथा प्रदेश के व्यापक राजस्व हित में औचित्यपूर्ण नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 तक पिछड़े और अनुसूचित समाज के पूर्वदशम और दशमोत्तर के छात्र-छात्राओं के शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन के सापेक्ष प्राप्ति के सम्बन्ध में जानकारी

139-श्री नफीस अहमद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 तक पिछड़े और अनुसूचित समाज के पूर्वदशम और दशमोत्तर के कितने छात्र-छात्राओं ने शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया है तथा उक्त आवेदन के सापेक्ष कितने छात्र-छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं हेतु संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में शुल्क प्रतिपूर्ति की

धनराशि भुगतान किये जाने का प्राविधान नहीं है। केवल दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में ही शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2022-23 में जनपद आजमगढ़ में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण निम्नवत् हैः-

1-पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना-

वर्ष	आवेदित छात्रों की संख्या	छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों की संख्या
2022-23	49528	41240

2-दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना-

वर्ष	आवेदित छात्रों की संख्या	छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित छात्रों की संख्या
2022-23	91642	69993

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित समाज के छात्र/छात्राओं हेतु संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि भुगतान किये जाने का प्राविधान नहीं है। केवल दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में ही शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2022-23 में जनपद आजमगढ़ में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित समाज से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण निम्नवत् हैः-

1-पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना-

वर्ष	आवेदित छात्रों की संख्या	छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों की संख्या
2022-23	30625	24806

2-दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना-

वर्ष	आवेदित छात्रों की संख्या	छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित छात्रों की संख्या
2022-23	69463	53722

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में ओ0बी0सी0 व एस0सी0, एस0टी0 के छात्रों हेतु स्कालरशिप का आवेदन व उसके सापेक्ष जारी व शेष छात्रों की जानकारी

140-श्री नफीस अहमद-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में ओ0बी0सी0 व एस0सी0, एस0टी0 के कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है तथा उक्त में कितने बच्चों की स्कॉलरशिप जारी कर दी गई है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखते हुए शेष बच्चों की स्कालरशिप जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं हेतु संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 में जनपद आजमगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदित पात्र छात्र/छात्राओं का विवरण निम्नवत् है :-

1-पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना-

वर्ष	ओ0बी0सी0आवेदित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या	वंचित छात्रों की संख्या
2021-22	38831	38831	0
2022-23	49528	41240	8288

2-दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना-

वर्ष	ओ0बी0सी0आवेदित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या	वंचित छात्रों की संख्या
2021-22	100259	67781	33478
2022-23	91642	69093	22549

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति

योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 में जनपद आजमगढ़ में आवेदित छात्र/छात्राओं का विवरण निम्नवत् है :-

1-पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (एस0सी0)-

वर्ष	अनुसूचित जाति के आवेदित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या	अपात्र छात्रों की संख्या
2021-22	25277	16088	9189
2022-23	30525	24806	5719

2-दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (एस0सी0)-

वर्ष	अनुसूचित जाति के आवेदित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या	अपात्र छात्रों की संख्या
2021-22	79630	63183	16447
2022-23	69463	52463	17000

3-पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (एस0टी0)-

वर्ष	अनुसूचित जनजाति के आवेदित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या	अपात्र छात्रों की संख्या
2021-22	28	4	24
2022-23	19	1	18

4-दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (एस0टी0):-

वर्ष	अनुसूचित जनजाति आवेदित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या	वंचित छात्रों की संख्या
2021-22	237	126	111
2022-23	158	53	105

उपरोक्तानुसार विवरण प्रस्तुत है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संगत नियमावली में व्यवस्था है कि ''आय-व्ययक में प्रविधानित धनराशि की सीमा तक नियमावली के प्राविधानों/शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र छात्र/छात्राओं को विहित वरीयता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। योजनान्तर्गत धनराशि समाप्त होने पर यदि पात्र छात्र की देयता लम्बित रहती है, तो वह देयता अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।''

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल वितरित कराये जाने की मांग

141-श्री नफीस अहमद-

क्या दिव्यागंजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्तमान में कुल कितने दिव्यांगजन पंजीकृत हैं एवं कितनों को ट्राईसाइकिल का वितरण कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 17-11-2023 तक कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत जनपद-आजमगढ़ में निःशुल्क ट्राईसाइकिल प्राप्त करने हेतु कुल 433 दिव्यांगजन पंजीकृत हुये हैं, जिन्हें उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं नियमानुसार पात्र पाये जाने की स्थिति में लाभान्वित किया जा सकेगा।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में बंद करायी गयी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मियों का पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में

142-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में कितनी औद्योगिक इकाइयों को बंद कराया गया है ? क्या सरकार बताएगी कि बंद कराई गई औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कितने कर्मियों का पुनर्वास किया गया है तथा कितने कर्मियों को अन्यत्र समायोजित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

कोई ईकाई बन्द नहीं कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 3 वर्ष पूर्व समाज कल्याण विभाग में हुए 32 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले से सम्बन्धित रिकार्ड जांच टीम को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

143-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 3 वर्ष पूर्व समाज कल्याण विभाग में हुए 32 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले की जांच सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यह सही है कि उक्त घोटाले से सम्बन्धित रिकॉर्ड इस घोटाले की जांच में जुटी आर्थिक अपराध शाखा कानपुर को अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिकार्ड जांच टीम को उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

जी हां।

जनपद मथुरा में निजी आई0टी0आई0 संस्थानों में छात्रवृत्ति योजना में रु0 22.99 करोड़ घोटाले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

आर्थिक अपराध अनुसंधान कानपुर सेक्टर द्वारा यथाशीघ्र जांच पूर्ण की जायेगी।

घोटाले से सम्बन्धित रिकार्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा द्वारा आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग को उपलब्ध कराये गये हैं तथा जांच में सहयोग हेतु मांग किये जाने पर अग्रेतर समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।

समस्त रिकार्ड उपलब्ध कराये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रशासन स्तर के राजपत्रित अधिकारियों की भांति प्रदेश के सचिवालय में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में छूट दिये जाने विषयक

144-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रशासन स्तर के राजपत्रित अधिकारियों, डी0एम0, एस0डी0एम0, तहसीलदार आदि को औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य मार्ग/राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर टोल टैक्स की छूट का प्राविधान है ? यदि हाँ,

तो क्या सरकार प्रदेश के समस्त सचिवालय में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों को भी जिनके सचिवालय वाहन पास निर्गत हो उन्हें उक्त मार्गों के टोल प्लाजा पर स्वंय की उपस्थित पर उक्त के समान टोल टैक्स में छूट सरकार देगी ? क्या सरकार उक्त हेतु कोई नियमावली बनायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा राज्य मार्ग/राष्ट्रीय राज्य मार्गों का निर्माण/संचालन नहीं किया जाता है। उ0प्र0 एक्सप्रेस-वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में एक्सप्रेस-वेज परियोजनाओं का निर्माण/संचालन किया जाता है। उक्त संचालित एक्सप्रेस-वेज पर टोल टैक्स की वसूली उ0प्र0 एक्सप्रेस-वे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2010 (यथा संशोधित, 2017) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्मित एवं संचालित एक्सप्रेसवेज पर टोल फीस के संदाय से छूट प्रदान की जा रही है।

उक्त नियमावली में सचिवालय में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को टोल टैक्स में छूट का पृथक से प्राविधान किये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना को डिजिटल क्राप सर्वे हेतु चयनित करने पर विचार करने के सम्बन्ध में

145-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना को डिजिटल क्राप सर्वे हेतु चयनित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना को डिजिटल क्राप सर्वे हेतु चयनित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

146-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[01-मंगलवार के अतारांकित प्र0 सं0-199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद मेरठ में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तक निर्धन कन्याओं के शादी हेतु स्वीकृत अनुदान राशि की वित्तीय वर्षवार सूची

147-श्री अतुल प्रधान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तक कुल कितनी निर्धन कन्याओं के शादी हेतु सरकार

द्वारा अनुदान राशि स्वीकृत की गई ? क्या सरकार वित्तीय वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

जनपद मेरठ में शादी अनुदान योजनान्तर्गत वर्ष/वर्गवार प्राप्त अनुदान, लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रु0 लाख में)

वर्ष/वर्ग		लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	आवंटित धनराशि	भुगतानित धनराशि
2020-21	अनु0जाति/ अनु0 जनजाति	293	58.60	58.60
	सामान्य	123	24.60	24.60
	अन्य पिछड़ा वर्ग	469	93.80	93.80
	अल्पसंख्यक	125	25.00	25.00
	कुल	**1010**	**202.00**	**202.00**
2021-22	अनु0जाति/ अनु0 जनजाति	224	44.80	44.80
	सामान्य	111	22.20	22.20
	अन्य पिछड़ा वर्ग	400	80.00	80.00
	अल्पसंख्यक	414	82.80	82.80
	कुल	**1149**	**229.80**	**229.80**
	अनु0जाति/ अनु0 जनजाति	-	-	-
	सामान्य	-	-	-
	अन्य पिछड़ा वर्ग	180	36.00	36.00
	अल्पसंख्यक	-	-	-
	कुल	**180**	**36.00**	**36.00**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ब्लॉक, तहसील व जिला मुख्यालयों के नगरों अथवा अन्य स्थानों पर अनुसूचित जाति के छात्रों को सरकार द्वारा छात्रावास की सुविधा से आच्छादित कराने की मांग

148-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ब्लॉक, तहसील व जिला मुख्यालयों के नगरों अथवा अन्य स्थानों पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सरकार द्वारा निर्मित कितने छात्रावास उपलब्ध हैं ? क्या सरकार अवशेष ब्लॉक, तहसील व जिला मुख्यालयों को किसी निश्चित समयावधि में उक्त छात्रावास सुविधा से आच्छादित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ब्लाक स्तर पर कुल 70 छात्रावास, तहसील स्तर पर कुल 34 छात्रावास एवं जिला मुख्यालय के नगर स्तर पर कुल 157 छात्रावास निर्मित हैं।

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नवीन छात्रावास का निर्माण सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी गाईड-लाइन के अनुसार कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में जनवरी, 2022 से सितम्बर, 2023 तक तस्करों के विरुद्ध कृत कार्रवाई का विवरण उपलब्ध कराने की मांग

149-श्री मोहन वर्मा-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में जनवरी 2022 से सितम्बर, 2023 तक कितने तस्करों (मादक पदार्थों की तस्करी) के विरुद्ध कार्यवाही की गयी तथा कितनी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रकरणों में कितनों पर अभियोग पंजीकृत कराया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जनपद कुशीनगर में माह जनवरी, 2022 से सितम्बर, 2023 तक तस्करों के विरुद्ध कुल 12 अभियोग आबकारी अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत

पंजीकृत किये गये। इस कार्यवाही में लगभग 756 बल्क लीटर अवैध मदिरा बरामद करते हुए कुल 13 वाहन अवैध मदिरा की तस्करी में पकड़े गये।

इसके अतिरिक्त जनपद कुशीनगर में उक्त अवधि में अवैध मद्य निष्कर्षण व अवैध मदिरा की बरामदगी के कुल 1711 अभियोग पंजीकृत कर 47681.80 ब0ली0 अवैध मदिरा जब्त करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध आबकारी अधिनियम व आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तलाकशुदा और 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की एकल महिलाओं अथवा एकल पुरुषों को दी जाने वाली सरकारी सहायता का विवरण

150-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तलाकशुदा और 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की एकल महिलाओं अथवा एकल पुरुषों की दयनीय स्थिति से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को दी जाने वाली सरकारी सहायता का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

समाज कल्याण विभाग द्वारा 60 वर्ष से ऊपर के पात्र व्यक्तियों (महिला/पुरुष) जिसमें एकल महिला और एकल पुरुष भी सम्मिलित हैं, को रु0 1000/-मासिक वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जातीय जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में

151-श्री लकी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़ा, अति पिछड़ा तथा अनुसूचित जाति का उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व के दृष्टिगत जातीय जनगणना कराने की योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनगणना की विषयवस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची के क्रमांक-69 पर अंकित है। जनगणना कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 एवं जनगणना नियमावली, 1990 बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा कराया जाता है।

जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के सम्बन्ध में

152-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के अन्तर्गत वर्तमान में कुल कितने वृद्धा पेंशन भोगी हैं और कितने ऐसे वृद्धावस्था पेंशन भोगी है जिन्हें कई वर्षों से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि वृद्धावस्था पेंशन रोक-रोक कर दिये जाने अथवा अकारण समाप्त किये जाने की कोई नीति है ? यदि नही, तो क्या सरकार उक्त हेतु जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित करते हुए लाभार्थियों की रुकी वृद्धावस्था पेंशन जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में कुल 160 लाभार्थियों को विभाग द्वारा पेंशन दी जा रही है।

वर्तमान में 147 लाभार्थियों की पेंशन उनके आधार लिंक खातों में स्थानान्तरित कर दी गयी है। 13 लाभार्थियों के खातों में NPCI पोर्टल पर आधार लिंक न होने के कारण पेंशन दिया जाना शेष है।

जी नहीं।

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत NPCI पोर्टल पर आधार लिंक न होने के कारण पेंशन दिया जाना शेष है। NPCI पोर्टल पर खातों के आधार लिंक होते ही पेंशन आधार बेस्ड प्रणाली के माध्यम से बैंक खातों में हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के मण्डी परिषद् निर्माण खण्ड में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा फर्जी फर्मों पर फर्जी भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में

153-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के मण्डी परिषद् निर्माण खण्ड में वर्ष जनवरी, 2017 से दिनाँक 05-10-2023 के मध्य विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों द्वारा बनाये गये फर्जी फर्मों पर फर्जी भुगतान करने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जाँच कराकर उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

प्रकरण संज्ञान में आने पर मण्डी परिषद् के 03 अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति गठित कर जाँच करायी गई। जाँच समिति द्वारा दी गई जाँच आख्या में सिद्ध पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निलम्बन/नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की गई है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार प्रक्रियात्मक कार्रवाई गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मण्डी परिषद् में वर्कचार्ज कर्मियों को सहायक अभियन्ता (निर्माण) के पद पर नियमित किये जाने विषयक

154-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मण्डी परिषद् में वर्कचार्ज कर्मियों को सहायक अभियन्ता (निर्माण) के पद पर नियमित किये जाने विषयक श्री रविदास मेहरोत्रा स0वि0स0 का पत्र संख्या क-7 ने0-208598, दिनाँक 21-09-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हां।

मा0 विधायक जी का उक्त पत्र दिनांक 21-09-2023 को आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से अन्तरित सन्दर्भ संख्या-18157230191180, दिनांक 21-09-2023 के साथ प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा मण्डी परिषद् में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मियों को सहायक अभियन्ता (निर्माण) के पद पर अनियमित रूप से विनियमितीकरण किये जाने की शिकायत की गयी थी। इस सम्बन्ध में मण्डी परिषद् से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसर मण्डी परिषद् एवं मण्डी समितियों में दिनांक 31-03-1996 तक नियुक्त/कार्यरत गैर नियमित कार्मिकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-44/2015/वे0आ0-2-795/दस-54 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 13 अगस्त, 2015 एवं तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या-2195/80-1-2015-600 (31) /2013, दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर विनियमितीकरण की कार्यवाही की गयी थी, तद्नुसार आख्या/स्थिति दिनांक 20-10-2023 को पोर्टल पर अपलोड करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद वाराणसी के पहाड़िया मण्डी में धन आवंटन व व्यय मद की जानकारी

155-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के पहाड़िया मण्डी में वर्ष जनवरी 2017 से दिनांक 05-10-2023 तक कुल कितना धन आवंटित किया गया तथा उक्त से कौन-कौन से कार्य किये गये तथा किस-किस मद में कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सूची सहित सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

नवीन मण्डी स्थल, पहाड़िया के कार्यों हेतु जनवरी, 2017 से दिनांक 05-10-2023 तक विभिन्न तिथियों में निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त एवं व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	स्वीकृति (रु0 लाख में)		01-01-2017 से 05-10-2023 तक (रु0 लाख में)	
	दिनांक	लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	2	3	4	5
1	16-02-16	2032.36	928.72	901.98
2	17-05-17	3.79	3.78	3.78
3	05-12-17	5.54	4.44	3.97
4	26-09-19	471.99	298.56	203.67
5	02-12-17/ 31-03-20	430.13	340.47	307.68
6	31-08-20	9.99	9.83	6.48
	कुल	2953.80	1585.80	1427.56

निर्गत स्वीकृति के अनुसार कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) 66 स श्रेणी, 34 सुपर मार्केट, 04 सुलभ शौचालय, 05 कैण्टीन बी टाइप, 02 आवासीय भवन टाइप-1, 04 आवासीय भवन टाइप-2, कृषक विश्राम गृह की मरम्मत/ नवीनीकरण, समिति, उप निदेशक (नि0) कार्यालय का इंटीरियर, आर0सी0सी0 चहारदीवारी का मरम्मत कार्य, 05 नग कैटिल कैचर, आन्तरिक सी0सी0 रोड, इण्टरलॉकिग पेवर ब्लाक, वाह्य ड्रेनेज सिस्टम, 25 नग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण, सीवरेज की सफाई कार्य, पेयजल हेतु पाइप लाइन, 12 नग वाटर स्टैण्ड पोस्ट तथा आर्कीटेक्ट फीस आदि कार्य।

(2) पूर्व निर्मित टायलेट ब्लाक का मरम्मत/अनुरक्षण कार्य।

(3) 07 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प का रि-बोर/पुनर्स्थापना कार्य।

(4) 02 मंजिला भवन-01 नग, पेस्टीसाइड रेजिडयूल टेस्टिंग लैब की स्थापना एवं संचालन, नीलामी चबूतरे पर ई-नेम कार्यालय का निर्माण कार्य, 01 नग छायादार नीलामी चबूतरा, 02 नग चेक पोस्ट, 01 नग पुलिस चौकी, 27 नग अ श्रेणी, 53 नग ब श्रेणी, 207 नग स श्रेणी दुकानों तथा गोदाम ए0पी0एफ0 कैन्टीन, आवासीय भवन चहारदीवारी का मरम्मत/अनुरक्षण कार्य।

(5) आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत आन्तरिक मार्गों का हाटमिक्स पद्धति से पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण, भूमिगत सीवर ड्रेनेज सिस्टम कार्य, चहारदीवारी की मरम्मत/पुनर्निर्माण, रंगाई पुताई, 16 नग केला भट्टी की दुकानों की रंगाई पुताई, शेष भवनों की छतों पर ब्रिक कोबा एवं ओवर हेड टैंक की पाइप लाइन एवं जलापूर्ति कार्य।

(6) खुली नालियों को आर0सी0सी0 से ढकने का कार्य।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के पहाड़िया मण्डी में निर्माण कार्य में अनियमितता करने वाले दोषी के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

156-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के पहाड़िया मण्डी में वर्ष जनवरी 2017 से सितम्बर 2023 तक किये गये निर्माण कार्य में अनियमितता की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

नवीन मण्डी स्थल, पहाड़िया वाराणसी में निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर परिषद् स्तर से 04 सदस्यीय समिति गठित करते हुए प्रकरण की जांच कराई गई। समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के आधार पर प्रकरण में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निम्नवत् कार्रवाई की गई :-

1-श्री विमिलेश चन्द्र मिश्र, सहायक अभियन्ता/प्रभारी उप निदेशक (निर्माण)-

सेवा अवधि में दिनांक 18-05-2021 को श्री मिश्र का आकस्मिक निधन हो चुका है। उनके निधन के पश्चात् मण्डी परिषद् आदेश संख्या-1208, दिनांक 07-08-2021 द्वारा प्रकरण निस्तारित किया जा चुका है।

2-श्री आर0 के0 वर्मा, सहायक अभियन्ता/प्रभारी उप निदेशक (निर्माण)-

श्री वर्मा दिनांक 30-06-2022 को सेवानिवृत्त हो चुके है, इनके विरुद्ध मण्डी परिषद् आदेश संख्या-2158, दिनांक 28-12-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान है।

3-श्री सिद्ध गोपाल कुरील, लेखा एवं सम्परीक्षाधिकारी-

श्री कुरील को मण्डी परिषद् आदेश संख्या-306, दिनांक 11-02-2021 द्वारा एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोका जाना एवं परिनिन्दा प्रविष्टि निर्गत करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही निस्तारित की जा चुकी है। श्री कुरील दिनांक 31-12-2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

4-श्री अखिलेश्वर लाल श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता (सिविल)-

मण्डी परिषद् आदेश संख्या-2025, दिनांक 24-12-2021 द्वारा एक स्तर निम्नतर प्रक्रम वेतन में अवनति एवं परिनिन्दा प्रविष्टि निर्गत करते हुए संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही निस्तारित की जा चुकी है। श्री श्रीवास्तव दिनांक 30-06-2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

5-श्रीमती सुनीता, अवर अभियन्ता (सिविल)-

प्रश्नगत प्रकरण में मण्डी परिषद् आदेश संख्या-05, दिनांक 03-01-2020 द्वारा इनके विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही वर्तमान में भी गतिमान है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण से सम्बन्धित फर्म एवं कार्मिकों के विरुद्ध अभियोग संख्या-99/2020 थाना कैण्ट वाराणसी में पंजीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न फसलें पैदा करने हेतु अनुदान आधारित उच्च तकनीक से सस्ते और टिकाऊ पॉली हाउस का निर्माण कराये जाने की योजना के सम्बन्ध में

157-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न फसलें पैदा करने हेतु अनुदान आधारित उच्च तकनीक से सस्ते और टिकाऊ पॉली हाउस का निर्माण कराने की योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हां।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस) कार्यक्रम संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत हाई वैल्यू सब्जियों एवं पुष्पों की खेती हेतु क्षेत्रफल 500 वर्ग मी0 से 4000 वर्ग मी0 तक कुल अनुमन्य इकाई लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में देय है।

योजना का स्वरूप-

1-ग्रीन हाउस (नेचुरली वेन्टीलेटेड ट्यूबलर स्ट्रक्चर)

क्र0-सं0	एरिया	अधिकतम अनुमन्य लागत (रु0 में)	अनुदान
1	500 वर्ग मी0 तक	रु0 1060/ प्रति वर्ग मी0	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 4000 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी
2	500 वर्ग मी0 से 1008 वर्ग मी0 तक	रु0 935/ प्रति वर्ग मी0	
3	1008 वर्ग मी0 से 2080 वर्ग मी0 तक	रु0 890/ प्रति वर्ग मी0	
4	2080 वर्ग मी0 से 4000 वर्ग मी0 तक	रु0 844/ प्रति वर्ग मी0	

2-शेडनेट हाउस (ट्यूबलर स्ट्रक्चर)

क्र0-सं0	एरिया	अधिकतम अनुमन्य लागत (रु0 में)	अनुदान
1	400 वर्ग मी0 तक	रु0 710/ प्रति वर्ग मी0	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 4000 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी

3-हाई वैल्यू सब्जी/पुष्प उत्पादन हेतु रोपण सामग्री

क्र0-सं0	एरिया	अधिकतम अनुमन्य लागत (रु0 में)	अनुदान
1	पॉली हाउस में हाई वैल्यू सब्जी उत्पादन हेतु रोपण सामग्री	रु0 140/ प्रति वर्ग मी0	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 4000 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी
2	पॉली हाउस/शेडनेड हाउस में हाई वैल्यू पुष्प कारनेशन एवं जरवेरा	रु0 610/ प्रति वर्ग मी0	
3	पॉली हाउस/शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू पुष्प गुलाब एवं लिलीयम उत्पादन हेतु रोपण सामग्री	रु0 426/ प्रति वर्ग मी0	

प्रश्न नहीं उठता।

उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद् द्वारा की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में

158-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0जी0आर0एस0 संख्या-12157230184340 जो उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद् द्वारा की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रमुख सचिव कृषि विपणन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण में श्री जितेन्द्र बहादुर, अध्यक्ष भारतीय पत्रकार एवं मानवाधिकार परिषद् लखनऊ का पत्र दिनांक 18-09-2023 आई0जी0आर0एस0 संख्या-12157230184340 एवं इंजी0 बृजेश कठेरिया, मा0 विधायक का पत्र दिनांक 18-09-2023 के साथ श्री जितेन्द्र बहादुर का उक्त दिनांकित पत्र आई0जी0आर0एस0 संख्या-18157230184351 के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

निर्माण खण्ड, जौनपुर, निर्माण खण्ड, प्रयागराज एवं निर्माण खण्ड, आजमगढ़ में तैनात रहे श्री महेन्द्र कुमार, उप निदेशक (निर्माण) एवं श्री मैकूलाल, लेखाधिकारी की शिकायत से सम्बन्धित आई0जी0आर0एस0 पर मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रश्नगत आई0जी0आर0एस0 अन्तरित सन्दर्भ की श्रेणी में था, तत्क्रम में अपर मुख्य सचिव कार्यालय से शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच हेतु निदेशक, मण्डी परिषद् को अन्तरित किया गया। निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा जांच कराते हुए बिन्दुवार आख्या आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर दिनांक 07-10-2023 को अपलोड करायी गयी है, जो कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

159-श्री सचिन यादव-

[01-शुक्रवार के अतारांकित प्र0सं0-81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री धीरज कुमार पुत्र महावीर व अन्य निवासी ग्राम गंगरौल ब्लाक कांधला, जिला शामली को ''पर ड्राप मोर क्राप'' योजना से वंचित किये जाने की जांच विषयक

160-डॉ0 अजय कुमार-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-134/आ0स0/2023, दिनांक 01-06-2023 जो धीरज कुमार पुत्र महावीर व अन्य निवासी ग्राम गंगरौल ब्लाक कांधला, जिला शामली को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत ''पर ड्राप मोर क्राप'' (मैक्रोइरीगेशन)

योजना के लाभ से वंचित किए जाने की जांच कराकर कार्रवाई करने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

हाँ।

प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में प्रकरण की जांच हेतु निदेशालय के पत्र दिनांक 02-06-2023 द्वारा उप निदेशक उद्यान, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर तथा पत्र दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 द्वारा संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा स्थलीय भ्रमण, जिला उद्यान अधिकारी, शामली तथा शिकायतकर्ता कृषकों से सम्पर्क कर एवं अभिलेखीय आधार पर की गयी जांच में यह पाया गया कि सिंचाई पद्धति स्थापितकर्ता कम्पनी के डीलर/प्रतिनिधि द्वारा पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन एवं अटल भू-जल योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया को ससमय पूर्ण नहीं किया गया तथा कृषकों के प्रक्षेत्रों पर ड्रिप सिंचाई पद्धति की स्थापना का कार्य पंजीकरण के पूर्व सम्पन्न किया गया, जो तकनीकि रूप से दोषपूर्ण था। फलस्वरूप जिला उद्यान अधिकारी, शामली द्वारा स्वीकृति आदेश जारी नहीं किया गया।

चालू वित्तीय वर्ष में पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन एवं अटल भू-जल योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण जी0जी0आर0सी0 द्वारा विकसित नवीन यू0पी0एम0आई0पी0 पोर्टल पर किया जाना निर्धारित है, जिसका शुभारम्भ दिनांक 21-07-2023 को किया गया है। प्रदेश में पंजीकृत निर्माता फर्मों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति के बेहतर अंगीकरण, प्रचार प्रसार एवं पद्धति स्थापना हेतु विकास खण्ड आवंटित किये गये हैं। अतः जनपद में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के स्थापना हेतु नामित पंजीकृत निर्माता फर्मों के माध्यम से कृषकों द्वारा यू0पी0एम0आई0पी0 पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में शादी एवं छात्रवृत्ति अनुदान के सम्बन्ध में

161-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिछड़ा वर्ग कार्यालय शाहजहांपुर में 01-04-2022 से 01-10-2023 तक कितने प्रार्थना-पत्र शादी अनुदान तथा छात्रवृत्ति के प्राप्त हुये तथा शादी अनुदान के कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुये और कितने अस्वीकृत हुये ? क्या सरकार शादी अनुदान के अन्तर्गत स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की सूची नाम, पते, धनराशि सहित सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, शाहजहांपुर में दिनांक 01-04-2022 से 01-10-2023 तक शादी अनुदान योजनान्तर्गत 6874 एवं छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 31613 आवेदन प्राप्त हुए।

शादी अनुदान योजनान्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 01-04-2022 से 01-10-2023 तक कुल 672 आवेदन स्वीकृत तथा 1249 आवेदन अस्वीकृत हुए।

जी हाँ। विवरण संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, शाहजहाँपुर में दिनांक 01-04-2022 से 01-10-2023 तक दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों के बैंक खातों को बदले जाने के सम्बन्ध में

162-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय जिला दिव्यांग कल्याण शाहजहांपुर में 01-04-2022 से 01-10-2023 तक कितने दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों के खाते बदले गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि रामबाबू पुत्र पतिराखन रजिस्ट्रेशन संख्या 31271016501 का खाता भारतीय स्टेट बैंक जिसके खाता के अन्तिम चार अंक 5305 है से बदलकर अब बड़ौदा ग्रामीण बैंक जिस खाता के अन्तिम चार अंक 3248 है कर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त की जांच प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, शाहजहाँपुर में दिनांक 01-04-2022 से 01-10-2023 तक दिव्यांग पेंशन के 69 लाभार्थियों के बैंक खातों में संशोधन लाभार्थियों के अनुरोध पर किया गया है।

जी हाँ।

साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने पर नियमानुसार अग्रेतर जांच/कार्यवाही की जायेगी।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] छापा नहीं गया।

विगत पांच वर्षों में नई औद्योगिक इकाइयां व औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं उससे लाभान्वितों की जानकारी

163-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विगत पांच वर्षों में कौन-कौन सी नई औद्योगिक इकाइयों अथवा औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना सरकार द्वारा की गई है ? क्या सरकार उक्त की स्थापना से लाभान्वित औद्योगिक घरानों एवं निजी लोगों की संख्या सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह-

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में वृहद औद्योगिक विकास की परिकल्पना को साकार बनाये जाने के उद्देश्य से प्रख्यापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 एवं 2022 एवं उसके साथ 25 सेक्टोरल नीतियों से प्रभावित होकर विगत पांच वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 859 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है।

इसी प्रकार बुन्देलखण्ड में सशक्त एवं प्रभावी औद्योगिकीकरण हेतु सरकार द्वारा इस वर्ष 'बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण' का गठन किया गया है।

सम्बन्धित विवरण की 20 प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की मण्डियों में उरद व मूंगफली की उपज के क्रय हेतु क्रय केन्द्र समय पर खुलवाये जाने विषयक

164-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की विभिन्न मण्डियों में किसानों की उरद एवं मूंगफली उपज को पी0सी0एफ0/पी0सी0यू0 द्वारा क्रय हेतु केन्द्र को समय पर खोलवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-208948, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं-208948, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 कृषि विभाग में प्राप्त होने के उपरान्त पत्र दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 द्वारा सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा नामित स्टेट एजेंसी, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 (पी0सी0एफ0), उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन लि0 (पी0सी0यू0) एवं उत्तर प्रदेश सहकारी

जूट एवं कृषि विकास संघ लि0 (जेफेड) के माध्यम से खरीफ 2023 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत उरद एवं मूंगफली की खरीद की व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार क्रय केन्द्र खोलकर क्रय की कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि खरीफ 2023 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत जनपद झांसी में निम्न क्रय केन्द्र खोले गये हैं-

जनपद	क्रय केन्द्र
झांसी	भोजला मण्डी I
	भोजला मण्डी II
	भोजला मण्डी III
	चिरगांव मण्डी
	रामनगर मण्डी
	अईरच मण्डी
	बामोर मण्डी
	बघेरा मण्डी

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में तिल, उरद, मूंग आदि की फसलों में हुए नुकसान की क्राप कटिंग के माध्यम से आंकलन कराते हुए क्षतिपूर्ति की मांग विषयक

165-श्री जवाहरलाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वर्तमान वर्ष में तिल, उरद, मूंग, ज्वार, मक्का, मूंगफली व धान की फसलों को हुए नुकसान की क्रॉप-कटिंग के माध्यम से आंकलन कराते हुए किसानों को वास्तविक क्षतिपूर्ति प्रधानमंत्री फसल बीमा के अन्तर्गत भुगतान कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-208946, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वास्तविक नुकसान की क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु राजस्व विभाग के लेखपालों द्वारा क्रॉप-कटिंग प्रयोग सम्पन्न करा लिये गये हैं। क्रॉप कटिंग प्रयोगों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति के आंकलन एवं वितरण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर में दिनांक 01-04-2022 से 01-10-2023 तक स्वीकृत दिव्यांग तथा कुष्ठावस्था पेंशन आवेदन-पत्रों का विवरण विषयक

166-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी शाहजहाँपुर के कार्यालय में दिव्यांग पेंशन तथा कुष्ठावस्था पेंशन के कितने आवेदन-पत्र दिनांक 01-04-2022 से 01-10-2023 तक स्वीकृत हुये है ? क्या सरकार आवेदकों के नाम, पता, खाता संख्या तथा पेंशन की धनराशि सहित सूची का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, शाहजहाँपुर में दिनांक 01-04-2022 से 01-10-2023 तक दिव्यांग पेंशन के कुल 2288 तथा कुष्ठावस्था पेंशन के 21 आवेदन-पत्र स्वीकृत/रिवेरीफाई हुये हैं।

जी हाँ। पेंशन पोर्टल से प्राप्त विवरण संलग्न है।[†]

उक्तानुसार।

गोंड व खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में

167-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कतिपय जनपदों में गोंड व खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गोंड व खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 तथा 2022 में उ0प्र0 के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची के क्रमांक-6 पर गोंड जाति एवं उसकी पर्याय धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को प्रदेश के 17 जनपदों यथा (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतकबीरनगर, कुशीनगर, चन्दौली एवं भदोही) में जनजाति में सम्मिलित किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 15-12-2003 में धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को गोंड की पर्याय के रूप में उल्लेख किया गया है।

[†] छापा नहीं गया।

भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 में उ0प्र0 के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची के क्रमांक-7 पर खरवार, खैरवार जाति जनपद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी तथा सोनभद्र में सूचीबद्ध है।

उक्त के आलोक में जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्धनगर में वायु प्रदूषण से निपटने की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

168-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर में वायु गुणवत्ता (एयर क्वालिटी इंडेक्स) वर्तमान में 275 तक होने से मानव स्वास्थ्य के लिए गम्भीर समस्या का कारण है ? क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में बढ़ रहे वायु प्रदूषण से निपटने की कोई ठोस योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हाँ।

जी हाँ। वायु गुणवत्ता प्रबन्धक आयोग (सी0ए0क्यू0एम0) द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शेन (जी0आर0ए0पी0) के निर्देशों के अनुपालन में (जी0आर0ए0पी0) की स्टेज के अन्तर्गत निम्नवत् कार्यवाही की जाती है :-

विभिन्न मार्गों पर पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर निर्माण सामग्री ढक कर रखे जाने, निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को निर्माण सामग्री ढककर ले जाने, निर्माणाधीन भवनों पर ग्रीन नेट लगाकर निर्माण कार्य करने हेतु निर्देश, हॉट मिक्स प्लान्ट्स/आर0एम0सी0 प्लान्ट्स पर प्रतिबन्ध, कूड़ा/उद्यानिक मलवा जलाये जाने पर प्रतिबन्ध, एन्टी स्मॉग गन की स्थापना, मल्टीलेवल एवं अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के नियंत्रण, वृक्षारोपण, डस्ट फ्री जोन (सड़कों की कच्ची पटरी पर घास लगाने का कार्य) एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु टीमों का गठन।

उपर्युक्तानुसार।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा नालों के जल को शोधित किए जाने के उपरान्त ही नदी में छोड़े जाने की योजना के सम्बन्ध में

169-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला गंदा पानी नालों द्वारा यमुना और हिंडन नदी में छोड़े जाने से नदी प्रदूषित हो रही है ? क्या सरकार ने नोएडा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा इन नालों के जल को शोधित किए जाने के उपरांत ही नदी में छोड़े जाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-

जी नहीं। जी हाँ। नोएडा-नोएडा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 411 एम0एल0डी0 क्षमता के कुल 8 अद्द सीवेज शोधन संयत्र एस0बी0आर0 तकनीकी पर अलग-अलग जोन में स्थापित एवं संचालित है, यह क्षमता नोएडा मास्टर प्लान के अनुरूप पर्याप्त है, नोएडा क्षेत्र में प्रतिदिन उत्सर्जित सीवेज का शोधन उक्त संयत्रों द्वारा किया जाता है। शोधित जल का कुछ भाग ग्रीन बेल्ट, पार्क, गोल्फकोर्स, बिल्डर्स द्वारा निर्माण कार्यों एवं स्टेडियम आदि में किया जा रहा है। कुछ भाग शोधित जल यमुना व हिन्डन नदी में मानक के अनुरूप प्रवाहित किया जाता है। नोएडा के अन्तर्गत आवासीय/औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी हेतु संचालित वृहद/मध्यम/लघु ड्रेन जो कोण्डली ड्रेन में संविलियत होती है, उनके शोधन हेतु 17 किमी0 लम्बी सिंचाई विभाग की कोण्डली ड्रेन में जगह-जगह स्व स्थानी आर्द भूमि निर्मित की गयी है, जिसके अन्तर्गत शोधन होता है। तत्पश्चात् यमुना नदी में प्रवाहित होती है। उक्त कार्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा-निर्देश में कराया गया है।

वर्तमान में नोएडा के अन्तर्गत सभी ड्रेनों में भी शोधन हेतु भारत सरकार की संस्था सी0एस0आई0, आर0एन0ई0ई0आर0आई0 (नेशनल इन्वायरमेंटल इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट) मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी को आवश्यक कन्सलटेन्सी एवं डी0पी0आर0 प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया गया है।

ग्रेटर नोएडा के अन्तर्गत आने वाले नालों पर फाइटोरेमीडिएशन विधि के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु ई-निविदा आमन्त्रित किये जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है एवं हवालिया ड्रेन के दूषित जल की जाँच कराने के लिए टैस्टिंग लेब मेसर्स श्री राम इंस्टीट्यूट, औद्योगिक अनुसंधान दिल्ली के माध्यम से बीओडी, सीओडी, टीएसएस, पीएच, टीएन, टीपी, फेकल/टोटल कोलीफॉर्म आदि पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट कराये जा रहे हैं, जिसकी जाँच रिपोर्ट आने के पश्चात् विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से नालों के दूषित जल को साफ कराने हेतु उपयुक्त तकनीक से कार्य कराया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण स्तर से कार्य योजना तैयार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में आयोजित ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से हुए निवेश (इन्वेस्टमेन्ट) की जानकारी

170-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में आयोजित ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आयोजन में कितनी कम्पनियां आयी थीं और कितनी कम्पनियों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सैनी-

प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में 'इन्वेस्टर्स समिट-2018' का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा कुल रु0 4.28 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गए थे। उक्त इन्वेस्टर्स समिट के अन्तर्गत 03 ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी क्रमशः 29 जुलाई, 2018, 28 जुलाई, 2019 तथा 03 जून, 2022 को आयोजित की गयी थी जिसमें कुल-

प्रथम ग्राउण्ड सेरेमनी में कुल 81 कम्पनियों द्वारा कुल रु0 61,792 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया गया, जिसमें 66 औद्योगिक इकाइयों द्वारा कुल रु0 42,581 करोड़ का निवेश करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है।

द्वितीय ग्राउण्ड सेरेमनी में कुल 290 कम्पनियों द्वारा कुल रु0 67,202 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया गया, जिसमें 257 औद्योगिक इकाइयों द्वारा कुल रु0 54,903 करोड़ का निवेश करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है।

तृतीय ग्राउण्ड सेरेमनी में कुल 1406 कम्पनियों द्वारा कुल रु0 80,224 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया गया, जिसमें 520 औद्योगिक इकाइयों द्वारा कुल रु0 31,142 करोड़ का निवेश करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के नगर पालिका शामली के अन्तर्गत संचालित स्थाई/अस्थाई रजिस्टर्ड जिम सेंटर की सूची उपलब्ध कराये जाने व शासनादेश के विरुद्ध अवैध रूप से संचालित जिम सेंटरों का संचालन बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में

171-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के नगर पालिका शामली अन्तर्गत कितने जिम सेंटर स्थाई/अस्थाई रूप से संचालित है ? क्या सरकार बतायेगी कि

शासनादेश संख्या 1187/बयालिस-2020-38/एस0पी0/30/84 टी0सी0, दिनांक 27 जुलाई, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार उक्त में से कितने जिम सेंटरों का रजिस्ट्रेशन क्षेत्रीय खेल कार्यालय डा0 अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम सहारनपुर में रजिस्टर्ड है ? क्या सरकार उक्त जिम संटरों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार शासनादेश के विरुद्ध अवैध रूप से संचालित जिम सेंटरों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए संचालन बन्द करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

कुल 10 जिम सेन्टर संचालित हैं।

10 जिम सेन्टर में से 02 जिम सेन्टर रजिस्टर्ड है।

- ब्रदर्स जिम-रजिस्टर्ड (वर्ष 2022-23)
- मसल्स जार्ज जिम-रजिस्टर्ड (वर्ष 2022-23)
- बाडी लेब जिम
- पल्स जिम
- वन लव जिम
- एम0के0 फिटनेस जिम
- द वाईल्ड जिम
- आक्सीजन जिम
- क्लासिक जिम
- हाईट फिटनेस जिम।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली-2020 से सम्बन्धित प्रख्यापित शासनादेश संख्या-1187/बयालिस-2020-38/एस0 पी0/30/84टी0सी0, दिनांक 27 जुलाई, 2020 में उक्त कोष में आय बढ़ाने हेतु प्रत्येक जिम/तरणताल संचालक का रजिस्ट्रेशन हेतु वार्षिक रजिस्ट्रेशन व अन्य शुल्क सहित रु0 15,000/-एकमुश्त की दर निर्धारित की गयी है। शासनादेश में किसी वैधानिक कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल सहित प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित किसानों तथा उनके भुगतान की जानकारी के सम्बन्ध में

172-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल सहित प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कितने किसानों का बीमा किया गया है तथा कितने किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान किया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में विकास खण्ड बघरा, चरथावल, पुरकाजी एवं शाहपुर सम्मिलित हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में फसल बीमा योजना का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	विकास खण्ड का नाम	बीमित किसानों की संख्या	लाभान्वित किसानों की संख्या	वितरित क्षतिपूर्ति (रु0 में)
1	2019-20	बघरा	52	0	0.000
2		चरथावल	480	1	2704.00
3		पुरकाजी	562	237	2368524.00
4		शाहपुर	240	10	52267.00
योग :			**1334**	**248**	**2423495.00**
1	2020-21	बघरा	20	0	0.000
2		चरथावल	38	1	263.20
3		पुरकाजी	387	40	49212.51
4		शाहपुर	94	2	1192.72
योग :			**539**	**43**	**50668.43**
1	2021-22	बघरा	43	0	0.00
2		चरथावल	63	1	6837.23
3		पुरकाजी	597	15	102582.30
4		शाहपुर	22	11	155489.60
योग :			**725**	**27**	**264909.13**

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में फसल बीमा योजना का विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	बीमित किसानों की संख्या (लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या (लाख में)	वितरित क्षतिपूर्ति (करोड़ रु0 में)
1	2019-20	47.21	9.69	1093.47
2	2020-21	41.91	6.38	501.00
3	2021-22	41.47	10.12	938.59

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर में देशी शराब पहुँचाने हेतु कामर्शियल वाहनों के स्थान पर निजी वाहनों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में

173-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के जिला आबकारी कार्यालय द्वारा वर्ष 2023-2024 हेतु देशी शराब थोक विक्रेता लाइसेंस के कतिपय धारक द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम फुटकर दुकानों के लाइसेंस बनवा कर टैक्सी वाहन के स्थान पर निजी वाहनों से शराब की पेटियां जलालाबाद, मदनापुर, बिरियागंज व डभौरा, बुधुवाना, खेड़ा बझेंडा, जलालानगर आदि स्थानों पर संचालित शराब के ठेके पर पहुचाई जा रही है ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर टैक्सी वाहन द्वारा देशी शराब भेजने के आदेश तथा उपरोक्त ठेकों में बिक रही मिलावटी देशी शराब की भी जांच करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-03/2023/188 ई-2/तेरह 2023-01 /2020-1419282, दिनांक 29-01-2023 द्वारा प्रख्यापित आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के बिन्दु सं0-3.11.1 (ख) में यह प्राविधान है कि वर्ष 2023-24 हेतु ई-लाटरी में किसी आवेदक को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी, प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि किसी को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022-23 में दो अथवा इससे अधिक दुकानें आवंटित अथवा नवीनीकृत थी तब उनका वर्ष 2023-24 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकता है। जनपद शाहजहाँपुर में देशी मदिरा दुकान जलालाबाद, मदनापुर, बिरियागंज व डभौरा, बुधुवाना, खेड़ा बझेंडा, जलालानगर के अनुज्ञापी के नाम 02 से

अधिक दुकानें आवंटित/संचालित नहीं हैं। समस्त दुकानों का आवंटन ई-लाटरी के माध्यम से किया गया है।

जनपद शाहजहाँपुर में संचालित देशी शराब के 3 थोक अनुज्ञापनों का आकस्मिक निरीक्षण क्षेत्र-1, क्षेत्र-3 व क्षेत्र-4 की आबकारी टीम गठित कर कराया गया। निरीक्षण के दौरान देशी शराब दुकान जलालाबाद, नवादा मोड़, मदनापुर, बिरियागंज (तिलहर) डभौरा, बुधुवाना, खेड़ा बझेड़ा, जलालानगर एवं खण्डसार के पक्ष में दी गयी निकासी के परिवहन पासों की जांच रेण्डम आधार पर की गयी। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त फुटकर देशी मदिरा दुकानों हेतु निर्गत पासों पर अंकित वाहन संख्या से स्पष्ट है कि निकासी निजी वाहन से न होकर कामर्शियल वाहनों द्वारा दी गयी है।

आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर उपरोक्त दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण में सभी दुकानों पर उपलब्ध स्टाक व अभिलेखों का सघनतापूर्वक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर अवैध मदिरा/मिश्रित मदिरा की पुष्टि नहीं हुयी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में कृषि यन्त्रों की खरीद पर अनुदान दिये जाने के प्रकरण में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग

174-श्री राम अवतार सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महराजगंज में लेखा वर्ष 2019-20 में कृषि यन्त्रों की खरीद पर अनुदान दिये जाने से सम्बन्धित जांच की कार्यवाही में कृषि यन्त्र विक्रेता व किसानों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी किन्तु संलिप्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? क्या सरकार संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रकरण में दोषी पाये गये कार्मिकों को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिये जा चुके हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के बड़ौदा यू0 पी0 बैंक (पूर्ववर्ती पूर्वांचल ग्रामीण बैंक) शाखा करमही व कोढीभार के ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक द्वारा बिना समुचित पहचान पत्र के खाता खोलने व धन निकासी की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में

175-श्री राम अवतार सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के बड़ौदा यू0पी0 बैंक (पूर्ववर्ती पूर्वांचल ग्रामीण बैंक) शाखा करमही व कोढीभार के ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक द्वारा बिना समुचित पहचान पत्र एवं खाताधारक किसानों के फोटो के खाते खोल कर किसान सम्मान निधि एवं अन्य धनराशि का आहरण किये जाने सम्बन्धी प्रचलित जांच में वर्ष 2019-20 से अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों/सेवाकेन्द्र के संचालक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

अवगत कराना है कि ग्राहक सेवा केन्द्र के फ्रेंचाइजी संचालक श्री रोहित कुमार मिश्रा पुत्र श्री मणिभूषण मिश्रा एवं श्री किंकर सिंह पुत्र श्री राम नारायण सिंह तत्कालीन ब्लाक तकनीकी प्रबन्धक कृषि विभाग के विरुद्ध दिनांक 28-07-2023 को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए फ्रेंचाइजी संचालक श्री रोहित कुमार मिश्रा द्वारा फर्जी आधार संख्या के आधार पर फर्जी तरीके से खाते खोलने एवं उक्त खाते से धनराशि आहरित करने के क्रम में जिलाधिकारी महराजगंज के पत्र दिनांक 02-08-2023 द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी, बैंक आफ बड़ौदा, उप सामान्य प्रबन्धक, लखनऊ जोन एवं सहायक सामान्य प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय बैंक आफ बड़ौदा, गोरखपुर को सम्पूर्ण प्रकरण के गहन अन्वेषण हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित के खातों में धनराशि हस्तांतरण रोक दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महराजगंज के पत्र दिनांक 01-09-2023 द्वारा प्रेषित संस्तुतियों के आधार पर शासन के पत्र संख्या-1251/12-5-2023-सा0-12/2020 टी0सी0, दिनांक 06-09-2023 द्वारा राज्य प्रभारी, ग्राहक सेवा केन्द्र, उ0प्र0 को तथा पत्रांक सं0-1252/12-5-2023-सा0-12/2020 टी0सी0, दिनांक 06-09-2023 द्वारा उप सामान्य प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, लखनऊ, सहायक सामान्य प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय बैंक आफ बड़ौदा, गोरखपुर, उ0प्र0 को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जहां यह फर्जी खाते खोलने का प्रकरण प्रकाश में आए हैं की गहन जांच करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-1250/12-5-2023-सा0-12/ 2020टी0सी0, दिनांक 06-09-2023 द्वारा प्रभारी, उत्तर प्रदेश साइबर सेल, उत्तर प्रदेश को संदर्भित प्रकरण

की नियमानुसार गहन जांच कराकर आवश्यकतानुसार आपराधिक उत्तरदायित्व भी निर्धारित करते हुए विवेचना किये जाने का अनुरोध किया गया है।

शासन के पत्र संख्या 1244/12-5-2023-सा0-12/2020 टी0सी0, दिनांक 06-09-2023 द्वारा जिलाधिकारी महराजगंज को निर्देश निर्गत किये गये हैं कि उन सभी प्रकरणों में पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन को निरस्त करने तथा जो धनराशि पूर्व में आहरित हुई है, उनकी वसूली नियमानुसार उन सभी लोगों से कराई जाए, जिनके खाते में यह धनराशि आहरित की गयी है। इसके साथ ही कृषि यंत्रीकरण योजना में भी इसी प्रकार के अनियमित आहरित हुए अनुदान/राजकीय धन की वसूली कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उक्त के अतिरिक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से कृषि विभाग या अन्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संलिप्तता पायी जाती है तो उसका भी विवरण शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हक का लाभ प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में

176-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा, वहाँ रहने वाले किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्राधिकरणों द्वारा किसानों के जीवन यापन हेतु कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-3 सपठित धारा 2 (घ) के प्राविधानों में गठित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु ग्राम अधिसूचित किये गये हैं। राष्ट्रीय राजधानी प्रक्षेत्र परिषद् द्वारा अनुमोदित तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत महायोजना के अनुसार समय-समय पर आवश्यकता तथा योजनानुसार नियोजन की दृष्टि से उपयोगी, कृषकों की भूमि का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को अधिनियम की अनुसूची-2 में प्राविधानित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर स्थित, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमियों का अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के बेरोजगार बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

177-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर स्थित, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरणों द्वारा किसानों की भूमियों का अधिग्रहण उपरान्त किसानों के बेरोजगार कितने बच्चों को रोजगार और जीवन-यापन के जरिये उपलब्ध कराए गए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-

नोएडा-

नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखण्डों के निष्पादित पट्टा प्रलेख की धारा में प्राविधानित है कि "That in employing a skilled or unskilled labour for his industry on the demised premises the Lessee shall employ 5% employee out of total labour force from the families whose land have been acquired for the purpose of the said Industrial Area." आवंटी प्राधिकरण के मध्य सम्पादित होने वाले पट्टा प्रलेख की धारा के अनुसार आवंटी अपने उद्योगों में कुशल व अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति के समय कुल श्रम शक्ति का 5 प्रतिशत उन परिवारों से नियुक्त करेगा, जिनकी भूमि औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु अधिग्रहीत की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त नोएडा क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों से पत्राचार कर स्थानीय युवक व युवतियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाता है।

ग्रेटर नोएडा-

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए निर्धारित नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत यह प्राविधान लागू है कि 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक भूमि के आवंटन हेतु निर्धारित ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में उन इकाइयों को प्राथमिकता दिया जाना, जिनके द्वारा स्थानीय 40 प्रतिशत या उससे अधिक, 30 प्रतिशत या उससे अधिक तथा 20 प्रतिशत या उससे अधिक युवकों को यदि रोजगार दिया जाएगा तो उन्हें क्रमशः 10 अंक, 08 अंक एवं 05 अंक आवंटन में वरीयता हेतु प्रदान किए जाऐंगे ताकि स्थानीय युवकों को रोजगार उपलब्ध

हो सके। यदि किसी इकाई द्वारा 20 प्रतिशत या उससे कम रोजगार दिए जाने का आश्वासन दिया जाता है तो इस श्रेणी में आवंटन में वरीयता प्रदान नहीं की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा कालान्तर में स्किल डेवलपमेन्ट काउंसिल ऑफ इण्डिया की ओर से अधिकृत सेन्टरों के माध्यम से स्थानीय युवकों को विभिन्न व्यवसायिक श्रेणियों के अन्तर्गत स्किल डेवलपमेन्ट हेतु प्रशिक्षण दिलाया गया था तथा स्किल्ड नवयुवकों को रोजगार दिलाए जाने के लिए जिला-प्रशासन के माध्यम से सार्थक प्रयास किए गए थे। इस प्रक्रिया की निरन्तरता के लिए प्राधिकरण स्तर पर यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

यीडा-

यीडा-यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक भू-खण्डों के आवंटन में स्थानीय युवकों को 40 प्रतिशत तक रोजगार देने पर आब्जेक्टिव पैरामीटर के अनुसार अंक प्रदान किये जाते हैं।

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संविलियन के उपरान्त उनकी पिछली सेवाओं को जोड़े जाने के सम्बन्ध में

178-डा0 वीरेन्द्र यादव-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संविलियन के उपरान्त उनकी पिछली सेवाओं को नियमानुसार जोड़ा जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि ग्रेटर नोएडा विभाग में वर्तमान में कार्यरत अब तक किन-किन पदों के कार्मिकों की पिछली सेवाओं को संविलियन जोड़ते हुए लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संविलियन के उपरान्त उनकी पिछली सेवाओं को जोड़े जाने का कोई प्राविधान नहीं है, किन्तु मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरणों में अभियांत्रिकी संवर्ग (अवर अभियन्ता, सहायक परियोजना अभियन्ता) एवं उप सचिव पद के कर्मियों की पिछली सेवाओं को जोड़ा गया है। उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के विकास खण्डों मे दिव्यांगजनों के पंजीकृत आवेदनों के सापेक्ष वर्तमान में पेंशन दिये जाने व शेष दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में

179-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के किन-किन विकास खण्डों मे दिव्यांगजनों के कितने आवेदन पत्र पंजीकृत कराये गये तथा

पंजीकृत आवेदनों के सापेक्ष वर्तमान में कितने दिव्यांगजनों को पेंशन दी जा रही है तथा कितने आवेदन शेष हैं ? क्या सरकार शेष दिव्यांगजनों को पेंशन से लाभान्वित कराकर सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

दिव्यांग भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद-बलिया के 17 विकास खण्डों में पेंशन पोर्टल पर कुल 657 नवीन आवेदन पंजीकृत किये गये हैं।

उक्त पंजीकृत आवेदन के सापेक्ष 439 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।

विभिन्न कारणों से कुल 3 आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये हैं तथा शेष 215 आवेदन जो सतत् प्रक्रिया के तहत नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रचलन में हैं।

शेष आवेदन पत्रों को दिव्यांग पेंशन योजना से सम्बन्धित निर्देशों के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र पाये जाने पर दिव्यांग पेंशन से लाभान्वित किया जा सकेगा।

उक्तानुसार।

जनपद बलिया के विकास खण्डों में निराश्रित एवं वृद्धावस्था महिलाओं के पंजीकृत आवेदनों के सापेक्ष वर्तमान मे पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में

180-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के किन-किन विकास खण्डों में निराश्रित एवं वृद्धावस्था महिलाओं के कितने आवेदन-पत्र पंजीकृत कराये गये और पंजीकृत आवेदनों के सापेक्ष कितनी निराश्रित एवं वृद्धावस्था महिलाओं को वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है तथा कितने आवेदन शेष हैं ? क्या सरकार शेष निराश्रित एवं वृद्धावस्था महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित कराकर सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद बलिया के समस्त 17 विकास खण्डों में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में महिलाओं द्वारा कुल 48980 आवेदन-पत्र पंजीकृत कराये गये। पंजीकृत आवेदनों के सापेक्ष कुल 48695 महिलाओं को वर्तमान में लाभान्वित किया जा रहा है तथा खण्ड विकास अधिकारी स्तर पर वृद्धावस्था पेंशन के कुल 285 आवेदन जाँच में अवशेष हैं।

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन करना, जाँच एवं स्वीकृति की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही के ग्राम-जोधपुर, पोस्ट-मतेथू में अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में

181-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग को सम्बोधित पत्र दिनांक 23-08-2023 जो कि जनपद भदोही के ग्राम-जोधापुर पोस्ट-मतेथू में अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक है प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

श्री पंकज कुमार मलिक, मा0 सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 23-08-2023 द्वारा श्री राम आसरे, ग्राम जोधापुर, पोस्ट-मतेथू, जनपद-भदोही का अनुसूचित जाति (भांतू) का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में की गयी अपेक्षा के क्रम में समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 22-09-2023 द्वारा निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पत्र दिनांक 17-11-2023 द्वारा श्री राम आसरे का अनुसूचित जाति (भांतू) का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, भदोही को निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-20 पर भंतू अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम चतुर्भुज-जरौटा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

182-डॉ0 रागिनी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम चतुर्भुज जरौटा मार्ग के निर्माण की सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

उप निदेशक (निर्माण) वाराणसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग जरौटा से चुतर्भुजपुर लम्बाई 1.50 किमी0 मण्डी परिषद् के स्वामित्व का है। 1.50 किमी0 लम्बाई में से 1.00 किमी0 की मरम्मत जिला पंचायत जौनपुर द्वारा करा दिया

गया है, शेष 0.50 किमी0 की मरम्मत हेतु दिनांक 07-10-2023 को बजट आवंटित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत जमीन अधिग्रहण व मुआवजा का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

183-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में कितने किसानों की कितनी जमीन अधिग्रहण की गयी है तथा कितना मुआवजा अवार्ड कर कितना मुआवजा वितरित हुआ है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त भूमि कितने मुल्य पर किसको आवंटित की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जनपद कानपुर नगर में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत 370 किसानों की कुल 21.9371 हे0 भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा भूमि का अवार्ड कर मुआवजा कुल रु0 24.73 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसमें से कुल रु0 9.36 करोड़ प्रतिकर धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

उक्त अधिग्रहीत भूमि डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर से सम्बन्धित पांच इकाइयों को रु0 1,47,28,92,858/- आवंटित किया गया है।

लखनऊ नगर निगम क्षेत्र स्थित गांव रहीम नगर डुडौली स्थित गाटा संख्या-48, क्षेत्रफल 1.012 हेक्टेयर भूमि के कतिपय भू-भाग पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराये जाने के सम्बन्ध में

184-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम क्षेत्र स्थित गांव रहीम नगर डुडौली स्थित गाटा संख्या-48, क्षेत्रफल 1.012 हेक्टेयर भूमि के कतिपय भू-भाग पर अवैध अतिक्रमण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण के दोषियों का चिन्हीकरण करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही तथा अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फैजुल्लागंज, लखनऊ की स्थापना हेतु जनपद-लखनऊ के तहसील सदर, परगना-लखनऊ, ग्राम-रहीम नगर, डुडौली में नगर निगम लखनऊ की गाटा संख्या-48 क्षेत्रफल 1.012 हेक्टेयर आवंटित की गयी भूमि को भवन निर्माण

हेतु अनुपयुक्त पाये जाने के कारण निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के पत्र दिनांक 15-12-2022 द्वारा उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है, से जिलाधिकारी, लखनऊ को अवगत कराते हुए उक्त आवंटित भूमि के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध जिलाधिकारी, लखनऊ से किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पावरलूम बुनकरों के लिए वर्तमान में फ्लैट रेट पर बिजली बिल भुगतान की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में

185-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पावरलूम बुनकरों के लिए वर्तमान में फ्लैट रेट पर बिजली बिल भुगतान की व्यवस्था लागू की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिए फ्लैट रेट पर बिजली बिल भुगतान की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

वर्तमान में पावरलूम बुनकरों की मांग के अनुसार पुनः फ्लैट रेट पर पावरलूम बुनकरों को विद्युत बिल का भुगतान करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 06-04-2023 द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:20] मा0 मुख्य मंत्री एवं मा0 वित्त मंत्री की तरफ से आज दिनांक 30-11-2023 एवं कल 01-12-2023 को मा0 सदस्यों हेतु मध्यान्ह भोज की सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष-

एक महत्वपूर्ण सूचना है, आज से अनुपूरक बजट पर चर्चा प्रारम्भ है, कल भी यह जारी रहेगी। तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से इस बात की अपेक्षा की और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने सूचना दी है कि मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर आज का लंच मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 वित्त मंत्री जी की तरफ से होगा। आज के लिए तो उन्होंने लिखकर भेजा है, कल के लिए भी मेरा निवेदन है कि कल भी कर देंगे।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, दो दिन के लिए तो हमारा खाना फ्री, धन्यवाद। आज नियम-301 के अन्तर्गत 76 सूचनायें प्राप्त हुयीं।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या-8 पर प्रश्नकर्ता के द्वारा बहिर्गमन किया गया उसके बाद प्रश्न संख्या-9, उसमें प्रश्नकर्ता यहाँ मौजूद थे, हम सब बाहर चले गये उसके बाद प्रश्न संख्या-10 का भी प्रश्नकर्ता यहाँ मौजूद था, मान्यवर, मैंने उपस्थिति भी दर्ज करायी। आपने जब नाम पुकारा तो मैंने उपस्थिति दर्ज करायी कि मैं उपस्थित हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप नहीं थे। अगर आप थे तो आपने पार्टी के आदेश का उल्लंघन किया। वह मैं अग्राह्य करता हूँ क्योंकि मैंने आवाज दी तो आप नहीं थे तो अगला प्रश्न ले लिया।

नियम-301 एवं नियम-51 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं की ग्राहयता सम्बन्धी मा0 अध्यक्ष के निर्देश

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 के अन्तर्गत कुल 76 सूचनाओं प्राप्त हुयीं। मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। आज बहुत सारी सूचनाएं आयी थीं। यह जो नियम-301 और नियम-51 की सूचनाएँ होती हैं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि प्लीज मेरी बात का संज्ञान लेंगे। यह जो नियम-301 और नियम-51 की सूचनाएं होती हैं यह सुबह 10 बजे तक ली जाती हैं और उसके बाद उनमें से शलाका के आधार पर हम निर्णय करते हैं कि कौन-कौन सी सूचनाएं ली गयीं। हम सबको मालूम है कि हम सब लोग जो भी सूचना देते हैं उसके लिए ग्राहयता का एक मानक बना हुआ है कि कौन सी ग्राहय होंगी और कौन सी अग्राहय होंगी। तो मेरा सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि ग्राहयता के ऊपर उसको पढ़ लें जो भी सूचना ग्राहय होंगी, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि सभी मा0 सदस्यों की सूचना लेने के बाद 10-15 मिनट के अंदर सभी सूचनाओं की ग्राहयता देख ली जाये। लेकिन मैं सूचना ले लेता हूँ इस विश्वास के साथ कि वह सूचनाएं ग्राहय होंगी। अगर वह ग्राह्यता के अन्तर्गत नहीं आती तो सूचनाएं स्वीकार होने के बाद भी मैं उसको अस्वीकार कर सकता हूँ और करूंगा। इसलिए सब लोग ग्राहयता के ऊपर देख लें। यह बताना इसलिए महत्वपूर्ण था कि 76 सूचनायें आज प्राप्त हुयीं, आज मेरे द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी मा0 सदस्यों की जिन्होंने नियम-301 और नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं दी हैं तो एक न एक नियम में हम

सभी की सूचना स्वीकार करेंगे। तो मैंने आज नियम-301 के अन्तर्गत 76 सूचनाओं में से 58 सूचनाएं स्वीकार की हैं। उनकी सूची देख लेंगे। तो जिन्होंने भी दिया था उन सभी लोगों की सूचनाएं या तो नियम-301 के अन्तर्गत या नियम-51 के अन्तर्गत स्वीकार कर ली गयी हैं। लेकिन इसकी ग्राहयता जरूर हमारा सेक्शन तय कर लेगा, सभी जो ग्राह्य होगीं वह सभी सूचनाएं स्वीकार मानी जायेंगी। ठीक है।

(सभी सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

[12:22] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनाँक 30 नवम्बर, 2023 को नियम-301 के अन्तर्गत 76 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी की महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली के तत्कालीन कार्य परिषद् के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राज प्रसाद उपाध्याय की जनपद सुल्तानपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर मार्गों का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू की जल निगम ग्रामीण द्वारा भारी पैमाने पर किए गए अनियमितता की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री सुरेन्द्र चौरसिया की जनपद देवरिया के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता व अन्य लोगों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री स्वामी ओउ्मवेश की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में फीना धनौरा मार्ग से मुस्तफाबाद मलेशिया तक मार्ग का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री रमेश सिंह की जनपद जौनपुर के शाहगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की फायर विभाग के द्वारा एन0ओ0सी0 दिये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सन्दीप सिंह की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड उरुवा के अन्तर्गत नीबी सम्पर्क मार्ग से डांडी कुर्मी बस्ती सड़क का निर्माण/मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की जनपद अमरोहा के नौगावां सादात विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरखेड़ा में साफ सफाई एवं रास्तों का पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा परसक टुई राजू सिंह के खेत से दलित बस्ती तक सम्पर्क मार्ग बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री प्रेम नरायन पाण्डेय की जनपद गोण्डा व बहराइच के मध्य बहने वाली टेढ़ी नदी की साफ सफाई कराने तथा विलुप्त होने से बचाए जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री रमा शंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के अन्तर्गत सिंचाई की समस्या के निदान हेतु शोमऊ माइनर की पाइप लाइनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना डॉ0 डी0सी0

वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के अन्तर्गत कतिपय नदियों पर पुल बनाए जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री कैलाश नाथ की जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरदौलिया बनकटवा मार्ग पर सड़क व पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री अशोक कुमार की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सलोन के ग्राम सभा रजियापुर में मट्टन नाले पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के जिला परिवहन सम्भागीय अधिकारी, मथुरा एवं खनन विभाग के अधिकारी की मिली भगत से हो रहे राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में हैं, सत्रहवीं सूचना श्री विवेक कुमार वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत ईंटगांव तथा दियोरिया कला में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना जनपद बुलन्दशहर के स्याना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के ग्राम धमैड़ा से स्याना रोड के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, बींसवी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा व चंदौका के बीच चमरौधा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के पुवांया के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा मे0 बैसिल कम्पनी की कार्य प्रणाली जानने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री ब्रजभूषण राजपूत की नगर पालिका चरखारी जनपद महोबा में नियुक्त फर्जी अधिकारी की जाँच के सम्बन्ध में है, तेइसवीं, सूचना श्री राम रतन कुशवाहा की जनपद ललितपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घण्टाघर से गोविन्द सागर डैम तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह पटेल की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत ग्राम बसंत खेड़ा से सुल्तानगढ़ मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में हैं, पच्चीसवीं सूचना श्री मोहन वर्मा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के पगरा रामनगर-सोहसा सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूर की उत्तर प्रदेश विकास परिषद् झांसी द्वारा तालपुरा योजना झांसी के अन्तर्गत कब्जा की गई किसानों की जमीन को मुक्त कराए तथा मुआवजा दिलाए जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री अतुल प्रधान की जनपद मेरठ के सरधना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत के हो रहे विकास कार्यों के शिलापट पर जनप्रतिनिधि का नाम न लिखे जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री गुरु प्रसाद मौर्य की जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मनसइता नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, उनतीसवीं सूचना बम्बा लाल की निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे पर बिरसिंह पुर व गोपीखेड़ा के बीच बड़ा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री ओम प्रकाश की उ0प्र0 में बिजली विभाग द्वारा प्रत्येक जिले को आवंटित 20 करोड़ रुपये के उपरान्त टेण्डर प्रक्रिया नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्रीमती सरोज कुरील की जनपद कानपुर नगर

के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के ग्राम पंचायत रार में उमाशंकर मिश्र के खेत से सिहूपुर सरहद तक जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना डॉ0 अजय कुमार की जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के बिजवाड़ा की पटरी से माखर तक बने पटरी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैतीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं सूचना श्री अमरेश कुमार की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत 100 बेड का हास्पिटल बानाये जाने के सम्बन्ध में हैं, पैतीसवीं सूचना श्री महबूब अली की पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास, सिंचाई विभाग की निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु प्रहरी ऐप की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री बेदी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां मे कतिपय मार्गों एवं पुलों का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में हैं, सैंतीसवीं सूचना श्री त्रिभुवन की जनपद अम्बेडकर नगर के आलापुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर में आवासीय बिल्डिंग तथा डॉ0 की तैनाती के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री विशम्भर सिंह यादव की जनपद बांदा के बबेरू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कैनाज राजवाह के स्थान पर जनहित में सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में हैं, उन्तालीसवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के अन्तर्गत स्थित सैदपुर घाट मार्ग से माथेला मार्ग की विशेष मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में है, चालिसवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव के ग्राम अजीतगंज में ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालिसवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत टौस माड़ी के ऊपर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना मो0 ताहिर खान की जनपद सुल्तानपुर के ईसौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अलीगंज में सी0एच0सी0 की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में है, तैतालिसवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पानी की टंकी बनाए जाने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना श्रीमती विजमा यादव की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में राजकीय महिला कालेज या महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में हैं, पैंतालिसवीं सूचना श्री राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम सभा बेंती में राजकीय हाई स्कूल गर्ल्स कॉलेज को इन्टर कॉलेज में उच्चीकृत कराए जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूं के दातागंज विधान सभा क्षेत्र में रामगंगा नदी पर ब्लॉक समरेर के ग्राम पुढ़ता तथा नगरिया छानू अप्रोच मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री जाहीद की

भदोही विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निप्पन त्रिमुहानी का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री बेचई सरोज की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के संयुक्त चिकित्सालय लालगंज में किडनी व हृदय रोग के चिकित्सक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री रमेश जायसवाल की नगर पालिका परिषद् पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर के अन्तर्गत जी0 टी0 रोड चन्धासी से परशुरामपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में मोटा आम से आजाद चौक तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री राम अवतार सिंह की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत बुढ़नपुर के ग्राम-हल्दुआ रामपुर से कांठ रोड पर कडूला नदी के पुल तक 02 किमी0 पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रामदासपुर में यमुना नदी पर सेतु निर्माण में बरती जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री पंकज पटेल की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत मुंगराबादशाहपुर में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना डा0 वीरेन्द्र यादव की जनपद गाजीपुर के मेडिकल कालेज में चिकित्सकों तथा दवा की उपलब्धता के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बहेड़ी सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है तथा अट्ठावनवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चलने वाले खनिज से भरे वाहन का मानक निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएँ अस्वीकृत हुईं :-

श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री जियाऊर्रहमान, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री पल्टूराम, श्री राम फेरन पाण्डेय, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री प्रेमसागर पटेल, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री मनीष रावत, श्रीमती इन्द्राणी देवी, श्री अनिल प्रधान, श्री आशु मालिक, श्री रफीक अंसारी, श्री मनोज कुमार पारस, श्री मौहम्मद फहीम इरफान, डॉ0 वीर विक्रम सिंह तथा श्री देवेन्द्र कुमार निम।

जनपद बरेली में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के तत्कालीन कार्य-परिषद् के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में इंजीनियरिंग संकाय, दर्शनशास्त्र, अंग्रेजी, सोशल वर्क तथा क्लीनिकल साइकोलॉजी को तत्कालीन कार्य परिषद् के प्रस्ताव द्वारा स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संज्ञान में आया है कि विगत कुछ वर्षों से उक्त विभागों/पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को नियमित विभागों की तरह भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान समय में उक्त विभागों/पाठ्यक्रमों की स्थिति स्ववित्तपोषित अथवा नियमित है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज प्रसाद उपाध्याय

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के गम्भीर विषय को लाना चाहता हूँ। जो मेरी विधान सभा क्षेत्र-189, सदर के अधिकांश हिस्से से जनपद सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण हुआ, जिसके निर्माण के दौरान लोडेड ट्रकों व डम्फरों के चलने के कारण कई रोड बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, परन्तु अभी तक मरम्मत नहीं करायी गयी है, जिससे स्कूली बच्चों तथा आम जनमानस को आने जाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। उक्त मार्ग जर्जर होने के कारण आये दिन अप्रिय घटना होती रहती है।

अतः जनहित में इस गम्भीर विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल मेरी विधान सभा की विरसिंहपुर से बगिया गांव होते हुए दियरा सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान ध्वस्त हो गयी है, उनके पुनर्निर्माण की सरकार से मांग करता हूँ।]

जल निगम ग्रामीण द्वारा भारी पैमाने पर किए गए अनियमितता की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

[मान्यवर, उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि जल निगम ग्रामीण द्वारा भरी पैमाने पर सरकार की योजनाओं के आवंटित पैसे का बन्दरबांट किया गया है। जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर जांच कराकर कार्यवाही किया जाये :-

1-सरकार की अनेक योजना जिसमें मरम्मत के लिए धनराशि आयी थी, जो बिना काम कराये ही धनराशि निकाल ली गयी है, जबकि कुशीनगर जिले की 80 प्रतिशत योजनाएं बन्द हैं।

2-टेण्डर प्रक्रिया में जो भी जमानत राशि जमा हुयी, उस जमानत राशि के रसीद की जांच करायी जाये।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-अधिकतर कार्यों का बाण्ड बनाकर कार्य हुए उसका विज्ञापन नहीं निकाला गया है। किस-किस तारीख में किस समाचार-पत्र में निकाला गया।

4-मेन्टीनेंस हेतु शासन द्वारा 07 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित हुयी थी, जो अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर द्वारा बन्दरबांट कर लिया गया, जिसके कारण सारी योजना बन्द हो गयी।

5-पूर्व सरकार द्वारा चालायी जा रही योजनाओं के टेण्डर को निरस्त करके अपने चहेते को बिना टेण्डर निकाले/विज्ञापन निकाले चहेते ठेकेदार के बाण्ड बनाये गय हैं। एक ही ठेकेदार को सी0बी0 नं0-03 से 23 तक दे दिया गया।

6-विभाग द्वारा करायी गयी विभिन्न योजनायें जो निम्नलिखित हैं :-

1-कुड़वा बरहन पेय योजना, 2-कुड़वा दिलीपनगर पेय योजना, 3-रामपुर बंगरा पेय योजना, 4-गुरूवलिया पेय योजना, 5-खड्डा पेय योजना, 6-चौपतिया पेय योजना, 7-हथिया पेय योजना, 8-गड़हिया पेय योजना, 9-गोपालपुर पेय योजना, 10-बड़हरा पेय योजना, 11-होरलापुर पेय योजना।

उपरोक्त योजनाओं की जांच करायी जाये जिन पर धनराशि खर्च हुई है, प्रकरण भ्रष्टाचार से जुड़ा अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद देवरिया के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता व अन्य लोगों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

[मान्यवर, सदन के माध्यम से अवगत कराना है कि जनपद देवरिया के निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग देवरिया के अधिशासी अभियन्ता व अन्य लोगों के मिली-भगत से विभाग के कार्यों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितता की जा रही है। विभागीय मिली-भगत से विभिन्न मार्गों पर शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ठेकेदारों से मिली-भगत कर निविदा के समय में निविदा की दर में रेट दर कम डालकर तथा बाद में भुगतान के समय व्यापक अनियमितता की जा रही है। जिस सम्बन्ध में कुछ मार्गों का नाम निम्न है :-

1-जनपद देवरिया के विकास खण्ड रामपुर कारखाना में सिधुआ से चांदपार मार्ग की वर्ष 2022-23 में शासन से सामान्य मरम्मत हेतु 39.98 की स्वीकृति मिली, जिसकी निविदा के बाद न्यूनतम दर वाले फर्म को अनुबन्ध संख्या-81/ईई/20-08-2022 रु0 2789935/-की अनुबन्ध गठन कर कार्य प्रारम्भ की गयी, जिसमें अनुबन्ध के अनुसार 3 किमी0 सड़क का

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सामान्य मरम्मत करना था। परन्तु फर्म द्वारा 3 किमी0 की जगह (1200+500+500=2200 मी0) ही कार्य कराया गया। परन्तु विभागीय अनियमितता का आलम यह है कि 3 किमी0 कार्य के 2789935/-रुपये के भुगतान के स्थान पर मात्र 2200 मीटर कार्य का विभाग द्वारा 46.64 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जो भारी भ्रष्टाचार को दर्शाता है। इस प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत धनराशि के बाहर जाकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुये 46.34 लाख का भुगतान किया गया।

2-जनपद देवरिया के प्रमुख जिला मार्ग व अन्य जिला मार्गों पर रोड सेप्टी की निविदा निकाली, जिसमें नियमानुसार न्यूनतम दर 15 प्रतिशत विभागीय दर से कम पर प्रकाश एण्ड प्रताप नामक फर्म को 129/ईई/10-03-2021 अनुबन्ध गठित कर कार्य आवंटित किया गया, परन्तु उक्त फर्म के स्थान पर उसी निविदा में विभागीय दर से मात्र 5 प्रतिशत कम दर पर प्रतिभाग किये बिना एक दूसरे फर्म के दूसरे अनुबन्ध पर वाउचर संख्या-375/3/2023 पर भुगतान कर बिना सेफ्टी कार्य कराये धन का आपस में बन्दरबांट कर लिया गया, जो व्यापक अनियमितता को दर्शाता है।

3-जनपद देवरिया के विकास खण्ड रामपुर कारखाना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में हिरन्दापुर से डुमरी सम्पर्क मार्ग पर 1.76 करोड़, धुस देवरिया से बंजरिया सम्पर्क मार्ग पर 2.50 करोड़ एवं तरकुलवा से बंजरिया मार्ग पर 250 करोड़ शासन द्वारा धन अवमुक्त हुआ, जबकि उक्त मार्ग पर जिस फर्म ने कार्य किया था, उसके अनुबन्ध के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में कार्य के उपरान्त भुगतान कर उक्त अनुबन्ध को पूर्ण भुगतान कर कार्य समाप्त कर दिया गया, परन्तु उसी मार्ग पर दुबारा धन की डिमांड कर अधिशासी अभियन्ता व अन्य सम्बन्धित लोगों की मिली-भगत से अन्य मार्गों पर गठित अनुबन्धों पर फर्जी देयक तैयार कराकर एवं भारी मात्रा में विचलन बनवाकर फर्जी भुगतान कर दिया गया। इस व्यापक भ्रष्टाचार का उच्च स्तरीय जांच कराकर कठोर कार्यवाही की जाये।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य दिये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में फीना-धनौरा मार्ग से मुस्तफाबाद मलेशिया तक मार्ग का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ। मेरे जनपद की विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर में फीना-धनौरा मार्ग सें मुस्तफाबाद मलेशिया तक की डामरीकृत सड़क का निर्माण मण्डी समिति चाँदपुर द्वारा कराया

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया था। जो इस समय बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इस मार्ग पर गहरे-गहरे गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटना हो रही है। इस मार्ग सें आवगमन बिल्कुल बाधित हो रहा है, मार्ग खराब होने के कारण यहां के किसान, व्यापारियों, आम नागरिकों, छात्रों को बहुत कठिनाई होती है। अतः इस मार्ग की विशेष मरम्मत कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के शाहगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-जौनपुर की शाहगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न मार्गों का सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

1-जनपद-जौनपुर अन्तर्गत विकास खण्ड-सुइथाकलाँ के ग्राम पंचायत-खानपुर (एकडला) बिन्द बस्ती से कोरियाडीह ब्राह्मण बस्ती तक पिच सड़क का निर्माण। (लम्बाई 1.5 किमी0)

2-जनपद-जौनपुर अन्तर्गत विकास खण्ड-सुइथाकलाँ स्थित बूढ़ूँपुर-बासूपुर पिच सड़क से कोरियाडीह ओम प्रकाश दुबे के घर तक पिच सड़क का निर्माण। (लम्बाई 700 मी0)

3-जनपद-जौनपुर अन्तर्गत विकास खण्ड-सुइथाकलाँ के ग्राम पंचायत सुइथाकलां में पट्टीनरेन्द्रपुर-सरपतहाँ मार्ग स्थित बन्टी वर्मा के घर से मौर्य बस्ती तक पिच सड़क का निर्माण। (लम्बाई 1 किमी0)

4-जनपद-जौनपुर अन्तर्गत विकास खण्ड-सुइथाकलाँ के बासूपुर पिच सड़क से बूड़ूपुर सम्पर्क मार्ग तक पिच सड़क का निर्माण। (लम्बाई 1.3 किमी0)

5-जनपद-जौनपुर अन्तर्गत विकास खण्ड-शाहगंज (सोंधी) स्थित गोरारी निजमापुर मेन रोड से लिंक रोड एम0 ए0 आदम स्कूल से लेकर श्मशान घाट तक पिच सड़क का निर्माण। (लम्बाई 2 किमी0)

अतः आपसे अपेक्षा है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फायर विभाग के द्वारा एन0ओ0सी0 दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश फायर विभाग द्वारा विकास प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद् अथवा जिला पंचायत द्वारा नक्शा पास किये जाने के बावजूद भी अग्निशमन की एन0ओ0सी0 मिलने में बहुत परेशानी होती है। कई बार मानक पूरे कर देने के पश्चात् भी अग्निशमन की एन0 ओ0 सी0 नहीं मिलती है। अगर कोई भवन स्वामी यूं चाहे कि फायर विभाग को ही काम करने का सारे मानक मान लिये जायें। उसके बावजूद एन0ओ0सी0 नहीं मिल पाती है। अतएव ऐसे में फायर विभाग के मानकों का स्पष्टीकरण किये जाने एवं ऐसा कोई संस्थान बनाये जाने की आवश्यकता है, जिसमें बिल्डिंग का नक्शा जमा किये जाने पर सारा फायर संसाधन जुटाने का काम उस संस्था द्वारा ही किया जाये, ताकि किसी प्रकार की दुविधा से बचा जाये। हम लोग फायर विभाग की एन0ओ0सी0 में आने वाली जटिलताओं को ले करके परेशान होते हैं। फायर विभाग की नार्म्स का स्पष्टीकरण आज के मानक के अनूरूप किया जाये, ताकि फायर की घटनाओं से बचा जा सके एवं आसानी से फायर की एन0ओ0सी0 भी लोगों को प्रदान हो सके और फायर के सारे मानकों का मौके पर पूरा भी कराया जाना सम्भव हो सके।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त पर कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड उरुवा के अन्तर्गत नीबी सम्पर्क मार्ग से डांडी कुर्मी बस्ती में सड़क का निर्माण/मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संदीप सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड उरुवा के ग्राम सभा नीबी सम्पर्क मार्ग से डांडी कुर्मी बस्ती जिसमें लगभग हजारों जनसंख्या की आबादी है बस्ती के चारो तरफ का मार्ग अत्यधिक गड्ढामय एवं जर्जर हालात में होने के कारण ग्रामवासियों के आवागमन में अत्यधिक असुविधायें होती हैं एवं शादी-विवाह जैसे अन्य सामाजिक कार्यक्रम के लिए कोई भी वाहन या फिर ग्रामवासियों को भारी परेशानियों के साथ-साथ ही बारिश के मौसम में अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर ध्यान आकर्षित कराते हुए ग्राम सभा नीबी सम्पर्क मार्ग से डांडी कुर्मी बस्ती के चारो तरफ सड़क का निर्माण/मरम्मतीकरण कराये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमरोहा के नौगावां सादात विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरखेड़ा में साफ-सफाई एवं रास्तों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात जनपद-अमरोहा, ब्लाक अमरोहा के ग्राम बरखेड़ा में अभी तक नाली व सड़क नहीं बनी है। गांव में टूटी-फूटी कच्ची गन्दगी युक्त रास्ते हैं। गांव के बच्चों को स्कूल आने-जाने में काफी परेशानी होती है। गांव का सर्वे कराकर कच्चे व टूटे-फूटे रास्तों का पक्का कराया जाना व सफाई भी कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा परसकटुई राजू सिंह के खेत से दलित बस्ती तक सम्पर्क मार्ग बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[मान्यवर, जिला-अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा परसकटुई राजू सिंह के खेत से दलित बस्ती तक का सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का नव निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद गोण्डा व बहराइच के मध्य बहने वाली टेढ़ी नदी की साफ-सफाई कराने तथा विलुप्त होने से बचाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-गोण्डा व बहराइच के बीच ऐतिहासिक महत्व रखने वाली जीवनदायिनी टेढ़ी नदी (कुटिला नदी) बहती है। यह नदी जनपद-बहराइच के चितौरा झील से निकल कर जनपद-गोण्डा के कटरा, हलधरमऊ, परसपुर, बेलसर, तरबगंज, नवाबगंज होते हुए पवित्र सरयू नदी अयोध्या में विलीन हो जाती है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 232 किमी0 है, जिसमें से लगभग 97 किमी0 लम्बाई भाग मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। यह नदी घूम-घूम कर अपने टेढ़े-मेढ़े स्वरूप से कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाती

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। इसी नदी के तट पर राजा सुहेलदेव ने आतताइयों से युद्ध करके हिन्दू धर्म की रक्षा की थी एवं टेढ़ी नदी के तट पर ही मेरे विधान सभा क्षेत्र-299, तरबगंज की ग्राम पंचायत अमदही में महाराजा जनक के गुरू अष्टावक्र मुनि का आश्रम भी स्थित है, परन्तु वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं एवं ऐतिहासिक घटनाओं को संजोए हुए इस टेढ़ी नदी पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण जहां एक तरफ नदी का क्षेत्रफल सिकुड़ता जा रहा है वहीं अधिकांश जगहों पर नदी के आस-पास खेत बन गये हैं, जिससे नदी नाले का रूप ले चुकी है। चीनी मिलों का गन्दा पानी व हजारों टन कचरा फेंके जाने के कारण नदी का पूरा पानी काला पड़ गया है। जलकुम्भी व सदाबहार नदी को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है तथा सिल्ट जमा होने के कारण जल स्तर भी काफी घट गया है, जिससे यह जीवनदायिनी टेढ़ी नदी धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है, जिसका अस्तित्व बचाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। इस नदी की साफ-सफाई व जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29-09-2023 को आयोजित प्राक्कलन समिति के बैठक में प्रमुख सचिव (सिंचाई), उ0प्र0 शासन, लखनऊ से वार्ता हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर जिलाधिकारी, गोण्डा से बात करेंगे। ऐसे में मनरेगा योजनान्तर्गत बजट कम होने के कारण इस नदी की साफ-सफाई व जीर्णोद्धार कराना सम्भव नहीं है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद-गोण्डा की ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व रखने वाली जीवनदायिनी टेढ़ी नदी (कुटिला नदी) के अस्तित्व को बचाने हेतु सिल्ट सफाई व जीर्णोद्धार कराने की कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के अन्तर्गत सिंचाई की समस्या के निदान हेतु शोभऊ माइनर की पाइप लाइनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नुनौटी बांध से निकली राइट नहर से शोभऊ माइनर लम्बाई 1 किमी0 की पक्की लाइनिंग कराया जाना जरूरी है। लाइनिंग न होने से किसानों के खेत तक पानी नहीं जा पाता, उक्त माइनर पर अत्यधिक अनु0 जाति व पिछड़ी जाति के गरीब किसानों का खेत है। पानी खेतों तक न पहुँचने के कारण फसले बर्बाद हो जाती हैं और इस क्षेत्र, किसान भुखमरी के कगार पर हैं। जनहित में शोभऊ माइनर की पक्की लाइनिंग पाइप द्वारा कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए किसानों के सिंचाई की समस्या के निदान हेतु नुनौटी बांध के राइट नहर से निकली शोभऊ माइनर की पाइप लाइनिंग कराने की कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के अन्तर्गत कतिपय नदियों पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-119, मीरगंज जनपद बरेली के अन्तर्गत कस्बा फतेहगंज पश्चिमी व दिबना के बीच दिजौड़ा नदी व नरखेड़ा व सिधौली के बीच भाखड़ा नदी पर पुलों का निर्माण कार्य जनहित में सरकार के पास हस्तान्तरित कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरदौलिया-बनकटवा मार्ग पर सड़क व पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाथ नाथ-

[मान्यवर, जिला बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र की सीमा तक जाने वाली सड़क बरदौलिया-बनकटवा मार्ग की सीमा सुरक्षा एवं जन-सामान्य के आवागमन के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। जिस पर पढ़ने वाले कचनी नाले पर पूर्व में पुल बना था। उक्त सड़क एवं पुल दोनों ध्वस्त हो गये हैं। जिनका निर्माण कराया जाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सलोन के ग्राम सभा रजियापुर में मट्टन नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सलोन के ब्लॉक-छतोह में ग्राम सभा रजियापुर में मट्टन नाले पर पुल न होने के कारण लगभग 15-20 हजार ग्रामीणों को 14-15 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है, जिस कारण से ग्रामीणों के समय की व धन की बर्बादी होती है, यदि इस नाले पर पुल का निर्माण करवा दिया जाता है, तो इससे हजारों ग्रामीण लाभान्वित होंगे। जनहित में ग्राम सभा रजियापुर मट्टन में नाले पर पुल का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के जिला परिवहन सम्भागीय अधिकारी, मथुरा एवं खनन विभाग के अधिकारी की मिली-भगत से हो रहे राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद मथुरा में मथुरा बाइपास टाउनशिप वाया गोकुल बैराज एक्सप्रेस-वे एवं मसानी चौराहा वाया विरला मंदिर 100 शैया अस्पताल वृन्दावन, एक्सप्रेस-वे, भरतपुर रोड सौख रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, मण्डी चौराहा से मसानी वृन्दावन पानी गांव होते हुए यमुना एक्सप्रेस-वे पर रात को प्रतिदिन ओवरलोडिंग गाड़ियों (गिट्टी, पत्थर इत्यादि) लेकर अनुचित प्रक्रिया अपनाकर जिला परिवहन सम्भागीय अधिकारी मथुरा व एवं खनन विभाग के अधिकारी की मिली-भगत से वाहन स्वामियों से सिंडिकेट बनाकर निकाला जा रहा है, जिससे सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपये राजस्व की क्षति पहुंचायी जा रही है। इतना ही नहीं इसके कारण सड़का का निर्माण ओवरलोडिंग होने के कारण खराब व जीर्ण-शीर्ण हो रहा है। जनहित में उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम् कार्यवाही कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत ईटगांव तथा दियोरियाकलाँ में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेक कुमार वर्मा-

[मान्यवर, ज्ञातव्य हो कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-130, बीसलपुर के अन्तर्गत ईटगाँव परिक्षेत्र में कन्या माध्यमिक विधालय तथा दियोरिया कलाँ परिक्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय का अभाव है। जिससे कि शिक्षार्थियों को भारी असुविधा हो रही है, जिस हेतु प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा संस्तुतियाँ भी की गयीं तथा भूमि को भी प्रस्तावित किया है, लेकिन अब तक शासन स्तर से वांछनीय कार्यवाही स्थापना हेतु नहीं हो सकी है, जबकि उक्त संस्थाओं की स्वीकृति एवं स्थापना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर व्यक्तव्य दिलवाये जाने की कृपा की जाये तथा सदन में चर्चा भी करायी जाये।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के स्याना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटे होने के कारण गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है इससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिससे की मरीजों को लेकर 50 से 60 किलोमीटर तक जाना पड़ता है कभी-कभी तो दूरी होने के कारण मरीज रास्ते में दम तोड़ देता है इसलिए मेरी विधान सभा क्षेत्र में 80-100 बैड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आप के माध्यम से लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के सैदपुर रोड के ग्राम धमैड़ा से स्याना रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर विधान सभा क्षेत्र-65, में सैदपुर रोड़ के ग्राम धमैड़ा से बुलन्दशहर स्याना रोड को ग्राम इमलिया पर जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण लम्बाई लगभग 5 किमी0 इससे क्षेत्र की जनता को लाभ होगा इस रास्ते से लगभग 30 गांव के लोग गुजरते हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा व चन्दौका के बीच में चमरौधा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-248, प्रतापगढ़ के ग्रामीण अंचलों में आवागमन हेतु वि0ख0 मंगरौरा, ग्राम-सरायशंकर व चन्दौका के बीच में चमरौधा नदी पर पुल बन जाने से इस क्षेत्र के ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, कृषि, परिवहन तथा अन्य छोटे मोटे रोजगार परक कार्यों को करने में सुविधा होगी, तथा ग्रामीण बच्चों को शिक्षा आदि कार्यों के लिये आने-जाने में आसानी होगी पुल को जनहित में बनवाया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर के पुवायां के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा मे0 बैसिल कम्पनी की कार्य प्रणाली जानने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चेतराम-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-134, पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर अन्तर्गत विद्युत विभाग मध्यांचल द्वारा मैसर्स बैसिल कम्पनी को आउटसोर्सिंग भर्ती का ठेका दिया गया है जो कर्मचारियों को संविदा पर रख रहे हैं पिछले 01 वर्ष में कितनी भर्तियाँ मेरे विधान सभा क्षेत्र में की गयी है। मैं जानना चाहता हूँ कि भर्ती की प्रक्रिया एवं मानक क्या हैं ? क्या मेसर्स बैसिल कम्पनी द्वारा सीधे विद्युत विभाग में कर्मचारियों की तैनाती की जाती है या विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों की स्क्रीनिंग भी की जाती है ?

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद महोबा के नगर पालिका, चरखारी में नियुक्त फर्जी अधिकारी की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रजभूषण राजपूत-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 13/06/2023 व 05/09/2023, दो बार पत्र प्रेषित कर नगर पालिका चरखारी जनपद महोबा में आय्यूब खाँ उर्फ परवेज की फर्जी नियुक्ति कराकर सराकरी कोष से राजकोषीय घनराशि के आहरण की शिकायत की गयी थी उक्त शिकायत को सही पाते हुए मुख्य विकास अधिकारी महोबा के द्वारा अपनी जाँच अख्या 19 जून, 2023 को प्रस्तुत आख्या प्रेषित करते हुए तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं चेयरमैन तथा नौकरी प्राप्त करने वाले आय्यूव खाँ उर्फ परवेज को दोषी पाया गया है किन्तु दोषियों के विरुद्ध अपराधिक एवं विभागीय कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः आपसे आग्रह है कि दोषियों के विरुद्ध अपराधिक एवं विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ फर्जी नियुक्ति के माध्यम से प्राप्त वेतन/धनराशि राजकीय कोष की वसूली किये जाने तथा अन्य कानूनी कार्यवाही को उचित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने की कृपा करें।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद ललितपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घण्टाघर से गोविन्द सागर डैम तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम रतन कुशवाहा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के नगर ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत पानी की टंकी से घंटाघर होते हुए, गोविन्द सागर डैम के मुहाने तक पुराना सागर मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में आम जनमानस का आवगमन होता है। उक्त मार्ग नगर ललितपुर के मुख्य मार्ग की श्रेणी में आता है, जिस पर वर्षा के समय यातायात व्यवस्था बिगड़ जाती है। इस महत्वपूर्ण मार्ग को पक्का सी0सी0 रोड निर्माण किये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है। परन्तु जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिससे आम जनमानस में निराशा व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये, नगर ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत पानी की टंकी से घंटाघर होते हुए, गोविन्द सागर डैम के मुहाने तक पुराना सागर मार्ग के निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत ग्राम बसंत खेड़ा से सुल्तानगढ़ मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-238, जहानाबाद, जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम बंसतखेड़ा मार्ग से सुल्तानगढ़ क्षतिग्रस्त मार्ग निर्माण किया जाना है जिससे लगातार ग्रामवासियों को आने-जाने में विशेष असुविधा हो रही है। जोकि यह विकास खण्ड खजुहा से 3 किमी0 तक निर्माण कार्य होना है क्योंकि लगातार जनता द्वारा रास्ते के निर्माण कार्य की मांग की जा रही है, जिसका निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के पगरा रामनगर-सोहसा सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहन वर्मा-

[मान्यवर, उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा जनपद कुशीनगर के पगरा रामनगर सोहसा सम्पर्क मार्ग लम्बाई 8.3 किमी0 स्थिति काफी दयनीय है। जिस पर राहगीरों का चल पाना

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काफी दूभर हो रहा है। उक्त सड़क का व्यापक जनहित के दृष्टिकोण से चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न का सदन की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए पगरा रामनगर सोहसा तक लम्बाई 8.3 किमी0 अन्य जिला सम्पर्क मार्ग (ODR) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश विकास परिषद् झांसी द्वारा तालपुरा योजना झांसी के अन्तर्गत कब्जा की गई किसानों की जमीन को मुक्त कराने तथा मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

आवास एवं विकास परिषद, झांसी द्वारा विकसित की जा रही तालपुरा योजना के अन्तर्गत तालपुरा की खाता सं0-141, गाटा सं0-300/3 रकबा 0.2450 हे0 पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इससे प्रभावित किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी जमीन का न तो मुआवजा मिला है और न ही उनकी भूमि पर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, झांसी द्वारा कब्जा हटाया जा रहा है। खाताधारकों को राजस्व के अधिकारियों द्वारा यह लिखित रूप से बताया गया है कि उनकी उक्त जमीन पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् बी-1 तालपुरा योजना क्षेत्रफल 109.7 वर्ग मीटर पर अधिक काबिज है।

उक्त भूमि को आवास एवं विकास परिषद्, झांसी से कब्जा मुक्त कराया जाना अथवा उसका मुआवजा दिलाया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोकहित के इस मामले को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मेरठ के सरधना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत के हो रहे विकास कार्यों के शिलापट पर जन-प्रतिनिधि का नाम न लिखे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अतुल प्रधान-

[मान्यवर, अवगत करना है कि विधान सभा क्षेत्र सरधना में तीन नगर पंचायत लावड़, फलावदा एवं दौराला है। उक्त नगरों में जो भी विकास कार्य किये जा रहे हैं। उन पर लगने वाले शिलापटों पर स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के फलस्वरूप भी क्षेत्रीय विधायक का नाम अंकित नहीं किया जा रहा है, जो अत्यन्त खेद का विषय है। आप सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर पंचायतों में होने वाले कार्यों के शिलापटों पर क्षेत्रीय प्रतिनिधि का नाम अंकित करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

अतः आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मनसइता नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुरू प्रसाद मौर्य-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-254, फाफामऊ, प्रयागराज के विकास खण्ड सोरांव अन्तर्गत डेरागदाई से कुसुँगुर मार्ग पर मनसइता नदी में पुल न होने के करण क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना पड़ रहा है। मनसइता नदी पर पुल बनाये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है परन्तु शासन एवं प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हो सकी है जिससे क्षेत्रवासी 5-6 किमी0 दूरी तय करके दूसरी तरफ जाते हैं। इस स्थान पर पुल बन जाने से मात्र एक किमी से भी कम दूरी तय करके आवागमन सुचारू होगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड सोरांव अन्तर्गत डेरागदाई से कुसूँगुर मार्ग पर मनसइता नदी में पुल बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर अन्तर्गत निमार्णाधीन गंगा एक्स्प्रेस-वे पर बिरसिंहपुर व गोपी खेड़ा के बीच बड़ा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि जनता के सुगम आवागमन हेतु निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे पर बिरसिंहपुर व गोपीखेड़ा के बीच (पचकरिया स्थान) के पास बडा कट (बड़ा पुल) का निर्माण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है। महोदय इस क्षेत्र में जनता का अत्यधिक आवागमन रहता है।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत जनता के सुगम आवागमन हेतु निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे पर बिरसिंहपुर व गोपीखेड़ा के बीच (पचकरिया स्थान) के पास बड़ा कट (बड़ा पुल) का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा प्रत्येक जिले को आवंटित 20 करोड़ रुपये के उपरान्त टेण्डर प्रक्रिया नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि उ0प्र0 में बिजली विभाग द्वारा प्रत्येक जिले को 20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है जिसमें किसी भी जनपद में कोई टेण्डर प्रक्रिया नहीं गयी है। जिससे प्रदेश के बिजली विभाग में घोर अनियमितता की गयी है। उक्त कार्यों की जांच/प्रदेश स्तरीय कमेटी की जांच कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त कार्यों की जांच कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के ग्राम पंचायत रार में उमाशंकर मिश्र के खेत से सीहूपुर सरहद तक जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरोज कुरील-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि जनपद-कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर की ग्राम पंचायत रार में मण्डी परिषद् के द्वारा उमाशंकर मिश्र के खेत से सज्जन तिवारी का ट्यूबवेल होते हुए सीहूपुर शरहद तक जर्जर/क्षतिग्रस्त खड़न्जा मार्ग है। जिससे क्षेत्रवासियों को आवामगन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को अनेकों बार अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। किन्तु अभी तक उक्त मार्ग का डामरीकरण शून्य से लेपन तक का कार्य नहीं कराया गया है। क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त खड़न्जे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने हेतु कार्यवाही माँग करती हूँ।]

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के बिजयवाड़ा की पटरी से मारवट तक बने पटरी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अजय कुमार-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र-छपरौली

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के बिजवाड़ा रजबहे की पटरी ककड़ीपुर से माखर तक कच्चा/खड़न्जा होने के कारण वाहनों का सुचारू रूप से आवागमन सम्भव नहीं हो पा रहा है। भविष्य में मार्ग को लेपित स्तर से पटरी निर्माण हो जाय, तो यह मार्ग नेशनल हाई-वे 709 बी, से शामली, मुजफ्फरनगर की तरफ से आने वाले सभी वाहनों को मेरठ, गाजियाबाद के लिए महत्वपूर्ण बाईपास की तरह कार्य करेगा। क्षेत्रीय जनता द्वारा भी इस पटरी निर्माण की मांग काफी लम्बे अर्से से की जा रही है आपको यह भी अवगत कराना है कि इस पटरी मार्ग को लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर करने हेतु सिंचाई विभाग की एन0ओ0सी0 भी प्राप्त हो चुकी है। जनहित में कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त कार्य को जनहित में यथाशीघ्र कराये जाने की कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार जनपद रायबरेली में (01) पूरे बनेऊ रामसाण्डा सलोन सूची पक्के मार्ग तक 1 किमी0 (2) अम्बारा मथई गांव से टीकर आगाचीपुर नया पुरवा नहर पुल डामर रोड तक 1.5 किमी0 वि0क्षे0 दीनशाह गौरा उक्त मार्ग अत्यन्त खराब है, बड़े-बड़े गड्ढे हैं। बरसात के समय पानी भर जाने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी भर जाने के कारण पता ही नहीं चलता है कि रास्ता सही है या किसी गड्ढे में पानी भरा है, जिस कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। जिससे आम जनमानस को आवागमन में अत्याधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये नियम-301 के अन्तर्गत वक्तत्व में स्वीकार करने की कृपा करें।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत 100 बेड का हास्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत वहां के निवासियों के समुचित ईलाज हेतु 100 बेडेड अस्पताल का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। हमारे क्षेत्र में प्रायः

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रोग ग्रसित व्यक्तियों को ईलाज हेतु दूर जाना पड़ता है जिस कारण कभी-कभी अप्रिय घटना भी घटित हो जाती है। उचित ईलाज न मिल पाने के कारण निवासीगण अत्यन्त कुण्ठित भी हैं।

अतः माननीय सदन से अनुरोध है कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-176, मोहनलालगंज के अन्तर्गत 100 बेड के अस्पताल का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।]

पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास, सिंचाई विभाग की निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु प्रहरी ऐप की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महबूब अली-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। लोक निर्माण विभाग में निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं विकास कार्यों में गुणवत्ता लाने हेतु ''प्रहरी ऐप'' का सिस्टम लागू किया गया है। उसी प्रकार पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, सिंचाई विभाग, गन्ना विकास विभाग सहित अन्य विभागों में निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु ''प्रहरी ऐप'' की व्यवस्था लागू किया जाय, जिससे अन्य विभागों में भी विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में कतिपय मार्गों एवं पुलों का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेदी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में निम्न नदियों पर पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

1-घटारों-उचौरा के बीच दोना नदी पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग।

2-धुरेहरा-टोडरपुर के बीच मंगई नदी पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग।

3-रायपुर चिरैयाकोट सम्पर्क मार्ग के माधवटांडा में बेसो नदी पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग।

इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर आगणन को स्वीकृत करने हेतु मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकरनगर के आलापुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर में आवासीय बिल्डिंग तथा डॉक्टर की तैनाती के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिभुवन दत्त-

[मान्यवर, मैं आप के माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत रामनगर प्रमुख बाजार है यहां अनेकों शिक्षण संस्थान, बैंक, अनेकों प्रतिष्ठान आदि स्थित है इस लिए ज्यादा लोगों का आना-जाना लगा रहता है। तहसील आलापुर में अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर बना हुआ है। इस स्वास्थ्य केन्द्र में आवासीय बिल्डिंग न होने के कारण कोई भी डॉक्टर रात्रि विश्राम नहीं करता जिससे मरीज को 50 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल में गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए जाना पड़ता है इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ की कमी है तथा दवा और पैथोलॉजी की सुविधा सीमित मात्रा में है जिससे आये दिन क्षेत्र की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति में आम जनता द्वारा मांग की जा रही है कि आवासीय बिल्डिंग एवं महिला डॉक्टर तथा अन्य स्टाफ की तैनाती करते हुए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अस्तु इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवासीय बिल्डिंग, महिला डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ, पैथोलॉजी तथा दवाइयां को उपलब्ध कराये जाने की मांग सरकार से करता हूं।]

जनपद बांदा के बबेरू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कैनाज रजवाहा के स्थान पर जनहित में सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्त्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद बांदा के शहर के बीच सिंचाई विभाग की कैनाज रजवाहा जो बांदा अतर्रा रोड से शुरु होकर तिन्दवारी रोड, चिल्ला रोड को क्रास करते हुए कृषि विश्वविद्यालय बाईपास तक बस्ती के बीच से गुजरती है। जगह-जगह लोग कब्जा कर रहे हैं। तथा कुछ जगह लोगों ने सरकारी नहर की जमीन पर प्लाटिंग भी कर दी है। और नाली का रूप दे दिया है। इस नहर में पानी नहीं आता है पूरी नहर शहर के बीच से गुजरती है और बस्ती बस गयी। इस नहर की लम्बाई 6 से 7 किमी0 है यह नहर 45 फुट चौड़ी है इसे खाली कराकर जनहित में सड़क निर्माण कराया जाना उचित होगा, जिससे आवागमन की सुविधा सुलभ रूप से उपलब्ध हो सकें।

अतः इस जनहित एव लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त माइनर से कब्जा हटाये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत स्थित सैदपुर घाट मार्ग से माथेला मार्ग की विशेष मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत स्थित चन्दौली, सकलडीहा सैदपुर घाट मार्ग से मथेला सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 500 मीटर है। जो जिला पंचायत चन्दौली के अन्तर्गत आता है। वर्तमान समय में पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। लोगों का आना-जाना पूरी तरह से बाधित है। जनहित किसान हित में उपरोक्त सम्पर्ग मार्ग का विशेष मरम्मत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिससे किसान व आमजन का आवागमन सुलभ हो सके।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने की मांग सरकार से करता हूँ।]

जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव के ग्राम अजीतगंज में ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

[मान्यवर, मै आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव के ग्राम अजीतगंज में गाटा सं0-815 ग्राम समाज की और गाटा सं0-816 तालाब की जमीन है। जिसमें गाटा सं0-815 पर पूर्णरूप से साथ ही 816 पर भी कब्जा कर लिया गया है। शिकायत होने पर 67 (1) की दिखावे रूप में कार्यवाही तो की गयी, पर इन्हें कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। जनहित में इन दोनों ही गाटा सं0-815 एवं 816 को कब्जा मुक्त कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त कब्जे की हटाये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत टौंस नदी के ऊपर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के अन्तर्गत टौंस नदी के ऊपर वन्दी घाट पर पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। उक्त नदी पर पुल न होने के कारण क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसा संवेदनशील जगह है जहां पर प्रति वर्ष कोई न कोई अप्रिय घटना होती रहती है। पिछले

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष 2022 में नवम्बर में विधान सभा सत्र के दौरान पहले दिन नदी में बाढ़ के कारण 16 स्कूली बच्चों से भरी नाव नदी में पलट जाने के कारण इण्टरमीडियट का एक छात्र नदी में डूबकर मर गया था, इस संवेदनशील स्थान पर टौंस नदी पर बन्दीद घाट पर पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त घाट पर पुल के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर के ईसौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अलीगंज में सी0एच0सी0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 ताहिर खान-

[मान्यवर, अतिलोक विशेष गम्भीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि पी0एच0सी0 (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) अलीगंज इसौली के चारों तरफ बड़ी बाजार है। मानयारी अलीगंज पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) कराया जाना आम जनमानस के हित में अति आवश्यक है, जमीन भी उपलब्ध है, सी0एच0सी0 हो जाने पर क्षेत्र के आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलना प्रारम्भ हो जायेंगी। आम जनमानस के हित को देखते हए जनहित में सी0एच0सी0 अलीगंज ईसौली, जनपद-सुल्तानपुर बनाया जाना अति आवश्यक है। ताकि जनहित के साथ न्याय हो सके।]

जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पानी की टंकी बनाये जाने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि बलिया जनपद आर्सेनिक युक्त पानी गंगा व घाघरा नदी का तटीय इलाका होने के कारण लगभग 80 प्रतिशत जनता आर्सेनिक युक्त पानी पीने से भयंकर बीमारियों की चपेट में आ रही है। जबकि अधिकतर गांवों में पानी की टंकियां बनी हुई हैं और आपरेटर अथवा कतिपय कारणों से पानी की टंकिया बन्द पड़ी हैं जिससे आम जनमानस को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु बन्द पड़ी पानी की टंकियों को जनहित में तत्काल चालू कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आम जनमानस को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु तत्काल बन्द पड़ी पानी की टंकियों को चालू कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में राजकीय महिला कॉलेज या महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजमा यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व एवं जनहित के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद प्रयागराज बहुत ही पिछड़ा है लड़कियों की शिक्षा हेतु एक भी राजकीय कॉलेज या महिला डिग्री कॉलेज न होने के कारण लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। यह हमारी विधान सभा क्षेत्र का जनहित का अति आवश्यक कार्य है जो जनता से जुड़ा कार्य है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से उपरोक्त महिला डिग्री कालेज एवं राजकीय इण्टर कालेज बनवाने की मांग करती हूँ।]

जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा बेंती में राजकीय हाई स्कूल गर्ल्स कॉलेज को इण्टर कॉलेज में उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश्वर सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ की ग्राम सभा बेंती, विकास खण्ड सरोजनी नगर में राजकीय हाई स्कूल गर्ल्स कालेज बना हुआ है, किन्तु ग्रामीण अचलों में लड़कियों को नजदीक विद्यालय न होने के कारण इण्टर तक की शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी होती है। स्थानीय जनता द्वारा उक्त राजकीय विद्यालय को इण्टर तक उच्चीकृत कराए जाने की लगातार माँग की जाती रही है, किन्तु अभी तक उक्त विद्यालय को उच्चीकृत नहीं किया गया है।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की माँग करता हूँ।]

जनपद बदायूँ के दातागंज विधान सभा क्षेत्र में रामगंगा नदी पर ब्लॉक समरेर के ग्राम पुढ़ता तथा नगरिया छानू अप्रोच मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव सिंह उर्फ 'बब्बू भईया'-

[मान्यवर, निवेदन है कि जनपद बंदायू की दातागज विधान सभा क्षेत्र में ब्लॉक समरेर के ग्राम मुड़हा पुढ़ता में बने रामगंगा नदी के पुल का एप्रोच मार्ग तथा नगरिया बनू रामगंगा पुल का एप्रोच मार्ग बाढ़ से क्षतिग्रस्त होकर बह जाने से उक्त पुलों का उपयोग जनता नहीं कर

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिये शासन/प्रशासन व उच्चाधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया परन्तु अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा है।

अस्तु मेरी विधान सभा क्षेत्र में उपयुक्त विषयांकित सन्दर्भ में दोनों एप्रोच मार्ग के निर्माण हेतु नियम-301 स्वीकार करने की कृपा करें।]

प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[मान्यवर आप के माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अत्यंत गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ पूरे प्रदेश में लगातार अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है इधर कुछ दिनों से लगातार बहन और बेटियों का अपहरण कर उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद क्रूरता के साथ उनकी हत्या की जा रही है बहन और बेटियां घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है जनता भयभीत और अपराधी भयमुक्त हो गए हैं प्रदेश में गुंडा माफिया एवं सरकार के मंत्रियों की तिगड़ी बन गयी है, जिससे पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया एवं जंगल राज कायम हो गया है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कस्टोडियन डेथ और फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं जिससे प्रदेश में जबरदस्त जनाक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अति गम्भीर विषय पर समुचित कार्रवाई कराए जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-बदलापुर के अन्तर्गत बटाऊवीर-मई-लेदुका शेषभाग, एन0एच0-731, पर उसरा बाजार-बरईपार होते हुए एन0एच0-31, मछलीशहर तक तथा सिंगरामऊ-लालगंज-गौरामाफी, सिंगरामऊ से पूरालाल टेंगहा होते हुए गद्दोपुर तक, एन0एच0-731, से रतासी इमिलियाघाट होते हुए पट्टी सरपतहां मोड़ तक का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है। यह मार्ग कई जनपदों को जोड़ने वाला मार्ग मुख्य मार्ग है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भदोही विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निप्पन त्रिमुहानी का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जाहीद-

[मान्यवर, निवेदन है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र निप्पन त्रिमुहानी भदोही में गजिया वर्ग बीं उतरने के बाद जाम की स्थिति बनी रहती है। यह भदोही नगर की प्रमुख त्रिमुहानी है यहाँ से अस्पताल, रेलवे स्टेशन का मुख्य मार्ग है तथा दो-दो इण्टरमीडिएट गर्ल्स कालेज हैं तथा प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है। निप्पन त्रिमुहानी और चौड़ीकरण की आवश्यकता है ताकि जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मेरे द्वारा कई बार शासन प्रशासन स्तर पर अनुरोध किया जा चुका है।

आपसे अनुरोध है कि जाम की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निप्पन त्रिमुहानी को और चौड़ीकरण कराने का कष्ट करें जिससे जाम की समस्या से शीघ्र निजात मिल सके।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के संयुक्त चिकित्सालय लालगंज में किडनी व हृदय रोग के चिकित्सक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारे विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नवनिर्मित क्रियाशील, 100 का शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, लालगंज में किडनी व हृदय रोग के चिकित्सक नहीं हैं। इस हास्पीटल में 4 ब्लाक के अन्तर्गत आने वाली जनता व जनपद गाजीपुर, मऊ, जौनपुर से भी सैकड़ों मरीज उपचार हेतु रोज आते रहते हैं, लेकिन डायलिसिस सुविधा नहीं होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त हास्पीटल में किडनी रोग, हृदय रोग के उपचार की सुविधा कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन शासन/प्रशासन की घोर उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिस कारण आमजन मानस में सरकार के प्रति काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनता की परेशानी को देखते हुए जनहित में कार्यवाही की मागं करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर पालिका परिषद् पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर के अन्तर्गत जी0टी0 रोड चन्धासी से परशुरामपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश जायसवाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर पालिका परिषद् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) के अन्तर्गत जी0टी0 रोड चन्धासी से परशुरामपुर सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 2.0 किमी0 है, इस रास्ते से नगरवासियों का आम रास्ता है, जो काफी जर्जर है इस सम्बन्ध में स्थानीय नगरवासियों द्वारा प्रशासन स्तर व विभागीय स्तर पर अनेकों शिकायतें की गई हैं परन्तु इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। जनहित में इस समस्या का निदान कराया जाना अति आवश्यक है ताकि उक्त नगरवासियों व ग्रामवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में मोटाआम से आजाद चौक तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में मोटाआम से आजाद चौक सम्पर्क मार्ग जो कि लगभग 1200 मीटर है काफी समय से बदहाल स्थिति में है। मार्ग से लगभग एक दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामवासियों का आवागमन है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी समय से क्षेत्र के ग्रामवासी उपरोक्त मार्ग के निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। परंतु अभी तक मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है।

अतः उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मैं सदन में वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत बुढ़नपुर के ग्राम-हल्दुआ रामपुर से काँठ रोड पर कडूला नदी के पुल तक 02 किमी0 पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अवतार सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर के विकास खण्ड बुढ़नपुर के ग्राम-हल्दुआ रामपुर से एक रोड जनपद मुरादाबाद के काँठ को जोड़ता है जिस पर कडूला नदी है। कडूला नदी से काँठ तक पक्का मार्ग है, किन्तु ग्राम-हल्दुआ रामपुर से कडूला

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नदी के पुल तक 2 किमी0 तक खड़न्जा मार्ग है जिस पर क्षेत्रवासियों विद्यार्थियों, मरीजों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं चाहता हूँ कि प्राथमिकता के आधार पर विकास खण्ड बुढ़नपुर के ग्राम-हल्दुआ रामपुर से काँठ रोड पर कडूला नदी के पुल तक 2 किमी0 सड़क पक्की बनाये जाने हेतु सरकार द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0 को आदेश जारी किये जाये।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से अविलम्बनीय वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रामदासपुर में यमुना नदी पर सेतु निर्माण में बरती जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[मान्यवर, जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रामदासपुर में यमुना नदी पर एक सेतु निर्माण का कार्य लगभग 2 वर्ष से चल रहा है उक्त निर्माण कार्य में काफी अनियमितताएं हैं मेरे द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों के संज्ञान में लाने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ जनपद फिरोजाबाद के प्रमुख समाचार-पत्रों में समय-समय पर खराब निर्माण कार्य को दर्शाया गया कई बार लखनऊ में शिकायत की गई परन्तु किसी भी तरह से गुणवत्ता व सुधार नहीं हुआ।

अतः आपसे अनुरोध है की इस जनहित के प्रश्न पर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत मुंगराबादशाहपुर में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज पटेल-

[मान्यवर, तहसील मछलीशहर, जिला-जौनपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में छात्राओं की उच्च पढ़ाई के लिये राजकीय डिग्री कॉलेज आस-पास न होने के कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिये जनपद मुख्यालय जाना पड़ता है। ज्यादातर छात्राओं की कालेज की दूरी अधिक होने के कारण पढ़ाई आगे नहीं हो पाती हैं। अतः मेरी विधान सभा में एक राजकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है। राजकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाये जाने के लिये पूर्व में भी कई बार मांग की जा चुकी है। मगर अभी तक राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण नहीं हो पाया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तहसील मछलीशहर, जिला-जौनपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में राजकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों तथा दवा की उपलब्धता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद गाजीपुर के मेडिकल कालेज में चिकित्सकों एवं दवा का अभाव है डेंगू जैसी बीमारी से आये दिन मौतें हो रही हैं। मेडिकल कालेज का प्रिन्सपल आये दिन भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है एवं उनके माध्यम से दलालों का अम्बार लगा रहता है। जिससे क्षेत्रीय लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है ऐसे स्थिति में मजबूर होकर प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। इस प्रकरण पर अंकुश लगाया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बहेड़ी सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के वि0ख0-चरथावल के ग्राम-बेहड़ी सम्पर्क मार्ग जो बड़कली फाटक से ग्राम बेहड़ी की ओर जाता है, उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण लगभग 10 वर्ष पूर्व रोहाना गन्ना समिति के द्वारा किया गया था। उसके बाद आज तक उक्त मार्ग की मरम्मत नहीं की गई। जिस कारण पूरी सड़क क्षतिग्रस्त है लोगों के आवागमन के समय कई दुर्घटनायें हो जा रही हैं। इस सम्बन्ध में स्थानीय लोगों द्वारा कई बार प्रशासन से शिकायत की गयी। किन्तु अभी तक उक्त सड़क की मरम्मत नहीं करायी गई है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त सड़क की विशेष मरम्मत कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के नकुड विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चलने वाले खनिज से भरे वाहन का मानक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ, कि मेरी विधान सभा नकुड-02 का एक बड़ा भू-भाग यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना खादर क्षेत्र एवं खनन प्रभावित क्षेत्र होने के कारण खनिज से भरे अतिभारित वाहन सड़कों पर चलने के कारण सड़के निर्धारित आयु के सापेक्ष अत्यन्त अल्पावधि में ही

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाने के परिणास्वरूप जनमानस को आवगमन में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि खनन प्रभावित क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में पूर्व निर्धारित मानकों के सापेक्ष खनिज से भरे अतिभारित वाहनों की क्षमता के अनुरूप मानक निर्धारण किये जाये जो निश्चित रूप से जनमानस को भारी राहत मिलने के साथ ही राजस्व वृद्धि होगी।

अतः नियम-301 के अर्न्तगत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

[12:24] पूर्व की भांति नियम-56 के अन्तर्गत अग्राह्य सूचनाएं भी शासन को भेजे जाने का अनुरोध

नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले जब नियम-56 की सूचना दी जाती थी तो जो ग्राह्य होती थी वह तो यहां ले लिया जाता था लेकिन जिसको आप नहीं लेते थे वह विभाग में कार्रवाई के लिये चला जाता था।

श्री अध्यक्ष-

अग्राह्य सूचना भी ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

जो हम सूचना देते थे तो उसमें किसी न किसी तरह से विभाग में कार्रवाई हो जाती थी।

मा0 अध्यक्ष जी, जो अपना प्रश्न देते थे किसी-न-किसी तरह से कार्यवाही हो जाती थी, जिनको स्वीकार करके चर्चा कराते थे वह अलग होता था लेकिन अब यह परम्परा हो गयी है कि जो दिया जाता है और जो ग्राह्य होता है वह यहीं तक रह जाता है, वह विभाग तक नहीं जाता है क्योंकि जो मा0 सदस्य प्रश्न देते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी प्रश्नों को लेने की सीमा है लेकिन आप ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि उन प्रश्नों को विभागों के पास भेज देना चाहिए जिससे विभाग उन पर कुछ कार्यवाही कर सके। यह मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ और अभी-भी सीख रहा हूँ। अग्राह्य सूचना को भी विभाग के पास भेज दिया जाता था जो ग्राह्य ही नहीं हुई, जो अग्राह्यता है जो मेनटेनबल ही नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, जो सूचनाएं जाती थीं उनको विभाग को दे दिया जाता था, जो सूचनाएं सदन में ग्राह्य होती थी उन पर चर्चा होती थी और जो सूचनाएं विभाग के पास चली जाती थीं उन पर विभाग कुछ-न-कुछ कार्यवाही करता था।

श्री अध्यक्ष-

जो ग्राह्य होंगी उस पर ही चर्चा होगी, जो मेनटेनबल नहीं है, जो अग्राह्य है उसके ऊपर क्या कार्यवाही होगी ? मा0 सदस्य माता प्रसाद पाण्डेय जी आप मेरा मार्गदर्शन करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, जो सूचनाएं अग्राह्य हो जाती है उनको आप विभाग को भेज दीजिए जिससे उन पर कार्यवाही हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य मैं उसको दिखवा लूंगा और आपसे चर्चा भी कर लूंगा। अगर जनहित के अन्तर्गत इस प्रकार की आवश्यकता होगी तो जरूर करूँगा।

[12:26] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

आज नियम-300 के अन्तर्गत पांच सूचनाएं प्राप्त हुईं। उसमें एक सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी की है।

[12:27] उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण संशोधन विधेयक, 2021 सदन से पारित होने के उपरान्त माननीय राज्यपाल द्वारा बिना स्वीकृति के वापस प्राप्त होने पर सदस्यों को उसकी सूचना से अवगत न कराये जाने सम्बन्धी श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' का औचित्य का प्रश्न

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही गम्भीर विषय पर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहती हूँ। हमें कल सदन में जो कार्य सूची मिली थी उसमें 31 नम्बर पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय इंगित था। वर्ष 2021 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल इस सदन में रखा गया था। मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ जो कल लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021, यह इस सदन में पारित हुआ और उसके बाद महामहिम राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया। वर्ष 2021 से लेकर 2023 तक यह बिल लम्बित रहा और अंतत्वागत्वा यह बिल बिना महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति के संदेश के साथ वापस भेज दिया गया। मेरा बहुत लम्बा अनुभव नहीं है लेकिन मैंने बहुत वरिष्ठ मा0 सदस्यों एवं अन्य मा0 सदस्यों से इस सम्बन्ध में जानकारी लेने के प्रयास किया कि ऐसा कोई दृष्टांत पूर्व में रहा हो जहां पर महामहिम राज्यपाल यह बिल संदेश के साथ वापस भेजे हों। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है लेकिन हो सकता है कि कभी ऐसा दृष्टान्त आया हो। पर आज की तारीख में यह बड़ी असहज सी स्थिति सरकार के सामने भी है और सदन के सामने भी है। जब यह बिल सदन में आया और नियमावली का नियम-169 यह कहता है कि जब कभी महामहिम राज्यपाल के पास कोई विधेयक बिना स्वीकृति के सन्देश के साथ वापस आता है, यह स्पष्ट लिखा है कि आप कहें तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष-

मेरे सामने नियमावली रखी है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि वह सदन के पटल पर रखा जायेगा यदि सदन चल रहा हो और उसको पढ़कर सुनाया जाए। मुझे लगता है कि वह इस आशय के साथ रखा गया होगा कि जब वह सदन के मा0 सदस्यों के द्वारा पारित होता है, तो सदन को उसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि यह बिल वापस क्यों आया है और संदेश में क्या लिखा है। मुझे लगता है कि यह आवश्यक है कि सदन के पटल पर रखकर पढ़ा जाना चाहिए। दूसरा उसमें यह दिया गया है कि सभी सदस्यों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

मेरी जानकारी में मुझे इसकी सूचना नहीं मिली है, बाकी दलों के नेताओं एवं बाकी सदस्यों को भी, जो यहां पर बैठे हैं, किसी को भी जो सन्देश था उसकी सूचना नहीं दी गयी है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहूंगी, यह बड़ा ही विशेष अवसर है, इस तरह के दृष्टान्त पहले नहीं हुए हैं, सदन में संवैधानिक रूप से इस तरह असहजता की स्थिति आयी है, तो कृपया आप इसका संज्ञान लें और सदन में जो भी सन्देश है उसको रखा जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी द्वारा नियम-300 में जो विषय उठाया गया, इसमें मैं जानकारी देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2021 एवं दिनांक 19 अगस्त, 2021 को विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया, को भारत के संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा वापस किया गया, जिससे सम्बन्धित संदेश विधायी विभाग के पत्र दिनांक 17 मई, 2023 द्वारा प्राप्त हुआ, जो दिनांक 17 मई, 2023 का पत्र है, वह संलग्नक है, मैं आपको भेजता हूं, चूंकि वर्ष 2023 के प्रथम सत्र का सत्रावसान दिनांक 14 मार्च, 2023 को श्री राज्यपाल द्वारा कर दिया गया था तथा विधान सभा सत्र में नहीं थी, जिसके कारण विधान सभा के समस्त सदस्यों को श्री राज्यपाल का सन्देश पत्र के माध्यम से दिनांक 22 मई, 2023 को सूचित किया गया एवं सभी माननीय सदस्यों को संसदीय अनुभाग द्वारा डाक/स्पीड पोस्ट से भेज दिया गया, जिसकी सूचना हमारे पास है।

श्री लालजी वर्मा-

लेकिन मान्यवर, हमें मिला नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

हमारे पास से भेजा गया है और आप बता रहे हैं कि नहीं मिला है तो डाक से हम इसकी जानकारी करेंगे, क्योंकि विभाग के द्वारा डाक से भेज दिया गया। दूसरी बात, जो आप

कह रहे हैं कि हमें मिला नहीं तो उस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं बनता, मैं उसे दिखवाऊंगा कि डाक के द्वारा कहां गलती हुई। तीसरा निवेदन यह है कि जो हमारे पास डाक से सूचनाएं आती हैं हमें उसे ध्यान से देखना चाहिए। मोना जी द्वारा जो विषय उठाया गया उसमें यह कहा गया कि यदि सत्र में हो तो पढ़कर सुनाएंगे, जो आपने नियम-169 पढ़ा है उसका मैं रिलिवेन्ट पोर्शन पढ़ रहा हूं कि यदि वह सत्र में हो, पढ़कर सुनायेंगे अथवा यदि सभा सत्र में न हो तो यह निदेश देंगे कि उसकी सूचना सदस्यों को विहित प्रक्रिया द्वारा दी जाय। विहित प्रक्रिया यह है कि यदि सत्रावसान हो चुका था और उस समय हाउस नहीं चल रहा था इसलिए सब लोगों को यहां से डाक के द्वारा सूचना दे दी गयी है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मेरा यह अनुरोध है कि ....

श्री अध्यक्ष-

आपका जो अनुरोध है वह स्पष्ट हो गया है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

उसे सदन में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की जनता एवं लॉ एण्ड ऑर्डर से जुड़ा बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, तो आपकी अनुज्ञा हो तो उसे सदन में रखकर पढ़ा जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

उसे सदन के पटल पर पहले रखा ही जा चुका है, उसकी कॉपी हम आपको भेजवा देंगे।

[12:33] श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा विधायकों से सम्बन्धित विषय पर औचित्य का प्रश्न उठाए जाने का प्रयास

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हमारा एक विषय है उसे केवल सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

जब विषय आयेगा नहीं तो सुनेंगे कैसे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, कृपया सुन लीजिए, इतनी कृपा करिए।

श्री अध्यक्ष-

जब आपका विषय ग्राह्य ही नहीं है, औचित्य में आता ही नहीं है, तो क्यों सुन लें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, औचित्य में नहीं आता है, तो सुन लीजिए। अगर सदन के सारे विधायकों से सम्बन्धित है, तो संरक्षण दे दीजिए और उसे सुन लीजिए। इतना हमारा आपसे आग्रह है और ग्राह्य एवं अग्राह्य करना आपका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

सारे विधायकों से सम्बन्धित सभी विषय होते हैं, जो भी विषय यहां पर आते हैं वह प्रदेश से सम्बन्धित होते हैं और जो सवेरे आप प्रश्न भी करते हैं वह भी सभी से सम्बन्धित होते हैं। यह नहीं है कि आपने प्रश्न किया है, तो वह सिर्फ आपसे ही सम्बन्धित है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, ये विधायकों का सवाल है, केवल इतना बताना है कि यह सवाल पिछली बार हमारे द्वारा उठाया गया था..

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में हम पहले नियमों से चलते हैं और बाद में परम्पराओं से भी चलते हैं। कोई सीनियर मेम्बर अगर नियम-300 में, क्योंकि नियम-300 विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली ऐसा सेक्शन है जिसमें काफी कुछ ऐसा है, जिस पर कई-कई बार चर्चा हुई है, जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती हो, संविधान के ऐसे अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ हो। आप नियम-300 को बार-बार पढ़ लें, आप जैसे सीनियर मेम्बर अगर उठाते हैं तो बाकी लोग भी, क्योंकि..

समाज में ऊपर बैठे हुए जो लोग काम करते हैं, शेष समाज उसी का संज्ञान लेता है, उसी के अनुसार आचरण करता है, तो कृपा करके ऐसी गलत परम्परा मत डालें। नियम-300 में नहीं, किसी दूसरे नियम में लायेंगे तो सुन भी लें, मान्यवर, यह मेरा आपसे विशेष रूप से आग्रह है। मान्यवर, जबरदस्ती करके जो नियम-300 में सुना जाता है, इस परम्परा को अगर नहीं चालू करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे गलत सन्देश बाकी नए लोगों में जाता है। आप दूसरे नियम में लाइये, हम जवाब भी दे देंगे।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, यह संविधान का उल्लंघन है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसमें संविधान के कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है ?

श्री लालजी वर्मा-

वैसे भी सभी अग्राह्य होता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कल नियम-300 में नहीं लिया गया ? ऐसा कोई दिन नहीं जाता, जिस दिन नियम-300 में न सुना जाता हो। आपने संवैधानिक व्यवस्था को लेकर नियम-300 में बात उठायी, क्या उसे लिया नहीं गया ? क्या उसका संज्ञान अध्यक्ष जी ने नहीं लिया ? ऐसा मत करिए, यह पीठ के ऊपर आक्षेप है। इस प्रकार के आक्षेप मत करिए, प्लीज। आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, आपको सदन में 35-40 बरस हो गए हैं, तो ऐसा मत करिए। मेरा विशेष रूप से मान्यवर, आग्रह है कि इस गलत परम्परा को डालना भी अपने आप में ठीक नहीं है। आपके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, बुकलेट में बाकायदा छपते हैं और लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, मान्यवर। इसलिए गलत परम्परा मत डलवाइये।

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-2 लेते हैं।

[12:36] आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग -2 का वित्तीय वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 का वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-63 (3), सपठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा-19 (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-3447/862023/8601003 (001)3-2021, दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-28 की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1140/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-229-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(287)-2023, दिनांक 06 सितम्बर 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1140/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-229-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(287)-2023, दिनांक 06 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1139/ग्यारह -2-23-9(47)-17 टी0 सी0-228-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(288)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1139/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-228-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(288)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1141/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-230-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(289)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1141/ग्यारह-2-23-9 (47)-17 टी0सी0-230-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(289)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1142/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-231-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(290)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1142/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-231-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(290)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1143/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-232-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(291)-2023, दिनांक-21 सितम्बर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1143/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-232-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(291)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना-1164/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-233-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(292)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1164/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-233-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(292)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1345/ग्यारह -2-23-9(47)-17 टी0सी0-236-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(293)-2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1345/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-236-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(293)-2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1346/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-237-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(294)-2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1346/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-237-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(294)-2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

---

† छापा नहीं गया।

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या-1347/ग्यारह-2-23-9-(47)-17-टी0सी0-238-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(295)-2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1347/ग्यारह -2-23-9 (47)-17-टी0सी0-238-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(295)-2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1348/ग्यारह-2-2-9(47)-17 टी0सी0-239-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(296)-2023, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1348/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-239-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(296)-2023, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1338/ग्यारह-2-23-9-(47)-17 टी0 सी0-234-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(297)-2023, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1338/ग्यारह-2-23-9(47) -17-टी0सी0-234-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(297)-2023, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1339/ग्यारह-2-23-9-(47)-17 टी0 सी0-235-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(298)-2023, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1339/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-235-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(298)-2023, दिनांक

† छापा नहीं गया।

19 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1428/ग्यारह-2-23-9-(47)-17 टी0 सी0-242-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(300)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1428/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-242-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(300)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1429/ग्यारह-2-23-9-(47)-17 टी0 सी0-243-उ0 प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(301)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1429/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-243-उ0प्र0 अधि0 -1-2017-आदेश-(301)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1432/ग्यारह-2-23-9(47) 17-टी0सी0-246 उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(302)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1432/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-246-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(302)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1433/ग्यारह/-2-23-9(47)-17 टी0सी0-247-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(303)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1433/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-247-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(303)-2023, दिनांक

---

† छापा नहीं गया।

31 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1434/ग्यारह-2-23-9(47)-17 टी0सी0-248-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(304)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1434/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-248-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(304)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1426/ग्यारह-2-23-9(47)-17 टी0 सी0-240-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(305)-2023, दिनांक 06 नवम्बर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना **संख्या-1426/ग्यारह-2-23-9(47)-17 टी0 सी0-240-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(305)-2023,** दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1430/ग्यारह-2-23-9(47)-17 टी0सी0-244-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(306)-2023, दिनांक 06 नवम्बर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1430/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-244-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(306)-2023, दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1431/ग्यारह-2-23-9(47)-17 टी0सी0-245-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(307)-2023, दिनांक 06 नवम्बर, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1431/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-245-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(307)-2023, दिनांक

---

† छापा नहीं गया।

06 नवम्बर, 2023, को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023††

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-ऑडिट-2-12/दस-2023-607 (8) /66, दिनांक 24 अगस्त, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023 को भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या-9 सन् 1932) की धारा-71 की उपधारा (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, बाँया तट, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ का वित्तीय वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 द्वारा यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, बायाँ तट, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ का वित्तीय वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, वाल्मीकि भवन, उतरेठिया, लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 द्वारा राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, वाल्मीकि भवन, उतरेठिया, लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या-41) की धारा-45 (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की यू0पी0ई0आर0सी0 (रूफटाप सोलर पी0 पी0 ग्रिड पारस्परिक प्रणालियां सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 (द्वितीय संशोधन)††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की अधिसूचना संख्या-यू0पी0ई0आर0सी0/सचिव आर0एस0पी0वी0 विनियमावली/002, दिनांक 17 नवम्बर,

---

†† छापी नहीं गई।

† छापा नहीं गया।

2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की यू0पी0ई0आर0सी0 (रूफटाप सोलर पी0वी0 ग्रिड पारस्परिक प्रणालियां सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 (द्वितीय संशोधन) को विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्या-36) की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना, 2023[††]

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-117/2023/2849/30-3-2023, दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना, 2023 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-135 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-29 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-30

महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2022-23), उ0प्र0 विधान मण्डल का 23वां प्रतिवेदन[†]

श्रीमती नीलिमा कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2022-23), उ0प्र0 विधान मण्डल का 23वां प्रतिवेदन, जो दिनांक 29 मई, 2023 से 04 जून, 2023 तक वाराणसी एवं कानपुर मण्डल के अन्तर्गत जनपद वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर तथा कानपुर में बेसिक शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग (उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, गृह विभाग एवं जिला कारागारों के स्थलीय निरीक्षण/अध्ययन, भ्रमण एवं विभागीय समीक्षा पर आधारित है, को प्रस्तुत करती हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-2023 का प्रथम प्रतिवेदन[†]

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-2023 का प्रथम प्रतिवेदन, जो प्राविधिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है। जिसे श्री आर0 के0 वर्मा, मा0 सदस्य द्वारा मोहम्मद इरशाद, प्रोजेक्ट मैनेजर अमरेन्टोस इन्फ्राटेक प्रा0 लि0, ग्रेटर नोएडा के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना से सम्बन्धित प्रकरण पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

[††] छापी नहीं गई।

[†] छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-2023 का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022 2023 का द्वितीय प्रतिवेदन, जो गृह विभाग से सम्बन्धित है। जिसे श्री मनोज कुमार पाण्डेय, मा0 सदस्य द्वारा श्री रवीन्द्र सोनकर, प्रभारी निरीक्षक, थाना जगतपुर, जनपद-रायबरेली के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना से सम्बन्धित प्रकरण पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-2023 का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-2023 का तृतीय प्रतिवेदन, जो गृह विभाग से सम्बन्धित है। जिसे श्री अमिताभ बाजपेई, मा0 सदस्य द्वारा श्री अजय कुमार सिंह, इन्स्पेक्टर, कोतवाली कानपुर नगर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना से सम्बन्धित प्रकरण पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।,

उत्तर प्रदेश विधान सभा को विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-2023 का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-2023 का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो नगर विकास विभाग से सम्बन्धित है। जिसे श्री मनीष कुमार 'मन्टू', मा0 सदस्य द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, पडरौना, कुशीनगर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना से सम्बन्धित प्रकरण पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-23 का पंचम प्रतिवेदन†

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के वर्ष 2022-2023 का पंचम प्रतिवेदन, जो गृह विभाग से सम्बन्धित है। जिसे श्री अमिताभ बाजपेई, मा0 सदस्य द्वारा श्री प्रेम प्रकाश, ए0डी0जी0, कानपुर नगर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना से सम्बन्धित प्रकरण पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष 2022-23 का गृह विभाग से सम्बन्धित समिति का इक्यावनवां प्रतिवेदन†

श्री श्रीराम चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष (2022-2023) का गृह विभाग से सम्बन्धित समिति का इक्यावनवां प्रतिवेदन, जो ''श्री दीन दयाल त्रिपाठी के पैतृक आवास, ग्राम-पूरे बलराम, थाना-धम्मौर (अमेठी), जिला-सुल्तानपुर में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने विषयक प्रकरण'', ''बबिता पुत्री श्री गिरधारी पासी, निवासिनी-सराय सुल्तान, थाना-बहरिया, प्रयागराज का विपक्षी शिवशंकर पुत्र मंगरू, निवासी रामसहाय का पूरा, थाना-रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने व दिनांक 20-05-2014 को थाना-बहरिया, प्रयागराज में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-162/14 अन्तर्गत धारा-376, 505 आई0पी0सी0 में पीड़िता से जबरिया सुलह कराने हेतु सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने के प्रकरण की जांच कराये जाने सम्बन्धित प्रकरण एवं ''भरतलाल, निवासी 458 ताड़बाग, सुलेम सराय, थाना-धूमनगंज, जिला-प्रयागराज की दिनांक 25 जून, 2013 से गुमशुदा पुत्री की थाना पुलिस द्वारा अब तक बरामदगी न हो पाने के कारण जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस अधीक्षक (क्राइम ब्रान्च), प्रयागराज से प्रभावी कार्यवाही कराये जाने विषयक सम्बन्धित प्रकरण पर'' आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा वियुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष (2022-2023) का राजस्व विभाग से सम्बन्धित समिति का बावनवां प्रतिवेदन†

श्री श्रीराम चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष (2022-2023) का राजस्व विभाग से सम्बन्धित समिति का बावनवां प्रतिवेदन, जो ''जनपद-मथुरा के तहसील-मांट से श्री निरंजन सिंह बघेल (गठरिया) समस्त परिवार एवं अन्य द्वारा फर्जी रूप से अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र बनवाये जाने सम्बन्धी प्रकरण'' श्री रामस्वरूप पुत्र स्व0 छविनाथ उर्फ शिवनाथ, निवासी ग्राम व पो0-मसवासी, तहसील सदर, जनपद उन्नाव को ग्राम समाज द्वारा आवंटित भूमि का पट्टा निरस्त न कर उन्हीं को दिये जाने सम्बन्धित प्रकरण'' एवं ''श्री अशोक कुमार, निवासी मनी का पुरवा, मजरे-भितरी, पो0-तेजवापुर, थाना-लोनी कटरा, जनपद बाराबंकी का दलित उत्पीड़न किये जाने विषयक प्रकरण'' पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष (2022-2023) का लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित समिति का तिरपनवाँ प्रतिवेदन†

श्री श्रीराम चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष (2022-2023) का लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित समिति का तिरपनवां प्रतिवेदन, जो ''जनपद-प्रयागराज के सर्किट हाउस में स्टाफ बढ़ाने एवं ट्यूबवेल रि-बोर कराने विषयक प्रकरण'', ''लोक निर्माण विभाग के (मुख्य अभियन्ता) मुख्यालय-1 में वैयक्तिक के पद पर तैनात श्री जितेन्द्र कुमार को सुश्री नीमा पन्त, वैयक्तिक सहायक द्वारा कार्यभार न सौंपे जाने विषयक प्रकरण'', ''लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्त कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची के आधार पर तैनाती दिलाये जाने विषयक प्रकरण'' एवं ''विधान सभा क्षेत्र बछरावां, जनपद रायबरेली में ग्राम तिलेण्डा-हलोरमार्ग से गोविन्दपुर सीमा तक के कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराए जाने विषयक प्रकरण'' पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

(इसी मध्य अपराह्न 12 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश अट्ठाहरवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन, जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के अध्याय-4 पर गोरखपुर मण्डल के जनपद गोरखपुर (जिला पंचायतों) से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का सोलहवाँ प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का सोलहवां प्रतिवेदन, जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी

† छापा नहीं गया।

समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 व 2013-14 के अध्याय-4 पर गोरखपुर मण्डल के जनपद कुशीनगर एवं देवरिया (जिला पंचायतों) से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का सत्रहवाँ प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का सत्रहवां प्रतिवेदन, जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 के अध्याय-4 पर गोरखपुर मण्डल के जनपद देवरिया, कुशीनगर एवं महराजगंज (ग्राम पंचायतों) से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का अट्ठाहरवाँ प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन, जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 के अध्याय-4 पर सहारनपुर मण्डल के जनपद मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर (जिला पंचायतों) से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का उन्नीसवाँ प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का उन्नीसवां प्रतिवेदन जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के अध्याय-4 पर सहारनपुर मण्डल के जनपद शामली एवं मुजफ्फरनगर (ग्राम पंचायतों) से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का सप्तम् प्रतिवेदन संख्या-01 (जनरल एवं सोशल सेक्टर)†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का सप्तम् प्रतिवेदन सं0-01 (जनरल एवं सोशल सेक्टर) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का पंचम् प्रतिवेदन†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का पंचम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) में उल्लिखित सहकारिता विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

(इसी मध्य अपराह्न 12 बजकर 59 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश अट्ठाहरवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का षष्ठम् प्रतिवेदन†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र-गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में उल्लिखित ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का 10वां प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से याचिका समिति, उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-23) का 10वां प्रतिवेदन, जो ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का 11वां प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से याचिका समिति, उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-23) का 11वां प्रतिवेदन जो बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-23) का 12वां प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से याचिका समिति, उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-23) का 12वां प्रतिवेदन जो औद्योगिक विकास विभाग से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2022-23) का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री अमित अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिधि विधायन समिति'' (2022-23) का तृतीय प्रतिवेदन, जो संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत करता हूं।

प्रतिनिहित विधायन समिति (2022-23) चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री अमित अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिधि विधायन समिति'' (2022-23) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो श्रम विभाग से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-52 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-53

[01:01] याचिकाओं का उपस्थापन

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उण्डवा जगतपुर, अम्बारा मथई, चूली आदि में किसानों के सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार मिश्रा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापा नहीं गया।

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज में विद्युत विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी के घर स्मार्ट मीटर लगाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बदायूं की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखीमपुर खीरी की विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत गोमती नदी पर कॉकर घाट पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम रमियां में थान सिंह के मन्दिर से हथोली जय सिंहपुर मुख्य मार्ग तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निवेश बाबू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम रतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम रतन कुशवाहा , सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा ललितपुर के अन्तर्गत पंचमुखी हनुमान जी के मन्दिर के पास शहजाद नदी पर क्षतिग्रस्त सेतु का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की कानपुर नगर में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा 2009 एवं 2010 में अधिसूचित गाँवों में अभी तक कोई कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के बारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डेरावारी, लिफ्ट शाखा के द्वारा नयी नहर तृतीय शाखा का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत रेनुवा से दौलतपुर ग्रन्ट अल्लीपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भरत लाल विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बड़कली रेलवे फाटक से ग्राम बेहड़ी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद आलम व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ की तहसील बक्शी का तालाब के अन्तर्गत कुर्सी रोड-उलरापुर सड़क पर 300 मीटर पर लगे ट्रांसफार्मर से पहले बाईं ओर गंगाशरण विहार, खसरा सं0-340, प्लाट सं0-8 और 11 के सामने से जाने वाला लगभग 1500 मीटर जर्जर मार्ग की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीश भटनागर व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के ब्लाक बदलापुर के अन्तर्गत बटाऊबीर-मई-नौपेड़वा मार्ग के शेष भाग 10 किमी0 का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शनि शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत ट्रांसफार्मर व जर्जर तारों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड कलान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुण्डरिया व ग्राम बोझी के मध्य राम गंगा नदी पर बने पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर क्षेत्रान्तर्गत गौरी बाजार विकास खण्ड में खरोह से रैश्री चौराहा होते हुए हरपुर तक टू लेन की सड़क (लम्बाई लगभग 5 किमी0) का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†

श्री विरेन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विकास खण्ड पिहानी के ग्राम सभा फत्तेपुर, तहसील-शाहाबाद में दबंगों द्वारा 50 वर्ष पुराना रास्ता जोतकर कब्जा कर लिये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी देवी व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के ब्लॉक काकोरी की ग्राम पंचायत भटऊ जमालपुर काकोरी में सन्तू के घर से चुन्नू के घर तक आर0सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में चांदपुर सेमरी से मुइली को जाने वाले मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा के ग्राम अतरौरा मीरपुर में एडवोकेट के0 राम के घर से ढकवा इब्राहिमपुर मुख्य मार्ग तक खड़ंन्जा मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री के0 राम निवासी जनपद प्रतापगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सराय राघव में बारात घर का निर्माण

---

† छापी नहीं गयी।

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरारी में धोबी वाली पोखर से पछादरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेघराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चॉदपुर के अन्तर्गत ग्राम पाडला से ग्राम रायपुर तक डामर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बस्ती की तहसील हरैया के अन्तर्गत गौर कप्तानगंज के बट्टूपुर पंचायत भवन से रामदेव के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार मिश्रा, निवासी जनपद बस्ती की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के नगर निगम, लखनऊ कन्हैया माधवपुर-द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत ब्रजधाम कालोनी से भुवर गाँव तक की सड़क व नाली की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अनिल कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत माडरमऊ-बकड़ापुर सम्पर्क मार्ग पर

---

† छापी नहीं गयी।

राम आधार मौर्या के खेत से कमलेश बारी के घर तक सी0सी0 सड़क (200 मी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम जियावन व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम कराही से ग्राम नगला रमले तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत विकास खण्ड डकोर के ग्राम खरका ददरी में मेन रोड सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंगल राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत ग्राम भगवन्तपुर से ग्राम एदलपुर प्रसादीपुर तक मार्ग (1.5 किमी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरगुन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित याचिका†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत चयनित 58000 बीसी सखियों की आय के साधनों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कुमारी जन्नत निशा, निवासी जनपद सम्भल की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के महानगर झांसी के अन्तर्गत वार्ड संख्या-13, कोछाभांवर, पैरामेडिकल के पास विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के महानगर कानपुर के अन्तर्गत वार्ड संख्या-8, मसवानपुर स्थित प्राचीन नकटी तालाब पर भू-माफियाओं द्वारा किये

---

† छापी नहीं गयी।

गये अवैध कब्जे को हटवाए जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत ग्राम कादीपुर में अधूरी पड़ी कांशीराम आवास योजना के सम्बन्ध में श्री सुनील पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम लालेमऊ में शाहपुर धौराहरा मार्ग से कुण्डवा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में धनलाल तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत नगर पंचायत बरियारपुर के रामभरोसा चौराहा व बरियारपुर के चौराहे तक सड़क के दोनों पटरियों का इण्टरलाकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील मद्धेसिया व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका व्यपगत हुई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बस्ती की बस्ती सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पिपरा चन्द्रपति में पुलिया से अर्स महाविद्यालय से होते हुए नहर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 तैय्यब, निवासी जनपद बस्ती की याचिका व्यपगत हुई।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत महरुआ से हीड़ी-पकड़िया मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत सिकरोहर अशोक राजभर के आवास से खड़वा-आलमपुर-अखई

---

† छापी नहीं गयी।

मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के अन्तर्गत मस्वासी बिजली घर के सामने से खुशालपुर के मोड़ तक डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीप गोयल व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा दरियापुर में सुबेदार के मकान से मन्नापुर बार्डर तक सी0सी0 रोड व सीवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ए0 के0 गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बेलसर की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत शुकुलगंज, गंगरौली, आदमपुर, ताराडीह मार्ग के त्रिमुहानीघाट पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री होली वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर के ब्लाक नाथनगर के अन्तर्गत ग्राम काली जगदीशपुर मेन रोड से रामनगर चौहान पुरवा (जयराम पट्टी) तक जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबचन उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद संतकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियागंज के ग्राम पंचायत असीवन तरफ कादिरपुर में पंचायत भवन की बाउन्ड्री का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री सुरेश व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड कड़ा के ग्राम सभा अन्दावां (शीतलपुर) में कमलेश पटेल के घर से नटबाबा तक रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेहनगर की ग्राम सभा रसूलपुर में फिनीहिनी मार्ग पर मगई नदी पर पुल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रमणि सरोज व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत मिठवल खुर्द (नौडिहवा) पिच रोड से राजाराम गौतम के घर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम गौतम, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मेरठ के सरधना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गाँव कपसाड से ग्राम अलीपुर तक लगभग 12 किमी0 रजवाहा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका व्यपगत हुई।

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र-109, किशनी के अन्तर्गत किशनी से रामनगर होकर विशुनगढ़ एवं किशनी चौराहे से बैसत होकर शमशेर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत प्रतापगढ़ ब्रांच में सिल्ट की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक सिकन्दराबाद व गुलावठी के अन्तर्गत कृषि कल्याण केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री धर्मेन्द्र चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत ग्राम सभा बनकट लालीपुर में मुस्लिम बस्ती से होते हुए जरौना बार्डर तक पिच रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आत्मालाल यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जियाऊर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री जियाऊर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र-29, कुन्दरकी के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगर कुन्दरकी में अल्ट्रासाउण्ड मशीन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री रफी व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र 79-सादाबाद के विकास खण्ड सादाबाद में सादाबाद राजवाहे की पटरी पर आगरा हाई-वे शहीद स्मारक गेट से ग्राम पंचायत वेदई तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्ड मुरली छपरा के अन्तर्गत शोभा छपरा संसार टोला पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बादशाह यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विशम्भर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका†

श्री विशम्भर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र-223, बबेरू के ग्राम सिमौनी में गडरा नाले पर बने रपटे को उच्चीकृत कर पुल का निर्माण कराये के सम्बन्ध मे श्री लप्पू प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के एन0एच0-24, वर्तमान में एन0एच0-9 जिन्दलनगर से ग्राम मोहीउद्दीनपुर, ढबारसी मार्ग का निर्माण कराये

---

† छापी नहीं गयी।

जाने के सम्बन्ध में श्री वसीम अकरम व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र-209, बिल्हौर के ब्लाक शिवराजपुर के अन्तर्गत ग्राम मुहपोंछा से नारायण स्वामी आश्रम तक सी0सी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ में विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका के अन्तर्गत चिलबिला, अमेठी मार्ग से आशापुर मिश्रान सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 2.00 किमी0 का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामजी मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत जुगनुपरा ग्राम वाली रोड पर गन्धू महाराज के पड़ोस वाली पुलिया से नारायण मन्दिर चन्द्रभाल के घर के पास 01 किमी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाशंकर शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका†

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम मल्हौसी से नगला भूरे तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंशुल यादव व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र विधूना के अन्तर्गत देवियापुर से सहायल होते हुए याकूबपुर तक सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हिमांशु गौतम 'भानू' व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत ग्राम चिमकुनी से सराय चोरी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री महाराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के लोहन्दी भड़ेवरा नहर की पटरी से तिवारीपुर भुण्डा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा के विकास खण्ड माण्डा के ग्राम सभा सकरी में सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम पाल बिंद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में एन0एच0-24 से कुंवर नया गाँव, खानीपुर, जमुनीपुर होते हुए विरसिंहपुर घाट तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के ब्लाक बासडीह के अन्तर्गत ग्राम भोजपुर मठिया अरविन्द सिंह के घर से सुदर्शन सिंह के घर तक लम्बाई 300 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 एम0पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 एम0पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र-121, नवाबगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम इनायतपुर से होते हुए ग्राम भोलापुर लावाखेड़ा शाही स्टेशन मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री टंडन बाबू व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत धुसका-गाजीपुर से तरइया तक पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नी लाल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत अर्जुनगंज-सरसवां गाँव स्थित साईंदाता आश्रम रोड के किनारे नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम लखन यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर महानगर के अन्तर्गत वार्ड संख्या-99 केअन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा 13 वर्ष पूर्व निर्मित जलाशय से आपूर्ति चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाबान मंसूर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र सदर हापुड़ के अन्तर्गत ग्राम श्यामपुर उर्फ शामईउद्दीनपुर में उदयवीर के घर से खडखडी सम्पर्क मार्ग तक कच्चा रास्ता बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा डिबाई के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत अलीगढ़-अनूपशहर रोड से बांया कुसहा बम्बे की पटरी डिबाई-दानपुर लिंक मार्ग तक 1500 मी0 मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीनेश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर में सातमील से हुसैनगंज होते हुए डलमऊ पुल व अन्य मार्गों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री पिन्टू मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम दूधली से भनेडा मार्ग के बीच छोईया नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री (डॉ0) शाहिद जौनी पुत्र श्री रिजवान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित भूतपूर्व सैनिकों की सेना में की गयी पूर्व सेवा को जोड़ने से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की भारतीय सेना में की गयी सेवा को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में जोड़कर वेतन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल कुमार व अन्य निवासीगण फतेहगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना में रामराज से देवल मार्ग का नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जसप्रीत व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अध्यक्ष-

प्रमुख सचिव, विधान सभा, इसमें जितनी भी सूचनाएं यहाँ पर ग्राह्य होती हैं, ये याचिका समिति में तो जायेंगी ही, सम्बन्धित विभागों को भी साइमल्टेनियसली जायेंगी।

[01:09] मा0 सदस्यों के विधान सभा क्षेत्रों में कराये जा रहे विकास कार्यों से सम्बन्धित शिलापट पर क्षेत्रीय विधायक का नाम अंकित न कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अव्यवस्था कौन सी हो रही है, जो व्यवस्था का प्रश्न आ गया ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, एक है, सदन के ही आदेश की अवहेलना हो रही है। मान्यवर, पिछली बार के सत्र में आपने कृपापूर्वक निर्देश दिया था, उत्तर प्रदेश में जो तमाम विभाग हैं, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे ग्राम्य विकास हो, चाहे पंचायती राज हो, इन विभागों से जो कार्य हम लोगों के क्षेत्रों में हो रहे हैं, वह हम लोगों के तमाम प्रयासों के बाद हो रहे हैं। लेकिन उसमें जो शिलापट लगाये जा रहे हैं, उसमें वहाँ के क्षेत्रीय विधायक का नाम नहीं लिखा जा रहा है।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष-

लिखा जा रहा है, लेकिन व्यवस्था का प्रश्न तो विधान सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित होता है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, नहीं लिखा जा रहा है। हमने यह सवाल उठाया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक आदेश किया था, आश्वासन दिया था और उसके बाद एक शासनादेश की प्रति भी हमको भेजी थी, उसके बाद भी उसका पालन नहीं हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि उसका पालन कराया जाये और जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाये। यह हमारे विशेषाधिकार का हनन हो रहा है, हमारे प्रोटोकॉल का भी हनन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

(सदस्य, श्री रविदास मेहरोत्रा एवं मनोज कुमार पारस लगातार बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी है। संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आने दीजिये। विषय वही है उतने में ही सारी बात आ गयी है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यह शासनादेश में है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार के और हमारे विभाग से दो शासनादेश इस सम्बन्ध में जारी किये जा चुके हैं। एक शासनादेश 13-10-2020 का है और एक 21-10-2020 का है। भारत सरकार के द्वारा एक पत्र आया था, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत और खासतौर से उसके तहत जारी किया गया और फिर उसके बाद अपने विभाग से 21 तारीख को शासनादेश जारी करवाया और सभी लोगों को इस बात के लिए निर्देशित किया। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को आमंत्रित करने, माननीय विधान मण्डल सदस्यों को, माननीय सांसद जी को आमंत्रित करने तथा उनका नाम शिलापट के ऊपर जो अनुमन्य शासनादेश है उसके अनुसार डाला जाये। इसको रिपीट भी किया है।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी, आप पूरी बात तो सुनो। व्यवस्था मुझे देनी है। आप लोग आपस में ही तय कर लीजिये मेरा कोई रोल नहीं है। मैं कह रहा हूँ, चुप हो जाओ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह निर्देश समय-समय पर दिये गये हैं। मान्यवर, आपको स्मरण होगा, कक्ष संख्या-15 में इस सम्बन्ध में एक बैठक भी आहूत हुयी थी। उसको कन्क्लूड होना है और उस सम्बन्ध में एक फ्रेश आदेश भी जारी हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ही यह मीटिंग हुयी थी। उसमें खासतौर से चीफ सेक्रेट्री को भी बुलाया गया था इसलिए कि वह सारे विभागों के ऊपर लागू हो जाये। जो शासनादेश समय-समय पर जारी हुये हैं उस पर लागू हो जाये। इसलिए आपकी बात का संज्ञान ले लिया गया है। जो प्रश्न माननीय मनोज कुमार पाण्डेय जी और माननीय सदस्यों ने उठाया है और माननीय अध्यक्ष जी की पीठ से निर्देश हुआ है मैं समझता हूँ बहुत जल्दी कम्प्लायंस हो जायेगी।

(श्री मनोज कुमार पारस के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कोई विषय अलग नहीं है।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, आपका संरक्षण इसलिए चाहिए कि जो हम लोग अपना विषय नियम-301 और नियम-51 में उठाते हैं और आप उसे ग्राह्य भी करते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, न उसका कोई उत्तर हम लोगों को मिल पाता है। अगर आपकी पीठ से कोई ऐसा निर्देश हो जाये कि जो आप ग्राह्य करें कम से कम उसमें कार्रवाई पूर्ण रूप से हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अभी बोला है कि बहुत सारी ग्राह्यता और अग्राह्यता देख ली जायेगी। अगर आप नियम-51 में या नियम-301 में 100 बेड का अस्पताल मागेंगे तो क्या आप चाहोगे वह हो जायेगा। वह तो संसाधनों और आवश्यकता के ऊपर निर्भर करेगा।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, अगर आप ग्राह्य करते हैं तब तो उसे ....

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्य होने की बात देखिये, अभी आप थे नहीं, मैंने बोला था कि बहुत सारी चीजें आगे से ग्राहय होने व अग्राह्य होने के समय नहीं होती हैं। जो चीज ग्राह्य हो सकती है वह होती हैं। अगर नियम-51 से 100 बेड का अस्पताल हो जाये तो हर मोहल्ले में खुल जाये।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-54, 55 में भी कुछ नहीं है। अब मद सं0-56

[01:13] उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023†

उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023†

उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आज ही इन दोनों विधेयकों पर विचार और पारण हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप पुरःस्थापित कर दें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

आज पुरःस्थापित विधेयकों को विचार एवं पारण हेतु आज ही लिए जाने का प्रस्ताव

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि आज दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को पुरःस्थापित निम्नलिखित विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत विचार एवं पारण करा लिया जाय।

पहला उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 तथा दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि आज दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को पुरःस्थापित निम्नलिखित विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत विचार एवं पारण के लिए ले लिये जाएं ?

पहला उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 तथा दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[01:17] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं :--

पहली सूचना श्री प्रसन्न कुमार एवं श्री चन्दन चौहान जी की है, श्री मनोज कुमार पारस की सूचना भी इसी विषय से सम्बन्धित है, इसलिए उस सूचना को भी इसी सूचना में क्लब कर देते हैं।

एक बात प्रसन्न कुमार जी और सुन लीजिये, कल आपका इसी विषय पर प्रश्न था और उस पर आपने विस्तार से चर्चा कर ली थी और उस पर माननीय मंत्री जी का उत्तर भी आ गया था। नियम के हिसाब से अगर कोई विषय एक बार विधान सभा के सत्र में आ जाता है, तो उसको पुनः सुना जाना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी बात मान ली और आपको अवसर दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, शर्तों में है कि अगर एक विषय पर चर्चा हो चुकी है, तो उसको दोबारा नहीं लिया जा सकता है लेकिन अगर चर्चा नहीं हुई है, तो उसको लिया जा सकता है।

क्वैश्चन का अलग उत्तर है उसमें विषय सीमित होता है, जबकि चर्चा में विस्तार होता है कि कैसे उसको पूरा किया जाय, इसलिए इसको लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसीलिए तो लिया है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, नियम-56 में मैंने न्यू पेंशन स्कीम में जो घोटाला हुआ उससे सम्बन्धित सूचना दी है, मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है उसको सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

महत्वपूर्ण तो सारे विषय होते हैं। श्री प्रसन्न कुमार जी आप अपना विषय रखें।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरा भी विषय है।

श्री अध्यक्ष-

कल मोना जी ने उस विषय को उठाया था, उस पर चर्चा हो चुकी है।

***श्री प्रसन्न कुमार-**

एक महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय लोकदल को चर्चा का समय देने पर मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गन्ना एक बेशकीमती फसल है। ..

मा0 अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय लोकदल को चर्चा का समय देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। गन्ना उत्तर प्रदेश की बेशकीमती फसल है, जो लाखों किसानों के परिवारों की रोजी-रोटी का साधन भी है। आए दिन गन्ने पर राजनीति भी होती रहती है, कभी गन्ने का किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए संघर्ष करता है, भाव के लिए संघर्ष करता है, पेमेंट के लिए संघर्ष करता है। गन्ना किसानों के लिए यदि कोई क्रांतिकारी कार्य, शुगरकेन एक्ट के कठोर नियमों को सरल बनाकर और गन्ना किसानों व उत्तर प्रदेश को 45-48 मिलों की सौगात देने का कार्य किसी नेता ने किया था, तो वह स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया था। मान्यवर, हम उनको बार-बार नमन करते हैं।

मान्यवर, गन्ने की फसल के दो मुद्दे हैं, एक तो गन्ने का पेमेंट और दूसरा गन्ने का भाव। कुछ गन्ना फैक्ट्री जिन्हें डबल इंजन की सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वह समय पर भुगतान नहीं करती हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार कानून की बहुत बात करती है और यदि कोई कानून का पालन नहीं करता, तो बुल्डोजर का भी डर दिखया जाता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि शुगरकेन एक्ट-1954 क्या सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस अधिनियम का पालन कर रही है। जितनी भी सरकारी फैक्ट्रियां हैं, उनमें से एक में भी 14 दिन की पेमेंट नहीं है और न ही उनका ब्याज तय है। मान्यवर, जब सरकार ही पालन नहीं करती, सरकारी फैक्ट्रियों में तो प्राइवेट फैक्ट्रियां कैसे पालन करेंगी। यदि सरकार की बात आती है, तो जवाब गोल-मोल हो जाता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि गन्ने से निकलने वाले उत्पाद पर 5 प्रतिशत जी0एस0टी0 सरकार वसूल करती है, जिससे प्रत्येक फैक्ट्री पर लगभग 25 करोड़ रुपये का टैक्स सरकार वसूल करती है। दूसरी बात गन्ना मिल और किसानों के बीच में एक सरकारी सोसाइटी काम करती है, जो गन्ना मिलों से 5.50 रुपये प्रति क्विंटल वसूल करती है। उसके बावजूद भी कुछ फैक्ट्रियां किसान को मजबूर करती हैं, अपने हक की लड़ाई करने के लिए और उनको धरने पर बैठना पड़ता है, लेकिन उनका पेमेंट नहीं होता है। अगर सरकार चाहे तो जी0एस0टी0 कम करके और जो सरकारी सोसाइटी पैसा वसूलती हैं, उसको कम करके, किसानों का पेमेंट किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान शामली मिल की ओर खींचना चाहता हूं, शामली मिल पर अब भी 222 करोड़ रुपये का पेमेंट बकाया है और सरकार की तरफ से कोई अच्छा आश्वासन, गम्भीर आश्वासन नहीं मिला है। जबकि किसान धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन किसान की मजबूरी है कि उसको गेंहू भी बोना है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन से मांग करता हूं कि वह मिल जर्जर हो चुकी है, उसके मालिक बेपरवाह हैं, वह न तो मिल की परवाह करते हैं और न ही किसानों की परवाह करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। कि शामली मिल का कोई दूसरा लाइसेंस नवीनीकरण कर दिया जाए, जिससे वहाँ के किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान हो सके। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गन्ने का भाव एस0ए0पी0 जो सरकार को घोषित करना चाहिए था, लेकिन सरकार घोषित नहीं कर रही। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार गन्ने का भाव एस0ए0पी0 घोषित क्यों नहीं कर रही है ? क्या मजबूरी है, किसानों के साथ क्यों मजाक हो रहा है ? दूसरी जो फसलें होती हैं, चाहे वह गेहूँ, धान व उड़द की फसल हो, उसका भाव घोषित हो जाता है, लेकिन गन्ने का भाव घोषित नहीं होता है। इसमें मुझे सरकार की नियत में खोट लग रही है। सरकार कुछ मिल मालिकों से मिली हुई है। मिल मालिक चाहते हैं कि समय पर गन्ने का भाव घोषित न हो, जिससे किसान दुविधा में रहे और वह अपना गन्ना कोल्हू में या दूसरी जगह न डाल पाये, यह उसका असली कारण है।

मान्यवर, एक तरफ तो सरकार किसानों की आय दो गुनी करने की बात करती है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ कि सात साल के अंदर गन्ने का भाव इस सरकार के द्वारा केवल रु0 25/-प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। क्या यह अनदेखी नहीं है कि सात साल में चीनी का भाव डेढ़ गुना बढ़ा है, दाल रु0 60/-से बढ़कर रु0 160/-हो गयी है, डीजल रु0 60/-से रु0 90/-हो गया है और खाद का भाव डेढ़ गुना बढ़ गया है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि गन्ने के भाव को सरकार घोषित भी नहीं कर रही है और बढ़ा भी नहीं रही

है। यदि मैं बात करूँ गैस सिलेन्डर की, जो सात साल पहले रु0 400/-का था आज वह रु0 1100/-का है।

मान्यवर, एक आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मा0 मंत्री जी भी उस आंकड़े को सुन रहे हैं। एक क्विंटल गन्ने में 11 किलो चीनी निकलती है, 5 किलो मॉलिसस निकलता है और लगभग 15 किलो खोई निकलती है। यदि हम इनका भाव देखें, तो इस समय चीनी रु0 4000/-प्रति क्विंटल है, मॉलिसस रु0 1000/- है और खोई रु0 300/-प्रति क्विंटल है। तो इससे भाव रु0 530/-प्रति क्विंटल निकलता है, लेकिन किसान को रु0 350/-मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, श्री प्रसन्न कुमार जी, मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं। ग्राह्यता पर जब कोई सूचना स्वीकार हो जाती है, तो एक व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकता है। अभी तो ये ग्राह्यता पर है। स्वीकार होने के बाद ग्राह्यता तो 2-3 मिनट की ही होती है। इसलिए पहले आपको बता दूँ ताकि आप समय-सीमा के अन्दर रहें।

श्री प्रसन्न कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी जो मैंने आंकड़ा बताया, उसके अनुसार गन्ने का मूल्य रु0 530/-प्रति क्विंटल बनता है, लेकिन किसानों को रु0 350/-मिलता है। इसके अलावा मिल एथनॉल और बिजली भी बेच रहे हैं। मान्यवर, सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। गन्ने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं होती। जबकि एक सरकारी एजेंसी का आंकड़ा है कि एक क्विंटल गन्ने की लागत रु0 311/-है। उससे यदि हम हिसाब लगाएं, तो गन्ने का भाव रु0 450/-प्रति क्विंटल होना चाहिए, लेकिन सरकार की निष्क्रियता के कारण गन्ने का भाव किसानों को रु0 350/-दिया जा रहा है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सदन से और आदरणीय गन्ना मंत्री जी से माँग करता हूँ कि किसानों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, उनकी आय को दो गुनी करने के लिए कम से कम इस गन्ने का भाव रु0 450/-प्रति क्विंटल होना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री मनोज कुमार पारस-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम-56 के तहत गन्ने के सम्बन्ध में किसानों से जुड़ी एक ज्वलंत समस्या के बारे में अपनी बात रखने का अवसर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से गन्ना एक कैश-क्राप है। पूरे साल किसान मेहनत मजदूरी करता है, वह न बारिश, कैश-क्राप, आँधी-तूफान, न ओले, न गरमी देखता है। धरती

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माँ का सीना चीर करके गन्ना पैदा करता है और यह सोच करके करता है कि कल जब इस गन्ने की फसल का पैसा मुझे मिलेगा तो मैं अपने बच्चों की शादी करूँगा, बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजूँगा, मकान बनाऊँगा, दुकान बनाऊँगा। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी बरसात का सीजन खत्म हुआ और खासतौर से इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बर्षा हुई। उस भारी बर्षा के कारण किसान का 25 प्रतिशत गन्ना सूख गया, पानी में खत्म हो गया। इसी के साथ-साथ 25 प्रतिशत गन्ना कैंसर नाम की एक बीमारी से गन्ना खेत में खड़े-खड़े सूख गया। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के पास मात्र 50 प्रतिशत गन्ना शेष है। लेकिन इस सब के बावजूद भी न सूखे हुए गन्ने का, न बाढ़ से खत्म हुए गन्ने का कोई मुआवजा सरकार ने घोषित नहीं किया जिससे किसान की मदद हो सके। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हम किसान की आय दोगुनी कर रहे हैं, क्या इसी तरह से किसान की आय दोगुनी होगी ?

आपके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहता हूँ अभी श्री प्रसन्न कुमार जी नियम-56 के तहत इस मुद्दे पर बोल रहे थे मैं उनकी बात से अपने-आपको सम्बद्ध भी करता हूँ, सारी फसलों का दाम बढ़ा दिया गया, लेकिन गन्ने का कोई दाम नहीं बढ़ाया गया। और तो और किसान के साथ कितनी ज्यादती हो रही है कि पिछले साल के गन्ना मूल्य का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। खासतौर से उन्होंने शामली मिल का जिक्र किया। मैं खासतौर से जनपद-बिजनौर में एक बिलायी शुगर मिल है, उस मिल पर पिछले साल का 250 करोड़ रुपया आज भी बकाया है। किसान, किसान यूनियन और बहुत सारे संगठन वहाँ पर धरना दे रहे हैं लेकिन गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है। एक तरफ किसान बाढ़ से प्रभावित, सूखे गन्ने से प्रभावित है, ऊपर से पिछले साल का जो बकाया है वह भी नहीं मिला। मेरी समझ में नहीं आता, यहाँ पर तमाम माननीय सदस्य बैठे हैं, सरकार के पास ऐसा कौन सा आँकड़ा है जिससे आय दोगुनी हो रही है। आज किसान के घर में खाने-पीने के लाले पड़े हुए हैं, आज उसकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, मकान नहीं बन पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस देने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए आपसे बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए इतने गम्भीर विषय पर मैं चर्चा कराने की माँग करता हूँ। कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये और कम से कम 7 घण्टे की चर्चा हो जिस पर विस्तार से सभी मा0 सदस्यों के विचार आ जांए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चन्दन चौहान-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ और गन्ना किसान भी सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी, तमाम पक्ष, विपक्ष के लोग, आदरणीय गन्ना विकास मंत्री जी और इस सदन में जो कहीं न कहीं अपने आप को खेती

और किसानी से जोड़ने का काम करते हैं वे सब लोग मिल कर, यह पूरा सदन मिलकर आज गन्ना किसानों को संरक्षण देने का काम करेंगे। मुझे व गन्ना किसानों को आज ऐसी उम्मीद इस आदरणीय सदन से है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब लोग यह जानते हैं कि गन्ना मूल्य केवल उस फसल का नहीं होता जो खड़ी खेतों में हमें दिखती है।

मा0 अध्यक्ष जी, गन्ना मूल्य उस मेहनत का भी होता है, जो किसान रोज सांप-बिच्छुओं के साथ मौसम की तमाम परेशानियों के साथ अपने बच्चों के अधिकार मारकर बैंकों से कर्ज लेकर बैंकों के तानों से लड़कर उस फसल को पैदा करता है। इन सब डिप्रेशन की बातों के बीच में उसको ऊर्जा देने का कोई काम करता है तो वह किसानों का गन्ना मूल्य ही करता है। किसान का मूल्य सही समय पर घोषित होना अति आवश्यक है। ऐसे समय में हमारा आम व्यक्ति, आम किसान इस मूल्य पर निर्भर है। उनके मां-बाप की बीमारियों का इलाज हो, घर में जवान बेटी की शादी हो, बच्चों की फीस जमा होनी हो, इन सब तनावों के साथ डेढ़ महीने मिल चले हो जाये और इस मेहनत का हमें क्या स्वरूप मिलेगा यह किसान को जानकारी न हो तो यह बहुत दुःखद है।

मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से आता हूं। जब आपकी पीठ से और खासकर आपके दायें हाथ की ओर से कोई वादा होता है तो प्रत्येक सदस्य को और क्षेत्र में बैठी जनता को बड़ा उत्साह होता है। दिसम्बर, 2021 में मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की घोषणा इसी सदन के अन्दर हुई थी और वहां के किसानों को बहुत उम्मीद थी कि ढाई हजार टीसीडी से बढ़कर हमारी क्षमता 7500 टीसीडी हो जाएगी, जिससे वहां का मेहनती किसान आने वाले समय में अपनी आजीविका में बदलाव करने का काम करेगा, इसका संरक्षण भी आपके माध्यम से पूरे सदन के माध्यम से वहां के गन्ना किसान चाहते हैं। साथ ही साथ डेंगू के साथ ही एक रहस्यमयी बुखार चला था, जिसमें किसानों के परिवारों की आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वहां ऐसे समय में गन्ना मूल्य बढ़ाकर सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए।

मुझसे पूर्व वक्ताओं की बातों से मैं अपनी बातों को जोड़ता हूं। यहां बाढ़ का भी प्रभाव रहा है। हमारे यहां 0238 बीज हुआ करता था, उसकी रिकवरी अधिक हुआ करती थी पर टॉप बोरवर के कारण, अन्य बीमारियों के कारण किसानों की पैदावार भी कम हुई है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं यह चाहूंगा कि आने वाले समय में गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए। हमारी पार्टी, गठबन्धन के सभी नेता, यहां बैठे सदन के सभी सदस्य यह चाहते हैं कि किसान की दशा-दिशा सुधर सके और आने वाले समय में हम उन्हें बेहतर जीवन दे सकें, इसके लिए गन्ना मूल्य साढ़े 400 रुपये घोषित हो। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने मुख्य रूप से 3-4 बातें उठाई हैं, कल भी मैंने बताया था। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में यह अनुरोध करना चाह रहा हूं। आदरणीय मनोज पारस जी ने मा0 चन्दन सिंह चौहान जी ने और मा0 प्रसन्न जी ने कहा है। बिजनौर के बारे में मा0 मनोज पारस जी थोड़ा जानकारी कर लें, 1 रुपया भी जनपद बिजनौर में किसी फैक्ट्री पर किसानों का गन्ने का बकाया नहीं है, शत-प्रतिशत पेमेंट हो गया है। मैं यह हाउस में कह रहा हूं कि शत-प्रतिशत पेमेंट हुआ है। वर्तमान में 1393 करोड़ रुपये का गन्ना इस सत्र में अब तक हमने खरीदा है। 1363 करोड़ रुपये का वर्तमान में अब तक हमने पेमेंट कर दिया है। मुजफ्फरनगर में शत-प्रतिशत पेमेंट हुआ है, एक पैसा भी किसी किसान का बाकी नहीं है। प्रसन्न जी ने कहा है, जनपद शामली में निश्चित रूप से पैसा बाकी है। वहां धरना चला और आप ही लोगों ने उस धरने में मिल वालों के साथ यह समझौता किया, उस समझौते के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। आप लोगों ने मिल को चलाने की इजाजत दी है। आपके धरने में जो शर्तें तय हुयी हैं यदि वह उस पर खरा नहीं उतरेगा तो उसके खिलाफ हम कड़ी कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, मा0 पारस जी और मा0 चन्दन जी ने गन्ने के नुकसान के सम्बन्ध में एक बात कही थी तो मैं बताना चाहूँगा कि गन्ने के नुकसान के सम्बन्ध में हमने जो सर्वे कराया है उसके मुताबिक सहारनपुर में 23 हेक्टेयर में गन्ना खराब हुआ है, मेरठ में 273 हेक्टेयर में गन्ना खराब हुआ है। पश्चिम में वर्षा ज्यादा नहीं हुयी, लेकिन नदियों की बाढ़ के कारण गन्ना खराब हुआ है। वर्षा के कारण गन्ना खराब नहीं हुआ है। आदरणीय प्रसन्न जी चूँकि शामली जिले के विधायक हैं, एक बहुत बड़े व्यापारी और उद्योगपति भी है, उन्होंने एक बात कही थी कि वहाँ कोई दूसरी मिल का लाईसेंस दे दिया जाये। प्रसन्न जी मिल लगा लें, हम लाईसेंस तत्काल जारी कर देंगे। उन्होंने सिलेण्डर के विषय में एक बात कही थी कि सिलेण्डर की कीमतें बढ़ गयीं। प्रसन्न जी, आप बड़े आदमी है इसलिये आपको तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गरीबों को दीपावली में मुफ्त सिलेण्डर भी दिये गये हैं। जहाँ तक भाव की बात है तो हमने वर्ष 2022 में 25 रुपये भाव बढ़ाया था। डाक्टर साहब विद्वान आदमी हैं। हरियाणा तथा पंजाब केवल मात्र दो ऐसे प्रदेश है जहाँ हमसे मात्र 10 रुपये 15 रुपये थोड़ा सा भाव ज्यादा है और वह इसलिये ज्यादा है, क्योंकि पंजाब में तीन मिल है और तीनों मिल मालिकों ने सरकार से यह कह दिया है कि हम बढ़े हुये भाव को नहीं दे सकते तो उस पैसे को भी सरकार दे रही है। हरियाणा और पंजाब दोनों को मिलाकर कुल इतना गन्ना होता है, कुल इतनी फैक्ट्री है, जितना अकेले एक मेरठ जिले में है, इतना उनका क्षेत्रफल है। इसके अलावा जितने भी प्रदेश है उनमें गन्ने का सबसे ज्यादा भाव आज भी हमारे प्रदेश में है। भाव तय करने के लिये कल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर साहब ने भी कहा था कि शाहजहाँपुर में 306 रुपये रिसर्च सेन्टर ने बताया, धामपुर ने 311 रुपये बताया था। मैं मानता हूँ कि यही उनकी रिपोर्ट है। भाव तय करने की एक प्रक्रिया है, एक कमेटी है। किसान और व्यापारी दोनों ही पक्षों से बात करने के बाद विभाग में विचार करने के बाद कैबिनेट से भाव तय होता है। निश्चित रूप से भाव जल्दी ही तय होगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 श्री प्रसन्न कुमार जी को, श्री चन्दन चौहान जी को, श्री मनोज कुमार पारस जी को सुना। मैंने मा0 मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है। मैं इसे अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना श्री अवधेश प्रसाद जी, श्री लालजी वर्मा जी, श्री मनोज कुमार पारस जी, डा0 संग्राम सिंह यादव जी, श्री बृजेश कठेरिया जी, श्री सुधाकर सिंह जी, श्री तुफानी सरोज जी, डा0 रागिनी सोनकर जी की है। इसमें से दो या तीन मा0 सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दी जायेगी, सभी मा0 सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

डा0 संग्राम यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, अनुरोध है कि मा0 अवधेश प्रसाद, मा0 लालजी वर्मा एवं डा0 रागिनी सोनकर जी को बोलने की अनुमति प्रदान कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। यह तीन मा0 सदस्य बोलेंगे।

***श्री अवधेश प्रसाद-**

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके प्रति बहुत आभारी हैं कि आज इस आदरणीय सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को स्वीकृत करते हुये आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश जहाँ पर 25 करोड़ से ज्यादा लोग निवास करते हैं। जहाँ पर 22 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की संख्या है। यह सरकार उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित कर रही है।

(इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए)

श्री अवधेश प्रसाद-

भारतरत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, लेकिन इस सरकार का इरादा पहले ही पता चल गया जब समाज कल्याण का कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। जबकि यह बहुत बड़ा विभाग है और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनायें है। इस सरकार के रहते और चलते अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की सोची-समझी रणनीति बनायी गयी है, जिसके अन्तर्गत आज प्रदेश के लाखों लाख अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्हें और उनके आने वाले परिवारों को आने वाली पीढ़ियों को बाध्य करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे है कि वह केवल 5 किलो राशन पाकर जीवकोपार्जन करें और उच्च शिक्षा न प्राप्त करें।

आज मा0 नेता जी इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी एवं मा0 अखिलेश जी की सरकार के रहते और चलते उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्रवेश के समय उनसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती थी। लेकिन आज इस आदरणीय सदन में कहते हुए अफसोस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते और चलते आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से पूरी तरह से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि जब वह छात्र प्रवेश के लिए जाते हैं तो उनसे पूरी फीस ले ली जाती है। उन छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की सरकार की यह एक योजना है। जब हमारी सरकार थी और आदरणीय अखिलेश जी जब इस सदन के नेता और मुख्य मंत्री थे तब 13 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बाबा जी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार के रहते और चलते अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने विरोधी है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज प्रदेश के केवल 8 लाख ही छात्र अनुसूचित जाति के उच्च शिक्षा प्राप्त कर पा रहे है। इससे ज्यादा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर अन्नाय नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सारे कार्यक्रमों को रोक कर इस आदरणीय सदन में इस गम्भीर मुद्दे पर चर्चा करायी जाए और सरकार को बाध्य किया जाए कि सरकार आज ही यह तय करें कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को प्रवेश के समय फीस देने की जो बाध्यता है उसको हटाकर जैसी व्यवस्था मा0 नेता जी की सरकार के समय था, मा0 अखिलेश जी की सरकार के समय था वही व्यवस्था फिर से लागू की जाए, जिससे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कहा था कि शिक्षित बनो उसका अनुपालन हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस सम्बन्ध में आदरणीय सदन में चर्चा की मांग करता हूँ।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मा0 श्री अवधेश प्रसाद जी ने उठाया है। प्रदेश में लगभग 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी है। वर्ष 2021 में जनगणना नहीं हुई है अन्यथा संवैधानिक बाध्यता के आधार पर उस प्रपार्शन को हमें पूरा करना पड़ता। संख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उचित भागीदारी मिल सके, इसीलिए हमारा जो बजट बनता है। उसमें समाज कल्याण का अनुदान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या-83 भी रखा गया है जिसमें विभिन्न विभागों का अलग से जो बजट है वह समाज कल्याण के उस अनुदान संख्या से जाता है जिससे हर विभाग का रेशियो पूरा हो सके।

मान्यवर, उसी तरह से शिक्षा में भी है। जो हमारी पापुलेशन है उसके अनुपात में वे बच्चे उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकें। इसलिए पहले इस तरह की व्यवस्था थी कि उनका जीरो फीस पर एडमीशन होता था। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक उनको प्रतिपूर्ति देने का काम किया जाता था। जिसके आधार पर उस कमी को विद्यालय पूरा करता था। मान्यवर, इस समय वर्तमान व्यवस्था में उसको समाप्त कर दिया गया कि जीरो फीस पर किसी भी छात्र का एडमीशन नहीं होगा। बाद में निर्णय लिया गया कि केवल सरकारी अनुदानित विद्यालयों में ही उनका एडमीशन होगा, अन्य किसी में नहीं होगा। निश्चित रूप से यह बहुत ही गम्भीर विषय है और जिसके कारण अभी हमारे साथी श्री राजेन्द्र चौधरी जी कह रहे थे और उन्होंने आंकड़ा दिया कि जहां पहले 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्रायें उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे अब उसकी जगह पर 10 प्रतिशत और 9 प्रतिशत बचे हैं। फीस की अधिकता के कारण वे एडमीशन नहीं ले पा रहे हैं। निजी संस्थाओं में चाहे वह मेडिकल कालेज हो, इन्जीनियरिंग कालेज हो, बी0एड0 कालेज हो, बी0टी0सी0 कालेज हो। उसमें ज्यादा फीस होने के कारण उनका अनुपात बहुत अधिक घटा। उसको बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि निःशुल्क यानी जीरो फीस पर उनका एडमीशन हो। उसमें घपला न हो सके।

मान्यवर, तमाम ऐसी योजनायें हैं जिसमें उनको कार्ड मिला है। जैसे आयुष्मान भारत का कार्ड है। जिस अस्पताल में एडमिट होते हैं वहां वह एक्टिवेट होता है। कोर्स के आधार पर पैसा अपने आप आ जाता है कि उस इलाज में कितनी दवा लगेगी, पैसा आ जाता है। उसी तरह से इसमें भी बनाया जा सकता है। अगर हम यह महसूस करते हैं कि विद्यालय या कहीं ज्यादा छात्र दिखा देंगे तो उस आधार पर आप इस तरह के कार्ड की व्यवस्था कर सकते हैं। वह जहां जिस भी विद्यालय में एडमीशन लेगा वहां वह कार्ड एक्टिवेट होगा और एक्टिवेशन के तहत उसकी निर्धारित फीस आ जायेगी, उसका प्रवेश हो जायेगा। उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। यह हमारी संवैधानिक बाध्यता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उत्तर प्रदेश में 23 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति की आबादी है। अगर जनगणना होगी तो स्पष्ट हो जायेगा।

बिहार में 16 प्रतिशत थी अब 20 प्रतिशत हो गयी है। यहां भी पहले लगभग 21 प्रतिशत था निश्चित रूप से अब जनगणना हुई तो यह 23 प्रतिशत से ऊपर आयेगा।

उनकी भागीदारी, शिक्षण संस्थाओं में उनका एडमीशन उसके सापेक्ष नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस परिवेश से 5 करोड़ से ज्यादा आबादी प्रभावित हो रही है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको ग्राह्य करके इस पर दो घण्टे की चर्चा करा दें। पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य इस पर सुझाव दें और उस

सुझाव के आधार पर इसका समाधान किया जा सके कि कैसे इस वर्ग के लोगों का हित संरक्षित हो सके। ऐसा आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए चाहूंगा कि इसको आप अनिवार्य रूप से ग्राह्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।

***डा0 रागिनी-**

मान्यवर, आपने मुझे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूं। आज प्रदेश के लिए देश के लिए बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। मेरे लिए एक ऐसा मुद्दा है, मैं ऐसा भी कह सकती हूं कि मेरे दिल के भी बहुत करीब है। उसको मैंने जिया है क्योंकि मैं खुद उस परिवार से हूं। मैं जानती हूं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा पाने की जो लड़ाई वे लड़ते हैं उस लड़ाई में जब वे जीत नहीं पाते हैं तो उनका पूरा का पूरा जीवन अन्धकार में चला जाता है। जिस तरीके से आदरणीय लालजी वर्मा जी कह रहे थे कि 28 प्रतिशत से ज्यादा हमारी आबादी है जो इसमें आती है। लेकिन सदियों से उनका हक छीना गया है, उन्हें उपेक्षित रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, उपेक्षित रहने का कारण उनकी मानसिक या शारीरिक कमजोरी नहीं है। उन्हें शिक्षा न देना सतत् विकास, अधिकारिता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, भागीदारी प्रजातंत्र, समानता इन सभी से सदियों से वंचित रखा गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मूलतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो बच्चे हैं वह गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, और आज इस सरकार में देखा जा रहा है ज्यादातर बच्चे प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी बाद ड्राप आउट कर रहे है और यह जो ड्राप आउट कर रहे है उसका कारण यह है कि स्कूलों व कालेजों की जो फीस है वह बहुत ज्यादा है और इनका परिवार समर्थ नहीं है देने के लिए पुरानी सरकारों ने हमेशा इस तरीके की नीतियां लागू और इस तरीके से मदद करने की कोशिश की कि यह जो हमेशा से उपेक्षित समाज रहा है उसे आगे उठाया जा सके अभी कुछ दिन पहले संविधान दिवस के दिन हम सभी ने प्रण लिया और हर वर्ष लेते हैं कि हम सभी भारत के नागरिक भारत को सम्पूर्ण प्रभूत्व व सम्पन्न समाजवादी पंत निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने में पूरी भागीदारी देंगे और आपकी सरकार का यह वादा भी रहा है कि सबका साथ और सबका विकास लेकिन यह धरातल पर क्यों नजर नहीं आता-आज चाहें वो आदिवासी समाज हो चाहे वह पिछड़ा समाज हो या अति पिछड़ा समाज हो चाहे वो दलित समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो हर कोई आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्योकि जहां हम छात्रों के स्कालरशिप की बात करते हैं तो उससे पहले जनगणना आती है और जब-जब विपक्ष ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है बार-बार यह सरकार उस मुद्दे को लेकर के लापरवाही बरतती रही और यह दर्शाता है कि आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को और शिक्षा को लेकर के असंवेदनशील हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आज इस सदन के माध्यम से एक छोटी सी रिपोर्ट जिसको एक उदाहरण के तोर पर देना चाहूंगी कि प्रतापगढ़ में चरिया एक जगह है जहां पर हमारे आदिवासी समाज के मुसहर समाज के लोग रहते है उनकी जो टोटल संख्या हैं वह 293 हैं और उसमें हम अगर साक्षरता की बात करे तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिक्षित हो उसमें 45 बच्चे है जो 6 से 12 वर्ष की उम्र के है और उसमें से 2 बच्चे है जो स्कूल जाते हैं और हम बात करे 13 से 18 वर्ष तक के बच्चों की तो उसमें से सिर्फ 4 बच्चे है स्कूल जाते है यहां तक कि उन 70 परिवारों में से सिर्फ 17 ऐसे परिवार हैं जिनके घर पर छत है या उनके पास आवास है तो यह जो मुद्दा है वह बड़ा ही संवेदनशील है इस मुद्दे की जड़ यह है कि जब तक हम जातीय जनगणना नहीं करायेंगे और जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि जो हमारा आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के कितने बच्चें हैं कितने लोग हैं तब तक हम उनको उनका अधिकार नहीं दिला पायेंगे और मैं इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस मुद्दे पर 2 घंटे की चर्चा हो और विस्तार रूप से सरकार मजबूती से समझे और चर्चा करें।

(इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 54 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

नियम-56 के अन्तर्गत दो सूचनाएं कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा लगाये जाने पर दोनों सूचनाओं को निरस्त करने के निर्देश

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य मनोज पारस जी और मा0 सदस्य मनोज पाण्डेय जी आप दोनों सदस्य सुन लें नियम-56 के अन्तर्गत यदि किसी भी मा0 सदस्य की दो सूचनाओं के ऊपर दस्तखत हुए तो दोनों रिजेक्ट होंगी। मैंने आज तो स्वीकार कर लिया लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरूण)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न छात्रवृत्ति के जीरो बैलेन्स से सम्बन्धित है और आज तारांकित प्रश्न संख्या-5 में यह उठाया गया था। मैं इसका पूरा उत्तर दे चुका हूँ। अगर आप कहें तो मैं इसका उत्तर पुनः प्रस्तुत कर दूँ वैसे पूरी बात तारांकित प्रश्न संख्या-5 में आ चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

आप बता दीजिये।

श्री असीम अरूण-

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरा विषय यूँ है कि जो बच्चे छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करते हैं उनमें से एक व्यवस्था पहले थी जिसको सामान्य भाषा में जीरो बैलेन्स

कहा जाता था। बच्चे इसमें एडमिशन ले लेते थे और जो विद्यालय हैं उनको सीधे विभाग छात्रवृत्ति दे दिया करता था और बच्चे जीरो बैलेन्स पर पढ़ते थे। हमारी सरकार की इसमें चिन्ता है और मैं समझता हूँ कि सपा सरकार की भी इसमें चिन्ता रही होगी और अन्य सरकारों की भी रही होगी कि कोई भी बच्चा छूटे न और साथ-साथ किसी प्रकार घपले का मौका या छेद न छूट जाये। शायद इसीलिये वर्ष 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही यह आदेश किया कि जो जीरो बैलेन्स है उस पर रोक लगाई जाती है। यह मैं अन्दाजा लगा रहा हूँ।

(श्री अवधेश प्रसाद, श्री लालजी वर्मा, श्री मनोज कुमार पारस तथा समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग माननीय मंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिये। उसके बाद आप भी अपनी बात कह लीजियेगा। आपको पूरा अवसर दिया जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सदन में मैंने यह भी कहा था कि यह राज्य मंत्री हैं इनको कम से कम कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता तब हम मानते कि यह सरकार अनूसूचित जाति के कल्याण के लिए कुछ काम कर सकेगी। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, इनको समाज की चिन्ता करनी चाहिये [xxx]।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये। यह उचित नहीं है। आप इस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। यह जो माननीय अवधेश प्रसाद जी ने कहा है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये और यह मुझे डिसाइड करने दीजिये। माननीय अवधेश प्रसाद जी ने माननीय मंत्री जी के लिए जो शब्द कहा है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री असीम अरूण-

माननीय अध्यक्ष जी, जो शासनादेश है मैं उसको माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दूँगा, लेकिन बात यह नहीं है कि आपने क्या गलती की और हमने क्या गलती की। आगे का रास्ता अच्छा कैसे खुले मैं सीधे इस पर आता हूँ। केन्द्र सरकार ने इस व्यवस्था को समझते

[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

हुए संतुलन के लिए एक नया प्राविधान किया है जिससे सबको छात्रवृत्ति भी मिल जाये और चोरी का रास्ता पुनः न खुल जाये। इसके लिए एक फ्री-शिप कार्ड की व्यवस्था दी है। इस बार जो नियमावली और शासनादेश जारी हुआ है उसमें यह शमिल है और उसे पोर्टल पर भी शामिल कर दिया गया है। यह कैसे काम करेगा, तो जो छात्र हैं वह जिस विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं वह तय करेंगे और हमारे पोर्टल पर आयेंगे। अपना डिटेल भरेंगे, उस विद्यालय का रिफरेंस भरेंगे और उनको एक कागज मिल जायेगा जो फ्री-शिप कार्ड होगा जिसे लेकर वह विद्यालय जायेंगे और उस पर उनको एडमिशन मिल जायेगा। इसे जीरो बैलेन्स बोलिये या फ्री-शिप कार्ड बोलिये लेकिन इस पर उनको एडमिशन मिल जायेगा। इसमें कुछ चीजें जैसे स्पोर्ट्स फीस वगैरह शामिल नहीं है और ट्यूशन फीस आदि इसमें शामिल है। सबसे पहले इस नियम को राजकीय विद्यालयों और अनुदानित विद्यालयों के लिए शुरू कर दिया है। इस संतुलन को और बनाने के लिए इस वर्ष से श्रेणीवार तरीके से बायोमैट्रिक या फेसियल पहचान अटेण्डेन्स को भी लागू किया जा रहा है जिससे पुनः घपले न होने पायें। हमारा यह संतुलन स्थापित होता जा रहा है, बेहतर हो रहा है और किसी को चोरी करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। इस वर्ष से अनुदानित और राजकीय में इसको लागू किया जा चुका है। इसके अनुभव के आधार पर अगले वर्ष तय करेंगे कि क्या हम इसे निजी संस्थान में ले जा सकते हैं या नहीं।

श्री अवधेश प्रसाद-

सरकार का उत्तर अनुसूचित जाति के विरोध में है और जब तक जीरो बैलेन्स नहीं लाया जायेगा तब तक इस वर्ग के लोगों का हक मारा जाता रहेगा। हम और हमारे साथी सरकार के उत्तर के विरोध में सदन से बर्हिगमन करते हैं।

(श्री अवधेश प्रसाद, सदस्य समाजवादी पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बर्हिगमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय अवधेश प्रसाद जी को सुना, माननीय लालजी वर्मा जी को सुना, डॉ0 रागिनी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूँ। अन्य कोई भी सूचनाएं ग्राह्यता के लिए नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश श्रीशुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्रीशुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी अगर आप विधेयक पर कुछ बोलना चाहें तो बोल दीजिये।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, हम सबका सौभाग्य है कि आज मुझे उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् के विधेयक को सदन में प्रस्तुतीकरण का अवसर मिला है। मान्यवर, भारतीय मान्यताओं, परम्पराओं तथा संस्कारों की विरासत ने सदैव पूरे विश्व को ''वसुधैव कुटुम्बकम'' की भावना से एक परिवार मानते हुए ''सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया'' की भावना के साथ 'विश्व कल्याण' की बात की है और इसी के बल पर हमें ''विश्व गुरू'' का दर्जा प्राप्त रहा है। हमारी यही प्राचीनतम सनातन संस्कृति एवं विरासत है, जिसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी सरकार लगातार तेजगति से आगे बढ़ रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय की नियम-56 की सूचना को कल लिए जाने के निर्देश

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी एक सेकेंड मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी का एक इश्यू था। वह हम सब लोगों के लिए वरिष्ठ हैं। आदरणीय पाण्डेय जी यह आपके ऑफिस में पड़ा रहा यहां पर आया नहीं था।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, हमारे क्षेत्र की एक नगर पालिका में संविदा कर्मियों का करीब 50 लाख रुपया नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाण्डेय जी यह नियम-56 की सूचना है। आपने इसे अपने ऑफिस में टाईप कराया और यह वहां से यहां पर आई नहीं थी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, ठीक है आप कल इसे ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मुझे कुछ काम था आपने मुझे इसके बारे में बताया था और आपके लिये ही मैं कल यहां पर आया था। मेरा आपसे निवेदन है कि कल सुबह लगाकर ले लूंगा। मैं सब लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि श्रद्धेय पाण्डेय जी हम लोगों के लिए आदरणीय हैं। उन्होंने मुझे एक विषय बताया था जब मैं बाहर गया था तो उस विषय को लेकर मैं आया था और उनका कोई भी विषय हो वह हम सब लोगों के लिए मान्य होता है। बायचांस आपने अपने ऑफिस में टाईप कराया था और वह वहीं रह गया था। वह हमारे ऑफिस में नहीं आया था इसलिए इसे कल ले लेंगे।

उत्तर प्रदेश श्रीशुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 (क्रमागत)

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, देश का सौभाग्य है कि आज हमें मा0 श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी जैसा यशस्वी, दूरदर्शी व कर्मठ प्रधानमंत्री जी का मार्ग दर्शन और मा0 श्री आदित्यनाथ जी जैसे योगी, तपस्वी सन्त तथा अपार ऊर्जावान मुख्य मंत्री जी का नेतृत्व मिला है, जिनके कुशल एवं प्रभावशाली नेतृत्व में न सिर्फ उ0प्र0 हर क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छू रहा है, बल्कि विकास व लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ कानून का राज स्थापित कर, प्रदेश की विकास यात्रा का नया आयाम लिखने का काम हो रहा है। मान्यवर, हमारा यह भी सौभाग्य है कि हम उस प्रदेश के वासी हैं जहां मार्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम जी की अयोध्या, भगवान श्रीकृष्ण जी की जन्म स्थली मथुरा, कीड़ा स्थली वृन्दावन का बृज क्षेत्र, भगवान शिव की अलौकिक नगरी काशी, 88000 ऋषियों-मुनियों व तपस्वियों की तपो भूमि नैमिषारण्य, शिव की पवित्र नगरी तथा हमारे प्रिय नेता यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री अटल जी की जन्म स्थली ''बटेश्वर नाथ धाम'' (आगरा), मिर्जापुर का मॉ विन्ध्यवासिनी धाम, तीर्थराज प्रयागराज, मुजफ्फरनगर का पवित्र शुक तीर्थ धाम, देवीपाटन का पवित्र धाम चित्रकूट धाम के साथ-साथ भगवान बुद्ध के कई पवित्र स्थल हमारे उ0प्र0 के गौरव तथा गरिमा के साथ-साथ पर्यटन के लिए देश तथा विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके साथ-साथ दुनिया का सातवां अजूबा ताजमहल, लालकिला सहित हर जिले में तमाम ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर आकर्षण स्थल, जीवन दायिनी पवित्र गंगा विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। मान्यवर, काशी का बाबा विश्वनाथ भगवान का कारीडोर बनने तथा अयोध्या में भगवान श्रीराम जी के मंदिर का शिलान्यास 05 अगस्त, 2020 को होने के बाद आगामी 22 जनवरी, 2024 को भव्य, दिव्य एवं अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी समस्त ''ब्रह्मान्ड'' बनने जा रहा है।

(इसी मध्य अपराह्न 02 बजकर 07 मिनट पर श्री अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए)

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन तथा धार्मिक स्थलों को भव्यता, दिव्यता तथा आलौकिकता देने, बेहतरीन पर्यटक सुविधायें विकसित करने का परिणाम है कि वर्ष 2022 में 180 प्रतिशत पर्यटकों की बढ़ोत्तरी के साथ यह संख्या 32 करोड़ के पार पहुंचकर पर्यटकों की आवक में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। जिससे प्रदेश के राजस्व में पर्यटन में भारी इजाफा हुआ है क्योंकि जब एक पर्यटक आता है तो 06 लोगों को रोजी-रोजगार के अवसर प्रदान करता है। मान्यवर, आज हम 24 करोड़ प्रदेशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा होता है जब रामलला की धरती पर भव्य, दिव्य, अलौकिक दीपोत्सव का कार्यक्रम वर्ष 2017 से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से करते आ रहे हैं। तभी से प्रतिवर्ष दीयों की संख्या का रिकार्ड बनाकर लगातार गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड बनाते हैं और अगले वर्ष दीपोत्सव पर अपना ही रिकार्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाकर गिनीज

बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम इस वर्ष भी 22 लाख 23 हजार दीये जलाने का पुनः नया रिकार्ड बनाये हैं तथा हमारे मा0 प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 54 से ज्यादा देशों के राजनयिक भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में पधार कर इस उत्सव के साक्षी बने हैं। जिससे इसे विश्वस्तरीय स्वरूप प्रदान हुआ है।

इसी प्रकार इसी 27 नवम्बर को विश्वनाथ भगवान शिव की नगरी काशी के देव दीपावली में 12 लाख दीये जलाकर अदभुत कार्यक्रम में 70 से ज्यादा देशों के राजनयिक साक्षी बने तथा भारत की सनातन संस्कृति, परम्पराओं व विरासत से प्रभावित होकर अपने-अपने देशों में हमारी संस्कृति के प्रचार व प्रसार के वाहक बने हैं। मा0 अध्यक्ष जी, कई देशों व प्रदेशों की राजस्व आय का मुख्य स्रोत पर्यटन है। हमारे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनायें हैं, जिन्हें धरातल पर उतारने, उन्हें नियोजित तरीके से भव्यता, दिव्यता व सुगमता देने के लिए हमारी सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं को सुनियोजित तरीके से समयबद्धता के साथ तैयार करने, विकसित, अनुरक्षित, समन्वय, एकीकृत तथा अनुश्रवण करते हुये पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण समेकित विकास करने के उददेश्य से श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् के गठन का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में गंगा नदी के तट पर शुक तीर्थ एक पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक पावन स्थल स्थित है। भागवत महापुराण के अनुसार राजा परीक्षित एक दिन शिकार के लिए निकले, उन्हें जंगल में जोर की प्यास लगी। वह ऋषि के आश्रम में पहुंचे तब ऋषि समाधि लगाये बैठे थे। ऐसे में उनका ध्यान राजा की ओर नहीं गया। राजा ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने वहीं मृत पड़ा एक सांप ऋषि के गले में डाल दिया। यह जानकर ऋषि श्रृंगी क्रोधित हो उठे और उन्होंने शाप दिया कि जिसने भी यह दुष्कृत्य किया है उसकी आज से सातवें दिन सर्पदंश से मृत्यु होगी। राजा के शाप से मुक्ति के लिए विद्वानों की सभा बुलायी। विद्वानों ने सलाह दी कि वह किसी विद्वान से श्रीमद्भागवत कथा सुनें। राजपाठ अपने पुत्र को सौंपकर राजा जंगल में चले गये। वह गंगा के किनारे एक ऊँचे टीले के वटवृक्ष के नीचे बैठ गये। वहाँ अनेक ऋषि मुनि एवं परमहंस शुकदेव महाराज संयोग से विचरण करते आ गये। उन्होंने ऋषि मुनियों के इस प्रकार से एकत्रित होने का कारण जाना, उन्हें राजा परीक्षित पर दया आ गयी और उन्होंने भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी को पृथ्वी पर प्रथम बार उस वटवृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई। तभी से यह स्थान एक तीर्थ बन गया। जिसे शुकतीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस पावन स्थल पर प्रतिदिन श्रीमद्भागवत कथा सुनाई जाती है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मान्यता है कि कई जन्मों के पुण्य के पश्चात् मनुष्य को एक बार भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहां तीर्थ यात्रियों को एक साथ कई लाभ मिलते है कथा सुनने का अवसर, उस वटवृक्ष के दर्शन करने और मोक्षदायिनी मां गंगा स्नान का भी अवसर मिलता है। ऐसे पवित्र, पावन, पौराणिक व ऐतिहासिक स्थल के सुनियोजित,

विश्वस्तरीय विकास के लिए हम उत्तर प्रदेश श्री शुकतीर्थ विकास परिषद् के गठन का प्रस्ताव लेकर सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं।

मुझे विश्वास है कि अपनी मूल भारतीय संस्कृति, मान्यताएं, परम्पराएं एवं विरासत के संरक्षण व संवर्धन तथा इन तीर्थ स्थलों के नियोजित, समयबद्ध, गुणवत्तापरक और पारदर्शी, विश्वस्तरीय विकास के उद्देश्य से गठित इस तीर्थ विकास परिषद् को सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करने की कृपा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि संशोधन के प्रस्ताव को वापिस लेते हुए सर्वसम्मति से इसे पारित करने का सदन से निवेदन करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी आप शेष दोनों विधेयक सदन के समक्ष रख दीजिए।

उत्तर प्रदेश श्रीदेवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्रीदेवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अभी संशोधन रख दें, उसके बाद इसको ले लेते हैं। मा0 सदस्य चन्दन चौहान जी आप बोलिए।

श्री चन्दन चौहान-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 के संशोधनों पर बोलने का मौका दिया है। मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि मीरापुर विधान सभा में शुकतीर्थ स्थापित है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री सचिन यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 में संशोधन का प्रस्ताव..

श्री अधिष्ठाता-

अभी आप बैठ जाईए क्योंकि अभी एक-एक ही विधेयक रखते हैं।

श्री जयवीर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, तीसरा विधेयक भी रख दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अभी सिर्फ दोनों विधेयकों पर ही चर्चा कर लेते है क्योंकि इससे कन्फ्यूजन होगी।

श्री जयवीर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी तीसरा विधेयक भी रख दे रहे हैं जिससे तीनों विधेयक एक साथ हो जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

तीनों ही रखेंगे ? क्योंकि संशोधन तीनों विधेयकों पर है इसलिए बारी-बारी से रखें और संशोधन लेते रहें। अलग-अलग है, दो ही ले लेते है।

श्री जयवीर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी कोई दिक्कत नहीं है तीनों ही विकास परिषद् से सम्बन्धित है।

उत्तर प्रदेश श्रीअयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्रीअयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अधिष्ठाता-

अब पहले से बुलवा देते हैं।

उत्तर प्रदेश शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023, उ0प्र0 श्रीदेवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 तथा उ0प्र0 श्रीअध्योध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर चर्चा

श्री चंदन चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 के संशोधनों पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस स्थान पर यह तीर्थस्थल मौजूद है उसी विधान सभा क्षेत्र मीरापुर-16 से आता हूं। ऐसे समय पर यह विधेयक लाया जा रहा है और संशोधनों पर बोलने का मौका और इसे बेहतर बनाने का मौका मिले, इसके लिए मैं अपने आपको बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूं क्योंकि मेरे स्वर्गीय दादा बाबु नारायण सिंह जी जो इस प्रदेश के उप मुख्य मंत्री रहे और इस सदन के सदस्य थे, मेरे पिता स्वर्गीय संजय चौहान जी भी इसी विधान सभा क्षेत्र से सदस्य थे और मैं सरकार के सामने और आपकी पीठ के सामने लगातार शुक तीर्थ के विकास के लिए सरकार को अवगत कराता आया हूं और आप जानते हैं कि ऐसे समय पर सरकार चाहे देर से आई परन्तु दुरुस्त आई।

मान्यवर, आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे जिस तरह काशी की नगरी भगवान शिव की है, अयोध्या की नगरी भगवान श्री राम के नाम से जानी जाती है, मथुरा नगरी भगवान श्रीकृष्ण की है उसी प्रकार पवित्र शुक तीर्थ भागवत की जन्मभूमि है और वहां पर स्थापित अक्षय वटवृक्ष इसका साक्षी है। मान्यवर, यहां पर तमाम विद्वान लोग बैठे हैं, मैं टू द प्वाइंट कुछ चीजें बताने का काम करूंगा, मुझे आशा है कि इस विधेयक में इसे जोड़कर आप इसे और प्रभावशाली बनाने का काम करेंगे। अभी गंगा स्नान और कार्तिक मेले का कुछ दिन पूर्व ही आयोजन सरकार ने कराया था और इस विधेयक को कुछ लिखने वाले लोग वहां पर मौजूद होते तो शायद संशोधनों पर खड़े होकर मुझे बोलने की आवश्यकता ही न पड़ती। मेले के संपन्न के दौरान और उसके पूर्ण होने के बाद जिस प्रकार से गंदगी का वहां पर आलम था। मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा कि बीमारी का संचार भी बहुत अधिक बढ़ सकता था क्योंकि शुकताल बांगर और शुकताल खादर एक ग्राम पंचायत है और वहां पर सफाई कर्मियों की व्यवस्था नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ को संभाल सके। बगल की नगर पंचायत से सफाई कर्मचारी बुलाये गये और वे भी नाकाफी थे क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर आते थे। इन संशोधनों के दौरान यदि आप सफाई कर्मचारियों की परमानेंट भर्ती और सफाई के आधुनिक उपकरणों का प्रावधान भी करेंगे तो आने वाले समय में यह लाभकारी होगा। मुझे विश्वास है कि जो वर्तमान स्थिति में वहां पर शौचालय एवं पार्क निर्मित है क्योंकि परम्पराओं, संस्कारों एवं विरासत आदि अन्य चीजों को इन्हीं माध्यमों से दर्शाया जाता है, यह केवल औपचारिकता न रहे, वहां उसे बेहतर बनाने का काम भी किया जाये। एक विषय और था कि एक अनोखा प्रयोग भी इस बार देखने को मिला, हमारे घाटों पर जब हजारों-लाखों की संख्या में लोग पूर्णिमा की रात को और दिन में वहाँ स्नान करते हैं, एक वैकल्पिक चेन्जिंग रूम और बाथरूम की स्थापना की जाती है।

परन्तु अनावश्यक रूप से कुछ लोग, जिन्हें धन-पिसाच कहूँ या पैसे का भोंडा प्रदर्शन करने वाले, वह सत्ता से भी संरक्षित रहते हैं, क्योंकि हेलीकाप्टर उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वहाँ हेलीकाप्टर लेकर आए और उसके एयर प्रेशर के कारण जो वैकल्पिक चेन्जिंग रूम्स थे, उनकी सभी व्यवस्थाएँ चरमरा गयीं, वह टूट गए और महिलाओं के लिए बड़ा ही शर्मनाक माहौल वहाँ देखने को मिला। इस तरह की चीज आगे भविष्य में न हो क्योंकि पुष्प वर्षा करने के बहाने, राजनैतिक एजेण्डा सेट करने के बहाने कई बार आम जनता को और श्रद्धालुओं को शर्मिन्दा होना पड़ता है।

मान्यवर, इस संशोधन बिल में, क्योंकि आप देख सकते हैं, जब भी भारी भीड़ होती है और खासकर जब अविरल धारा सोलानी और गंगा नदी की वहाँ से आती है तो लगातार हादसे होते हैं और कई बार मेलों के दौरान, भगदड़ के दौरान बच्चे डूब जाते हैं। एक रेस्क्यू वॉच टीम की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए जो ऐसी इमरजेंसी को तुरन्त काबू कर सके, उस समस्या का निराकरण कर सके, उसकी व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। मान्यवर, चूँकि हमारे बगल में ही उत्तराखण्ड है और हरिद्वार से जुड़ा है, क्योंकि हम भी अपने शुक तीर्थ को कहीं न कहीं, अपनी सरकार को भी कहीं न कहीं और अपने प्रदेश को कहीं कमजोर नहीं समझते हैं। हरिद्वार से बेहतर घाट शुक तीर्थ में बन सकते हैं। बिजनौर और मुजफ्फरनगर के दोनों तरफ अगर एक-एक किलोमीटर लम्बे घाट निर्माण किए जायें तो वह भी बहुत लाभकारी रहेगा। वहाँ पर आने वाले समय में आप गंगा आरती की शुरूआत करायें। इस तरीके से जनभागीदारी बढ़ेगी और आने वाले समय में डेली आयोजन होंगे, उससे भी आने वाले समय में उस तीर्थ स्थली को लाभ होने का काम होगा।

मान्यवर, एक समस्या लगातार देखने में आती है, हजारों-हजारों साधु-सन्त हमारे क्षेत्र में, शुक तीर्थ में आते-जाते रहते हैं। लोग दूर-दूर से, दिल्ली एन0सी0आर0 से और अनेक प्रदेशों से आकर भागवत कथाओं का आयोजन वहाँ करते हैं। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि आज वहाँ पर एक भी हास्पिटल नहीं है। एक सी0एच0सी0 का निर्माण आप वहाँ करायें और इसका प्राविधान भी आप इसमें करें तो वह वहाँ के स्थानीय साधु-सन्तों और आगन्तुकों के लिए बहुत लाभकारी होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिए पिछले 02 वर्षों से वहाँ जमीन नहीं मिल पायी है, उस जमीन की आप व्यवस्था करा देंगे तो हमारी गंगा और सोलानी प्रदूषित नहीं होगी। मान्यवर, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, कारगिल वॉर मेमोरियल या तो एक लेह में है या दूसरा शुक ताल में स्थापित है। हमारे रिटायर्ड आर्मी वेटरन्स उस स्थल की देखभाल करते आए हैं। भगवान की आस्था और फिर हमारे वीर शहीदों की आस्था का यदि हम मिलकर ध्यान रखेंगे, तभी इस विकास परिषद् के मूल उद्देश्य को पूरा होने का काम होगा। आर्मी के हमारे रिटायर्ड वेटरन्स को आप आश्वस्त करें कि वहाँ पर एक बड़ा झण्डा लगाया जायेगा और हम सब मिलकर उसे और बेहतर कर सकें, यह हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा।

मान्यवर, मुजफ्फरनगर-मेरठ हाई-वे जो मोरना और शुक ताल को जोड़ता है, पिछले 02 वर्षों से नहीं बना है, लगातार उस पर हादसे हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार को बताना है कि एन0एच0-58 से मोराना और शुक ताल को आप फोर लेन बनायेंगे तो आने वाले समय में आपका उद्देश्य पूरा होगा या गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ देंगे तो वह बहुत लाभकारी रहेगा। मान्यवर, स्वामी कल्याणदेव जी का जिक किए बिना इस शुक तीर्थ का सपना सच नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन उसके निर्माण में लगा दिया। उसकी जो समिति है, उस समिति में आप साधु-सन्तों और लोकल लोगों की भागीदारी बढ़ायें, यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि आसपास के हमारे गाँव-शुकतारी, फिरोजपुर, बहुपुरा, मोरना, दरियाबाद, बिहारगढ़, चौरावाला आदि, जब तक इनको नहीं जोड़ पायेंगे, शायद हम इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उत्तर प्रदेश की उस पवित्र धरती पर पैदा हुए है जहां पर प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की जन्म स्थली है और यहीं पर चित्रकूट भी है, यहीं विंध्यवासिनी धाम भी हैं, यहीं शाकुंबरी धाम भी है, यहीं प्रयागराज है। मैंने मा0 मंत्री जी की कार्य प्रणाली देखी है और हमेशा से हर बड़ी चीज को बड़ी विवधता से समझा और जाना है। मेरा इसमें आपके माध्यम से सुझाव है मा0 मंत्री जी को कि हमारे इतने सारे तीर्थ स्थल हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी धार्मिक दृष्टिकोण से भी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसमें क्यों न एक बड़ा प्राधिकरण बनाया जाए, जैसाकि अन्य राज्यों में है। देश के कई राज्यों में मैं गई तो मैंने देखा कि वहां पर धार्मिक स्थलों के लिए बड़ा प्राधिकरण है जिसमें सारे धार्मिक स्थलों के विकास के लिए और समय-समय पर उससे सहजता होती है विभाग के लिए भी और वहां के जनप्रतिनिधियों के लिए भी, समीक्षा भी हो पाती है और मॉनिटरिंग भी बेहतर हो पाती है।

मेरा पहला सुझाव यह है कि इसको अलग-अलग बनाने के बजाए एक वृहद रूप में इसको बड़ा बनाया जाए, इन धार्मिक स्थलों पर उसके लिए जितना पैसा खर्च होगा वह पर्यटन के दृष्टिकोण से भी और धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए उपयोगी भी है और अनिवार्य भी है और दूसरा जैसे विंध्याचल धाम है, चित्रकूट धाम है, मेरी कान्टीट्युएंसी में बाबा घुसमेश्वर नाथ धाम है जिसमें आपने बहुत ही सहजता से वहां पर धन भी दिया है उसको भी आप इसमें जोड़ लें और एक बड़ा प्राधिकरण बनाएं जिसमें सारे धार्मिक स्थल हों जो छूट भी जाते हैं पर उनकी आस्था लोकल लेवल पर उनसे बहुत बड़ी जुड़ी हुई आस्था है तो यह सभी का उससे कल्याण हो पाएगा और उनका विकास हो पाएगा और मॉनिटरिंग भी बेहतर होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, श्रीशुक तीर्थ, श्रीदेवीपाटन धाम, श्रीअयोध्या और मा0 मंत्री जी ने बताया विंध्यवासिनी का, काशी का इसके साथ-साथ मथुरा का भी, अधिष्ठाता महोदय, उस क्षेत्र में तीन-तीन पीढ़ियों से हमारे परिवार को रहने का सौभाग्य मिला है। एक मेरा सुझाव है कि जो विधेयक लाया गया है, कोई उसके पीछे सोच होगी। आप सबके बारे में सोचें, सबके लिए सोंचें और कुछ अच्छा काम करें। इस विधेयक में मैंने देखा मा0 अधिष्ठाता महोदय, सबका तो नाम है, लेकिन जनप्रतिनिधि के बारे में कहीं न कहीं यह बताया जाता है कि इनको कहीं न रखा जाए, मैं कहूंगा मा0 मंत्री जी से कि उस क्षेत्र को उस जनपद के विधायक को भी उस समिति में रख लेंगे, मुख्य मंत्री अध्यक्ष रहेंगे और उपाध्यक्ष, पर्यटन मंत्री जी रहेंगे एक मा0 विधायक और सांसद हो जाएगा उस समिति का उसकी भी ज्ञान और विज्ञान का यहां पर फायदा उठाना चाहिए। मैंने यही कहा कि अगर अच्छा काम जैसा कि मोना जी ने अभी बताया यह करीब-करीब हर जगह जैसा कि पिछली बार सरकार ने हम लोगों से कहा था कि हर जनपद में प्रदेश में हम पांच-गांव पर्यटन गांव घोषित कर आएंगे उसमें जो हैरिटेज बिल्डिंग है, हैरिटेज जगह है उसको हम विकसित करने का काम करेंगे। मेरा एक सुझाव है जिनको आपने रखा है कि इसमें सभी का हमने देखा प्रमुख सचिव रखे हैं, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन रखे हैं, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग रखे हैं, धर्मार्थ के रखे हैं, नगर आयुक्त तक रख लिए हैं।

उसमें आप एक्सईएन और प्रमुख सचिव को भी रख लिए हैं तो एम0एल0ए0 और एम0पी0 को रखने में आपको कौन सी गुरेज़ है ? देखिए मा0 चन्दन जी यहाँ तीन पीढ़ी का इतिहास लेकर बैठे हैं इसलिए यदि इसमें उस क्षेत्र के विधायक और सांसद का नाम भी जुड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जब इसके नियम-कानून हम बनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्योंकि आप खुद एक विधायक हैं, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। पहले तो आप विधायक हैं फिर मंत्री हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन है, मुझे कोई बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहनी और मैं एक सुझाव और दूँगा। जैसा मा0 माता प्रसाद जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन के दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और मा0 अधिष्ठाता महोदय चूँकि यह यूरोप नहीं है कि यहाँ हर फ्राईडे ईव से लेकर सैटरडे और सन्डे तक पूरा परिवार इकट्ठा होकर घूमने जा रहा है, मनोरंजन कर रहा है। इस दृष्टि से हमारे देश में आदि शक्ति माँ जगदम्बा के 51 शक्ति पीठ, सिद्ध पीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 तीर्थ स्थान हैं, ऐसे ही हमारे चार धाम हैं, इसके अलावा नौ ग्रहों एवं देवी की 64 योगिनियों का मन्दिर है और ऐसे ही हमारे देश एवं प्रदेश में धार्मिक परम्परा की दृष्टि से बहुत से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। यह चीज बहुत अच्छी है कि मा0 मंत्री जी इस चीज को लाए, उसके लिए आपको बहुत बधाई एवं धन्यवाद। लेकिन

* वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

मेरा कहना है कि मा0 मंत्री जी आप इसमें अपना मन थोड़ा सा और बड़ा करिए क्योंकि यह कोई परमानेण्ट चीज नहीं है। आपको भी जाना है, हमें भी जाना है, हम सबको जाना है क्योंकि आप खेल और कूद दोनों के मंत्री हैं, ये खेलते भी हैं और कूदते भी हैं और इनको थोड़ा अधिक दिखाई भी देता है। इसलिए मेरी एक बात सुझाव के रूप में है कि जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं यही कहूँगा कि आपका यह प्रस्ताव तो हमें बहुत प्रिय है, लेकिन हमें इस बात का कष्ट जरूर है कि इसको लेकर आप बहुत जल्दबाजी में हैं कि आप कल ही इस विधेयक को लाए और आज ही इसको पास कराकर सब कुछ टनाटन कर लेना चाहते हैं। मेरा कहना है कि आप इसको प्रवर समिति में जाने दीजिए और वहाँ पर कुछ राय हम लोगों की भी ले लीजिए। आप हमको उसमें ले लेंगे तो हम कोई खराब राय थोड़े ही देंगे।

मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप काम करिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और मेरे विधान सभा क्षेत्र में देश के पाँच सबसे बड़े गाँव होने का सौभाग्य हमें मिला है। ऐसे ही मेरठ, मुजफ्फरनगर के लिए मा0 चन्दन जी ने अपनी बात रखने का काम किया। हमारे यहाँ बड़ी-बड़ी आबादी के गाँव हैं और इनका आजादी की लड़ाई में एक शानदार इतिहास रहा है। अभी आपने बहुत से नाम गिनाए, लेकिन बुद्ध सर्किट का नाम नहीं लिया, जैन सर्किट को लेने का काम नहीं किया। मैंने चन्द्रावती में जैन सर्किट का काम कराया है, क्योंकि बनारस में चार तीर्थंकर रहे हैं, पैदा हुए हैं, लेकिन आपने जैन सर्किट छोड़ दिया। बाबा विश्वनाथ की नगरी में अगर बाबा विश्वनाथ थे तो उनके बगल में कबीरदास जी भी थे जिन्होंने धर्म की कुरीतियों के खिलाफ बोलने और लड़ने का काम किए थे। थोड़ा उसके बारे में भी सोचिए। अभी एक मा0 सदस्य ने कहा कि वहाँ पर सन्त रविदास जी का मन्दिर भी है, बिल्कुल सही बात कही। देखिए ये सब चीजें और काम आप इतनी जल्दी में मत करिए, मैं यह भी नहीं कह रहा कि आप काम नहीं कर रहे, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि यहाँ पर जो इतने सम्मानित सदस्य चुन करके आए हैं तो उनके पीछे कहीं न कहीं, कुछ न कुछ है और ये सब अपने-अपने इलाके के खलीफा लोग हैं। ऐसा मत सोचिए कि खाली आप ही खलीफा हैं। इसलिए मैं यह बात जरूर कहूँगा कि यदि आप इसमें सभी लोगों का सामन्जस्य बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-**

मा0 मंत्री जी आप मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। देवीपाटन मण्डल का विकास कार्य जो आपने करवाया और विकास के उद्देश से वहाँ पर और भी चीजें बना रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि देवीपाटन मण्डल क्षेत्र में एक स्थान पर माँ भगवती की एक मूर्ति स्थापित है और वहाँ पर हजारों आदमी रोज उनके दर्शन के लिए आते हैं और आप इस हेतु तीर्थ विकास परिषद् बना रहे हैं, लेकिन उसका मुख्यालय आपने तुलसीपुर के एक

* वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

स्थान को लेकर तय कर दिया। तुलसीपुर में जमीन का कोई अभाव नहीं है। हमारे इस मठ की इतनी जमीन है कि हजारों एकड़ जमीन तो आप उसी से एक्वायर कर सकते हैं और आपको इसमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी उसके महन्त हैं तो इसके विकास के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप इसका मुख्यालय भी बलरामपुर को बना रहे हैं जबकि बलरामपुर पहले से जिला मुख्यालय है, इसलिए अगर इस तीर्थ विकास परिषद् का मुख्यालय देवीपाटन हो जाएगा, तो क्या नुकसान हो जाएगा। दूसरी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ इसमें लिखा है कि पर्यटकों से आप शुल्क लेंगे तो देवीपाटन में दर्शन करने के लिए हजारों आदमी रोज जाते हैं तो क्या आप उनको पर्यटक मानते हैं, क्या उनसे आप पैसा वसूलेंगे। पैसा तो वसूला ही जाता है वहाँ पर कोई गरीब ब्राह्मण सत्य नारायण व्रत कथा भी पढ़ता है तो उसका भी आधा पैसा मठ में चला जाता है। नाई सर मुड़ता है तो उसका भी आधा पैसा मठ में जाता है तो क्या आप इन दर्शनार्थियों को भी पर्यटक मानेंगे इसका इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर विवाद पैदा होगा। जो दर्शन करने जाएंगे कर्मचारी उनसे पर्यटन शुल्क मांगेंगे तो विवाद होगा, इसलिए आप इसको गम्भीरता से लेकर अलग कर दीजिए मुझे और ज्यादा नहीं कहना है।

इन दो बातों को संज्ञान में ले लें पहला तो बलरामपुर मुख्यालय क्यों बना रहे हैं, दूसरी बात यह है कि आप जनप्रतिनिधियों को इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं। इसमें आप इंजीनियर्स को रखेंगे, दो प्रख्यात व्यक्तियों को रखेंगे। क्या आप यह नहीं चाहेंगे कि इसमें दो प्रख्यात व्यक्तियों के बजाय दो विधायक रख लिये जायें। आप साहित्यकार को रख रहे हैं, सबको रख रहे हैं, लेकिन वहाँ के स्थानीय एम0एल0ए0 और एम0पी0 को उस समिति में नहीं रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोकल जनप्रतिनिधियों को न रखने से उनकी आवाज कौन उठाएगा, क्या इंजीनियर आकर बताएंगे। यदि कोई दिक्कत होगी तो क्या कोई इंजीनियर बताएगा। पदेन सदस्य दूसरे जिलों से आकर बन रहे हैं। अयोध्या से भी आकर परिषद् में सदस्य बन रहे हैं यह सब वहाँ क्या मामले उठाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें परिवर्तन करके वहाँ के जनप्रतिनिधि को रखने की व्यवस्था कर दें और बलरामपुर इसका मुख्यालय क्यों बना है अगर देवीपाटन मण्डल में रहेगा तो जमीन देवीपाटन मण्डल की एक्वायर होगी। इसलिए इसको देवीपाटन मण्डल में ही रखिए, जिससे इसके मुख्यालय पर ही किसी को दिक्कत हो तो समाधान हो सके। इसको तुलसीपुर में आप क्यों नहीं रख रहे हैं, दूसरा स्पष्ट कर दीजिए कि पर्यटक कौन होगा और दर्शनार्थी कौन होगा ? यदि दर्शनार्थी से पैसा वसूला जाएगा तो विवाद पैदा होगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे ?

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, दो मिनट मुझे सुन लिया जाए उसके बाद मा0 मंत्री जी का जवाब आ जाए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सचिन जी, आप बोल लीजिए फिर प्रश्न ले लेते हैं।

श्री सचिन यादव-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् के संशोधन विधेयक, 2023 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह जो परिषद् बनाई जा रही है आदरणीय पाण्डेय जी ने जो कि हमारे इस सदन के सीनियर मेम्बर हैं उन्होंने सही बात रखी कि इसका मुख्यालय यदि तुलसीपुर में होता तो ज्यादा अच्छा रहता। मुख्यालय बलरामपुर में शिफ्ट किया जा रहा है उससे वहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं उनको दिक्कत आएगी तो इसको संशोधन में इन्क्लूड किया जाए। अपनी बात शुरू करने से पहले तो मैं मातेश्वरी देवी के चरणों में चरण वंदन करता हूँ चूँकि यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है तो उनको चरण वंदन करते हुए अपनी बात रखता हूँ। मैंने यह पूरा विधेयक पढ़ा अध्याय दो में जैसा कि श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने पहले ही अपनी बात रखी है कि इसमें सारे मेम्बर्स ले लिये गए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इस विकास समिति में वहाँ के एक्स0ई0एन0 तक मेम्बर हैं लेकिन इसमें न कोई एम0पी0 लिया और न एम0एल0ए0 को लिया गया है। लोकल तो जो अभी वहाँ पर उस मंदिर का संरक्षण कर रहे हैं उन लोकल कस्टोडियन्स को भी नहीं लिया। कोई हिस्टोरियन्स को भी नहीं लिया गया है। किसी आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी नहीं लिया गया है तो यह समिति जो बनी है यह मोर एण्ड लेस पॉलिटिकल लग रही है इसमें पूरे समाज का, पूरा डायवर्सीफाइड हमारी प्रदेश का और खासकर तुलसीपुर का जो कल्चर है उसका इसमें पूरा रिप्रजेन्टेशन नहीं मिला है। मेरा अनुरोध है कि इसमें संशोधन करके इस समिति में जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने लिखा है कि 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं।

लेकिन 5 लोगों में से किन लोगों को नॉमिनेट करेंगे ? क्या वह एम0 पी0, एम0एल0एज़0 भी होंगे, क्या वहां के लोकल कस्टोडियन्स होंगे ? उनको अगर स्पेसिफिकली दिखा देते तो बेहतर रहता। दूसरा, इस विधेयक के अध्याय-3 में जैसा कि आपने कहा कि शुल्क लेंगे, अब शुल्क लेंगे तो आपने कहा कि कौन पर्यटक है, कौन दर्शनार्थी हैं। इसके बाद अगर आप शुल्क ले रहे हैं तो आपको इसमें स्पेसिफिकली यह बताना चाहिए था कि किस बात का शुल्क लेंगे, उनको आप क्या फैसिलीटीज़ अब वहां पर देंगे। किस तरह की फैसिलीटीज़ के बदले में कितना शुल्क लगेगा, उसको भी कहीं न कहीं इस विधेयक में लेकर आना चाहिए था।

तीसरा, अध्याय-3 में इन्होंने लिखा है, 13 के ट में, 'देवीपाटन क्षेत्र में राज्य निधियों तथा अन्य राज्य स्रोतों या मंदिर न्यासों, दानों, गैर सरकारी संगठन, कम्पनी, फर्मों और पर्यटकों आदि से प्राप्त निधियों के माध्यम से, अब आप मंदिर के ट्रस्ट से भी पैसा ले रहे हैं। तो मंदिर जहां पर पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर उन पर इतना पैसा था ही तो मंदिर का विकास पूरी अच्छी तरह से हो जाता। मंदिर पहले से ही अपनी फंडिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मंदिर के ट्रस्ट से भी पैसा लेने की इसमें बात रख रहे हैं, जो कि गलत है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि संशोधन के प्रस्ताव प्रवर समिति को दिये जायें और उसमें मंदिर के ट्रस्ट को हटा दिया जाये। मंदिर के पैसे से छेड़छाड़ न हो। मान्यवर, तीसरी बात, परिषद् आपने पहले भी बनाये जो पहले से ही फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें ऐसी क्या स्पेसिफिक बात हो गयी कि यह फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करेगा। विभागों से आप पैसा मांग रहे हैं, यदि विभागों के पास पर्याप्त पैसा है और पर्याप्त पैसा वहां पर लगाया होता, तो वहां पर बस स्टैण्ड होता। आज तक बस स्टैण्ड नहीं बन पाया, आज तक वहां कोई पार्किंग नहीं है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, रहने की उचित व्यवस्था नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो यह जो विभाग आपको पैसा देंगे और आपके परिषद् को पैसा देंगे, यह डायरेक्ट भी वहां पैसा लगा सकते हैं, उनको कोई रोकटोक तो है नहीं। सभी के आदरणीय मंत्री हैं, वह वहां पर पैसा लगायें और उसका विकास कर दें, लेकिन वह क्यों परिषद् के माध्यम से पैसा लगायेंगे, यह बात भी समझ नहीं आती। अगर मंशा अच्छी होती पहले से ही इसको डेवलेप करने की तो यहां पर यह सारी फैसिलिटीज़ हो जाती, लेकिन अभी तक नहीं हैं।

तीसरी बात, अध्याय-3 में और भी बात लिखी है कि जो इसके गठन में पैसा लगेगा उसका अनुमान नहीं लगाया गया कि फाइनेंशियली कितना पैसा इसके गठन में लगेगा और वह पैसा कहां से आयेगा। आदरणीय मंत्री जी, वैसे तो हमारे जिले के ही मंत्री हैं और सबसे सीनियर मेम्बर हैं, हम अपने जिले के फर्स्ट टाइम एम0एल0ए0 हैं तो हमारा सौभाग्य भी है कि उनके विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव मुझे लाने का मौका मिला है। इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् 2023 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन पत्र में लिखा है कि इसका अनुमान लगाया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है। यदि इसको वेल प्लाण्ड-वे में लाते तो शायद इसके गठन में जो व्यय होता, उसका फाइनेंशियल अनुमान हम लगा लेते उसके बाद इस विधेयक को ले आते। तो यह पॉलिसी तो अच्छी है, विधेयक ला रहे हैं, यह भविष्य के लिए अच्छा है, लेकिन इसके पहले के जो स्टेप्स हैं, वह नहीं लिये गये। जल्दबाजी में यह विधेयक लाया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार की मंशा वहां के डेवलेपमेण्ट को लेकर नहीं है, उससे पॉलिटिकली बेनीफिट उठाने को लेकर है। अगर आप वहां पर योजना लेकर आ रहे हैं तो आस-पास के क्षेत्रों में जो दिक्कते हैं, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, लेकिन बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। वहां आस-पास के गांव हैं, जैसे बिहवनयापुर, रम्भापुर, शीतलापुर, जुबलीपुर, गनवरिया इनमें कोई विकास नहीं है, यह

अति पिछड़े हैं। यदि इतना महत्वपूर्ण शक्तिपीठ हमारे प्रदेश में है तो उसके पूर्ण विकास के बारे में हमको सोचना चाहिए। पूर्ण विकास के बारे में नहीं सोचा जा रहा ।

इसी के अध्याय-6 में भूमि अर्जन की बात लिखी गयी है, अब भूमि का अर्जन करेंगे, लेकिन उनको मुआवजा क्या देंगे। जब आप वहां पर डेवलेपमेण्ट लेकर आएंगे तो भूमि के रेट बढ़ेंगे। भूमि के रेट बढ़ेंगे तो वहां के लोकल लोगों की, जिनकी जमीनें जाएंगी, उनको आप किस रेट में पैसा देंगे चूंकि वहां के सर्किल रेट तो पुराने रेटों पर होंगे, तो उनके भूमि अर्जन में जो मुआवजा मिले, उसको भी कहीं न कहीं इस विधेयक में लेकर आना चाहिए था, जिससे लोकल लोगों को भी वहां के डेवलेपमेण्ट का फायदा मिल सके।

और जो वहां की छोटी-बड़ी समस्याएं हैं, इतना बड़ा तीर्थ है, वहां पर पानी की कमी है, वहां के लोग सिंचाई के लिए परेशान हैं, वहां 64,000 हेक्टेयर जमीन एरिगेशन फैसिलिटी न होने की वजह से बेकार पड़ी है, शक्ति पीठ के आस-पास बालू का अवैध खनन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तुलसीपुर तहसील सेंचुरी में बहुमूल्य पेड़ों का अवैध कटान चल रहा है, तेदुओं का आतंक है, अभी 4 बच्चों को तेंदुए ने मार डाला है, यह आतंक वहां पर चल रहा है। अगर वहां पर परिषद् बनाने की हमारी प्लानिंग है तो परिषद् का पूरा आब्जेक्टिव होना चाहिए, उस पूरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उसके आस-पास के गांवों का भी विकास होना चाहिए वहां की फैसिलिटीज के बारे में भी सोचना चाहिए और परिषद् बनाने से पहले सरकार के कंसर्निंग डिपार्टमेंटस वहां पर काम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट और होटल्स बनाने वाले अगर ये सब वहां पर काम करके एक बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से ही खड़ा कर दें और उसके बाद अगर परिषद् लेकर आ जायं तो परिषद् सक्सेजफुल होगा अदरवाईज वह परिषद् फेल हो जायेगा। मैं आपसे आखिरी में यही अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश श्रीदेवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(सदन में कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, इन दोनों पर कुछ बोलना चाहेंगे। अभी 2 पर कर लीजिये, अयोध्या वाला बाद में लेंगे।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, प्रस्तुतीकरण तीनों का हो चुका है। तीनों पर बोल चुके हैं।

श्री लालजी वर्मा-

तीन विधेयक एक साथ हैं दो पर तो विचार आ गया है, श्रीअयोध्या पर तो कोई विचार ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

पहले प्रश्न मैं ले लूं दोनों पर।

श्री लालजी वर्मा-

जब आप तीनों एक साथ ले रहे हैं तो एक साथ ही सब पर संशोधन प्रस्ताव ले लें।

श्री जयवीर सिंह-

ले लें मान्यवर, तीसरा भी ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

तीसरे पर संशोधन तो दे दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

संशोधन तो आ गया है, उस पर कुछ बात भी आ जाय।

श्री अधिष्ठाता-

तो कौन बोलेगा इस पर ? वर्मा जी, आप किस पर बोलना चाह रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

आप अनुमति देंगे तो मैं बोल दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

फहीम जी पिछला हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं, अनुपूरक वगैरह पर भी बोलना है। बार-बार इसको पीछे ले जा रहे हैं ये बड़ा लम्बा हो जायेगा। चलिए एक मिनट में बोल दीजिये।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 के संशोधन पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने आपको अपने भाई माननीय विधायक चन्दन जी से सम्बद्ध करते हुए यह गुजारिश करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसके लिए आप काबिले तारीफ हैं कि आपने एक ऐसा परिषद् गठित किया है, लेकिन मैं कुछ संशोधन रखना चाहता हूं, खास तौर पर अपनी विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री जी ने ये प्रस्ताव रखा है और इस तरीके के परिषद् से काफी लोगों को अहसास होता है कि हम लोगों का ये मकसद है, ये देश हमारा गंगा-जमुना तहजीब का एक गहवारा है, खास तौर पर हम लोग अपने धर्म को इस तरीके से मानते हैं क्योंकि धर्म आस्था का नाम होता है और आस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं। लोगों की मंशा होती है कि जो तीर्थ स्थल होता है वहां पर जाकर अपने भगवान को याद किया जाये और वहां पर अल्लाह-ताला से, भगवान से मांगा जाये। मैं ये गुजारिश करूंगा और अपना सुझाव बहुत शार्ट में पेश

करूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी विधान सभा क्षेत्र में बेरनी का एक शिव मंदिर है जो 1000 वर्ष से अधिक पुराना है जिसकी मैं अवधि नहीं बता सकता। वहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

ये विधेयक से सम्बन्धित नहीं है। संशोधन पर बोलना है। ये विषय जब आयेगा तब लीजियेगा।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मैंने कई बार पर्यटन मंत्री जी को लिख कर दिया कि जिस तरीके से विकास परिषद् है तो हमारा ये सुझाव है कि इस तरीके से विधायकों की बात सुन ली जाये और उनके विधान सभा क्षेत्र से भी प्रस्ताव ले लिया जाय और इस तरीके का परिषद् गठित हो जाये माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश श्रीशुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। खास तौर पर कहूंगा कि महिला एवं बाल विकास में दे दिया जाय।

(सदस्य श्री लालजी वर्मा एवं डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा के बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

वर्मा जी, आप किस पर बोलना चाह रहे है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर बोलना चाह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें आपका नाम नहीं है। अगर सब लोग बोलने लगे तो बहुत लम्बा हो जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा तो क्षेत्र वहीं से सटा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर बोलने के लिए वर्मा जी का नाम नहीं है, क्या और किसी को नहीं बोलना है, जिन्होंने संशोधन रखा है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नाम से कोई तात्पर्य नहीं है।

डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 का हम स्वागत करते हैं। किन्तु इस विधेयक को पढ़ने के बाद बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं, अगर उन्हें दूर कर लिया जाये, उन्हें संशोधित कर दिया जाये तो हम इस विधेयक का स्वागत करेंगे। हम इस विधेयक के अध्याय-2 पर नजर डालते हैं। अध्याय-2 के विधेयक की धारा-3 की उपधारा (3) के खण्ड-ग में यह बात कही गई कि मुख्य कार्यपालक उपाध्यक्ष का एक पद सृजित किया गया है। लेकिन उसमें इस पद का कोई भी उल्लेख या विवरण नहीं लिखा गया है कि यह पद कौन धारण करेगा। उस धारण करने वाले व्यक्ति के पास कौन सी शक्तियाँ निहित होंगी। ये केवल परिषद् के माननीय अध्यक्ष के द्वारा नामित कर दिया जायेगा। किन्तु उसके कोई भी मानक का उल्लेख नहीं है कि कौन इस पद को धारण करेगा और उसकी शक्तियाँ क्या होंगी। मान्यवर, आगे पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि परिषद् में 5 सदस्य परिषद् के अध्यक्ष के द्वारा नामित किये जायेंगे। मान्यवर, चूँकि स्थानीय स्तर पर हर वर्ग, समुदाय के लोग वहाँ की उस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धारोहर से जुड़े होते हैं तो वर्गीय प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा, इसका उसमें कोई भी उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, हम सब लोगों ने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्म भूमि पर फैसला दिया तो बाद में जब ट्रस्ट बना तो आस-पास जो बहुसंख्यक समाज, जो भगवान श्री राम में आस्था रखता था, उस समूचे वर्ग को ही इस ट्रस्ट से दूर कर दिया गया। उस ट्रस्ट में एक भी पिछड़ी जाति का व्यक्ति नहीं है, यहाँ तक कि भगवान श्रीराम के वंशज, क्षत्रिय में से भी कोई उस ट्रस्ट का पदाधिकारी नहीं बनाया गया है। मान्यवर, इसलिए यह सवाल खड़ा होता है कि उसमें जो पाँच नामित सदस्य होंगे, उन पाँच नामित सदस्यों में वर्गीय प्रतिनिधित्व कैसे दिया जायेगा, इसका उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, हम आगे बढ़ते हैं, विधेयक की धारा-3 की उपधारा-3 के खण्ड-'ध' और 'न' में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि 10 करोड़ या उससे अधिक दान करने वाले दानकर्ता को नाम-निर्दिष्ट सदस्य के रूप में पात्र समझा जायेगा। मान्यवर, यह विधेयक श्रीराम और शबरी की आस्था पर कुठाराघात करता है। यह विधेयक निषादराज की उस आस्था और प्रेम पर कुठाराघात करता है। जो 10 करोड़ की धनराशि देगा .....।

श्री जयवीर सिंह-

वह 01 करोड़ है।

डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय मंत्री जी, मेरे में 10 करोड़ प्रिन्ट है, इसलिए मैंने 10 करोड़ का उल्लेख किया। मान्यवर, अगर आपकी बात मान लें और 01 करोड़ ही हो तो क्या आस्था को पैसे से जोड़ा जायेगा ? आस्था का मापन धन होगा, पैसा होगा ? इसलिए इस पर हमारा सवाल है।

श्री अधिष्ठाता-

वर्मा जी, अब हो गया। कोई और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ? आदरणीय लालजी वर्मा जी आप बोलेंगे ?

(सदस्य डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा के लगातार बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका हो गया। ऐसे चर्चा होती रहेगी तो बहुत लम्बा हो चलेगा। अब लालजी वर्मा जी बोल लें।

(सदस्य, डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा के लगातार बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, एक-आध मिनट में बोल लीजिए।

डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अध्याय-3 पर नजर डालें, जिसमें परिषद् और नियोजन तथा विकास समिति की शक्तियों और कृत्य का जिक्र किया गया है। उसमें परियोजना वही बनायेंगे और परियोजना क्रियान्वित करने के लिए कार्यदायी संस्था वही तय करेंगे और गुणवत्ता का परीक्षण भी वही करेंगे।

मान्यवर, इस परिषद् में जो शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, इससे भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता की गुन्जाइशें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित, बहुत बड़ा परिषद् है, बहुत सारे कर्मचारी होंगे। विधेयक के अध्याय-7 की धारा-35 की उप धारा-1 और 2 पर नजर डालें तो हमें मिलता है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी नियुक्त होंगे, लेकिन कर्मचारियों का चयन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करेगा या परिषद् स्वयं करेगा, उन पर कौन-सा रिक्रूटमेंट रूल लागू होगा, इसका कहीं कोई जिक्र या उल्लेख नहीं किया गया है।

ऐसे ही अध्याय-6 में देख लें, भूमि अधिग्रहण और निस्तारण के सम्बन्ध में लैंड यूज के बहुत सारे विवाद हम सब लोगों के संज्ञान में आते हैं। वहाँ पर जमीनें औने-पौने दाम पर खरीदी गयी हैं, बहुत सारी जमीनों का नेचर बदला गया है। पहला सवाल यही खड़ा होता है कि ऐसी जमीनों पर जो रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग एक्ट-1973 है वह लागू होगा या नहीं लागू होगा। चूंकि जो विकास प्राधिकरण है वह इसी एक्ट के तहत नक्शा पास करते हैं या अन्य कोई कार्रवाई करते हैं, इसमें इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सरकार परिषद् का गठन इसलिए कर रही है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले और श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, वहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर और गौरवशाली बन सके, इस नजरिये से विकास

प्राधिकरण का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जी की प्रजा दुखी है। वहाँ पर 90 प्रतिशत जमीनें नजूल की हैं। वहाँ पर 10 पीढ़ियों से लोग मकान बना करके रह रहे थे उनके घरों पर बुल्डोजर चढ़ा दिया गया है। जिन्होंने जमीनें खरीदीं और खरीद करके विकास प्राधिकरण से नक्शा बनवाया और घरों में रह रहे थे, उनके घरों पर बुल्डोजर चढ़ा करके जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। वहाँ परिषद् बनाने व विकास के नाम पर विनाशलीला चल रही है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब हो गया।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। यह जो विधेयक लाया गया है, मैं सबसे पहले माननीय 'मोना' जी ने जो प्रस्ताव किया है कि प्रदेश स्तर पर सभी पर्यटक स्थलों के विकास के हित में एक कॉमन विकास बोर्ड बनता है, विकास प्राधिकरण बनता तो ज्यादा उपयुक्त होता। विभिन्न जिलों में अलग-अलग पर्यटक स्थल हैं। अगर एक बनता तो उससे विभिन्न जिलों का प्रतिनिधित्व होता और पर्यटक स्थल से सम्बन्धित मा0 सांसद और विधायक को इसमें मेम्बर बनाने का काम किया जाता। परिषद् में जो निम्नलिखित सदस्य होंगे, इसमें अध्याय दो में श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् है, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी अध्यक्ष होंगे, मा0 प्रदेश मंत्री जी उपाध्यक्ष होंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नगर आयुक्त भी इसमें शामिल किये गये हैं। परन्तु इसमें उस क्षेत्र के सांसद और विधायक का नाम शामिल नहीं है और उद्देश्य और कारण बताया गया है कि इसका काम होगा विकासगत प्रस्ताव के सम्बन्ध में परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् का गठन करने का काम किया जा रहा है, मतलब विकासगत कार्यों के लिए प्रस्ताव और मार्गदर्शन भी हैं। अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी शामिल नहीं है, जिसको जनता ने चुना है तो मैं समझता हूँ कि इस प्राधिकरण का गठन बेईमानी साबित होगा। इस तरह से इसमें संसोधन करके, इसमें स्थानीय सांसद और विधायक का नाम सम्मिलित किया जाये। अयोध्या से जुड़ा हुआ श्रवण क्षेत्र है और दोनों का एक ही मामला है तो उस क्षेत्र को भी उसमें शामिल किया जाये। इसी तरह से तमाम ऐसे स्थान हैं जो पर्यटक स्थल हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उसके लिए प्राधिकरण में शामिल करके अलग एक प्रदेश स्तर का बने।

तो वह ज्यादा विकसित होगा। मेरा कुछ ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन मान्यवर मैं इस पर जोर देता हूं और आपसे तथा मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह एक में तो रखे हैं कि दो प्रतिनिधि मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित किये जायेंगे। मान्यवर, दो तो कोई भी नामित

किये जा सकते हैं, इसलिए इसमें यह संशोधन होना चाहिए कि स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक पदेन सदस्य होंगे, अगर ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं चाहूंगा कि इसको इश्यू न बनायें और स्थानीय विधायक और सांसद को शामिल करें इससे ज्यादा लाभ मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी, आपको इस पर कुछ कहना है ?

श्री जयवीर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो मा0 सदस्यों ने कहा है उसको मैंने नोट कर लिया है उसका जवाब दे दूं। मान्यवर, श्री शुक तीर्थ विकास परिषद्, श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् और उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद् तीनों के गठन के विषय में तमाम सारे सुझाव और तमाम बातें हमारे मा0 सदस्यों द्वारा उठायी गयी हैं। मा0 चन्दन चौहान जो स्थानीय विधायक हैं, वह चले गये हैं, उन्होंने शुक तीर्थ धाम की सफाई के लिए, गंगा में रेस्क्यू टीम गठित करने के लिए, घाटों का निर्माण करने के लिए, गंगा आरती के लिए श्रद्धालुओं की चिकित्सा की व्यवस्था के लिए, आवागमन में सड़कों के सुधार के लिए और परिषद् में सन्तों की भागीदारी के लिए अपने सुझाव रखने का काम किया है। मान्यवर, मैं सबसे पहले सदन के संज्ञान में ला दूं कि जो भी तीर्थ विकास परिषद् जिस जिले की बन रही हैं उस विकास परिषद् का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद होगा। जो मा0 सदस्य ने विषय उठाये हैं इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही तीर्थ विकास परिषद् का गठन किया जा रहा है। चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, घाटों का निर्माण हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, मार्गों पर आवागमन सुगम हो। सबसे अच्छी बात है कि इसको हम लोग सीमित नहीं किये है यह केवल मन्दिर के आस-पास का नहीं होगा, बल्कि पूरे जनपद में जो पर्यटक आयेंगे उन सभी के लिए पर्यटक सुविधाएं विकसित की जायेंगी।

दूसरा विषय मा0 'मोना' जी का था, उन्होंने दो बातें कहीं, एक तो अलग से धार्मिक स्थलों के प्राधिकरण का विकास हो, जो अलग-अलग न होकर इकट्ठा हो। हालांकि आपके प्रस्ताव के लिए हम लोगों ने काफी कुछ दिया है और आगे भी जहां सम्भावना होगी देंगे। प्रदेश की 403 विधान सभाओं में यह पहली बार हुआ है प्रत्येक विधान सभा में कम से कम एक पर्यटन स्थल को डेवलप करने का काम सरकार ने किया है। हर विधान सभा क्षेत्र को हम लोगों ने पैसा देने का काम किया है। पर्यटन के लिए मुख्य मंत्री जी ने अच्छी शुरुआत की है, अगर आप लोगों को किसी भी पर्यटन स्थल को विकसित करने में रुचि है, तो पर्यटन सहभागिता योजना में आप कर सकते हैं। आपको मैंने स्वयं भी लिखा था कि जो धनराशि लगे उसका 50 प्रतिशत आप अपनी निधि से दे दें तो पर्यटन विभाग 50 प्रतिशत धनराशि अपने पास से लगाकर आपके प्रस्ताव को पूरा कराने का काम करेगा। यह योजना 25 लाख से लेकर

5 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। पूर्व पर्यटन मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह जी चले गये हैं उन्होंने भी भाषण दिया था। उन्होंने जैन सर्किट की बात की थी, मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि हम लोगों ने 12 पर्यटन सर्किट पूरे प्रदेश में विकसित करने का काम किया है जिसमें जैन सर्किट भी है, बुद्ध सर्किट भी है, राम वन गमन सर्किट भी है इसलिए इसके लिए उनको सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि भले ही उनके समय में यह नहीं हो सका, लेकिन हम लोगों ने मा0 योगी जी के नेतृत्व में करके दिखाया है, इसके लिए उन्हें सरकार को धन्यवाद देना चाहिए।

आदरणीय पाण्डेय जी ने देवी पाटन धाम पर दर्शनार्थियों से शुल्क की बात कही थी और देवी पाटन धाम का मुख्यालय मंदिर में ही बनाने की बात कही थी। लेकिन जो मुख्यालय बनेगा उस तीर्थ क्षेत्र में पूरा जिला हम लोगों ने सम्मिलत किया है। उसमें उसका मुख्यालय कहीं पर भी बने उससे फर्क नहीं पड़ता, जनपद के अन्दर ही मुख्यालय रहेगा। क्योंकि जिला मुख्यालय बलरामपुर है, तो जिला मुख्यालय सबसे ज्यादा सुविधाजनक रहता है, सब लोगों के लिए। इसलिए इसको बलरामपुर में रखने का कार्य किया गया है और साथ ही साथ जहां तक आप लोगों ने चर्चा की, इसमें जो सदस्य स्थानीय विधायक और सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में नहीं रखा गया है। उसके बारे में 5 प्रख्यात व्यक्ति, जो राज्य सरकार के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे, उनको रखा गया है और जो भी एन0जी0ओ0, जो भी संस्था, जो भी धार्मिक ट्रस्ट या कोई कम्पनी श्रद्धा से दान करना चाहती हैं, इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग करना चाहती हैं, वसूली नहीं, आपने कहा कि वसूला जाएगा, वसूली तो पुराने जमाने की बात हो गयी है। आरणीय योगी जी के जमाने में कोई वसूली नहीं होती है। जो श्रद्धा से दान देंगे उन लोगों को भी हम उसमें मेम्बर बनाने का काम करेंगे, उनको भी 3 साल के लिए सदस्य बनाने का काम करेंगे और साथ ही साथ कार्यपालक में भी अन्य जैसे अधिवक्ता हैं, राज्य के प्रख्यात साहित्यकार हैं, सलाहकार हैं, इतिहासकार हैं उसमें भी 2 प्रतिशत लोग प्रतिनिधि को भी हमने नामित करने के लिए तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी नामित करने की व्यवस्था रखी है। तो इस प्रकार की आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह सारे लोग इसमें रहेंगे और आप लोक प्रतिनिधि हैं इसमें लोक प्रतिनिधि नामित होंगे और वह भी रहेंगे।

दूसरा विषय यह आया कि सुविधा नहीं है, तो सुविधाओं के देने के लिए ही तो हम परिषद् का गठन कर रहे हैं। सुविधाएं बढ़ायेंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ायेंगे और तीनों धामों को बहुत ही भव्य, दिव्य, अलौकिक विश्वस्तरीय बनाने का काम करेंगे, साथ ही साथ पैसा तय नहीं है, इसकी बात कही गयी है इसिलिए ही परिषद् बनाने का काम किया जा रहा है कि इसमें हमारे परिषद् के लोग बैठ करके जो भी तय करेंगे, प्रोजेक्ट बनायेंगे, जो भी वहां डेवलपमेंट के लिए

योजना बनाएंगे, उन योजनाओं पर जितने भी धन की जरूरत होगी, सरकार धन की कमी नहीं आने देगी और निश्चित रूप से पूरा करने का काम सरकार करेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा है कि इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला बलरामपुर के भीतर स्थित तहसील तुलसीपुर की सीमाओं में होगा। महोदय, यह केवल तुलसीपुर तहसील की सीमाओं में होगा, यह लिखा है पहले नम्बर पर।

श्री जयवीर सिंह-

महोदय, इसमें तीसरा विषय आया कि जो आवश्यकता के अनुरूप यदि कोई भूमि अधिग्रहीत हमारी परिषद् करेगी तो उसके रेट क्या होंगे, मा0 सचिन जी ने चिन्ता व्यक्त की थी। उस पर तो सचिन जी भारत सरकार ने रेट तय कर रखे हैं। नॉन एग्रीकल्चर लैंड के दोगुने एग्रीकल्चर लैंड के चौगुने, उसके मुकाबले हम कहीं भी लैंड लेंगे या किसी की भी लैंड लेंगे, तो उस पर डांका डालने का काम हम नहीं करते हैं। हम पूरा का पूरा मुआवजा नीति के अनुसार देंगे और अधिग्रहीत करेंगे। हम उसका सर्किल रेट के हिसाब से ही पेमेंट करेंगे, आप उससे चिन्ता मुक्त रहिए। साथ ही साथ आदरणीय फहीम अहमद साहब ने मंदिर का प्रस्ताव दिया है, हमें खुशी है कि फहीम अहमद साहब शंकर जी के पुराने मंदिर का प्रस्ताव दे रहे हैं। प्रस्ताव देंगे तो हम निश्चित रूप से विचार करेंगे, हर किसी विधान सभा क्षेत्र में बिना किसी भेद भाव के। आप अपने पर्यटन के प्रस्ताव दीजिये, हम आपको निश्चित रूप से उसमें सहायोग करने का काम करेंगे।

आदरणीय वर्मा जी ने सीईओ के अधिकार की बात कही। इसमें अभी लोग नामित नहीं हुए, तो अगड़ा, पिछड़ा और एस0सी0 कहाँ से शुरू हो गये ? अभी कोई नॉमित नहीं है, पदनाम से है। वहाँ जो लोग नॉमित होंगे, उसमें निश्चित रूप से सारी चिंताओं से दूर करने का काम परिषद् करेगी। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि तोनों धामों के बनने के बाद पूर्ण नियोजित तरीके से, जिस तरीके से सरकार की मंशा है, विकास करेंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई अवरोध या कठिनाई नहीं आने देंगे। हमें पूरा भरोसा है भारतीय मूल सनातन संस्कृति को मानता है, परम्परा, विरासत के संरक्षण में और व्यापक रूप से संवर्धन के लिए इन तीर्थ स्थलों का नियोजित, समयबद्ध, गुणवत्तापरक् और पारदर्शी विश्व स्तरीय विकास के उद्देश्य से जो गठित किए गये हैं, उनको सर्वसम्मति से पारित करने का काम करें। मैं आप लोगों से, खास तौर से वर्मा जी से निवेदन करूँगा कि कटौती प्रस्ताव वापस करिए और सर्वसम्मति से पारित करने के लिए सहयोग करिए, ताकि पूरे प्रदेश और देश में एक संदेश जा सके कि कम

से कम सनातन संस्कृति पर जो उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, उसमें पक्ष और विपक्ष की कोई भावना नहीं है। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। वर्मा जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि संशोधन का प्रस्ताव वापस करिए।

उत्तर प्रदेश श्रीशुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 (मतदान एवं पारण

श्री अधिष्ठाता-

संशोधन आ गया, विचार हो गया। अब मैं पारण के लिए तीनों प्रश्न ले लेता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) .

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) .

खण्ड-2 से खण्ड-43 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2023

शुक क्षेत्र की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने; ऐसी योजना के कियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत–संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियां विकसित करने; जिला मुजफ्फरनगर के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को शुक क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये श्री शुक तीर्थ विकास परिषद का गठन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1)यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2023 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला मुजफ्फरनगर के भीतर स्थित शुक क्षेत्र में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(ख) "कार्यपालक समिति" का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है;

(ग) "कार्यपालक उपाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद के कार्यपालक उपाध्यक्ष से है;

(घ) "कियान्वयनकर्ता अभिकरण" का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की अधिकारिता के अधीन किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने और/या उसे कियान्वित करने के लिये चयनित किसी सार्वजनिक उपकम से है;

(ङ) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाली प्रसुविधाएं और भू–बद्ध चीजें या भू–बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप में आबद्ध चीजें सम्मिलित हैं;

(च) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी विकास प्राधिकरण, नगर निकाय या जिला मुजफ्फरनगर के भीतर नगरीय विकास से सम्बंधित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या तद्धीन किसी ग्राम पंचायत से है;

(छ) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के किसी सदस्य से है और जिसमें उनके अध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(ज) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् से है;

(झ) "सहभागी विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के विभाग या मुजफ्फरनगर जिला के किसी ऐसे स्थानीय निकाय से है जिसके कियाकलाप, परिषद के कृत्यों से सम्बंधित हों या उससे सम्बंधित होना संभाव्य हों;

(ञ) ''योजना'' का तात्पर्य श्री शुक तीर्थ विकास योजना से है;

(ट) "नियोजन तथा विकास समिति" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित नियोजन तथा विकास समिति से है;

(ठ) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित से है;

(ड) "परियोजनागत योजना" का तात्पर्य योजना के लिए एक या उससे अधिक अवयवों को कियान्वित करने हेतु तैयार की गयी किसी विस्तृत योजना से है;

(ढ़) "विनियमावली" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा बनायी गयी विनियमावली से है;

(ण) "श्री शुक तीर्थ विकास योजना" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन शुक क्षेत्र के विकास के लिये और पर्यटन तथा संस्कृति विशेष रूप से धार्मिक कियाकलापों तथा अध्यात्मिक पर्यटन हेतु अवसंचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए तैयार की गयी योजना से है। परिषद् के कृत्य, शुक क्षेत्र की दोनो मूर्त और अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिये होंगे;

(त) "शुक क्षेत्र'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के राजस्व तहसील जानसठ के भीतर शुक के सम्पूर्ण क्षेत्र से है।

अध्याय–दो

श्री शुक तीर्थ विकास परिषद

श्री शुक तीर्थ विकास परिषद का गठन और निगमन

3–(1)राज्य सरकार इस अधिनियम के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद का गठन करेगी जिसे ''श्री शुक तीर्थ विकास परिषद'' के रूप में जाना जायेगा;

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी;

(3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होगें, अर्थातः–

(क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जो परिषद के अध्यक्ष होंगे;

(ख) उपाध्यक्ष– मंत्री पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार;

(ग) कार्यपालक उपाध्यक्ष, जो धारा 4(1) के अधीन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त होंगे;

(घ) सदस्य सह–संयोजक–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, पदेन;

(ङ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर नियोजन विभाग, पदेन;

(च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग,पदेन;

(छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग,पदेन;

(ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग,पदेन;

(झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग,पदेन;

(ञ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग,पदेन;

(ट) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,पदेन;

(ठ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग,पदेन;

(ड) आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर, पदेन;

(ढ) जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर, पदेन;

(ण) मुख्य नगर एवं ग्राम योजनाकार, उत्तर प्रदेश,पदेन;

(त) परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;

(थ) उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर, पदेन;

(द) उत्तर प्रदेश के विरासत के संरक्षण का ज्ञान, अनुभव, अभिदर्शन तथा तद्निमित्त कृत प्रयासों के ट्रैक अभिलेख वाले ऐसे पांच प्रख्यात व्यक्ति, जो राज्य सरकार के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ध) एक करोड़ रूपये या उससे अधिक का दान करने वाले दानकर्तागण, परिषद के अनुमोदन से तीन वर्ष की अवधि के लिये नाम–निर्दिष्ट सदस्य के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे;

4–उपधारा (3) के खण्ड (त) और (थ) के अधीन नाम–निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन और शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय;

कार्यपालक उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4–(1)परिषद का एक कार्यपालक उपाध्यक्ष होगा, जो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(2) परिषद का एक 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' होगा, जो राज्य सरकार के विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद का अधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किये गये या संविदा पर रखे गये समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन होंगे;

(4) कार्यपालक उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस निमित्त जारी किये गये राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय;

(5) परिषद के समस्त आदेश और विनिश्चय तथा अन्य लिखत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होंगे;

(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता, सहायक मुख्य कार्यपालक अधिकारी करेगा जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी का होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता एक नगर योजनाकार, दो कार्यपालक अभियन्ता, चार सहायक अभियन्ता, छः अवर अभियन्ता और चार प्रशासनिक कर्मचारिवर्ग करेंगे, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर होंगे। कर्मचारिवर्ग के वेतन तथा भत्ते वहीं होंगे जो इनके पैतृक विभाग में होंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संविदा के आधार पर नियोजित किये जायेंगे और उनकी परिलब्धियों तथा वेतन संरचना का विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनकी भर्ती तथा वेतन संरचना, न्यासी मण्डल के अनुमोदन के आधार पर होगी;

(7) न्यासी मण्डल के पास अपेक्षानुसार अधिकारियों या कर्मचारिवर्ग की संख्या को बढ़ाने या उसमें कमी करने का अधिकार होगा।

कार्यपालक समिति

5–(1) जब सम्पूर्ण परिषद का सम्मेलन करना व्यवहारिक न हो तब किसी आपात या अन्य सामयिक संवेदनशील मामला होने की दशा में परिषद की शक्तियों और उसके कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक कार्यपालक समिति होगी। कार्यपालक समिति में परिषद के समस्त पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे और उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे;

(2) परिषद अपनी अगली बैठक में कार्यपालक समिति के कार्यवृत की समीक्षा करेगी और कार्यपालक समिति द्वारा कृत कार्यवाही का उपान्तरण कर सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसमें सुधार कर सकती है।

नियोजन तथा विकास समिति की संरचना

6–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् परिषद, यथाशक्य शीघ्र, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता हेतु, एक नियोजन तथा विकास समिति का गठन करेगी;

नियोजन तथा विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :–

(क) आयुक्त, सहारनपुर, जो अध्यक्ष होगा, पदेन;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;

(ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर, पदेन;

(घ) मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर, पदेन;

(ङ) अपर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर, पदेन;

(च) सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, मेरठ, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(छ) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर, पदेन;

(ज) अधीक्षण अभियंता, प्रथम मण्डल, सिंचाई कार्य, मेरठ, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(झ) अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (नगरीय एवं ग्रामीण), मुजफ्फरनगर, पदेन;

(ञ) अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम मुजफ्फरनगर, पदेन;

(ट) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर/सहारनपुर मंडल, पदेन;

(ठ) क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, मेरठ, पदेन;

(ड) एक दृश्यभूमि अभिकल्पक एवं भाषान्तरण योजनाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(ढ़) एक पर्यावरणविद्, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(ण) राज्य के सांस्कृतिक एवं पौराणिक इतिहास का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात इतिहासकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(त) राज्य का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात साहित्यकार या कलाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(थ) एक प्रख्यात विधिवक्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(द) दो प्रख्यात लोकप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(3)उपधारा (2) के खण्ड (ड), (ढ़),(ण),(त),(थ) और (द) के अधीन नियुक्त सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

सहयोजित करने की शक्ति

7–(1) परिषद या नियोजन तथा विकास समिति, किसी समय बैठक कर सकती है और ऐसी अवधि, जैसा कि वह उचित समझे, के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परिषद के या नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है;

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित कोई व्यक्ति परिषद के, या नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य की समस्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा तथा उनका निर्वहन करेगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा।

परिषद का मुख्यालय

8–परिषद का मुख्यालय मुजफ्फरनगर में होगा।

परिषद की बैठकें

9–परिषद ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी जैसा कि परिषद द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय;

नियोजन तथा विकास समिति की बैठकें

10–नियोजन तथा विकास समिति, ऐसे समयों पर बैठक करेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय या परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय, किन्तु दो निरन्तर बैठकों के मध्य का समय साठ दिन से अधिक का नहीं होगा।

रिक्तियां इत्यादि जिनसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

11–परिषद या नियोजन तथा विकास समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, यथास्थिति, परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी त्रुटि के विद्यमान होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी।

बैठक की गणपूर्ति

12–परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की बैठकों की गणपूर्ति दो तिहाई सदस्यों से होगी।

अध्याय–तीन

परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की शक्तियाँ और कृत्य

परिषद की शक्ति

13–परिषद की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियाँ सम्मिलित होंगीः–

(क) योजना और परियोजनाओं को तैयार करने, प्रवर्तित करने और उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बंध में सहभागी विभागों से रिपोर्ट और सूचना मांगना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि यथा स्थिति, योजना या परियोजना, की तैयारी, प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और उसकी स्थापत्यकला के अनुरूप हो;

(ग) योजना के क्रियान्वयन प्रक्रमों को संसूचित करना;

(घ) योजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना;

(ङ) सहभागी विभागों से व्यापक परियोजनाएं चयनित करना और उन्हें अनुमोदित करना, प्राथमिकता वाली विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु ऐसी सहायता का उपबंध करना जैसा कि परिषद उचित समझे;

(च) सेवाएं तथा सुविधाएं उपबंधित करने या उनके अनुरक्षण एवं विकास हेतु पर्यटकों से शुल्क या प्रभार उद्ग्रहीत करना;

(छ) स्वप्रेरणा से सम्पूर्ण शुक क्षेत्र में किसी क्षेत्र के विकास, पुनर्विकास और सौन्दर्यीकरण का सम्वर्द्धन करने तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए कोई कार्य/परियोजना प्रारम्भ करना;

(ज) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के समस्त नियमों तथा विनियमों का अनुसरण करते हुए पारदर्शी रीति से किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने तथा उसे कियान्वित करने के लिए कियान्वयनकर्ता अभिकरण का चयन करना;

(झ) नियोजन तथा विकास समिति को ऐसे अन्य कृत्यों को, सौंपना जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को कियान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

परिषद के कृत्य

14–परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगे–

(क) योजना तैयार करना;

(ख) सहभागी विभागों (राज्य सरकार के समस्त विभाग) में से किसी सहभागी विभाग द्वारा परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था करना;

(ग) किसी एक या उससे अधिक सहभागी विभाग/विभागों या कियान्वयनकर्ता अभिकरण/ अभिकरणों के माध्यम से योजना एवं परियोजनाओं के प्रवर्तन तथा कियान्वयन का समन्वय करना;

(घ) शुक क्षेत्र में परियोजना की संरचना करने प्राथमिकताओं का अवधारण करने और उक्त योजना में संसूचित प्रक्रमों के अनुसार पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्रावस्था निर्धारित करने तथा शुक की विरासत के संरक्षण के संबंध में सहभागी विभागों द्वारा समुचित तथा व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;

(ङ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता तथा अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के निमित्त समेकित प्रयास करना और उसका सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजीकरण करना, उसे संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, संवर्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(च) क्षेत्र के विरासत के सम्बन्ध में अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना तथा उसे प्रोत्साहित करना;

(छ) शुक क्षेत्र में नदियों तथा जलाशयों और उनके जलागम क्षेत्रों का संरक्षण तथा विकास करने हेतु उनमें प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने तथा नदी तटों एवं जलाशयों का विकास करने के लिए दायित्व ग्रहण करना;

(ज) उक्त क्षेत्र के विरासतीय स्थापत्य कला के अनुरूप भवनों तथा संरचनाओं में एकरूपता लाने हेतु स्थापत्य विनियमावली बनाना;

(झ) शुक क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने, संरक्षित करने, सुरक्षित रखने तथा उसे संवर्धित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा कियाकलापों/परियोजनाओं के एकीकृत विकास के लिए विभिन्न पणधारकों–सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, मंदिर प्रबन्धन/न्यासों, स्वयंसहायता समूहों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों के मध्य समन्वयन सुनिश्चित करने की नीतियों का सूत्रपात करना;

(ञ) शुक क्षेत्र में राज्य निधियों तथा अन्य राजस्व स्रोतों यथा मंदिर न्यासों, दानों, गैर सरकारी संगठन कम्पनी/फर्मों तथा पर्यटकों आदि से प्राप्त निधियों के माध्यम से चयनित विकास परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना;

(ट) शुक क्षेत्र में व्यावहारिक रूप में सौहार्द संवर्द्धन की छाप रख चुके या रखने वाले प्राधिकारियों के साथ समीपस्त क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी मामलों तथा किया–कलापों में समन्वय करना;

नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य

15–(1) नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य, परिषद की निम्नलिखित के संबंध में सहायता करने होंगे:–

(क) योजना तथा परियोजनाओं की तैयारी करना एवं उसके क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(ख) सहभागी विभाग या किसी क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण की परियोजनाओं की यह सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा करना कि वे योजना के अनुरूप हों;

(ग) परिषद को ऐसी संस्तुतियां करना जैसा कि वह किसी योजना का संशोधन या उपान्तरण करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) शुक क्षेत्र योजना के अनुरूप जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय तथा क्रियान्वयन करना;

(ङ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि उसे परिषद द्वारा सौंपे जायं।

2–जिला में विभागीय आय–व्ययक संबंधी स्वीकृतियों वाले विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य कियान्वयनकर्ता अभिकरणों को नियोजन तथा विकास समिति के साथ उक्त योजना के अधीन उनकी विद्यमान योजनाओं/ परियोजनों की समाभिरूपता तथा समन्वय सुनिश्चित करने हेतु समन्वय भी करना होगा।

अध्याय–चार

योजना तथा परियोजनागत योजनाएं

योजना की विषयवस्तु

16–(1) योजना एक लिखित विवरण होगी और उसके साथ ऐसे मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत तथा विवरणात्मक मामले संलग्न होंगे जैसा कि परिषद योजना में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्याख्या करने या दृष्टांत देने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझे और ऐसे प्रत्येक मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत और विवरणात्मक मामले योजना के अंग समझे जायेंगे;

(2) उक्त योजना में ऐसी रीति संसूचित होगी जिसमें शुक क्षेत्र में विकास सम्बन्धी किया–कलाप या संरक्षण तथा ऐसे अन्य मामले ग्रहण किये जायेंगे, जिनका शुक क्षेत्र में पर्यटन के विकास तथा शुक की विरासत के संरक्षण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हो या होना सम्भावित हो। इस सम्बन्ध में पहला कार्य शुक क्षेत्र के विकास के लिये एक महा योजना तैयार करना है। ये विकास परक योजनायें दो चरणों में कियान्वित की जायेंगी। समस्त कियाशील अभिकरणों को कियान्वयन के पूर्व परिषद् से सहमति प्राप्त करनी होगी और पुष्टि करानी होगी। उक्त योजना में योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे अर्थात्–

(क) विभिन्न प्रयोगों के लिये भू–उपयोग तथा भूमि आवंटन को विनियमित करने की नीति;

(ख) प्रमुख नगरीय व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्थापत्य विनियमावली के लिए प्रस्ताव;

(ग) भावी विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का उपबन्ध करने के लिए प्रस्ताव;

(घ) स्थानीय परिवहन सहित क्षेत्र के लिए सहायक रेलवे तथा मुख्य मार्गों से युक्त परिवहन तथा संचार से सम्बंधित प्रस्ताव;

(ङ) नगरीय सेवाओं यथा पेय जल, मलजल तथा जल निकास व्यवस्था के लिए प्रस्ताव;

(च) ऐसे क्षेत्रों को संसूचित करना जिनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में तत्काल विकास की आवश्यकता हो;

(छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता और अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के लिए प्रस्ताव और इसे सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजी कृत करना, संरक्षित करना, सुरक्षित करना, संवर्द्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(ज) शुक क्षेत्र के उन्नयन तथा संतुलित विकास के लिए समुचित योजना बनाने हेतु सम्बंधित सहभागी विभागों के साथ परामर्श करके परिषद द्वारा सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामले।

सर्वेक्षण और अध्ययन

17—उक्त योजना तैयार करने के लिए परिषद ऐसी सहभागी विभागों या व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे, द्वारा, ऐसे सर्वेक्षण तथा अध्ययन करा सकती है जैसा कि वह ऐसा किये जाने के लिए आवश्यक समझे, और ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिए ऐसे विशेषज्ञों या परामर्शदाताओं को भी सहयोजित कर सकती है, जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

योजना तैयार करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

18—(1) उक्त योजना का अन्तिम रूप प्रदान करने के पूर्व, परिषद, नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना का एक प्ररूप तैयार करेगी और उसे उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराते हुए तथा यथाविहित प्ररूप में और रीति से एक नोटिस ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रकाशित कराते हुए योजना के प्ररूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करायेगी;

(2) परिषद प्रत्येक ऐसे स्थानीय प्राधिकरण/विभाग, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त योजना द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित कोई भूमि स्थित हो, को योजना के प्ररूप के संबंध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान करेगी;

(3) परिषद द्वारा प्राप्त की गयी समस्त आपत्तियों, सुझावों तथा प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् परिषद अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगी।

योजना को प्रवर्तित किये जाने का दिनांक

19—उक्त योजना को अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के तत्काल पश्चात् परिषद यह उल्लेख करते हुए कि उसके द्वारा योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है और ऐसे स्थानों को नामित कर दिया गया है जहाँ योजना की प्रतिलिपि का समस्त युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण किया जा सकता है, यथा विहित रीति से, एक नोटिस प्रकाशित करायेगी और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिनांक को उक्त योजना प्रवर्तित होगी और सम्यक रूप से तैयार की गयी समझी जायेगी।

योजना का उपान्तरण

20—(1) परिषद उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन योजना में ऐसे उपान्तरण, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकती है, जो उसकी राय में योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति को प्रभावित न करे और जो भू—उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से सम्बंधित न हो;

(2) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण करने के पूर्व, परिषद यथा विहित प्ररूप में तथा रीति से एक नोटिस, अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरणों को संसूचित करते हुए और नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व प्रस्तावित उपान्तरणों के सम्बंध में किसी व्यक्ति से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी और स्वयं द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त की जाने वाली समस्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करेगी;

(3) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से प्रकाशित की जायेगी और उक्त उपान्तरण ऐसे प्रकाशन के दिनांक को अथवा ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक को, जैसा कि परिषद नियत करे, प्रवर्तित होगा;

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरण ऐसे उपान्तरण हैं जिनसे योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती हो तो इसका विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

योजना की समीक्षा और उसका पुनरीक्षण

21—(1) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना को प्रवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् परिषद ऐसी समीक्षा के पश्चात् उसकी समग्रता में ऐसी योजना की समीक्षा कर सकती है, और ऐसी समीक्षा के पश्चात् इसके स्थान पर नई योजना ला सकती है या उसमें ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति की सहमति से उसके द्वारा आवश्यक पाया जाय;

(2) जहाँ उक्त योजना के स्थान पर नई योजना रखने का प्रस्ताव किया जाय या जहाँ ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन का प्रस्ताव हो वहाँ, यथा—स्थिति, ऐसी नई योजना या ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन उसी रीति से प्रकाशित एवं व्यवहृत किये जायेंगे मानों यह ऐसी योजना हो, जो धारा 18 और 19 में निर्दिष्ट हो या मानों वे धारा 20 के अधीन बनायी गयी योजना में उपान्तरण या परिवर्तन हों।

परियोजनागत योजना की तैयारी, समन्वय और सहभागिता

22—(1) सहभागी विभाग स्वयं अथवा, यथास्थिति, एक या उससे अधिक सहभागी विभागों के सहयोग से परियोजनागत योजनाओं की एक या उससे अधिक तत्वों को तैयार कर सकता है;

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान, ऋण या आय—व्ययक प्राप्त करने वाले जिला के विभिन्न सहभागी विभागों को, उक्त योजना के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं सहित अपने विभागीय योजनाओं की समाभिरूपता/समन्वय को सुनिश्चित करना होगा।

अध्याय–पांच
वित्त, लेखा और लेखा–परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान अग्रिम और ऋण

23–राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि के माध्यम से किये गये सम्यक विनियोजन के पश्चात् परिषद को ऐसी धनराशि का अनुदान, अग्रिम तथा ऋण प्रदान कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को कियान्वित करने के लिए परिषद को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे।

निधि का गठन

24–(1) परिषद की अपनी एक पृथक बैंक खाता में अनुरक्षित की जाने वाली एक निधि का गठन किया जायेगा, जिसे श्री शुक तीर्थ विकास परिषद निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेंगी–

(क) धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद को प्रदान किया गया कोई अनुदान तथा ऋण;

(ख) अन्य स्रोतों यथा–मन्दिर न्यासों से प्राप्त धनराशि, गैर सरकारी संगठन, कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों आदि से प्राप्त दान; और

(ग) परिषद द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त कोई अन्य धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा परिषद के परामर्श से विनिश्चित् किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में जमा की गई धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा–

(क) कार्यपालक उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा परिषद के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक की पूर्ति करना तथा परिषद के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति करना;

(ख) शुक क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक अध्ययन संचालित करना और तद्निमित् योजनाएं/ परियोजनाएं अभिकल्पित करना;

(ग) योजना तथा परियोजनाओं के कियान्वय हेतु सहभागी विभागों और कियान्वयनकर्ता अभिकरणों को वित्तीय सहायता उपबन्धित करना;

(घ) इस अधिनियम का प्रशासनीकरण करने में परिषद द्वारा उपगत किन्हीं अन्य व्ययों की पूर्ति करना;

आय–व्ययक

25–परिषद प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अगले आगामी वित्तीय वर्ष के लिये एक आय–व्ययक तैयार करेगी और उसे वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के न्यूनतम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी;

वार्षिक रिपोर्ट

26–परिषद प्रत्येक वर्ष अपने उस वर्ष के किया–कलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व,जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी और ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी;

लेखा और लेखा–परीक्षा

27–(1) परिषद समुचित लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी और ऐसे प्ररूप में जैसा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिये प्रयोज्य हो, तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी;

(2) परिषद के लेखाओं की वार्षिक लेखा–परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करायी जायेगी और/या राज्य सरकार, उक्त लेखा–परीक्षा, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को या किसी अन्य लेखा–परीक्षक को ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, ऐसी रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय में सौप सकती है जैसा कि उसके एवं राज्य सरकार के मध्य सहमति हो;

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा–परीक्षा संचालित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार :–

(क) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के मामले में, वही होंगे जैसा कि उसके पास स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में हो;

(ख) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मामले में वही होंगे, जैसा कि उसके पास सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में हों; और

(ग) किसी अन्य लेखा परीक्षक के मामले में वहीं होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

(4) परिषद राज्य सरकार को वार्षिक रूप में या ऐसे समय में, जैसा कि उसके द्वारा निदेशित किया जाय, लेखा परीक्षित लेखाओं की उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक रिपोर्ट

28–राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल, जब वह सत्र में हो, के प्रत्येक सदन के पटल पर यथाशक्य शीघ्र उन्हें रखवायेगी।

अध्याय–छः

भूमि का अर्जन और निस्तारण

अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित किया जाना

29–(1) यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी भूमि का विकास हेतु अर्जन किया जाना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि को अर्जित कर सकती है;

(2) जहाँ राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित की गई हो वहाँ वह उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त भूमि, परिषद को ऐसे प्रयोजन के लिए अन्तरित कर सकती है जिसके लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रतिकर का, और अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का, परिषद द्वारा, संदाय किये जाने पर उक्त भूमि अर्जित की गई हो;

(3) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रदान किये गये किन्हीं निदेशों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई और परिषद को अन्तरित की गई भूमि, परिषद द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अभिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन अन्तरित की जा सकती है जैसाकि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले विकास का दायित्व ग्रहण करने या उसे कियान्वित करने के पश्चात् शुक क्षेत्र के विकास को संरक्षित करने कि लिए समीचीन समझे।

प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना अनुज्ञात नहीं है

30–ऐसे प्रयोजन या सम्बंधित प्रयोजनों, जिसके/जिनके लिये मूल रूप में भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित हो, में कोई परिवर्तन की अनुज्ञा, इसके सिवाय नहीं प्रदान की जायेगी जैसा कि अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में यथा उपबन्धित रूप में निर्दिष्ट हो।

अप्रयुक्त भूमि का वापस किया जाना

31–जब इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अर्जित की गई भूमि अप्रयुक्त रहती है तो इसका निस्तारण अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय–सात

प्रकीर्ण

विद्यमान विधियों के अतिरिक्त किये जाने वाले उपबन्ध

32–इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति

33–राज्य सरकार समय–समय पर परिषद को ऐसे निदेश दे सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के दक्ष प्रशासनीकरण के लिए उपयुक्त समझे और परिषद ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

परिषद/नियोजन तथा विकास समिति को प्राविधिक सहायता दिया जाना

34–(1) राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग को यह निदेश दे सकती है कि वह ऐसी निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि पारस्परिक रूप में सहमति हो, पर परिषद को ऐसी प्राविधिक सहायता उपबन्धित करे, जैसा कि वह आवश्यक समझे;

(2) नियोजन तथा विकास समिति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से परिषद, उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त की गई प्राविधिक सहायता में से नियोजन तथा विकास समिति को ऐसी प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति अपेक्षा करे।

परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी

35–(1) राज्य सरकार क्रमशः दो उपयुक्त व्यक्तियों को परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय या उन्हें परिषद अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय;

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, परिषद इस निमित्त बनायी जाने वाली किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसे पद पर नियुक्तियाँ कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के पदनामों एवं ग्रेडों का अवधारण कर सकती है जैसा कि इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का दक्षता पूर्वक निष्पादन करने के लिए आवश्यक हो;

(3) विधिक मामलों में परिषद को सलाह देने के लिये एक विधि सलाहकार होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के न्याय विभाग के परामर्श से की जायेगी;

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा उनके कृत्य एवं कर्तव्य यथा विहित रूप में होंगे;

(5) परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, राज्य सरकार के अनुमोदन से न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि और अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के लिए किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रतिनियुक्त किये जायेंगे और वे परिषद की निधियों से वेतन तथा भत्तों के लिए हकदार होंगे।

प्रत्यायोजन

36–परिषद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी कृत्य या शक्ति (योजना, और उसमें किये जाने वाले उपान्तरणों तथा परिवर्तनों को अनुमोदित करने और विनियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न) या उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन निष्पादित किये गये, प्रयुक्त किये गये या निर्वहन किये गये कर्तव्य, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, का निष्पादन प्रयोग या निर्वहन ऐसे अधिकारी द्वारा भी किया जायेगा जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और जहाँ ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय वहाँ ऐसा अधिकारी, जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, उन शक्तियों का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

37–इस निमित्त बनायी गयी किसी नियमावली के अध्यधीन परिषद द्वारा इस निमित सामान्यतः या विशिष्टतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी भूमि या परिसर में समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकता है और वहाँ पर ऐसी चीजें कर सकता है जो किसी कार्य को विधिसम्मत रूप से करने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए प्रारम्भिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या जाँच करना आवश्यक होः

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति, किसी भवन या किसी परिवेष्ठित प्रांगण या किसी निवास गृह से संलग्न उद्यान में प्रवेश, उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपनी आशय की लिखित रूप में कम से कम तीन दिन पूर्व नोटिस दिये बिना, नहीं करेगा।

परिषद के अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

38–परिषद के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करना तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहित, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावना पूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

39–इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये परिषद, नियोजन तथा विकास समिति, उसके सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनमें इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी।

नियमावली बनाने की शक्ति

40–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है;

(2) पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई विषय उपबंधित किये जा सकते हैं, अर्थात्:–

(क) धारा 3 की उपधारा(4) और धारा 6 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदस्यों के पदों की निबंधन एवं शर्तें;

(ख) प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 18 की उपधारा(1) और धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(ग) रीति, जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना हो या किया जा सकता है अथवा जिसके सम्बन्ध में नियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति

41–(1) परिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी विनियमावली बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई नियमावली से असम्बद्ध न हो;

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी विनियमावली में निम्नलिखित कोई या समस्त मामले उपबंधित हो सकते हैं, अर्थात्:–

(क) रीति, जिसमें और प्रयोजन, जिसके लिये परिषद धारा 17 के अधीन अपने साथ किसी व्यक्ति को सहयोजित कर सकती है;

(ख) धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें;

(ग) कोई अन्य मामला, जिसके सम्बन्ध में विनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

परिषद का विघटन

42–(1) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिषद की स्थापना की गयी थी, को मौलिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है या परिषद अपने लक्ष्यों में विफल हो गयी है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की राय में परिषद का निरन्तर बना रहना अनावश्यक हो गया है, वहाँ राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद को ऐसे दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय; और परिषद तद्नुसार विघटित की गयी समझी जायेगी।

(2) उक्त दिनांक से–

(क) समस्त सम्पत्तियां, निधियां और देय, जो परिषद में निहित हैं या उसके द्वारा वसूल गिये जाने योग्य हैं; राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य होंगी;

(ख) समस्त देनदारियां, जो परिषद के सापेक्ष प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय होंगी;

(ग) परिषद द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित न किये गये कोई कार्य करने के लिये और खण्ड(क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देयों को वसूल करने के लिये परिषद के कृत्यों का निर्वहन, राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को परिषद का पुनर्गठन करने से रोकने के रूप में नहीं माना जायेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

43–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के लिए गज़ट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक के माध्यम से ऐसे अनुकूलनों, जैसाकि वह आवश्यक और समीचीन समझे, के अध्यधीन प्रभावी होंगे;

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-43 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर विचार किया जाए।

उत्तर प्रदेश श्रीदेवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 (मतदान एवं पारण)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-43 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2023

देवीपाटन धाम की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी देवीपाटन धाम की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने; ऐसी योजना के कियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत–संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियां विकसित करने; जिला बलरामपुर के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को देवीपाटन क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला बलरामपुर के भीतर स्थित तहसील तुलसीपुर की सीमाओं में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2–जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''देवीपाटन क्षेत्र'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में राजस्व तहसील तुलसीपुर जिला–बलरामपुर के भीतर के सम्पूर्ण क्षेत्र से है;

(ख) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(ग) "कार्यपालक समिति" का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है;

(घ) "कार्यपालक उपाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद के कार्यपालक उपाध्यक्ष से है;

(ङ) "कियान्वयनकर्ता अभिकरण" का तात्पर्य राज्य सरकार या भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने और/या उसे कियान्वित करने के लिये चयनित राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सार्वजनिक उपक्रम से है;

(च) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाली प्रसुविधाएं और भू–बद्ध चीजें या भू–बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप में आबद्ध चीजें सम्मिलित हैं;

(छ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य जिला बलरामपुर के भीतर किसी विकास प्राधिकरण, नगर निकाय या नगरीय विकास से सम्बंधित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या तद्धीन किसी ग्राम पंचायत से है;

(ज) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के किसी सदस्य से है और जिसमें उनके अध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(झ) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् से है;

(ञ) "सहभागी विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के विभाग या बलरामपुर जिला के किसी ऐसे स्थानीय निकाय से है जिसके कियाकलाप, परिषद से सम्बंधित हों या उससे सम्बंधित होना संभाव्य हो;

(ट) ''योजना'' का तात्पर्य श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास योजना से है;

(ठ) "नियोजन तथा विकास समिति" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित नियोजन तथा विकास समिति से है;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(ढ) "परियोजनागत योजना" का तात्पर्य योजना के लिए एक या उससे अधिक अवयवों को कियान्वित करने हेतु तैयार की गयी किसी विस्तृत योजना से है;

(ण) "विनियमावली" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा बनायी गयी विनियमावली से है;

(त) "श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास योजना'' का तात्पर्य देवीपाटन क्षेत्र के विकास के लिए और धार्मिक कियाकलापों तथा अध्यात्मिक पर्यटन हेतु आवश्यक रूप में पर्यटन एवं संस्कृति की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिये इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी योजना से है। न्यास का कृत्य देवीपाटन क्षेत्र के दोनों मूर्त तथा अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिये होगा।

अध्याय–दो

श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद

श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन और निगमन

3–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद का गठन करेगी जिसे ''श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद'' के रूप में जाना जायेगा;

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी;

(3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जो परिषद के अध्यक्ष होंगे;

(ख) उपाध्यक्ष– मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार;

(ग) कार्यपालक उपाध्यक्ष, धारा 4(1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त होंगे;

(घ) सदस्य सह–संयोजक/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, पदेन;

(ङ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर नियोजन विभाग, पदेन;

(च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग,पदेन;

(छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग,पदेन;

(ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग,पदेन;

(झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग,पदेन;

(ञ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग,पदेन;

(ट) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग,पदेन;

(ठ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग,पदेन;

(ड) आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, पदेन;

(ढ) जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर, पदेन;

(ण) मुख्य नगर एवं ग्राम योजनाकार, उत्तर प्रदेश,पदेन;

(त) परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;

(थ) अध्यक्ष, विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बलरामपुर पदेन;

(द) कार्यपालक अधिकारी, बलरामपुर नगर पालिका परिषद, पदेन;

(ध) उत्तर प्रदेश के विरासत के संरक्षण का ज्ञान, अनुभव, अभिदर्शन तथा तद्निमित्त कृत प्रयासों के ट्रैक अभिलेख वाले ऐसे पाँच प्रख्यात व्यक्ति, जो राज्य सरकार के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(न) एक करोड़ रूपये या उससे अधिक का दान करने वाले दान कर्तागण, तीन वर्ष की अवधि के लिये और परिषद के अनुमोदन के पश्चात् नाम–निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (त) और (थ) के अधीन नाम–निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

कार्यपालक उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4–(1) परिषद का एक कार्यपालक उपाध्यक्ष होगा, जो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(2) परिषद का एक 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार के ज्येष्ठ प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, परिषद का अधिकारी होगा और सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त या संविदा पर लिये गये समस्त अधिकारी और कर्मचारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन होंगे;

(4) कार्यपालक उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते, जैसा कि पैतृक विभाग में उसके द्वारा धारित श्रेणी के लिए या किसी विशेष शासनादेश द्वारा लागू हो, प्राप्त करने के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय;

(5) परिषद के समस्त आदेश और विनिश्चय तथा अन्य लिखत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होंगे;

(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जिसे आगे सी0ई0ओ0, कहा गया है) की सहायता सहायक मुख्य कार्यपालक अधिकारी करेगा जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी का होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता एक नगर योजनाकार, एक अधिशासी अभियंता, दो सहायक अभियंता, तीन अवर अभियंता और चार प्रशासनिक कर्मचारिवर्ग करेंगे, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति होंगे। कर्मचारिवर्ग के लिए वेतन और भत्ते वहीं होंगे जो पैतृक विभाग में होंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संविदा के आधार पर नियोजित किये जायेंगे और उनकी परिलब्धियों तथा वेतन संरचना का विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनकी भर्ती और वेतन संरचना परिषद् के अनुमोदन पर होगी;

(7) परिषद् के पास अपेक्षानुसार अधिकारियों या कर्मचारिवर्ग की संख्या में वृद्धि करने या कमी करने का अधिकार होगा।

कार्यपालक समिति

5–(1) जब सम्पूर्ण परिषद का सम्मेलन करना व्यवहारिक न हो तब किसी आपात या अन्य सामयिक संवेदनशील मामला होने की दशा में परिषद की शक्तियों और उसके कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक कार्यपालक समिति होगी। कार्यपालक समिति में परिषद के समस्त पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे और उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे;

(2) परिषद अपनी अगली बैठक में कार्यपालक समिति के विनिश्चयों की समीक्षा करेगी और कार्यपालक समिति द्वारा कृत कार्यवाही का उपान्तरण कर सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसमें सुधार कर सकती है।

नियोजन तथा विकास समिति की संरचना

6–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्, परिषद यथाशक्य शीघ्र अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता हेतु एक नियोजन तथा विकास समिति का गठन करेगी;

(2) नियोजन तथा विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :–

(क) आयुक्त, देवीपाटन, जो अध्यक्ष होगा, पदेन;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;

(ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर, पदेन;

(घ) प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रखण्ड पदेन;

(ङ) मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर, पदेन;

(च) अपर पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर, पदेन;

(छ) कार्यपालक अधिकारी, बलरामपुर नगर पालिका परिषद, पदेन;

(ज) सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(झ) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर, पदेन;

(ञ) अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल गोण्डा, देवीपाटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश पदेन;

(ट) अधीक्षण अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (नगरीय एवं ग्रामीण), बलरामपुर, पदेन;

(ठ) अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम बलरामपुर, पदेन;

(ड) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बलरामपुर, देवीपाटन मण्डल पदेन;

(ढ़) क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, अयोध्या, पदेन;

(ण) एक दृश्यभूमि अभिकल्पक एवं भाषान्तरण योजनाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(त) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक पर्यावरण विद्;

(थ) राज्य के सांस्कृतिक एवं पौराणिक इतिहास का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात इतिहासकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(द) राज्य का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात साहित्यकार या कलाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(ध) एक प्रख्यात विधिवक्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(न) दो प्रख्यात लोकप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

(3) उपधारा (2) के खण्ड (थ), (द), (ध) और (न) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

सहयोजित करने की शक्ति

7–(1) परिषद या नियोजन तथा विकास समिति, किसी समय बैठक कर सकती है और ऐसी अवधि, जैसा कि वह उचित समझे, के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परिषद के या नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है;

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित कोई व्यक्ति, यथा स्थिति, परिषद के, या नियोजन या विकास समिति के सदस्य की समस्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा तथा उनका निर्वहन करेगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा;

परिषद का मुख्यालय

8–परिषद का मुख्यालय बलरामपुर में होगा।

परिषद की बैठकें

9–परिषद ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी जैसा कि परिषद द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

नियोजन तथा विकास समिति की बैठकें

10–नियोजन तथा विकास समिति ऐसे समयों पर बैठक करेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय या परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय किन्तु दो निरन्तर बैठकों के मध्य का समय साठ दिन से अधिक का नहीं होगा।

रिक्तियां इत्यादि जिनसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

11–परिषद या नियोजन तथा विकास समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, यथास्थिति, परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी त्रुटि के विद्यमान होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी।

बैठक की गणपूर्ति

12—परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की बैठकों की गणपूर्ति दो—तिहाई सदस्यों से निकटतम पूर्णांकिंत रूप से होगी।

अध्याय—तीन

परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की शक्तियाँ और कृत्य

परिषद की शक्ति

13—परिषद की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियाँ सम्मिलित होंगी:—

(क) योजना और परियोजनाओं को तैयार करने, प्रवर्तित करने और उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बंध में सहभागी विभागों से रिपोर्ट और सूचना मांगना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि योजना या परियोजना, की तैयारी, प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन, देवीपाटन की संस्कृति और उसकी स्थापत्यकला के अनुरूप हो;

(ग) योजना के प्रवर्तन विनियमन और क्रियान्वयन के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर की अध्यक्षता में परिषद् द्वारा एक समिति गठित की जायेगी। समिति के गठन में कोई परिवर्तन करने का अधिकार परिषद् के पास आरक्षित है।

(घ) योजना के क्रियान्वयन प्रक्रमों को संसूचित करना;

(ङ) योजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना;

(च) सहभागी विभागों से व्यापक परियोजनाएं चयनित करना और उन्हें अनुमोदित करना, प्राथमिकता वाली विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऐसी सहायता का उपबंध करना जैसा कि परिषद उचित समझे;

(छ) सेवाएं तथा सुविधाएं उपबंधित करने या उनके अनुरक्षण एवं विकास हेतु पर्यटकों से शुल्क या प्रभार उद्ग्रहीत करना;

(ज) स्वप्रेरणा से सम्पूर्ण देवीपाटन क्षेत्र में किसी क्षेत्र के विकास, पुनर्विकास और सौन्दर्यीकरण का सम्वर्द्धन करने तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कोई कार्य/परियोजना प्रारम्भ करना;

(झ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के समस्त नियमों तथा विनियमों का अनुसरण करते हुए पारदर्शी रीति से किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण का चयन करना;

(ञ) नियोजन तथा विकास समिति को ऐसे अन्य कृत्यों को, सौंपना जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

परिषद के कृत्य

14—परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) योजना तैयार करना;

(ख) सहभागी विभागों (राज्य सरकार के समस्त विभाग) में से किसी विभाग द्वारा परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था करना;

(ग) किसी एक या उससे अधिक सहभागी विभागों या क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से योजना एवं परियोजनाओं के प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(घ) देवीपाटन क्षेत्र में परियोजना की संरचना करने, प्राथमिकताओं का अवधारण करने और उक्त योजना में संसूचित प्रक्रमों के अनुसार पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्रावस्था निर्धारित करने तथा देवीपाटन की विरासत के संरक्षण के संबंध में सहभागी विभागों द्वारा समुचित तथा व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;

(ङ) पर्यटन विभाग की ओर से देवीपाटन के लिये बजट का उपबंध किया जायेगा और निधि लाभांश के आधार पर अन्य स्रोतों यथा दान, किरायों तथा अवसंरचनात्मक उपयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी की रीति से ग्रहण की जायेगी।

(च) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता तथा अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के निमित्त समेकित प्रयास करना और उसका सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजीकरण करना, उसे संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, संवर्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(छ) क्षेत्र के विरासत के सम्बन्ध में अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना तथा उसे प्रोत्साहित करना;

(ज) देवीपाटन क्षेत्र में नदियों और जलाशयों तथा उनके जलागम क्षेत्रों का संरक्षण तथा विकास करने हेतु उनमें प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने तथा नदी तटों एवं जलाशयों का विकास करने के लिए दायित्व ग्रहण करना;

(झ) उक्त क्षेत्र के विरासतीय स्थापत्य कला के अनुरूप भवनों तथा संरचनाओं में एकरूपता लाने हेतु स्थापत्य विनियमावली बनाना;

(ञ) देवीपाटन क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने, संरक्षित करने, सुरक्षित रखने तथा उसे संवर्धित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा कियाकलापों/परियोजनाओं के एकीकृत विकास के लिए विभिन्न पणधारकों–सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, मंदिर प्रबन्धन/न्यासों, स्वयंसहायता समूहों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों के मध्य समन्वयन सुनिश्चित करने की नीतियों का सूत्रपात करना;

(ट) देवीपाटन क्षेत्र में राज्य निधियों तथा अन्य राजस्व स्रोतों यथा मंदिर न्यासों, दानों, गैर सरकारी संगठन कम्पनी/फर्मों तथा पर्यटकों आदि से प्राप्त निधियों के माध्यम से चयनित विकास परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना;

(ठ) परिषद् निधि व्यवस्था को गतिशील करने के लिये न्यास और प्रतिधारण खाता, या इस्को खाता खोल सकती है;

(ड) देवीपाटन क्षेत्र में व्यावहारिक रूप में सौहार्द संवर्द्धन की छाप रख चुके या रखने वाले प्राधिकारियों के साथ समीपस्त क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी मामलों तथा किया–कलापों में समन्वय करना;

नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य

15–(1) नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य, परिषद की निम्नलिखित के संबंध में सहायता करने होंगेः–

(क) योजना तथा परियोजनाओं की तैयारी करना एवं उसके कियान्वयन का समन्वय करना;

(ख) सहभागी विभाग या किसी कियान्वयनकर्ता अभिकरण की परियोजनाओं की यह सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा करना कि वे योजना के अनुरूप हों;

(ग) परिषद को ऐसी संस्तुतियां करना जैसा कि वह किसी योजना का संशोधन या उपान्तरण करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय तथा कियान्वयन करना;

(ङ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि उसे परिषद द्वारा सौपें जायं;

(2) जिला में विभागीय आय–व्ययक संबंधी स्वीकृतियों वाले विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य कियान्वयनकर्ता अभिकरणों को नियोजन तथा विकास समिति के साथ उक्त योजना के अधीन उनकी विद्यमान योजनाओं/ परियोजनों की समाभिरूपता तथा समन्वय सुनिश्चित करने हेतु समन्वय भी करना होगा।

अध्याय–चार

योजना तथा परियोजनागत योजनाएं

योजना की विषयवस्तु

16–(1) योजना एक लिखित विवरण होगी और उसके साथ ऐसे मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत तथा विवरणात्मक मामले संलग्न होंगे जैसा कि परिषद योजना में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्याख्या करने या दृष्टांत देने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझे और ऐसे प्रत्येक मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत और विवरणात्मक मामले योजना के अंग समझे जायेंगे;

(2) उक्त योजना में ऐसी रीति संसूचित होगी जिसमें देवीपाटन क्षेत्र में विकास सम्बन्धी क्रिया–कलाप या संरक्षण तथा ऐसे अन्य मामले ग्रहण किये जायेंगे, जिनका देवीपाटन क्षेत्र में पर्यटन के विकास तथा देवीपाटन की विरासत के संरक्षण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हो या होना सम्भावित हो। उक्त योजना में योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे अर्थात् :–

(क) विभिन्न प्रयोगों के लिये भू–उपयोग तथा भूमि आवंटन को विनियमित करने की नीति;

(ख) प्रमुख नगरीय व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्थापत्य विनियमावली के लिए प्रस्ताव;

(ग) भावी विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का उपबन्ध करने के लिए प्रस्ताव;

(घ) स्थानीय परिवहन सहित क्षेत्र के लिए सहायक रेलवे तथा मुख्य मार्गों से युक्त परिवहन तथा संचार से सम्बंधित प्रस्ताव;

(ङ) नगरीय सेवाओं यथा पेय जल, मलजल तथा जल निकास व्यवस्था के लिए प्रस्ताव;

(च) ऐसे क्षेत्रों को संसूचित करना जिनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में तत्काल विकास की आवश्यकता हो;

(छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता और अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के लिए प्रस्ताव और इसे सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजी करण करना, संरक्षित करना, सुरक्षित करना, संवर्द्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(ज) देवीपाटन क्षेत्र के संतुलित विकास तथा अभिवृद्धि के लिए समुचित योजना बनाने हेतु सम्बंधित सहभागी विभागों के साथ परामर्श करके परिषद द्वारा सम्मिलित किये जाने वाले ऐसे अन्य मामले।

सर्वेक्षण और अध्ययन

17–उक्त योजना तैयार करने के लिए, परिषद, ऐसी सहभागी विभागों या व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे, द्वारा, ऐसे सर्वेक्षण तथा अध्ययन करा सकती है जैसा कि वह ऐसा किये जाने के लिए आवश्यक समझे, और ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिए ऐसे विशेषज्ञों या परामर्श दाताओं को भी सहयोजित कर सकती है, जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

योजना तैयार करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रकिया

18–(1) उक्त योजना का अन्तिम रूप प्रदान करने के पूर्व, परिषद, नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना का एक प्ररूप तैयार करेगी और उसे उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराते हुए तथा यथाविहित प्ररूप में और रीति से एक नोटिस ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रकाशित कराते हुए योजना के प्ररूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपतियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करायेगी;

(2) परिषद प्रत्येक ऐसे स्थानीय प्राधिकरण/विभाग जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त योजना द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित कोई भूमि स्थित हो, को योजना के प्ररूप के संबंध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान करेगी;

(3) परिषद द्वारा प्राप्त की गयी समस्त आपत्तियों, सुझावों तथा प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात्, परिषद अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगी।

19–उक्त योजना को अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के तत्काल पश्चात्, परिषद यह उल्लेख करते हुए कि उसके द्वारा योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है और ऐसे स्थानों को नामित कर दिया गया है जहाँ योजना की प्रतिलिपि का समस्त युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण किया जा सकता है, यथा विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करायेगी और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिनांक को उक्त योजना प्रवर्तित होगी और सम्यक रूप से तैयार की गयी समझी जायेगी। योजना को प्रवर्तित किये जाने का दिनांक

20–(1) परिषद, उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन योजना में ऐसे उपान्तरण, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकती है, जो उसकी राय में योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति को प्रभावित न करे और जो भू–उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से सम्बंधित न हो; योजना का उपान्तरण

(2) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण करने के पूर्व, परिषद यथा विहित प्ररूप में तथा रीति से एक नोटिस, अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरणों को संसूचित करते हुए और नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व प्रस्तावित उपान्तरणों के सम्बंध में किसी व्यक्ति से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी और स्वयं द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त की जाने वाली समस्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करेगी।

(3) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से प्रकाशित की जायेगी और उक्त उपान्तरण ऐसे प्रकाशन के दिनांक को अथवा ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक को, जैसा कि परिषद नियत करे, प्रवर्तित होगा।

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरण ऐसे उपान्तरण हैं जिनसे योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती हो तो इसका विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

21–(1) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना को प्रवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् परिषद ऐसी समीक्षा के पश्चात् उसकी समग्रता में ऐसी योजना की समीक्षा कर सकती है, और ऐसी समीक्षा के पश्चात् इसके स्थान पर नई योजना ला सकती है या उसमें ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति की सहमति से उसके द्वारा आवश्यक पाया जाय। योजना की समीक्षा और उसका पुनरीक्षण

(2) जहाँ उक्त योजना के स्थान पर नई योजना रखने का प्रस्ताव किया जाय या जहाँ ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन का प्रस्ताव हो वहाँ, यथा–स्थिति, ऐसी नई योजना या ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन उसी रीति से प्रकाशित एवं व्यवहृत किये जायेंगे मानों यह ऐसी योजना हो, जो धारा 18 और 19 में निर्दिष्ट हो या मानों वे धारा 20 के अधीन बनायी गयी योजना में उपान्तरण या परिवर्तन हों।

22–(1) सहभागी विभाग स्वयं अथवा, यथास्थिति, एक या उससे अधिक सहभागी विभागों के सहयोग से परियोजनागत योजनाओं की एक या उससे अधिक तत्वों को तैयार कर सकता है; परियोजनागत योजना की तैयारी, समन्वय और सहभागिता

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान, ऋण या आय–व्ययक प्राप्त करने वाले जिला के विभिन्न सहभागी विभागों को, उक्त योजना के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं सहित अपने विभागीय योजनाओं की समभिरूपता/समन्वय को सुनिश्चित् करना होगा।

अध्याय–पाँच

वित्त, लेखा और लेखा–परीक्षा

23–राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि के माध्यम से किये गये सम्यक विनियोजन के पश्चात् परिषद को ऐसी धनराशि का अनुदान, अग्रिम तथा ऋण प्रदान कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को कियान्वित करने के लिए परिषद को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे। सरकार द्वारा अनुदान अग्रिम और ऋण

निधि का गठन

24–(1) परिषद की अपनी एक पृथक बैंक खाता में अनुरक्षित की जाने वाली एक निधि का गठन किया जायेगा, जिसे श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेंगी–

(क) धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद को प्रदान किया गया कोई अनुदान तथा ऋण;

(ख) सहभागी विभागों द्वारा परिषद को संदत्त की गई समस्त धनराशि;

(ग) अन्य स्रोतों यथा–मन्दिर न्यासों से प्राप्त धनराशि, गैर सरकारी संगठन, कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों आदि से प्राप्त दान; और

(घ) परिषद द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त कोई अन्य धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा परिषद के परामर्श से विनिश्चित् किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में जमा की गई धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा–

(क) कार्यपालक उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा परिषद के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक की पूर्ति करना तथा परिषद के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति करना;

(ख) देवीपाटन क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक अध्ययन संचालित करना और तद्निमित् योजनाएं/परियोजनाएं अभिकल्पित करना;

(ग) योजना तथा परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु सहभागी विभागों और कियान्वयनकर्ता अभिकरणों को वित्तीय सहायता उपबन्धित करना;

(घ) इस अधिनियम का प्रशासनीकरण करने में परिषद द्वारा उपगत किन्हीं अन्य व्ययों की पूर्ति करना।

आय–व्ययक

25–परिषद प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अगले आगामी वित्तीय वर्ष के लिये एक आय–व्ययक तैयार करेगी और उसे वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के न्यूनतम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

26–परिषद प्रत्येक वर्ष अपने उस वर्ष के किया–कलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व,जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी और ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

लेखा और लेखा–परीक्षा

27–(1) परिषद समुचित लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी और ऐसे प्ररूप, जैसा कि विभिन्न राज्य सरकार के विभागों के लिये लागू हो, में तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी;

(2) परिषद के लेखाओं की वार्षिक लेखा–परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करायी जायेगी और/या राज्य सरकार, उक्त लेखा–परीक्षा, महालेखाकार उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को या किसी अन्य लेखा–परीक्षक को ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, ऐसी रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय में सौप सकती है जैसा कि उसके एवं राज्य सरकार के मध्य सहमति हो;

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा–परीक्षा संचालित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार;

(क) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के मामले में, वही होंगे जैसा कि उसके पास स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में हो;

(ख) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मामले में वही होंगे, जैसा कि उसके पास सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में हों; और

(ग) किसी अन्य लेखा परीक्षक के मामले में वहीं होंगे जैसा कि विहित किया जाय;

(4) परिषद राज्य सरकार को वार्षिक रूप में या ऐसे समय में, जैसा कि उसके द्वारा निदेशित किया जाय, लेखा परीक्षित लेखाओं की उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक रिपोर्ट

28—राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल, जब वह सत्र में हो, के प्रत्येक सदन के पटल पर यथाशक्य शीघ्र उन्हें रखवायेगी।

अध्याय—छः

भूमि का अर्जन और निस्तारण

अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित किया जाना

29—(1) यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी भूमि का अर्जन किया जाना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि को अर्जित कर सकती है;

(2) जहाँ राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित की गई हो वहाँ वह उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त भूमि, परिषद को ऐसे प्रयोजन के लिए अन्तरित कर सकती है जिसके लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रतिकर का, और अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का, परिषद द्वारा, संदाय किये जाने पर उक्त भूमि अर्जित की गई हो;

(3) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रदान किये गये किन्हीं निदेशों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई और परिषद को अन्तरित की गई भूमि, परिषद द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अभिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन अन्तरित की जा सकती है जैसाकि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले विकास का दायित्व ग्रहण करने या उसे क्रियान्वित करने के पश्चात् देवीपाटन क्षेत्र के विकास को संरक्षित करने के लिए समीचीन समझे।

प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना अनुज्ञात नहीं है

30—ऐसे प्रयोजन या सम्बंधित प्रयोजनों, जिसके/जिनके लिये मूल रूप में भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित हो, में कोई परिवर्तन की अनुज्ञा, इसके सिवाय नहीं प्रदान की जायेगी जैसा कि अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में यथा उपबन्धित रूप में निर्दिष्ट हो।

अप्रयुक्त भूमि का वापस किया जाना

31—जब इस अधिनियम हेतु अर्जित की गई भूमि अप्रयुक्त रहती है तो इसका निस्तारण अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

विद्यमान विधियों के अतिरिक्त किये जाने वाले उपबन्ध

32—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति

33—राज्य सरकार समय—समय पर परिषद को ऐसे निदेश दे सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के दक्ष प्रशासनीकरण के लिए उपयुक्त समझे और परिषद ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

परिषद/नियोजन तथा विकास समिति को प्राविधिक सहायता दिया जाना

34—(1) राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग को यह निदेश दे सकती है कि वह ऐसी निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि पारस्परिक रूप में सहमति हो, पर परिषद को ऐसी प्राविधिक सहायता उपबन्धित करे जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) नियोजन तथा विकास समिति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से परिषद उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त की गई प्राविधिक सहायता में से नियोजन तथा विकास समिति को ऐसी प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति अपेक्षा करे।

परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी

35–(1) राज्य सरकार प्रत्येक के लिए एक व्यक्ति को परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय या उन्हें परिषद अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय।

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, परिषद इस निमित्त बनायी जाने वाली किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसे पद पर नियुक्तियाँ कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के पदनामों एवं ग्रेडों का अवधारण कर सकती है जैसा कि इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का दक्षता पूर्वक निष्पादन करने के लिए आवश्यक हो;

(3) विधिक मामलों में परिषद को सलाह देने के लिये एक विधि सलाहकार होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा न्यासी बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संविदा के आधार पर की जायेगी। विधि सलाहकार को प्रत्येक वाद के आधार पर संदाय किया जायेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा उनके कृत्य एवं कर्तव्य यथा विहित रूप में होंगे;

(5) परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अनुमोदन से न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि और अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिये किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रतिनियुक्त किये जायेंगे और वे परिषद् की निधियों से वेतन तथा भत्तें प्राप्त करने के हकदार होंगे।

प्रत्यायोजन

36–परिषद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी कृत्य या शक्ति (योजना, और उसमें किये जाने वाले उपान्तरणों तथा परिवर्तनों को अनुमोदित करने और विनियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न) या उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन निष्पादित किये गये, प्रयुक्त किये गये या निर्वहन किये गये कर्तव्य, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन ऐसे अधिकारी द्वारा भी किया जायेगा जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और जहाँ ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय वहाँ ऐसा अधिकारी, जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, उन शक्तियों का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

37–इस निमित्त बनायी गयी किसी नियमावली के अध्यधीन परिषद द्वारा इस निमित्त सामान्यतः या विशिष्टतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी भूमि या परिसर में समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकता है और वहाँ पर ऐसी चीजें कर सकता है जो किसी कार्य को विधिसम्मत रूप से करने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए प्रारम्भिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या जाँच करना आवश्यक हो :

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन या किसी परिवेष्ठित प्रांगण या किसी निवास गृह से संलग्न उद्यान में प्रवेश उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपनी आशय की लिखित रूप में कम से कम तीन दिन पूर्व नोटिस दिये बिना नहीं करेगा।

परिषद के अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

38–परिषद के अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करना तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

39–इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये परिषद, नियोजन तथा विकास समिति, उसके सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनमें इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी। सद्भावना पूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

40–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है; नियमावली बनाने की शक्ति

(2) पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई विषय उपबंधित किये जा सकते हैं, अर्थात्:–

(क) धारा 3 की उपधारा(4) और धारा 6 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदस्यों के पदों की निबंधन एवं शर्तें;

(ख) प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 18 की उपधारा(1) और धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(ग) रीति, जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना हो या किया जा सकता है अथवा जिसके सम्बन्ध में नियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है;

(ङ) परिषद् के अधिकारीगण, किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि और अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के अनुमोदन से लिये जा सकते हैं;

(च) परिषद के लिये पारदर्शिता लाने तथा आचार सम्बंधित कार्य हेतु समस्त विभागों के लिये समय–समय पर सरकार द्वारा जारी सामान्य नियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करना आवश्यक है।

41–(1) परिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी विनियमावली बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई नियमावली से असम्बद्ध न हो; विनियम बनाने की शक्ति

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी विनियमावली में निम्नलिखित कोई या समस्त मामले उपबंधित हो सकते हैं; अर्थात्

(क) रीति, जिसमें और प्रयोजन, जिसके लिये परिषद धारा 17 के अधीन अपने साथ किसी व्यक्ति को सहयोजित कर सकती है;

(ख) धारा 34 की उपधारा (4) के अधीन परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें;

(ग) कोई अन्य मामला, जिसके सम्बन्ध में विनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

42–(1) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिषद की स्थापना की गयी थी, को मौलिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है या परिषद अपने लक्ष्यों में विफल हो गयी है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की राय में परिषद का निरन्तर बना रहना अनावश्यक हो गया है, वहाँ राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद को ऐसे दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय; और परिषद तद्नुसार विघटित की गयी समझी जायेगी। परिषद का विघटन

(2) उक्त दिनांक से–

(क) समस्त सम्पत्तियां, निधियां और देय, जो परिषद में निहित हैं या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य हैं; राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य होंगी;

(ख) समस्त देनदारियां, जो परिषद के सापेक्ष प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय होंगी;

(ग) परिषद् द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित न किये गये कोई कार्य करने के लिये और खण्ड(क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देयों को वसूल करने के लिये परिषद के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस धारा की कोई बात, राज्य सरकार को परिषद का पुर्नगठन करने से रोकने के रूप में नहीं माना जायेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

43–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक के माध्यम से ऐसे अनुकूलनों, जैसाकि वह आवश्यक और समीचीन समझे, के अध्यधीन प्रभावी होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-43 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेषक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, में आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन पाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश श्रीअयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 (मतदान एवं पारण)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रीअयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड 43 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2023

अयोध्या की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने; ऐसी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत-संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियाँ विकसित करने; जिला अयोध्या के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को अयोध्या क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिये श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद का गठन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2023 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला अयोध्या के भीतर स्थित अयोध्या क्षेत्र में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

104 Sa. Vidhaika 2023 Ayodhya (Jee Teerth Vikesh) data 4e

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अयोध्या क्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला अयोध्या के भीतर के सम्पूर्ण क्षेत्र से है;

(ख) " मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है,

(ग) "कार्यपालक समिति" का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है;

(घ) "कार्यपालक उपाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद के कार्यपालक उपाध्यक्ष से है,

(ङ) "क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण" का तात्पर्य अयोध्या जिला में राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की अधिकारिता के अधीन किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने और/या उसे क्रियान्वित करने के लिये चयनित किसी सार्वजनिक उपक्रम से है;

(च) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाली प्रसुविधाएं और भू–बद्ध चीजें या भू–बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप में आबद्ध चीजें सम्मिलित है,

(छ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी विकास प्राधिकरण, नगर निकाय या अयोध्या क्षेत्र के नगरीय विकास से सम्बंधित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या किसी ग्राम पंचायत से है;

(ज) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के किसी सदस्य से है और जिसमें उनके अध्यक्ष सम्मिलित हैं,

(झ) "परिषद" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद से है;

(ञ) "सहभागी विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के विभाग या अयोध्या जिला के किसी ऐसे स्थानीय निकाय से है जिनके क्रियाकलाप, परिषद से सम्बंधित हो या उससे सम्बंधित होना सम्भाव्य हो;

(ट) "योजना" का तात्पर्य श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास योजना से है,

(ठ) "नियोजन तथा विकास समिति" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित नियोजन तथा विकास समिति है,

(ड) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(ढ) "परियोजनागत योजना" का तात्पर्य उक्त योजना के लिए एक या उससे अधिक अवयवों को क्रियान्वित करने हेतु तैयार की गयी किसी विस्तृत योजना से है;

(ण) "विनियमावली" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा बनायी गयी विनियमावली से है;

(त) "श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास योजना" का तात्पर्य अयोध्या क्षेत्र के विकास तथा पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और अयोध्या क्षेत्र की दोनों मूर्त एवं अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी योजना से है,

अध्याय–दो

श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद

परिषद का गठन और निगमन

3–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद का गठन करेगी जिसे "श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद" के रूप में जाना जायेगा;

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

(क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जो परिषद के अध्यक्ष होंगे;

(ख) उपाध्यक्ष-- मंत्री पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार;

(ग) कार्यपालक उपाध्यक्ष, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त होंगे,

(घ) सदस्य सह--संयोजक--प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, पदेन,

(ङ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर नियोजन विभाग, पदेन;

(च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग,पदेन;

(छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग,पदेन;

(ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग,पदेन;

(झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग,पदेन;

(ञ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग,पदेन;

(ट) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग,पदेन;

(ठ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग,पदेन;

(ड) आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या, पदेन;

(ढ) जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या, पदेन;

(ण) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(त) परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सदस्य सचिव होगा;

(थ) उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, पदेन;

(द) नगर आयुक्त, अयोध्या नगर निगम, पदेन;

(ध) अयोध्या क्षेत्र के विरासत के संरक्षण का ज्ञान, अनुभव, अभिदर्शन तथा तद्निमित्त कृत प्रयासों के ट्रैक अभिलेख वाले ऐसे पाच प्रख्यात व्यक्ति, जो राज्य सरकार के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नाम--निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(न) दस करोड रूपये या उससे अधिक का दान करने वाले दान कर्ता गण, परिषद के अनुमोदन के पश्चात् नाम--निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (त) और (थ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

कार्यपालक उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4--(1) परिषद का एक कार्यपालक उपाध्यक्ष होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) परिषद का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार के विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी', परिषद का अधिकारी होगा और परिषद द्वारा नियुक्त समस्त अधिकारी और कर्मचारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रणधीन होंगे।

(4) कार्यपालक उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, परिषद की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय।

(5) परिषद के समस्त आदेश और विनिश्चय तथा अन्य लिखत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होंगे।

कार्यपालक समिति

5--(1) किसी आपात या अन्य समय में संवेदनशील मामला होने की स्थिति में जब सम्पूर्ण परिषद का सम्मेलन करना व्यवहारिक न हो तब परिषद की शक्तियों और उसके कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक कार्यपालक समिति होगी। कार्यपालक समिति में परिषद के समस्त पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जायेगी।

(2) परिषद अपनी अगली बैठक में कार्यपालक समिति के कार्यवृत्त की समीक्षा करेगी और कार्यपालक समिति द्वारा कृत कार्यवाही का उपान्तरण कर सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसका अनुसमर्थन कर सकती है।

नियोजन तथा विकास समिति की संरचना

6–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् परिषद यथाशक्य शीघ्र अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता हेतु, एक नियोजन तथा विकास समिति, का गठन करेगी।

(2) नियोजन तथा विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) आयुक्त, अयोध्या, जो अध्यक्ष होगा, पदेन;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;

(ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या, पदेन;

(घ) उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, पदेन;

(ङ) नगर आयुक्त, अयोध्या नगर निगम, पदेन;

(च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद, अयोध्या या उसका नाम निर्देशिती, जो सेना में कैप्टन की श्रेणी से नीचे का न हो, पदेन;

(छ) सहयुक्त नियोजक, नगर और ग्राम नियोजन, अयोध्या मण्डल, अयोध्या, पदेन;

(ज) अयोध्या जिला में प्रत्येक स्थानीय निकाय का अध्यक्ष, पदेन;

(झ) मुख्य अभियंता, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, पदेन;

(ञ) अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या, पदेन;

(ट) अधीक्षण अभियन्ता, जल शक्ति विभाग, अयोध्या, पदेन;

(ठ) अधीक्षण अभियन्ता, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम (नागरिक एवं ग्रामीण), अयोध्या, पदेन,

(ड) अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम अयोध्या, पदेन;

(ढ) प्रभागीय वन अधिकारी, अयोध्या, पदेन;

(ण) क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या, पदेन;

(त) अधीक्षक पुरातत्वविद, अयोध्या, पदेन;

(थ) क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, अयोध्या, पदेन;

(द) उप निदेशक, राजकीय संग्रहालय, अयोध्या, पदेन;

(ध) एक दृश्यभूमि अभिकल्पक एवं भाषान्तरण योजनाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(न) अयोध्या क्षेत्र का अनुभव रखने वाला एक पर्यावरण विद्, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(प) अयोध्या क्षेत्र के सांस्कृतिक एवं पौराणिक इतिहास का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात इतिहासकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(फ) अयोध्या क्षेत्र का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात साहित्यकार या कलाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(ब) एक प्रख्यात विधिवक्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(भ) दो प्रख्यात लोकप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ध),(न),(प),(फ),(ब) और (भ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

सहयोजित करने की शक्ति

7–(1) परिषद या नियोजन तथा विकास समिति, किसी समय बैठक कर सकती है और ऐसी अवधि, जैसा कि वह उचित समझे, के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परिषद के, या नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित कोई व्यक्ति, यथा स्थिति, परिषद के, या नियोजन या विकास समिति के सदस्य की समस्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा तथा उनका निर्वहन करेगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा।

परिषद का मुख्यालय

8--परिषद का मुख्यालय अयोध्या में होगा।

परिषद की बैठकें

9—परिषद ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी जैसा कि परिषद द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

नियोजन तथा विकास समिति की बैठकें

10—नियोजन तथा विकास समिति ऐसे समयों पर बैठक करेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय या परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय किन्तु दो निरन्तर बैठकों के मध्य का समय साठ दिन से अधिक का नहीं होगा।

रिक्तियां इत्यादि जिनसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी

11—परिषद अथवा नियोजन तथा विकास समिति का कोई कृत्य या कार्यवाही, यथास्थिति, परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी त्रुटि के विद्यमान होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी।

बैठक की गणपूर्ति

12— परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की बैठकों की गणपूर्ति आधे सदस्यों से होगी।

अध्याय—तीन

परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की शक्तियाँ और कृत्य

परिषद की शक्ति

13—परिषद की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियाँ सम्मिलित होंगी:—

(क) उक्त योजना और परियोजनाओं को तैयार करने, प्रवर्तित करने और उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बंध में सहभागी विभागों से रिपोर्ट और सूचना मांगना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि, यथा स्थिति योजना, या परियोजना, की तैयारी, प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन, अयोध्या की संस्कृति और उसकी स्थापत्यकला के अनुरूप हो;

(ग) योजना को क्रियान्वित करने के प्रक्रमों को संसूचित करना;

(घ) योजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना;

(ङ) सहभागी विभागों से व्यापक परियोजनाएं चयनित करना और उन्हें अनुमोदित करना, प्राथमिकता वाली विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऐसी सहायता का उपबंध करना जैसा कि परिषद उचित समझे;

(च) सेवाएं तथा सुविधाएं उपबंधित करने या उनके अनुरक्षण एवं विकास हेतु पर्यटकों से शुल्क या प्रभार उद्ग्रहीत करना;

(छ) स्वप्रेरणा से सम्पूर्ण अयोध्या क्षेत्र में किसी क्षेत्र के विकास, पुनर्विकास और सौन्दर्यकरण का सम्वर्द्धन करने तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कोई कार्य/परियोजना प्रारम्भ करना;

(ज) किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण का चयन करना;

(झ) नियोजन तथा विकास समिति को ऐसे अन्य कृत्यों को सौंपना, जैसा कि वह अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

परिषद के कृत्य

14—परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगे—

(क) योजना तैयार करना;

(ख) किसी सहभागी विभाग द्वारा परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था करना;

(ग) किसी एक या उससे अधिक सहभागी विभाग/विभागों या क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण/ अभिकरणों के माध्यम से योजना एवं परियोजनाओं के प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(घ) अयोध्या क्षेत्र में परियोजना की संरचना करने, प्राथमिकताओं का अवधारण करने और उक्त योजना में संसूचित प्रकमों के अनुसार पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्रावस्था निर्धारित करने तथा अयोध्या की विरासत के संरक्षण के संबंध में सहभागी विभागों द्वारा समुचित तथा व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;

(ङ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता तथा अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के निमित्त समेकित प्रयास करना और उसका सुव्यवस्थित रूप मे दस्तावेजीकरण करना, उसे संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, संवर्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(च) क्षेत्र के विरासत के सम्बन्ध में अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना तथा उसे प्रोत्साहित करना;

(छ) अयोध्या क्षेत्र में नदियों तथा जलाशयों तथा उनके जलागम क्षेत्रों का संरक्षण तथा विकास करने हेतु उनमें प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने तथा नदी तटों तथा जलाशयों के विकास करने के लिए दायित्व ग्रहण करना;

(ज) उक्त क्षेत्र के विरासतीय स्थापत्य कला के अनुरूप भवनों तथा संरचनाओं में एकरूपता लाने हेतु स्थापत्य विनियमावली बनाना;

(झ) अयोध्या क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने संरक्षित करने, सुरक्षित रखने तथा उसे संवर्धित करने के लिए अवसंरचना तथा क्रियाकलापों/परियोजनाओं के एकीकृत विकास के लिए विभिन्न पणधारकों–सरकारी विभागों स्थानीय निकायों, मंदिर प्रबन्धन/न्यासों, स्वयंसहायता समूहों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों के मध्य समन्वयन सुनिश्चित करने की नीतियों का सूत्रपात करना;

(ञ) अयोध्या क्षेत्र में राज्य निधियों तथा अन्य राजस्व स्रोतों तथा मंदिर न्यासों, दानों, गैर सरकारी संगठन कम्पनी/फर्मों तथा पर्यटकों आदि से प्राप्त निधियों के माध्यम से चयनित परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने तथा उसका पर्यवेक्षण करना,

(ट) अयोध्या क्षेत्र में व्यवहारिक रूप में सौर्हाद संवर्द्धन की छाप रख चुके या रखने वाले प्राधिकारियों के साथ समीपस्त क्षेत्रों में तत्संबंधी मामलों तथा क्रिया–कलापों में समन्वय करना;

नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य

15–(1) नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य, परिषद की निम्नलिखित के संबंध में सहायता करने होंगे:–

(क) योजना तथा परियोजनाओं की तैयारी करना एवं उसके कियान्वयन का समन्वय करना;

(ख) सहभागी विभाग या किसी कियान्वयनकर्ता अभिकरण की परियोजनाओं की यह सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा करना कि वे उक्त योजना के अनुरूप हों;

(ग) परिषद को ऐसी संस्तुतियां करना, जैसा कि वह किसी योजना का संशोधन या उपान्तरण करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय तथा कियान्वयन करना;

(ङ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि उसे परिषद द्वारा सौंपे जायं;

2–जिला में विभागीय आय–व्ययक संबंधी स्वीकृतियों वाले विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य कियान्वयनकर्ता अभिकरणों को नियोजन तथा विकास समिति के साथ उक्त योजना के अधीन उनकी विद्यमान योजनाओं/परियोजनों की समभिरूपता तथा समन्वय सुनिश्चित करने हेतु समन्वय भी करना होगा।

अध्याय–चार

योजना तथा परियोजनागत योजनाए

योजना की विषयवस्तु

16–(1) उक्त योजना एक लिखित विवरण होगी और उसके साथ ऐसे मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत तथा विवरणात्मक मामले सलग्न होंगे जैसा कि परिषद योजना मे अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्याख्या करने या दृष्टांत देने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझे और ऐसे प्रत्येक मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत और विवरणात्मक मामले योजना के अंग समझे जायेंगे;

(2) उक्त योजना मे ऐसी रीति संसूचित होगी, जिसमें अयोध्या क्षेत्र में विकास सम्बन्धी किया–कलाप या संरक्षण तथा ऐसे अन्य मामले ग्रहण किये जायेंगे, जिनका अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन के विकास तथा अयोध्या की विरासत के संरक्षण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हो या होना सम्भावित हो। उक्त योजना मे योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे अर्थात्-

(क) विभिन्न प्रयोगों के लिये भू–उपयोग तथा भूमि आवंटन को विनियमित करने की नीति,

(ख) प्रमुख नगरीय व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्थापत्य विनियमावली के लिए प्रस्ताव;

(ग) भावी विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का उपबन्ध करने के लिए प्रस्ताव;

(घ) स्थानीय परिवहन सहित क्षेत्र के लिए सहायक रेलवे तथा मुख्य मार्गों से युक्त परिवहन तथा संचार से सम्बंधित प्रस्ताव,

(ङ) नगरीय सेवाओं यथा पेय जल, मलजल तथा जल–निकास व्यवस्था के लिए प्रस्ताव;

(च) ऐसे क्षेत्रों को संसूचित करना, जिनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में तत्काल विकास की आवश्यकता हो,

(छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता और अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के लिए प्रस्ताव और इसे सुव्यवस्थित रूप मे दस्तावेजी कृत करना, संरक्षित करना, सुरक्षित करना, संवर्द्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(ज) अयोध्या क्षेत्र के संतुलित विकास तथा अभिवृद्धि के लिए समुचित योजना बनाने हेतु सम्बंधित सहभागी विभागों के साथ परामर्श करके परिषद द्वारा सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामले।

सर्वेक्षण और अध्ययन

17–उक्त योजना तैयार करने के लिए परिषद ऐसी सहभागी विकासकर्ताओ या व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे, द्वारा ऐसे सर्वेक्षण तथा अध्ययन करा सकती है जैसा कि वह ऐसा किये जाने के लिए आवश्यक समझे, और ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिए ऐसे विशेषज्ञों या परामर्शदाताओं को भी सहयोजित कर सकती है, जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

योजना तैयार करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

18–(1) उक्त योजना का अन्तिम रूप प्रदान करने के पूर्व परिषद नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना का एक प्रारूप तैयार करेगी और उसे उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराते हुए तथा यथाविहित प्ररूप में और रीति से एक नोटिस, ऐसे दिनांक के पूर्व, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रकाशित कराते हुए योजना के प्रारूप के संबंध मे किसी भी व्यक्ति से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करायेगी;

(2) परिषद प्रत्येक ऐसे स्थानीय प्राधिकरण/विभाग, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त योजना द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित कोई भूमि स्थित हो, को योजना के प्रारूप के संबंध मे कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान करेगी;

(3) परिषद द्वारा प्राप्त की गयी समस्त आपत्तियों, सुझावों तथा प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् परिषद अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगी।

योजना को प्रवर्तित किये जाने का दिनांक

19–उक्त योजना को अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के तत्काल पश्चात् परिषद यह उल्लेख करते हुए कि उसके द्वारा योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है और ऐसे स्थानों को नामित कर दिया गया है जहाँ योजना की प्रतिलिपि का समस्त युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण किया जा सकता है, यथा विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करायेगी।

योजना का उपान्तरण

20–(1) परिषद उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन योजनाओं में ऐसे उपान्तरण, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकती है, जो उसकी राय में योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति को प्रभावित न करे और जो भू–उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से सम्बंधित न हो;

(2) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण करने के पूर्व, परिषद यथा विहित प्ररूप में तथा रीति से एक नोटिस, अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरणों को संसूचित करते हुए और नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व प्रस्तावित उपान्तरणों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी और स्वयं द्वारा यथा विहित दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त की जाने वाली समस्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करेगी।

(3) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से प्रकाशित की जायेगी और उक्त उपान्तरण ऐसे प्रकाशन के दिनांक को अथवा ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक को, जैसा कि परिषद नियत करे, प्रवर्तित होंगे।

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरण ऐसे उपान्तरण हैं जिनसे योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती हो तो इसका विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

योजना की समीक्षा और उसका पुनरीक्षण

21-(1) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना को प्रवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् परिषद ऐसी समीक्षा के पश्चात् उसकी समग्रता में ऐसी योजना की समीक्षा कर सकती है, इसके स्थान पर नई योजना ला सकती है या उसमें ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है जैसा कि उसके द्वारा आवश्यक पाया जाय।

(2) जहाँ उक्त योजना के स्थान पर नई योजना रखने का प्रस्ताव किया जाय या जहाँ ऐसे उपान्तरणों या परिवर्तनों का प्रस्ताव हो वहाँ, यथा-स्थिति, ऐसी नई योजना या ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन, उसी रीति से प्रकाशित एवं व्यवहृत किये जायेंगे मानों यह ऐसी योजना हो, जो धारा 18 और 19 में निर्दिष्ट हो या मानों वे धारा 20 के अधीन बनायी गयी योजना में उपान्तरण या परिवर्तन हो।

परियोजनागत योजना की तैयारी, समन्वय तथा समाभिरूपता

22-(1) सहभागी विभाग स्वयं अथवा, यथास्थिति, एक या उससे अधिक सहभागी विभाग/विभागों के सहयोग से योजना की एक या उससे अधिक तत्वों को तैयार कर सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान, ऋण या आय-व्ययक प्राप्त करने वाले जिला के विभिन्न सहभागी विभागों को उक्त योजना के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं सहित अपने विभागीय योजनाओं की समाभिरूपता/समन्वय को सुनिश्चित् करना होगा।

अध्याय-पांच

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान, अग्रिम और ऋण

23-राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि के माध्यम से किये गये सम्यक विनियोजन के पश्चात् परिषद को ऐसी धनराशि का अनुदान, अग्रिम तथा ऋण प्रदान कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए परिषद को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे।

निधि का गठन

24-(1) परिषद की अपनी एक पृथक बैंक खाता में अनुरक्षित की जाने वाली एक निधि का गठन किया जायेगा, जिसे श्री अयोध्या जी विकास परिषद निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेंगी-

(क) धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद को प्रदान किया गया कोई अनुदान तथा ऋण;

(ख) सहभागी विभागों द्वारा परिषद को संदत्त की गई समस्त धनराशि; और

(ग) अन्य स्रोतों यथा मन्दिर न्यासों से प्राप्त धनराशि, गैर सरकारी संगठन, कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों आदि से प्राप्त दान; और

(घ) परिषद द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त कोई अन्य धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा परिषद के परामर्श से विनिश्चित् किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में जमा की गई धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा-

(क) कार्यपालक उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा परिषद के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक की पूर्ति करना तथा परिषद के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति किया जाना;

(ख) अयोध्या क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक अध्ययन सचालित करना और तद्निमित्त योजनाए/परियोजनाए अभिकल्पित करना,

(ग) परिषद द्वारा विनिश्चित किये जाने वाले निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन उक्त योजना तथा परियोजनाओं के क्रियान्वय हेतु सहभागी विभाग और क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को वित्तीय सहायता उपबन्धित करना,

(घ) इस अधिनियम का प्रशासनीकरण करने मे परिषद द्वारा उपगत किन्हीं अन्य व्ययों की पूर्ति करना।

आय-व्ययक

25–परिषद, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप मे तथा ऐसे समय पर, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अगले आगामी वित्तीय वर्ष के लिये एक आय–व्ययक तैयार करेगी और उसे वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के न्यूनतम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

26–परिषद प्रत्येक वर्ष अपने उस वर्ष के क्रिया–कलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी और ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

27–(1) परिषद समुचित लेखाओं तथा अन्य सुसगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी और ऐसे प्ररूप में, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी।

(2) परिषद के लेखाओं की वार्षिक लेखा–परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करायी जायेगी और/या राज्य सरकार, उक्त लेखा–परीक्षा, महालेखाकार उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को या किसी अन्य लेखा–परीक्षक को ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर, ऐसी रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय मे सौंप सकती है जैसा कि उसके एवं राज्य सरकार के मध्य सहमति हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा–परीक्षा सचालित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार, ये होंगे,

(क) परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा के मामले में, वही होंगे जैसा कि उसके पास स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध मे हो,

(ख) यथास्थिति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मामले में वही होंगे, जैसा कि उसके पास सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध मे हो; और

(ग) किसी अन्य लेखा–परीक्षक के मामले मे वही होंगे जैसा कि विहित किया जाय,

(4) परिषद राज्य सरकार को वार्षिक रूप मे या ऐसे समय मे, जैसा कि उसके द्वारा निदेशित किया जाय, लेखा परीक्षित लेखाओं की उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा–परीक्षक रिपोर्ट

28–(1) राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा–परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल, जब वह सत्र में हो, के प्रत्येक सदन के समक्ष यथाशक्य शीघ्र उन्हें रखवायेगी।

(2) कार्यपालक उपाध्यक्ष ऐसे विभागों के प्रमुख सचिव /सचिव, जो परिषद के सदस्य हों, के परामर्श से एक प्राविधिक दल गठित करेगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। उक्त दल परिषद द्वारा किये गये कार्यों का समय–समय पर परीक्षण करेगा और कार्यपालक उपाध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्याय–छः

भूमि का अधिग्रहण और निस्तारण

अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित किया जाना

29–(1)यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी भूमि का अर्जन किया जाना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के उपबन्धो के अधीन ऐसी भूमि को अर्जित कर सकती है।

(2)–जहाँ राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित की गई हो वहाँ वह उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त भूमि, परिषद को ऐसे प्रयोजन के लिए अन्तरित कर सकती है जिसके लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रतिकर का, और अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का, परिषद द्वारा संदाय किये जाने पर उक्त भूमि अर्जित की गई हो।

(3)–राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रदान किये गये किन्ही निदेशों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई और परिषद को अन्तरित की गई भूमि, परिषद द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अभिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एव शर्तों के अध्यधीन अन्तरित की जा सकती है जैसाकि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले विकास का दायित्व ग्रहण करने या उसे क्रियान्वित करने के पश्चात् अयोध्या क्षेत्र के विकास को संरक्षित करने कि लिए समीचीन समझे।

प्रयोजन मे परिवर्तन किया जाना अनुज्ञात नही है

30–ऐसे प्रयोजन या सम्बधित प्रयोजनों, जिसके/जिनके लिये मूल रूप में भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित हो, मे कोई परिवर्तन की अनुज्ञा, इसके सिवाय नही प्रदान की जायेगी जैसा कि धारा 29 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम में यथा उपबन्धित हो।

अप्रयुक्त भूमि का वापस किया जाना

31–जब इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अर्जित की गई भूमि अप्रयुक्त रहती है तो इसका निस्तारण, धारा 29 की उपधारा (1) मे निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय–सात

प्रकीर्ण

विद्यमान विधियों के अतिरिक्त किये जाने वाले उपबन्ध

32–इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी अन्य अधिनियम या तत्-समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धो के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

राज्य सरकार को निदेश देने की शक्ति

33–राज्य सरकार समय–समय पर परिषद को ऐसे निदेश दे सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के दक्ष प्रशासनीकरण के लिए उपयुक्त समझे और परिषद ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

परिषद/नियोजन तथा विकास समिति को प्राविधिक सहायता दिया जाना

34–(1) राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग को यह निदेश दे सकती है कि वह ऐसे निबधन एव शर्तों, जैसा कि पारस्परिक रूप में सहमति हो, पर परिषद को ऐसी प्राविधिक सहायता उपबन्धित करे जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) नियोजन तथा विकास समिति को अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से परिषद उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त की गई प्राविधिक सहायता मे से नियोजन तथा विकास समिति को ऐसी प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति अपेक्षा करे।

परिषद के अधिकारी एव कर्मचारी

35–(1) राज्य सरकार क्रमशः दो उपयुक्त व्यक्तियों को परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय या उन्हें परिषद अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय।

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अध्यधीन जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, परिषद इस निमित्त बनायी जाने वाली किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसे पद पर नियुक्तियाँ कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के पदनामों एव ग्रेडों का अवधारण कर सकती है जैसा कि इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का दक्षता पूर्वक निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो।

(3) विधिक मामलों में परिषद को सलाह देने के लिये एक विधि सलाहकार होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के न्याय विभाग के परामर्श से की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा उनके कृत्य एवं कर्तव्य यथा विहित रूप में होंगे।

(5) परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी परिषद की निधि से ऐसे वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाय।

प्रत्यायोजन

36—परिषद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी कृत्य या शक्ति (योजना, और उसमें किये जाने वाले उपान्तरण तथा परिवर्तन को अनुमोदित करने और विनियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न या उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन निष्पादित किये गये, प्रयुक्त किये गये या निर्वहन किये गये कर्तव्य, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन ऐसे अधिकारी द्वारा भी किया जायेगा जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और जहाँ ऐसे शक्ति प्रत्यायोजित की जाय वहां ऐसा अधिकारी, जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, उन शक्तियों का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

37—इस निमित्त बनायी गयी किसी नियमावली के अध्यधीन परिषद द्वारा इस निमित्त सामान्यतः या विशिष्टतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भूमि या परिषद में समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकता है और वहाँ पर ऐसी चीजे कर सकता है, जो किसी कार्य को विधिसम्मत रूप से करने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए प्रारम्भिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या जांच करना आवश्यक हो:

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन या किसी परिवेष्ठित प्रांगण या किसी निवास गृह से संलग्न उद्यान में प्रवेश, उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपनी आशय की लिखित रूप में कम से कम तीन दिन पूर्व नोटिस दिये बिना नहीं करेगा।

परिषद के [illegible] और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

38—परिषद के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करना तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक होंगे।

सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के संबंध संरक्षण

39—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये परिषद, नियोजन तथा विकास समिति, उनके सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनमें इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी।

नियमावली बनाने की शक्ति

40—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई विषय उपबंधित किये जा सकते हैं; अर्थात्—

(क) धारा 3 की उपधारा (4) और धारा 6 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदस्य के पद की निबंधन एवं शर्तें;

(ख) प्ररूप और रीति जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) और धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(ग) रीति, जिसमें धारा 19 के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना हो या किया जा सकता है अथवा जिसके सम्बन्ध में नियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

विनियमावली बनाने की शक्ति

41–(1) परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी विनियमावली बना सकती है, जो इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई नियमावली से असम्बद्ध न हो।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी विनियमावली में निम्नलिखित कोई या समस्त मामले उपबंधित हो सकते हैं, अर्थात्

(क) रीति, जिसमें और प्रयोजन, जिसके लिये परिषद धारा 17 के अधीन अपने साथ किसी व्यक्ति को सहयोजित कर सकती है;

(ख) धारा 34 की उपधारा (4) के अधीन परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें,

(ग) कोई अन्य मामला, जिसके सम्बन्ध में विनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

परिषद का विघटन

42–(1) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिषद की स्थापना की गयी थी, को मौलिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है या परिषद अपने लक्ष्यों में विफल हो गयी है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की राय में परिषद का निरन्तर बना रहना अनावश्यक हो गया है, वहाँ राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद को ऐसे दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय; और परिषद तदनुसार विघटित की गयी समझी जायेगी।

(2) उक्त दिनांक से–

(क) समस्त सम्पत्तियाँ, निधि और देय, जो परिषद में निहित है या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य हैं; राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य होंगे;

(ख) समस्त देनदारियां, जो परिषद के सापेक्ष प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय होंगी;

(ग) परिषद् द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित न किये गये किसी कार्य को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ और खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देयों को वसूल करने के प्रयोजनार्थ परिषद के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस धारा की कोई बात, राज्य सरकार को परिषद का पुनर्गठन करने से रोकने के रूप में नहीं मानी जायेगी।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

43–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक के माध्यम से ऐसे अनुकूलनों, जैसाकि वह आवश्यक और समीचीन समझे, के अध्यधीन प्रभावी होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-43 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रीअयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन विधेयक, 2023)

उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं पौध निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चूँकि यह विधेयक आज ही सदन के पटल पर रखा गया और आज ही इस पर विचार करना सुनिश्चित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस विधेयक पर संशोधन के प्रस्ताव नहीं आये हैं इसलिए आप ऐसे ही अनुमति प्रदान कर (वित्त एवं दें, अगर कोई माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रस्तुत कर दे।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, कोई मा0 सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख लें।

***श्री अतुल प्रधान-**

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, ऐसा लगता है कि जैसे सरकार का निजीकरण को बढ़ावा देने का जो विचार है वह लगातार प्रबल होता जा रहा है और जहाँ तक विश्वविद्यालयों की बात है। इसमें जो संविधान की प्रस्तावना है उसी में ही प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गयी है। अवसर की समानता की जहाँ तक बात है तो निजीकरण के हिस्से जब कोई चीज जाती है तो अवसर की समानता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं उनके विषय में मैंने पहले ही बोला था, चूँकि हम लोगों ने छात्र राजनीति में, छात्र जीवन से इस चीज को देखा, समझा और पहचाना है। हमारे देश में पिछड़े और दलित, खासतौर से पिछड़ों के लिए मण्डल कमीशन जब आया तो उसकी 42 संस्तुतियाँ थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी, 42 रूप में पिछड़ों का कैसे विकास हो, उन्हें शिक्षा में और दूसरी चीजों में कैसे आरक्षण प्राप्त हो, इस तरह की 42 संस्तुतियां मण्डल कमीशन के द्वारा की गयी थीं, लेकिन मात्र 2 संस्तुतियों पर मुहर लगी और बाकी सारी संस्तुतियां पीछे छोड़ दी गयीं। जब निजी की बात आती है तो इससे यह प्रतीत होता है कि कोई भी व्यापारी या इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपना मुनाफा देखता है। निजीकरण का इतना बढ़ावा होता जाएगा तो चन्द पूंजीपतियों के अलावा किसी और को इसका लाभ नहीं मिल सकता है।

यह 37वां विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। इससे पहले पूर्व में भी खोले गये हैं। हम लोगों ने इससे पहले कहा कि इसमें संशोधन होना चाहिए, इन लोगों पर कुछ न कुछ लगाम लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की इस तरह की मंशा नहीं है। चूंकि मैं भी एक विश्वविद्यालय का हिस्सा रहा हूं। उसमें पढ़ाई की, लोगों की परेशानियां भी मैंने देखी हैं। अगर मैं अपने मेरठ की व्यवस्था बताऊँ तो वहां चौधरी चरण सिंह सरकारी विश्वविद्यालय है। जो सरकार के संसाधनों पर चलता है। कोई भी सरकारी विश्वविद्यालय, चाहे वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हो उसमें गरीब, किसान का बच्चा पढ़ता है और कम फीस पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। अगर किसी को प्राइवेट विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री लेनी हो तो हमारे मेरठ में ही कम से कम 10 लाख रुपये एक बच्चे से ले लिये जाते हैं। आप निजीकरण और सरकारी व्यवस्था देखें तो जैसे ही हम लोग निजीकरण में मेडिकल फैसिलिटी को मद्देनजर देखें तो एमबीबीएस करने के लिए निजी विश्वविद्यालयों में करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं और उस पर से सरकार का पूरा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। कई जगहों पर देखेंगे जैसे हमारे मेरठ में सुभारती मेडिकल विश्वविद्यालय है। अगर वहां रेडियोलॉजिस्ट की फीस पूछी जाए तो वहां करोड़ों रुपये ले लिये जाते है। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, कमजोर परिवार का बच्चा उच्च शिक्षा में जाना चाहता है और जिस तरह निजीकरण का बढ़ावा हो रहा है उससे सारी की सारी चीजें खराब हो जाती है। सरकारी विश्वविद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था है, जो पूर्णतः निजी विश्वविद्यालयों में जाते ही पूरे तरीके से चौपट हो जाती है। इससे पहले जो 36 विश्वविद्यालय बने हैं। मा0 मंत्री जी हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आप किसी का निरीक्षण कर लीजिए और जांच करा लीजिए, एक तरीके से वहां सिर्फ डिग्री बांटने की दुकानें खुल गयी है कि आइए और डिग्री लेकर चले जाइये। अगर किसी को पीएचडी करना है, किसी को रिसर्च करना है उसके लिए सरकारी विश्वविद्यालयों में मानक तय है कि टेस्ट होगा। टेस्ट में जो बच्चा उत्तीर्ण होगा उसे पीएचडी करायी जाएगी, लेकिन यदि निजी विश्वविद्यालयों में जायेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उससे पैसा लिया जायेगा। आप चाहे जायें या न जायें, रिसर्च करें या न करें, डिग्री उसे मिल जायेगी। छोटी डिग्री हो, बड़ी डिग्री हो किसी भी तरह की कोई डिग्री हो, जाइये और ले आइये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं खुद आपको कई विश्वविद्यालयों के कागज प्रस्तुत कर दूंगा जहां पर बिना पढ़े, बिना जाए, बिना कोई शिक्षा ग्रहण किए ऐसी व्यवस्था है कि आप डिग्री ले आइए। एकमुश्त पैसा जमा करिये और डिग्री लेकर चले आइये, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी कि

जब निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे तो उसमें अवसर मिलेगा। गरीब व्यक्ति को, किसान के बेटे को अवसर नहीं मिल पा रहा है और जो बाबा साहब की समता और समानता की सोच थी, अवधारणा थी, जैसे सरकार भी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जब उसको अवसर ही नहीं मिलेगा तो उससे गरीब को कैसे विश्वास होगा, कमजोर को कैसे विश्वास होगा, शोषित और वंचित को कैसे विश्वास होगा ? पूरी की पूरी साजिश यह है कि निजी हाथों में सारी चीजें सौंप दी जायें और इस तरीके से सौंप दी जायें कि सरकारी संस्थायें बर्बाद हो जायें।

मैं अगर मेरठ के विश्वविद्यालय का जिक्र करूँ और पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों का अगर हम जिक्र करें तो सैलरी का एक रुपया भी सरकार नहीं दे रही है। बताईये अगर सरकारी यूनिवर्सिटियों में बच्चों की फीस से तनख्वाह दी जायेगी तो शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा और विश्वविद्यालय किस तरीके से चल पायेंगे ? मान्यवर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाईये, पूरे के पूरे पद खाली पड़े हैं और वह पद इसलिये खाली छोड़ दिये गये हैं कि अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो व्यक्ति प्राईवेट यूनिवर्सिटी में जायेगा, प्राईवेट कॉलेज में जायेगा और किसी भी सूरत में वहाँ पर पहुँचेगा। इसलिये मैं इस व्यवस्था का विरोध करता हूँ। सरकार ने तय कर रखा है कि किसी भी तरह इसका निजीकरण कर दिया जाये।

मैं कल जो चर्चा कर रहा था वह इससे भी सम्बद्ध है। मान्यवर, अगर कोई बच्चा एक करोड़ में एम0बी0बी0एस0 की डिग्री लेगा, उसके बाद वह दो करोड़ में एम0डी0 बनेगा तो वह व्यक्ति पहले अपना निजी अस्पताल खोलेगा और अगर वह अपना निजी अस्पताल खोलेगा तो निश्चित रूप से उसके मन में यह भाव रहेगा कि किसी भी तरीके से मैं बहुत पैसा इकट्ठा कर लूँ और इस डिग्री को लेने में मेरा जितना पैसा इनवेस्ट हुआ है किसी भी तरीके से उस पैसे को अर्जित कर लूँ और पैसे अर्जित करने वाली जो यह होड़ चलती है तो मैंने निजी अस्पतालों में, निजी मेडिकल कॉलेजों में यह स्थिति देखी है कि वहाँ पर अस्पताल के अन्दर दवाई के स्टोर, लैब खुल गये हैं और इस तरीके से गरीब को, वंचित को और शोषित को न इलाज मिल पाता है और न ही उसको बेहतर शिक्षा मिल पा रही है। मान्यवर, इसके ऊपर मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि 'कहाँ तो चिराग तय था हर घर के लिये और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिये।' यह स्थिति इस समय निजीकरण को बढ़ावा देने की है। इसलिये निजीकरण को बढ़ावा देने की यह जो पूरी व्यवस्था है, हम इसका विरोध करते हैं और कोशिश यह रहे कि कमजोर और गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा-दीक्षा ले सकें। अभी सुबह एस0सी0/एस0टी0 की बात आयी थी। एस0सी0/एस0टी0 का अगर जिक्र करेंगे तो उनके कितने बच्चे उच्च शिक्षा ले रहे है ? अगर इसके अनुपात को देखें तो 100 में से 9 बच्चे, 10 बच्चे, 11 बच्चे ही उच्च शिक्षा तक पहुँच पा रहे है और जिस तरह से निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा मिल रहा है तो ऐसी स्थिति बन जायेगी कि अभी तो 100 में से 9 बच्चे, 10 बच्चे पढ़ भी पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में गरीब का, कमजोर का एक भी बच्चा वहाँ पर पहुँच ही नहीं पायेगा। इसलिये जो यह निजी संस्थान बन रहे हैं हम इसका

विरोध करते है और ऐसी व्यवस्था से पहले इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये और कम से कम सलाह-मशविरा कर लिया जाये, क्योंकि जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं उस पर कहीं न कहीं सरकार का नियंत्रण होता है। पेपर छपते हैं या कोई अन्य चीज बने तो उसमें सरकार की व्यवस्था होती है, आपकी तरफ से रजिस्ट्रार होता है, आपकी तरफ से फाईनेंस कंट्रोलर होता है, लेकिन जैसे ही विश्वविद्यालय प्राईवेट की तरफ चला जाता है, वह अपने पेपर सेट करता है, वह अपनी तरफ से इंटरनल कराते हैं, अपनी तरफ से ही एक्सटरनल कराते हैं और सारी व्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है। शिक्षक तथा छात्र दोनों लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन जिसका विश्वविद्यालय है सिर्फ वह पैसे कमाता है। जो न्यूनतम मजदूरी दर है आप उसको पता करवा लीजिये। जो मजदूर लोग हैं वह कई बार इसके लिये लड़ भी लेते हैं, लेकिन जो ऐसे प्राईवेट विश्वविद्यालयों में नौकरी कर रहे हैं, उनको सैलरी भी सही समय पर नहीं मिल पाती है। इस समय में ऐसी स्थिति बनी हुयी है। मान्यवर, इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जिससे सलाह-मशविरा हो और हम लोग भी अपनी राय इसमें दे सकें। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी, आपको इस पर कुछ बोलना हो तो बोल लीजिये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अधिष्ठाता जी, शिक्षा और चिकित्सा यह दोनों मानव जीवन के लिये अति आवश्यक है। पढ़ाई और दवाई, हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी इन दोनों के प्रति बड़े चिन्तित भी हैं और केवल चिन्तित ही नहीं हैं, बल्कि कुछ कर भी रहे हैं। इससे पहले पिछले शासनकाल में कितने अस्पताल खुले, कितने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय खुले, यह गौर करें।

अब मा0 योगी जी के नेतृत्व में और इस सरकार में विश्वविद्यालयों में अनेकों सुविधायें दी जा रही है। अभी इन्होंने कहा कि निजीकरण से व्यवसायिक मानसिकता को प्रोत्साहन मिलेगा। अगला जो विधेयक आ रहा है वह तीन सरकारी विश्वविद्यालयों का है और उसकी तुलना में एक निजी विश्वविद्यालय का है। जहां सरकार सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के लिए अग्रसर है वहीं निजी विश्वविद्यालयों को अवसर इसलिए मिल रहा है कि जब प्रतिस्पर्धा होती है तब आउटपुट अच्छा आता है और गुणवत्ता सामने आती है। इनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में एजुकेशन की ऐसी स्थिति थी कि बी-प्लस श्रेणी का एक भी विश्वविद्यालय नेट रैंकिंग में नहीं था। जबसे माननीय योगी जी की सरकार आई है तब से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और 5 ए डबल प्लस श्रेणी के सरकारी विश्वविद्यालय आ चुके है और 7 निजी विश्वविद्यालय ए डबल प्लस की श्रेणी में आ चुके है। बी-प्लस की तो मैं अभी गिनती भी नहीं कर रहा हूँ।

शिक्षा की गुणवत्ता की बात कौन कर रहा है जो कभी कहा करते थे कि हम तुमको नकल का अधिकार देंगे तुम बस हमें राजनीतिक वोट दे दो। इन विश्वविद्यालयों के खुलने से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, क्वालिटी मेनटेन होगी, लोगों को अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, शैक्षिक और गैर शैक्षिक रोजगार के अवसर मिलेंगे, विश्वविद्यालय खुलने से आसपास के

वातावरण में रोजगार की उपलब्धता होगी। इन्होंने तो वह उदाहरण दिया कि अगर किसी को जुखाम हो जाए तो नाक काट दो, अगर नाक कट गयी तो जुखाम ही नहीं होगा। यदि जुखाम हो गया तो जुखाम को ठीक करने की दवा दी जानी चाहिए। जब से हमारी सरकार आई है तब से आप लोगों के समय में जो नकल की व्यवस्था थी उसे रोका गया है, पहले जो पेपर लीक होते थे उन पर रोक लगायी गयी है। आप लोगों को सुधार लाने के सुझाव देने चाहिए। अगर यह विश्वविद्यालय खुलेंगे तो उसमें रोजगार के, पढ़ने के और अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति को अवसर मिलेगा। जितने ज्यादा विश्वविद्यालय खुलेंगे उतने ज्यादा एरिया को घेरेंगे और आस पास के लोग आयेंगे, वरना दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं। मैं जब आगरा विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो वहां पर ग्वालियर और भोपाल से लोग पढ़ने आते थे। आज जब जगह-जगह विश्वविद्यालय खुल गये है तो लोकल के लोग वहां पर पढ़ने जाते हैं। पहले बच्चों को फीस से ज्यादा आने-जाने में, रहने में, ठहरने में खर्चा होता था, यह सब सुविधायें मिलेंगी, इसीलिए जनहित में मैं चाहूँगा कि यह अपना संशोधन वापस लें और इस प्रस्ताव को पारित करने में अपना सहयोग दें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री अधिष्ठाता-

66 (1) के लिए में प्रश्न लेता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 36 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 36 के पश्चात् नवस्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
37	वरूण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।	वरूणार्जुन ट्रस्ट, केशलता हास्पिटल, डेलापार, बरेली, उत्तर प्रदेश।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार, वरूण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संषोधन) अध्यादेष, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेष अध्यादेष संख्या 17 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेष द्वारा यथा संषोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संषोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता मंत्री हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2023 पर विचार किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कोई बोलना चाहता है।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं सुझाव देना चाहता हूं। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन पहले से जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं क्या उन्हीं की तरह इनका हाल तो नहीं हो जायेगा। इसलिए प्रवर समिति को सौंपा जाये। जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जिक्र करें तो सबमें पद खाली पड़े हुए हैं। जहां पर जरूरत है, जहां पर क्लासेस ज्यादा बढ़ रहीं हैं। आउट सोर्सिंग माध्यम बन गया है। हर जगह आउट सोर्सिंग से लोगों को लिया जा रहा है। लेकिन जो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज 20-25-30 साल पुरानी हैं। मेरठ यूनिवर्सिटी, चूंकि मुझे उसकी ज्यादा जानकारी है बाकी की भी जानकारी है। आप बस इतना बता दें कि जो पहले से यूनिवर्सिटीज हैं उन पर भरे हुए पदों का विज्ञापन क्या आपने पिछले 7 साल में कहीं पर निकाले हैं ? क्या उनमें आरक्षण का पालन हुआ है ? जो नये विश्वविद्यालय बनने जा रहे हैं क्या इनमें पहली जैसी स्थिति आप रखेंगे ? दूसरा वहां पर स्टेट के जो कर्मचारी हैं। राज्य विद्यालयों के जो कर्मचारी हैं मैंने उनसे कई बार सुना कि चाहे छुट्टियों का मानक हो या अन्य चीजें हों, उनकी सैलरी और दूसरों की सैलरी में कई बार अन्तर नजर आता है। मैं अपनी तरफ से प्रस्ताव दे रहा हूं, सुझाव कर रहा हूं कि बाकी विश्वविद्यालयों की तरह इनका हाल न हो जाये। इसके लिए पहले से ही आप पूरी की पूरी एक सूची बना लीजिए जितने टीचर्स की जरूरत हो। भविष्य में हम लोग उसको आगे बढ़ा सकें। इसके साथ-साथ जो फीस है, फीस से किसी शिक्षक की या कर्मचारी की सैलरी न दी जाये।

इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि जो भी वहां पर आपके सैल्फ फाइनेन्स के कोर्स चल रहे है उनकी फीस अत्यधिक बढ़ा दी जाती है। जिससे ग्रामीण अंचल के लोग, किसान परिवारों के लोग, पिछड़े, दलितों के लोग और अगणों के गरीब गुरबा लोग वहां पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जो सरकारी व्यवस्था है उसका हम लोग स्वागत करते है लेकिन

साथ-साथ उन सब चीजों का चाहे आरक्षण हो, चाहे जो पद पहले से खाली पड़े हैं उन्हें देखते हुए नई यूनिवर्सिटीज में उसको रखेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 8 नवम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुन अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा 4 में, उपधारा (1–क) में, खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :–

"(ठ) एक विश्वविद्यालय जिसे माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के रूप में जाना जायेगा;

(ड) एक विश्वविद्यालय जिसे माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के रूप में जाना जायेगा;

(ढ) एक विश्वविद्यालय जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के रूप में जाना जायेगा;।"

धारा 50 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1–ज) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

"(1–झ) जब तक कि इस धारा के अधीन माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की परिनियमावली, जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(1–ञ) जब तक कि इस धारा के अधीन माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।"

"(1–ट) 'जब तक कि इस धारा के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।"

धारा 52 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप धारा (2–छ) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(2–ज) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2–झ) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2–ञ) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।"

5–मूल अधिनियम की अनुसूची में ,– अनुसूची का संशोधन

(क) क्रम संख्या–6 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"6–डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या–

(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक	अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर जिले
(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हो जाने पर	अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और सुलतानपुर जिले"

(ख) क्रम संख्या–7 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"7–महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली–

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना होने तक	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), रामपुर और सम्भल जिले
(दो) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना हो जाने पर	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर जिले"

(ग) क्रम संख्या–10 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"10–महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी–

(एक) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना होने तक	वाराणसी, चंदौली, भदोही (संत रविदास नगर), मिर्जापुर, सोनभद्र जिले;
(दो) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना हो जाने पर	वाराणसी, चंदौली जिले,"

(घ) क्रम संख्या–13 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"13–सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर–

(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक	बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, महराजगंज और सिद्धार्थ नगर जिले
(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक	बस्ती, संत कबीर नगर, महराजगंज और सिद्धार्थ नगर जिले"

(ङ) क्रम संख्या–17 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"18–माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर	बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले
19–माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर	मिर्जापुर, भदोही (संत रविदास नगर), सोनभद्र जिले
20–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद	अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल जिले"

कठिनाईयों को दूर किया जाना

6–(1) राज्य सरकार माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर या माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी कालावधि में, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे उपान्तरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा;।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

7–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[03:45] वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

अब अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा होगी। माननीय मंत्री श्री ए0 के0 शर्मा जी आप बोलें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चूंकि प्रस्ताव रख दिया गया तो विपक्ष का सदस्य उस पर बोलता है।

श्री अधिष्ठाता-

चलिए, आप बोल ले या आपकी तरफ से कोई बोल लें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय कार्य-मंत्रणा में यह तय हुआ था कि सारे दलीय नेता पहले बोल लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

आप बोलें।

मद संख्या-67 अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा ।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कल सदन में 28760 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट रखा बीती फरवरी माह में इसी सदन में उन्होंने 6 लाख 90 हजार करोड़ का एक भारी भरकम बजट लाया जिसका 50 प्रतिशत भी सरकार फरवरी से लेकर अभी तक खर्च नहीं कर पायी है तो सबसे बड़ी बात यह है कि वित्तीय वर्ष में सवा सात लाख करोड़ से अधिक का बजट अभी तक आ चुका है। सरकार के इस विशाल बजट के बाद भी आम जनता को केवल निराशा मिली है बहुत से ऐसे विभाग है जहां 30-40 प्रतिशत भी सरकार खर्च नहीं कर पायी है तो अनुपूरक बजट लाने का औचित्य क्या है प्रदेश की जनता ने लगातार दो बार इस सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनकर भेजा है सरकार ने लगातार जनता से वायदे भी किये पिछले साल सरकार बनने के बाद दो मूल बजट और एक अनुपूरक बजट आने के बाद भी जनता की उम्मीदें पूरी नहीं कर पायी इस अनुपूरक बजट में जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टों में वादे किये थे वर्ष 2022 के चुनाव में तो सबसे पहले सरकार को वायदे पूरे करने चाहिए थे लेकिन सरकार उसको भी पूरा नहीं कर पायी सरकार चार बजट आने के बाद भी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पायी है।

जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था वर्ष 2022 का उस संकल्प पत्र को भी इस अनुपूरक बजट में जगह नहीं मिली जिसकी आशा इस प्रदेश की जनता को थी वायदों पर

आप चुनकर आये थे जो आपने वायदे किये थे। मेधावी छात्रों, बेटियों को स्कूटी देंगे, लेकिन आज भी बेटियां इन्तजार कर रही हैं स्कूटी की सीटी भी नहीं मिली लेकिन उम्मीद थी कि इस बार अनुपूरक बजट में स्कूटी के लिए कुछ पैसा आ जाये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं की बात और लम्बे-लम्बे भाषण देने के बाद भी बेटियों को स्कूटी का जो वायदा किया था उसका कहीं भी उल्लेख बजट में नहीं है, लेकिन इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए 4 लाख 96 करोड़ के बजट का प्रावधान सूचना विभाग को जरूर दे दिया है पर बेटियों से वायदा किया था, उसको पूरा नहीं किया है। निराश्रित बहनों को, दिव्यांगजनों को और बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की बात सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में कही यह अनुपूरक बजट आ गया है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि कम से कम दिव्यांगजनों को, बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं से जो वादे किये थे उनको सरकार पूरा कर देती, लेकिन उसका भी अनुपूरक बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। गरीब बेटियों को जो शादी का अनुदान दिया जाता है 51000 रुपये मुझे याद है कि इसी सदन में बात कही गयी थी कि उसको 1 लाख कर दिया जायेगा, घोषणा-पत्र में था उसका भी कहीं प्रावधान बढ़ाने का इस अनुपूरक बजट में नहीं है। बड़ी लम्बी लिस्ट है कौन-कौन सी योजनाएं सरकार ने और कौन-कौन से सपने दिखाये थे इस प्रदेश की जनता को छलावे के अलावा कुछ सरकार ने नहीं दिया।

(इसी मध्य 03 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनोज कुमार पाण्डेय पीठासीन हुए)

हमारे युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया गया था। नौजवान आज जब सरकार से सवाल पूछता है तो उसको लाठियाँ मिलती हैं और उसके विरुद्ध देशद्रोह जैसी गम्भीर धाराओं में मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया जाता है। मैंने आज सदन में तारांकित प्रश्न पूछा था कि इन्वेस्टर्स समिट में नौजवानों को कितनी नौकरियाँ मिलीं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई ब्यौरा नहीं है कि सरकार नौजवानों को इस इन्वेस्टर्स समिट के बाद कितनी नौकरियाँ दे चुकी है। धरातल पर न कहीं फैक्ट्रियाँ दिखाई दे रही हैं और न कहीं किसी प्रतिष्ठान के आफिस दिखाई दे रहे हैं। जब यह सवाल किया जाता है तो सरकार एक लम्बी-चौड़ी लिस्ट दे देती है जो एम0ओ0यू0 साइन हुये हैं क्या वह एम0ओ0यू0 धरातल पर उतरे, वह कब उतरे, उनसे कितना इन्वेस्टमेन्ट आया, उन्होंने कितनी फैक्ट्रियाँ लगाईं या उन्होंने कितना रोजगार दिया, इसका जिलेवार उत्तर सरकार नहीं दे पा रही है। पिछले दो-ढाई वर्षों में सरकार असफल रही है। सरकार लगातार गौ-वंश पालन पर जोर देती है। सरकार ने कहा था कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर जिले में बायो-फ्यूल प्लाण्ट लगाया जायेगा। अगर ऐसा होता तो किसानों की आय जरूर बढ़ती और उनको अतिरिक्त आय प्राप्त होती, लेकिन सरकार इस अनुपूरक बजट में उसे पूरा नहीं कर पाई है। किसान वैसे ही एक तरफ महंगाई से परेशान है, जिस तरह से कीटनाशक और खाद के दाम बढ़ गये, जिस तरह से उसकी लागत बढ़ती चली जा रही है, वह उनकी कमर को तोड़ने का काम कर रही है। सरकार ने कहा था कि हम किसानों को फ्री में बिजली देंगे, लेकिन सरकार ने वह वायदा भी पूरा नहीं किया है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

हमने यह वायदा पूरा कर दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

अभी भी यह वायदा पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको अपने कनेक्शन का बिल दिखा सकता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप अनपूरक बजट को देख लीजिये जिसमें हमने 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। कम से कम इतना मिसलीड मत करिये।

श्री लालजी वर्मा-

मैं अपने ट्यूबवेल का आज का बिल दिखा सकता हूँ, जिसमें 4000 रुपये का बिल दिया गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो बिल आ रहा है उसका भुगतान सरकार करेगी। उसका भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा। अभी माननीय मंत्री जी स्वयं बता देंगे। मैंने इसका प्राविधान किया है। ऐसा मत कहिये। इतना मिसलीड मत करिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने वर्ष 2022 में यह वायदा घोषणा पत्र में किया था। इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी।

कृषि, कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

यह वर्ष 2022 के संकल्प पत्र में था और वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 50 परसेण्ट छूट की व्यवस्था की गई है। अबकी बार पूरी व्यवस्था की गई है। बिना आधार के ऐसी बात बोलना उचित नहीं है। पिछले वर्षों के जो निजी नलकूपों के बिल गये हैं उसमें से 50 परसेण्ट धनराशि को सब्सिडाइज किया गया है, जिसकी धनराशि कृषि विभाग ने दी है। कम्प्रेस्ड बायो गैस का प्लाण्ट बदायूं के भीतर बैठा दिया गया है, गोरखपुर में लग गया है, प्राइवेट सेक्टर में बहराइच में लग गया है, सीतापुर में लग गया है, बाराबंकी में लग गया है। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है।

श्रीमती आराधाना मिश्रा 'मोना'-

माननीय मंत्री जी सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और सम्मान के साथ एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि यह जो घोषणा-पत्र था वह वर्ष 2022 का था। अब वर्ष 2023 खत्म होने जा रहा है और इस प्रकार लगभग दो साल होने को

हैं। इस बीच किसानों को राहत नहीं मिली है। आपने वर्ष 2022 में बिजली की जो राहत देने की बात कही थी वह अब आप वर्ष 2023 के अनुपूरक बजट में लाने की बात कह रहे हैं।

मान्यवर, होता क्या है यह तो आगे समझ में आएगा। जहां तक मैंने बायो फ्यूल प्लांट की बात की तो सरकार के संकल्प-पत्र में था कि यह हर जिले में स्थापित किया जाएगा। पी0पी0पी0 मॉडल में भी प्राइवेटाईजेशन, उससे किसान को क्या लाभ होगा ? माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह से सरकार ने अपने किसी भी वायदे को जो संकल्प-पत्र में थे उनको पूरा नहीं किया है। इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज ओ0पी0एस0 स्कीम की हम बात करते हैं, पुरानी पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो उस पर भी सरकार मौन है, जब अन्य राज्य उसको दे सकते हैं तो सरकार को उसको देने में क्या दिक्कत है। ओ0पी0एस0 लागू करने में क्या समस्या है ? अगर मैं एन0पी0एस0 की बात कहूं तो यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। ओ0पी0एस0 हटाकर सरकार ने एन0पी0एस0 लागू किया है। उत्तर प्रदेश में एन0पी0एस0 का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपये का निवेश प्राइवेट कम्पनी को कर दिया गया है। उसमें बहुत सारे टीचर्स के भविष्य अन्धकार में चले गये हैं, जिनको यह तक जानकारी नहीं है कि उनके भविष्य निधि का जो पैसा था वह कहां निवेश किया गया है ? उसके साथ-साथ सरकार इस बात को अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि इतना बड़ा घोटाला उन शिक्षकों की भविष्य निधि के साथ किया गया है।

अगर यह सही नहीं था तो क्यों माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और एस0आई0टी0 गठित की है, क्योंकि वह समझ रहे हैं कि किसकी परमीशन से करोड़ों रुपये का निवेश प्राइवेट कम्पनी में हुआ है। उन प्राइवेट कम्पनियों में दस कम्पनियां जो अनुबन्धित भी नहीं हैं इसके बाद भी उसमें निवेश किया गया है। वह भी कहां वाराणसी में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में घोटाले हुए हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर ओ0पी0एस0 स्कीम लागू होना चाहिए और इस तरह का जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसमें जो भी सम्बन्धित अधिकारी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद 'मोना' जी 11 मिनट हो गये हैं।

श्रीमती आराधाना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, सारे साथी यहां बैठे हैं। क्या महंगाई का असर सिर्फ जनता पर है, जन-प्रतिनिधि पर नहीं है ? हम लोग लगातार इस बात को उठाते आये हैं और मेरे साथ-साथ आप भी यहां बैठते हैं तो आप भी इस बात पर बहुत बल देते हैं। विधायक निधि की हम लोग हमेशा मांग करते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की हम पर बहुत बड़ी कृपा रही कि उन्होंने उसे बढ़ा दिया। विधायक निधि पर 18 प्रतिशत जो जी0एस0टी0 लग रही है तो हमें

उसमें कितना पैसा मिल रहा है ? क्योंकि जनता को तो मालूम है कि 5 करोड़ रुपये विधायक निधि है और उसमें से 80-90 लाख रुपये अगर कट जाएंगे तो हमें 4 करोड़ रुपये ही मिलेगा ? इसमें किसका नुकसान है ? यह नुकसान हमारा भी है, सदस्य का भी और जनता का भी है। वह पैसा चाहे पक्ष का सदस्य लगाए या विपक्ष का सदस्य लगाए, जाएगा तो वह जनता के ही काम के लिए। मेरा अनुरोध है कि पुनः उसमें जोड़ा जाए कि विधायक निधि से जी0एस0टी0 समाप्त की जाए और अगर नहीं करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाए कि हम लोगों को 4 करोड़ रुपये ही जनता के लिए मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, 13 मिनट हो गये हैं।

श्रीमती आराधाना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, एक और विषय सुन लीजिए। महंगाई की सब पर मार है। हम लोग यहां आते हैं और जब वापस घर जाते हैं तो पूछा जाता है कि क्या मिला है ? इतनी मेहनत क्यों करी है ? इतने दिन कहां रहे ? माननीय अधिष्ठाता महोदय, भत्ते में कुछ तो बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई की मार उनके घर की रसोई पर भी पड़ती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इसे बढ़ाया जाए। इसके साथ-साथ माननीय पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी चले गये हैं, पर माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि मसल बताने लगते हैं कि घुटने का दर्द है तो दांत के डॉक्टर से क्यों कहा जाए। मैं तो अनुरोध करूंगी, इन्हीं से कह सकती हूं यही हमारे माध्यम हैं। कम से कम 10-10 किमी0 सड़क हर सदस्य को उसके क्षेत्र के विकास के लिए मिलनी चाहिये और पानी की बहुत समस्या है। जलजीवन मिशन का काम चल रहा है उसको पूरा होने में बहुत समय लगेगा। तो कम से कम 100-100 हैण्डपम्प प्रत्येक मा0 सदस्य को उसके क्षेत्र के लिए मिलना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता जी, कृपा करके यह सूचना दिलवा दी जाये कि अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए समय है। यह जो जनरल बातें हैं यह जो आप एन0पी0एस0 और ओ0पी0एस0 लेकर आ गयीं, सवाल यह है कि यह अनुपूरक का कोई विषय नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में 09 लाख 35 हजार लोग आ चुके हैं और जो घोटाले की आप बात करती है उसमें जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वह करेंगे और पैसा कहीं खतरे में नहीं है। यह आप दिमाग से निकाल दीजिए। मान्यवर, यह कह दें कि जो अनुपूरक है उसकी सीमा में रहें बाकी जनरल बातें तो रोज ही होती हैं।

श्रीमती आराधाना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, एक चीज स्पष्ट कर दूँ कि प्राइवेट कम्पनी में जब निवेश होता है तो पहले यह एल0आई0सी0 में हुआ करता था और कई जो सरकारी उपक्रम होते थे उसमें इन्वेस्टमेंट

होते थे। क्या सरकार ने प्राइवेट आर्गेनाइजेशन में करने की अनुमति दे दी है। जब प्राइवेट कम्पनियों में निवेश होता है तो वह शेयर होल्डर्स के हिसाब से शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है और जब शेयर मार्केट क्रैश करती है तो कम्पनी दिवालिया हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है आपकी बात आ गयी। इसके बाद श्री ए0 के0 शर्मा जी, पांच मिनट का समय है और सब लोग अनुपूरक पर ही बोलियेगा।

नगर विकास, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को और मा0 वित्त मंत्री जी को बधायी देने के लिए और इस बजट पर पूरे राज्य की जनता को शुभकामना देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मा0 वित्त मंत्री जी ने अनुपूरक बजट जो 28 हजार 760 करोड़ का रखा है। वह राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लाया गया है। इससे गरीबों का, किसानों का, पिछड़ों का, दलितों का, युवाओं का हर वर्ग के लोगों का मैं कल्याण देख रहा हूँ। हमारे स्वयं के दोनों विभागों में ऊर्जा विभाग में 10 हजार 95 करोड़ रुपये और नगर विकास विभाग में 01 हजार 62 करोड़ रुपये का अनुपूरक में प्राविधान किया गया है। उसके लिए भी मैं मा0 वित्त मंत्री जी का तथा मा0 मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभारी हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे मा0 प्रधानमंत्री जी पूरे देश को विकसित भारत बनाने के लिए विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह बजट उत्तर प्रदेश राज्य का, भारत को विकसित देश बनाने में बड़ा योगदान देगा। उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 वित्त मंत्री जी ने कहा है कि बजट पर ही सीमित रहिये, लेकिन कल सदन में कुछ बातें हुयी थीं जिसका जवाब देना मैं थोड़ा आवश्यक मानता हूँ। मा0 वित्त मंत्री जी हमारे एक तरह से मार्गदर्शक व गुरू हैं। उनकी अनुज्ञा से कहना चाहता हूँ कि कल बात हुयी थी कि बिजली विभाग का और कुछ तथ्यों से क्या सम्बन्ध है ? मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन यह भी कहा गया कि मंत्री जी बड़े संघर्ष के बाद मंत्री बने हैं बात तो सही है। हम जीवन में गाँव से आये हैं, प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल तक, यूनिवर्सिटी तक हम अपने बल पर संघर्ष करके, माँ-बाप के आशीर्वाद एवं समर्थन से पढ़ाई-लिखायी किया, नौकरी के लिए यू0पी0एस0सी0 की कम्प्टीशन परीक्षा पास करना भी एक संघर्ष है। आपके जमाने में तो आप चिन्हित कर देते थे कि किसको कम्प्टीशन में पास कराना है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

इसमें गलत क्या है ? आपने संघर्ष नहीं किया है। आपके उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को हाई कोर्ट ने बर्खास्त किया था।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

आप लोग संघर्ष नहीं जानते हैं।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप सभी मा0 सदस्य बैठ जाइये। मा0 संग्राम सिंह जी, मा0 राम खिलाड़ी जी बैठ जाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, जब मा0 'मोना' जी बोल रही थीं तो मैंने बीच में नहीं टोका। मैंने उनकी पूरी बात आने दी, लेकिन यह सही है कि अनुपूरक पर बात हो रही है। अगर कोई एक-दो बातें कह दे तो ऐसा कोई अपशब्द नहीं है। हमने बीच में नहीं टोका था। यह सही है कि अनुपूरक पर ही रहना चाहिए, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं कि सदन में जिसका आप जवाब देना चाहें तो सदन में दे दें। हमने बीच में नहीं रोका था उनकी पूरी बात सुनने के बाद ही हमने अपनी बात कही है। आपकी तरफ से पूरी बात आई है तो आप बीच में न रोकिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, एक मा0 सदस्य ने यह भी कहा कि आप राजनीति में अभी कच्चे हैं, उनकी बात सही है मैं राजनीति में नया हूँ और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं बड़ी विनम्रता से आप सभी मा0 सदस्यों से सीखने का प्रयास करता रहता हूँ, लेकिन अगर राजनीति में पुख्ता होने की परिभाषा यह है कि एक राजनीतिक परिवार से आने चाहिए, परिवारवाद से आने चाहिए तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अगर आप लोग यह मानते हैं कि राजनीतिक परिपक्वता की एक ही परिभाषा है कि परिवार राजनीति में हो तभी आप राजनीतिज्ञ हैं, मैं इस व्याख्या से सहमत नहीं हूँ। मा0 सदस्य संग्राम जी आपको यह बात खराब लग रही है, लेकिन राजनीति में जो परिवारवाद आया है उसको खत्म करने के लिए मा0 मोदी जी ने बीड़ा उठा लिया है और उनको खत्म करना ही होगा, तभी देश की प्रगति होगी।

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मा0 संदीप सिंह जी, मा0 पंकज सिंह जी एवं मा0 प्रतीक भूषण जी कहां से आए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी आप अपनी बात कह दीजिए, क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, अपने इस अनुपूरक बजट में सभी वर्गों के लिए व्यवस्था है। उदाहरण के रूप में ऊर्जा विभाग की डिमाण्ड पढ़ता हूँ।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 रविदास मेहरोत्रा जी बैठ जाइये, कृपया बैठ जाइये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह लोग बार-बार यह विषय लाते हैं तथा किसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि भाजपा सरकार ने अपना वायदा नहीं निभाया है।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 वर्मा जी व्यवस्था में सुन लिया जायेगा। मा0 मंत्री जी की बात पूरी हो जाने दीजिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं बताता हूँ कि भाजपा सरकार ने किस तरह से अपना वायदा निभाया है। वर्ष 2022 के चुनाव में यह कहा गया कि हम किसानों की बिजली माफ करेंगे और 50 प्रतिशत माफी की घोषणा तुरन्त कर दी गयी थी। मा0 सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि किसानों के लिए 720 रुपये का टैरिफ के सामने 88 प्रतिशत छूट थी।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2023-24 में मा0 वित्त मंत्री जी, अपने मूल बजट में घोषणा की थी कि किसानों के नलकूप की बिजली सौ प्रतिशत माफ की जायेगी। उसके अनुपालन में हम लोगों ने बार-बार कहा है कि किसानों को 01 अप्रैल, 2023 से कोई बिल जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारी एकमुश्त समाधान योजना आई है।

हमने ओ0टी0एस0 में लिखित में यह बात कही है कि किसानों को 01 अप्रैल, 2023 से कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 31 मार्च, 2023 के पहले, जो बिल है, उसको ओ0टी0एस0 में सेटिल कर लें अर्थात् 31 मार्च, 2023 से पहले का बिल चुकता हो जाता है, जो भी थोड़ा-बहुत होता है, क्योंकि 88 प्रतिशत की छूट उस वक्त भी थी। उसके बाद किसानों को बिल देने की आवश्यकता नहीं है। उसका इससे प्रबल सबूत क्या हो सकता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था इसी अनुपूरक बजट में कर दी है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, पल्लवी पटेल जी, आप कुछ बोलेंगी, माननीय लालजी वर्मा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मा0 मंत्री जी, आप समाप्त करिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, मुझे बोलने के लिए पांच मिनट दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी, आपके 8 मिनट हो गये हैं।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, बीच में व्यवधान था।

श्री अधिष्ठाता-

उस व्यवधान का समय हमने घटा दिया है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, जैसाकि मैंने कहा कि यह बजट बहुत ही अच्छा बजट है और सभी वर्गों का ध्यान इसमें रखा गया है, एक बात और मुझे कहना ही है, कृपा करके मुझे कहने की आज्ञा दीजिए। देखिए, हमारे बिजली विभाग की बात है। आप लोग कल बहुत कह रहे थे, अब बिजली कम आती है, पहले बिजली ज्यादा आती थी। आपके जमाने में वर्ष 2012 से 2017 तक.....

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

अरे पीक सुन तो लीजिए, बिजली का जो औसत पीक डिमाण्ड थी वह 12 से 13 हजार मेगावाट डिमाण्ड थी।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद मा0 मंत्री जी, अब आप समाप्त करिए, पल्लवी पटेल जी बोलेंगी, वर्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जुलाई, 2023 महीने में हमने जिस पीक डिमाण्ड को मीट किया है वह 28,284 मेगावाट है। यानि कि आपका अढ़ाई गुना।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी धन्यवाद, नौ मिनट हो गये हैं। बहुत से सदस्यों को बोलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलना चाहिए। मा0 वर्मा जी आप बोलिए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-195 के अनुसार अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा की परिधि के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक परिवारवाद का सवाल है, हम सब जितने लोग इधर बैठे हैं, जनता के द्वारा चुनकर आये हैं और ये कृपा से आये हैं, ये कृपा से आने वाला परिवारवाद है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, कृपया इनसे कहिए कि भाषण न दें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 वर्मा जी, आप व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ कहना चाहते हैं, उस पर कहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 जिसे अभी सदन ने पास किया। इस वर्ष 2023 की नियमावली में नियम-195 में हेडिंग है, अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा की परिधि। माननीय खन्ना जी जबसे वित्त मंत्री हुए तबसे इस पर घंटों भाषण होने लगा। वह बात अलग है कि चूंकि नेता सदन करते हैं तो मजबूरी हो गयी अन्यथा इसमें दिया है कि अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा जिनसे वे बने हों। जहां तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, उस सीमा तक, मूल अनुदानों पर या उनसे सम्बन्धित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। सामान्य रूप से मा0 वित्त मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, लेकिन मान्यवर, इसमें लम्बा समय दिया जाता है। चूंकि जब अनुपूरक आता है तो माननीय नेता सदन ने जब बोलना शुरू किया तो विपक्ष वालों ने भी उसी ढंग से ज्यादा समय लिया, इसलिए उसके विषय बिन्दु तक आना चाहिए, इसलिए मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी इस पर जो दूसरा विषय ले आ रहे थे उसको इस कार्यवाही का भाग न बनाया जाये। इसमें दो राय नहीं है कि अनुपूरक अनुदान में 10 हजार 95 करोड़ रुपये की व्यवस्था ऊर्जा विभाग के लिए है।

लेकिन अन्य विभागों में नहीं है, उसका किस मद में है, जहाँ तक ट्यूबवेल का भी है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन व्यवस्था का जो प्रश्न है, केवल वाद-विवाद उतने तक ही सीमित होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, वर्मा जी।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अधिष्ठाता जी, एक बात और है, जैसे दलीय नेताओं के लिए आपने 10 मिनट निर्धारित किए हैं और सामान्य सदस्य के लिए 05 मिनट निर्धारित किए हैं। जब कोई हमारे माननीय मंत्री जी जवाब दें तो उनके लिए समय थोड़ा बढ़ा दीजिए। आगे कोई माननीय मंत्री जी बोलेंगे तो उनके लिए आप यह 05 मिनट का समय थोड़ा बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

डॉ0 संग्राम यादव-

जिस यूनीवर्सिटी में आप पढ़े हैं, उस यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ा हूँ और उसी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का मैं महामंत्री रहा हूँ और चुनाव जीत करके तीसरी बार आया हूँ और मंत्री जी विधान परिषद् के द्वारा आज मंत्री बने हैं, तो परिवारवाद की सूची मँगा ली जाए।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठिए, प्लीज आप बैठें। अब श्रीमती पल्लवी पटेल जी।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, आज सदन में चर्चा का विषय है-'अनुपूरक अनुदान की माँगों पर चर्चा' और जब इस बजट को मैंने पढ़ा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यह ख्याल आता है कि क्या है यह अनुपूरक बजट ? यह है भारतीय जनता पार्टी का अनुपूरक बजट, वह भारतीय जनता पार्टी जो अपने आपको विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का दम्भ भरती है और डंका पीट कर कहती है। अगर डंका पीट कर कह रहे हैं तो इसी सदन में अभी 05 मिनट पहले मैंने एक टिप्पणी सुनी है, बहुत ही सीनियर सदन के सदस्य के द्वारा कि साँच को आँच नहीं। तो अगर साँच को आँच नहीं है, तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिन्दुओं का प्रदेश है ? एक धर्म के नाम का, एक धर्म विशेष के नाम का आप तुष्टीकरण करते हैं और अगर पूछा जायेगा तो आप कहेंगे, नहीं होता। कैसे नहीं होता ? अगर नहीं होता है, तो आप बताइये, इस बजट में आपने जैनों को क्या दिया है ? आपने सिखों को और गुरूद्वारों को क्या दिया है, आपने बौद्धों को और बौद्ध मठों को क्या दिया है ? आपने

कबीर पंथों को क्या दिया है ? और बहुत दूर मत जाइये, आपने नाथ सम्प्रदाय को क्या दिया है ? क्या ये धर्म स्थल और इन धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था, आस्था नहीं है ? आपके लिए बहुत अहम है कि इन विषयों पर चर्चा हो और आपको इस बात की तनिक भी चिन्ता नहीं है और तनिक भी गम्भीरता से आप यह नहीं सोचना चाहते कि उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी, इस देश के दलित और पिछड़ों ने बनायी है और उनके हक और अधिकारों की चर्चा इस सदन में प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बात को मैंने इसलिए उठाया है, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया है और वास्तविकता यह है कि यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों के नाम पर सत्ता लेकर आप बैठे हुए हैं, तो यह विधेयक भी आपके द्वारा आना चाहिए था और ऐसा नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, विषय पर आयें।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

यहाँ पर अगर बात करो, अनुसूचित जनजाति की यहाँ बात करो, जातिवार जनगणना की .....

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया माननीय सदस्य बैठें। पल्लवी पटेल जी, आप विषय पर आइये। आप सप्लीमेंटरी बजट पर आइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, बात केवल अनुपूरक बजट तक ही रहनी चाहिए, अनुपूरक बजट तक ही बात सीमित रहनी चाहिए। विषयान्तर मत करवाइये।

श्री अधिष्ठाता-

पल्लवी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। आप बात रखिए। केवल सप्लीमेंटरी बजट से सम्बन्धित बात रखिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह बात केवल अनुपूरक तक ही सीमित रहना चाहिए। जैसा कि नियमों में भी है और हमने प्रारम्भ में भी कहा था 'मोना' जी के बोलने के बाद कि हम अपने आपको

अनुपूरक विषय तक ही सीमित रखें जो भी अनुपूरक मांगें रखी गईं उसी के विषय में बात-चीत हो, तभी वह चर्चा सार्थक होगी।

(इसी मध्य सायंकाल 04 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

मेरा यह रिक्वेस्ट है जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा यह सुबह ही मा0 मनोज पाण्डेय जी को यह निवेदन कर दिया था, क्योंकि वह मुख्य सचेतक हैं आपकी तरफ से और आपसे भी कह दिया था और इधर भी मा0 मुख्य सचेतक से बोल दिया था दोनों तरफ से बजट सबको मालूम है जो पुराने सदस्य हैं सबको पता है कि अनुपूरक बजट जिसमें आता है उसके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं स्वस्थ परम्परा के अन्तर्गत मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से विचार-विमर्श करने के बाद मैंने निवेदन किया कि अनुपूरक बजट के ऊपर चर्चा करें, यह अभी तक नहीं हुआ, जहां तक मेरा अनुभव है इन 33 सालों में कभी नहीं हुई, जब से मैं बैठा हूं। आप लोग बताइये कि कभी इस तरह की चर्चा हुई है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बहुत बार ऐसा अवसर आया है कि चर्चाएं बहुत कम समय में हुई हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बताइये कि कब चर्चा हुई है ?

श्री लालजी वर्मा-

बहुत बार हुई है, आप कार्यवाही निकलवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

क्या पूरे हाउस में चर्चा हुई है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चर्चा हुई है, लेकिन इतने बड़े विस्तार से चर्चा नहीं हुई।

[04:22] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 के अर्न्तगत आज 100 सूचनाएं प्राप्त हुईं, उन 100 सूचनाओं में मैंने जैसे सुबह यह कहा था कि 70 सूचनाएं ग्राह्य की गईं, बाकी सब अग्राह्य हैं।

पहली सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की कृषि महाविद्यालयों मे बायोमैट्रिक उपस्थिति से रिसर्च वर्क एवं फील्ड डाटा कलेक्शन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री जियाउर्रहमान की विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी के ग्राम गोविन्दपुर कलाँ जटनी, फिरोजपुर व अन्य गांव में बिजली सप्लाई के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह की विधान

सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत रेहरिया से सुन्दरपुर-पड़सर मार्ग पर कतिपय सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'' की ग्राम में दुबेपुर दर्ज गाटा संख्या-498, रकबा 0.7590 हे0 व गाटा सं0-545, रकबा 0.5190 भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाकर उक्त स्थल पर बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री अनिल कुमार त्रिपाठी की प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला लेने के उपरान्त शिशुओं का सामान्य चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री चन्दन चौहान की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में दि गंगा सहकारी मिल मोरना की पेराई क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया के नगर पंचायत सहतवार में महिला अस्पताल को पूर्ण क्षमता से क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री वाचस्पति की जनपद कौशाम्बी के मधु वाचस्पति इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत जगनेर में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर में मिझौड़ा-महरुआ मार्ग को चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात, जनपद अमरोहा पाकबड़ा मार्ग से ड्योड़ी व वाजिदपुर सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री तुफानी सरोज की जनपद जौनपुर में आवारा पशुओं द्वारा अतिक्रमण से हुये नुकसान से आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री पंचानन्द पाठक की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर अन्तर्गत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल कुबेर स्थान से होते हुए अर्जुनहा शिवपुर सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण/उच्चीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री सचिन यादव की प्रदेश में अन्य राज्यों की तर्ज पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकारियों को वेतनमान देने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री प्रसन्न कुमार की जिला अस्पताल शामली में निर्मित बर्न यूनिट भवन में मरीजों के उपचार हेतु सभी उपकरणों की उपलब्धता व चिकित्सक की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री पल्टूराम की विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत तटबन्धों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री चौधरी बाबूलाल की जनपद आगरा के ब्लाक-फतेहपुर सीकरी के आगरा-जयपुर मार्ग से जाजऊ मार्ग एवं आगरा-अछनेरा मार्ग रसूलपुर मार्ग से वाया सकतपुर ग्राम के आगरा-जयपुर रोड तक पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना में मझौवा घाट पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 पटेल की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत NH-135A संजय नगर से रसवादिया होते हुए परियत तक सड़क मार्ग लम्बाई 12 किमी0 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री राम सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है,

इक्कीसवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर जनपद बरेली के विकास खण्ड भुता के अन्तर्गत ग्राम कल्याणपुर से बिलउवा के मध्य गोहनिया नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री प्रेमसागर पटेल की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवा के अन्तर्गत कचहरी तिराहे से चिऊटहा मार्ग तक नाली एवं सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की कतिपय सड़क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी की विधान सभा क्षेत्र मारहरा के मरथरा-मरैची-मोहनापुर का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री कमाल अख्तर की मेरी विधान सभा क्षेत्र कांठ के दो ग्राम एक हसनगढ़ी ब्लाक छजलैट व दरियापुर आजादी के 76 साल के बाद भी सड़क से न जुड़ने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री मनीष रावत की विधान सभा क्षेत्र सिधौली (सीतापुर) में यूपीसीएलडीएस निर्माणदायी संस्था के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री महेन्द्र सिंह की जनपद अमरोहा के हसनपुर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री विनोद शंकर अवस्थी की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम डिहुआकलॉ से तुलसीराम पुरवा तक डामर रोड एवं कतिपय पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना डॉ0 अमित सिंह चौहान की जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल में इटौरा मार्ग से बन के गांव होते हुए धर्मदासपुर-बिदौली सम्पर्क मार्ग का स्तर तक नव निर्माण के सन्दर्भ मे है, तीसवीं सूचना श्री ब्रजभूषण राजपूत की विधान सभा क्षेत्र चरखारी को हेरिटेज नगरी का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री धीरेन्द्र सिंह की जनपद गौतमबुद्धनगर में सरकार द्वारा राजकीय कैंसर अस्पताल अथवा इंस्टीट्यूट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की जनपद कानपुर के कालपी रोड पनकी पड़ाव से गंगागंज कल्यानपुर पनकी यार्ड के निकट रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवी सूचना श्री बम्बा लाल की विकास खण्ड मियांगंज के रसूलाबाद बीरमपुर के कतिपय सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह की जनपद लखनऊ के कृष्णापल्ली आलमबाग के अन्तर्गत मकानों के बगल के विद्युत पोलों को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री ओम प्रकाश की जनपद वाराणसी में भू-माफियाओं के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध तालाब को पाटकर कब्जा को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रयागराज द्वारा उच्चाधिकारियों की शह पर लगातार अवैध धन उगाही किये जाने की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की थाना मोहम्दाबाद, जिला फर्रुखाबाद अन्तर्गत ग्राम पिपरगांव में दिनांक 21-09-2023 को हुई घटना की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की नगर निगम लखनऊ द्वारा

संचालित इण्टर कालेज में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज अझारा में ट्रामा सेन्टर को प्रभावी क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में घाघरा नदी की कटान रोकने तथा किसानों को कटान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालीसवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट के रसिन बांध से बरुवा लिंक नहर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की भू-माफिया द्वारा फर्जी रूप से तहसील अभिलेखों में दर्ज करायी गयी जमीन खारिज कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री आशु मलिक की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर के विकास खण्ड पुवाँरका में कतिपय सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री मो0 हसन 'रूमी' की जनपद कानपुर नगर के जलकल जोन-2 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र मोती नगर व ओमपुरवा में पेयजल की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की प्रदेश भर में होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में चल रही अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्रीमती इन्द्राणी देवी की विधान सभा क्षेत्र भिन्गा, जनपद बहराइच के अन्तर्गत लालपोझा में कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री आनन्द कुमार यादव की जनपद गोण्डा के थाना कोतवाली गोण्डा में दिनांक 12-04-2023 को दर्ज मुकदमे में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ में विद्युत व्यवस्थाओं की बदहाली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना डॉ0 संग्राम यादव की विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया के अन्तर्गत कप्तानगंज-अहिरौला मार्ग एवं सिकन्दरपुर-नरियांव मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री अरमान खान की प्राचीन टिकैतराय तालाब (लखनऊ) को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री अखिलेश की विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल की जनपद फतेहपुर के धाता क्षेत्र को जनपद कौशाम्बी में मिलाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया की विधान सभा क्षेत्र दातागंज में हर घर जल योजना के अन्तर्गत व्याप्त कमियों का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की जनपद मेरठ के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज (हापुड़ रोड स्थित) में अध्यापिकाओं की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के सरयू नदी के कैथी घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री अजय सिंह की विधान सभा क्षेत्र-298, जनपद गोण्डा ग्राम राजापुर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री मौ0 फहीम इरफान जनपद मुरादाबाद अन्तर्गत उपनिबन्धक कार्यालय बिलारी को तहसील

कार्यालय परिसर बिलारी में स्थानान्तरित करने के विषय में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के कीरतपुर, मौजमपुर मार्ग से गुडगरा तक गन्ना विभाग द्वारा बनाये गये मार्ग का लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय की खड्डा विधान सभा क्षेत्र के तहसील खड्डा अन्तर्गत विभिन्न गांव में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर की जनपद मुरादाबाद के ग्राम लोदीपुर जवाहर नगर स्थित भूमि गाटा सं0-254, रकबा 0.3040 हे0 की पक्की पैमाइश कराने व भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री लकी यादव की नगर निगम, लखनऊ स्थित शारदा नगर योजना में अवैध डेयरियों को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की सर्किल नं0-3 तिलहर (शाहजहांपुर) के आबकारी निरीक्षक द्वारा अवैध शराब का करोबार कराये जाने के प्रकरण की जाँच कराकर कठोर कार्यवाही विषयक है, तिरसठवी सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की ग्राम सभा मुड़ी बकापुर की 27.4704 हे0 भूमि अनामिक शुगर मिल प्रा0लि0 के कब्जे से मुक्त कराकर अभिलेखों में दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्री राकेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर अन्तर्गत टोंडी ड्रेन (नाला) की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना इंजी0 सरवन कुमार निषाद की राजस्व विभाग द्वारा जनपद लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील की कतिपय भूमि का चिन्हांकन कराये जाने के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में स्थानीय विधायक का विभिन्न कार्यों के शिलान्यास में शिलापट्ट न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं सूचना श्री विजयपाल (आढ़ती) की विधान सभा क्षेत्र हापुड़ सदर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्रीमती मनीषा की विधान सभा क्षेत्र राठ में हुये कतिपय मार्ग निर्माण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध मे हैं, उनहत्तरवीं सूचना डॉ0 रागिनी की सैफई मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सों को नियुक्ति-पत्र वितरित किये जाने के सम्बन्ध में है, तथा सत्तरवीं सूचना श्री चन्द्रपाल सिंह की डिबाई से कर्णवास (अनूपशहर-रामघाट लिंक मार्ग) तक चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

श्री स्वामी ओउ्मवेश, श्री राज प्रसाद उपाध्याय, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री संदीप सिंह, श्री राम अचल राजभर, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री रमाशंकर सिंह पटेल, श्री अशोक कुमार, श्री पूरन प्रकाश, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री अतुल प्रधान, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री गुरू प्रसाद मौर्य, श्रीमती सरोज कुरील, श्री अमरेश कुमार, श्री जय प्रकाश अंचल, मो0 ताहिर खान, श्री त्रिभुवन दत्त, श्रीमती विजमा यादव, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री बेचई सरोज,

श्री रमेश जायसवाल, श्री रामअवतार सिंह, श्री तसलीम अहमद, श्री पंकज पटेल तथा श्री अनिल कुमार।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल सुबह 11:00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 30 नवम्बर, 2023 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-14 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-55 पर)

प्रश्न संख्या-14

क्र0-स0	विभाग का नाम	वर्ष	बीज	व्यय की गयी धनराशि	कृषक संख्या
1	कृषि विभाग	2017-18	बीज	26264433.00	11617
2		2018-19	बीज	34945142.36	15567
3		2019-20	बीज	33084517.00	13545
4		2020-21	बीज	23510520.00	8897
5		2021-22	बीज	23416278.80	10174
6		2022-23	बीज	25359879.00	9447
योग :				**166580770.16**	**69247**

क्र0 स0	विभाग का नाम	वर्ष	समस्त कृषि यंत्र	व्यय की गयी धनराशि	कृषक संख्या
1	कृषि विभाग	2017-18	समस्त कृषि यंत्र	90891733.00	2906
2		2018-19	समस्त कृषि यंत्र	46139639.00	1346
3		2019-20	समस्त कृषि यंत्र	37861280.00	831
4		2020-21	समस्त कृषि यंत्र	64362626.00	700
5		2021-22	समस्त कृषि यंत्र	29626387.00	316
6		2022-23	समस्त कृषि यंत्र	26049165.00	210
योग :				**294930830.00**	**6309**
कुल योग :				**461511600.16**	**75556**

उप कृषि निदेशक,

जालौन।

नत्थी (ख)

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-84 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-102-103 पर)

निर्मित प्रधान मण्डी स्थलों की सूची

कुल अधिसूचित प्रधान मण्डी स्थलों की संख्या-251

कुल निर्मित प्रधान मण्डी स्थलों की संख्या-222

क्र0-सं0	सम्भाग	प्रधान मण्डी स्थल
1	2	3
1	लखनऊ	रायबरेली
2	लखनऊ	पलियाकलां
3	लखनऊ	तिकोनिया
4	लखनऊ	लखनऊ
5	लखनऊ	सीतापुर
6	लखनऊ	लालगंज
7	लखनऊ	लखीमपुर
8	लखनऊ	गोलागोकर्णनाथ
9	लखनऊ	मैगलगंज
10	लखनऊ	पुरवा
11	लखनऊ	हरदोई
12	लखनऊ	बांगरमऊ
13	लखनऊ	महमूदाबाद
14	लखनऊ	सण्डीला
15	लखनऊ	शाहाबाद
16	लखनऊ	माधोगंज
17	लखनऊ	मोहम्मदी
18	लखनऊ	सलोन
19	लखनऊ	साण्डी

क्र0-सं0	सम्भाग	प्रधान मण्डी स्थल
20	लखनऊ	उन्नाव
21	लखनऊ	बिसवां
22	लखनऊ	मिश्रिख
23	बरेली	बरेली
24	बरेली	पीलीभीत
25	बरेली	शाहजहांपुर
26	बरेली	पूरनपुर
27	बरेली	जलालाबाद
28	बरेली	बदायूं
29	बरेली	वजीरगंज
30	बरेली	बिसौली
31	बरेली	बहेड़ी
32	बरेली	आंवला
33	बरेली	बीसलपुर
34	बरेली	पुवायां
35	बरेली	दातागंज
36	बरेली	उझानी
37	बरेली	सहसवान
38	बरेली	बिल्सी
39	बरेली	तिलहर
40	मुरादाबाद	चंदौसी
41	मुरादाबाद	मुरादाबाद
42	मुरादाबाद	बहजोई
43	मुरादाबाद	नगीना
44	मुरादाबाद	नजीबाबाद
45	मुरादाबाद	किरतपुर

क्र0-सं0	सम्भाग	प्रधान मण्डी स्थल
46	मुरादाबाद	सम्भल
47	मुरादाबाद	हल्दौर
48	मुरादाबाद	बबराला
49	मुरादाबाद	मिलक
50	मुरादाबाद	अमरोहा
51	मुरादाबाद	टांडा
52	मुरादाबाद	चांदपुर
53	मुरादाबाद	हसनपुर
54	मुरादाबाद	धनौरा
55	मुरादाबाद	रामपुर
56	मुरादाबाद	शाहाबाद
57	मुरादाबाद	बिलासपुर
58	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर
59	सहारनपुर	सहारनपुर
60	सहारनपुर	शामली
61	सहारनपुर	रामपुर मनिहारन
62	सहारनपुर	कैराना
63	सहारनपुर	शाहपुर
64	सहारनपुर	खतौली
65	सहारनपुर	देवबंद
66	सहारनपुर	कांधला
67	सहारनपुर	गंगोह
68	सहारनपुर	थानाभवन
69	सहारनपुर	सुल्तानपुर चिल्काना
70	सहारनपुर	छुटमलपुर
71	मेरठ	हापुड़

क्र0-सं0	सम्भाग	प्रधान मण्डी स्थल
72	मेरठ	बड़ौत
73	मेरठ	सरधना
74	मेरठ	गुलावटी
75	मेरठ	शिकारपुर
76	मेरठ	बुलन्दशहर
77	मेरठ	जहांगीराबाद
78	मेरठ	मेरठ
79	मेरठ	परीक्षितगढ़
80	मेरठ	डिबाई
81	मेरठ	मुरादनगर
82	मेरठ	गाजियाबाद
83	मेरठ	खेकडा
84	मेरठ	दादरी
85	मेरठ	सिकन्दराबाद
86	मेरठ	दनकौर
87	मेरठ	सियाना
88	मेरठ	अनूपशहर
89	मेरठ	मवाना
90	मेरठ	खुर्जा
91	मेरठ	नोएडा
92	अलीगढ़	हाथरस
93	अलीगढ़	खैर
94	अलीगढ़	अतरौली
95	अलीगढ़	अलीगढ़
96	अलीगढ़	सिकंदराराऊ
97	अलीगढ़	आवागढ़

क्र0-सं0	सम्भाग	प्रधान मण्डी स्थल
98	अलीगढ़	एटा
99	अलीगढ़	छर्रा
100	अलीगढ़	सादाबाद
101	अलीगढ़	कासगंज
102	आगरा	आगरा
103	आगरा	मथुरा
104	आगरा	कोसीकला
105	आगरा	खैरागढ़
106	आगरा	मैनपुरी
107	आगरा	बेवर
108	आगरा	अछनेरा
109	आगरा	जगनेर
110	आगरा	फिरोजाबाद
111	आगरा	फतेहपुर सीकरी
112	आगरा	फतेहाबाद
113	आगरा	घिरौर
114	आगरा	शिकोहाबाद
115	आगरा	सिरसागंज
116	आगरा	टुण्डला
117	कानपुर	छिबरामऊ
118	कानपुर	औरैया
119	कानपुर	कानपुर
120	कानपुर	पुखरायां
121	कानपुर	झींझक
122	कानपुर	रूरा
123	कानपुर	इटावा

क्र0-सं0	सम्भाग	प्रधान मण्डी स्थल
124	कानपुर	फर्रुखाबाद
125	कानपुर	मोहम्मदाबाद
126	कानपुर	बरीपाल
127	कानपुर	कायमगंज
128	कानपुर	कमालगंज
129	कानपुर	जसवंतनगर
130	कानपुर	कन्नौज
131	कानपुर	भरथना
132	कानपुर	दिबियापुर
133	कानपुर	उत्तरीपुरा
134	कानपुर	अछल्दा
135	झांसी	उरई
136	झांसी	कोंच
137	झांसी	अतर्रा
138	झांसी	बांदा
139	झांसी	जालौन
140	झांसी	बबेरू
141	झांसी	ललितपुर
142	झांसी	माधौगढ़
143	झांसी	एटा
144	झांसी	कर्वी
145	झांसी	गुरसराय
146	झांसी	चिरगांव
147	झांसी	मोंठ
148	झांसी	मऊरानीपुर
149	झांसी	झांसी

क्र0-सं0	सम्भाग	प्रधान मण्डी स्थल
150	झांसी	महरौनी
151	झांसी	कदौरा
152	झांसी	कालपी
153	झांसी	राठ
154	झांसी	मौदहा
155	झांसी	चरखारी
156	झांसी	बरूआसागर
157	झांसी	कुरारा
158	झांसी	महोबा
159	झांसी	भरूआसुमेरपुर
160	झांसी	मुस्करा
161	प्रयागराज	प्रतापगढ़
162	प्रयागराज	किशनपुर
163	प्रयागराज	प्रयागराज
164	प्रयागराज	जसरा
165	प्रयागराज	लेड़ियारी
166	प्रयागराज	अजुहा
167	प्रयागराज	फतेहपुर
168	प्रयागराज	भरवारी
169	प्रयागराज	जहानाबाद
170	प्रयागराज	बिंदकी
171	प्रयागराज	सिरसा
172	प्रयागराज	खागा
173	प्रयागराज	मंझनपुर
174	मीरजापुर	दुद्धी
175	मीरजापुर	राबर्ट्सगंज

क्र0-सं0	सम्भाग	प्रधान मण्डी स्थल
176	मीरजापुर	गोपीगंज
177	मीरजापुर	मीरजापुर
178	मीरजापुर	अहिरौरा
179	वाराणसी	वाराणसी
180	वाराणसी	जंगीपुर
181	वाराणसी	यूसुफपुर
182	वाराणसी	मुंगराबादशाहपुर
183	वाराणसी	जौनपुर
184	वाराणसी	शाहगंज
185	वाराणसी	चन्दौली
186	आजमगढ़	बेल्थरारोड
187	आजमगढ़	बलिया
188	आजमगढ़	चितबड़ागांव
189	आजमगढ़	आजमगढ़
190	आजमगढ़	रसड़ा
191	गोरखपुर	चौरीचौरा
192	गोरखपुर	नौतनवा
193	गोरखपुर	परतावल
194	गोरखपुर	गोरखपुर
195	गोरखपुर	सहजनवां
196	गोरखपुर	गड़ौरा
197	गोरखपुर	देवरिया
198	गोरखपुर	आनन्दनगर
199	बस्ती	पचपेड़वा
200	बस्ती	तुलसीपुर
201	बस्ती	बस्ती

क्र0-सं0	सम्भाग	प्रधान मण्डी स्थल
202	बस्ती	सहियापुर
203	बस्ती	बलरामपुर
204	बस्ती	खलीलाबाद
205	बस्ती	नौगढ़
206	अयोध्या	जाफरगंज
207	अयोध्या	अयोध्या
208	अयोध्या	सुल्तानपुर
209	अयोध्या	सफदरगंज
210	अयोध्या	जायस
211	अयोध्या	करनैलगंज
212	अयोध्या	रूदौली
213	अयोध्या	बाराबंकी
214	अयोध्या	अकबरपुर
215	देवीपाटन (गोण्डा)	बहराइच
216	देवीपाटन (गोण्डा)	गोण्डा
217	देवीपाटन (गोण्डा)	नानपारा
218	देवीपाटन (गोण्डा)	रिसिया
219	देवीपाटन (गोण्डा)	नवाबगंज
220	देवीपाटन (गोण्डा)	मिहीपुरवा
221	देवीपाटन (गोण्डा)	पयागपुर
222	देवीपाटन (गोण्डा)	भिनगा

नत्थी (ग)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-93 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-107 पर)

संलग्नक

वर्ष	उपभोग देशी शराब (लाख ब0ली0 में)	व्यतिक्रम प्रतिशत में	उपभोग विदेशी मदिरा (एफ0एल0-5/5बी+मॉडल शॉप्स) लाख बोतल/कैन में			
			स्प्रिट	व्यतिक्रम प्रतिशत में	बियर	व्यतिक्रम प्रतिशत में
2017-18	3263.71	(+) 1.4	1617.11	(+) 24.4	3822.36	(+) 16.0
2018-19	4123.24	(+) 26.3	2105.38	(+) 30.2	4303.21	(+) 12.7
2019-20	4885.37	(+) 18.5	2396.38	(+) 14.1	4569.78	(+) 6.7
2020-21	5197.42	(+) 6.4	2167.82	(-) 9.2	3267.75	(-) 28.2
2021-22	6530.81	(+) 25.6	2681.05	(+) 23.7	5483.95	(+)67.8
2022-23	7738.76	(+) 18.5	2703.47	(+) 0.8	7071.79	(+) 29.0

नत्थी (घ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-94-का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-107-108 पर)

विषाक्त घटना माह जनवरी, 2017 से अद्यतन

क्र0	जनपद का नाम	घटना का दिनांक	मृतकों की संख्या
1	आजमगढ़	06/07 जुलाई, 2017	26
2	बाराबंकी	10 जनवरी, 2018	04
3	गाजियाबाद	12/13 मार्च, 2018	04
4	कानपुर नगर	19 मई, 2018	05
5	कानपुर देहात	19 मई, 2018	04
6	बिजनौर	17 अगस्त, 2018	01
7	शामली	21 अगस्त, 2018	05
8	कुशीनगर	05/06, फरवरी, 2019	08
9	सहारनपुर	07/08, फरवरी, 2019	83
10	कानपुर नगर	08/09 मार्च, 2019	10
11	बाराबंकी	27/28, मई, 2019	24
12	सीतापुर	27. जनवरी, 2020	01
13	खीरी	19, मार्च, 2020	02
14	कानपुर नगर	12. अप्रैल, 2020	02
15	लखनऊ	12/13 नवम्बर, 2020	03
16	फिरोजाबाद	17 नवम्बर, 2020	03
17	प्रयागराज	20 नवम्बर, 2020	07
18	बुलन्दशहर	08, जनवरी, 2021	06
19	मीरजापुर	01. मार्च, 2021	02
20	फतेहपुर	12, मार्च, 2021	02
21	प्रतापगढ़	13/15 मार्च, 2021	04
22	प्रयागराज	15/16 मार्च, 2021	09
23	चित्रकूट	20/21 मार्च, 2021	07

क्र0	जनपद का नाम	घटना का दिनांक	मृतकों की संख्या
24	प्रतापगढ़	31 मार्च, 2021	04
25	अयोध्या	01 अप्रैल, 2021	02
26	बदायूं	02 अप्रैल, 2021	02
27	हाथरस	26 अप्रैल, 2021	06
28	फतेहपुर	8/11 मई, 2021	03
29	अम्बेडकरनगर	10 मई, 2021	05
30	अलीगढ़	27/28 मई, 2021	35
31	आगरा	23/24 अगस्त, 2021	08
32	रायबरेली	26 जनवरी, 2022	06
33	आजमगढ़	21 फरवरी, 2022	03

नत्थी (ङ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-125 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-127-128 पर)

आवंटन वर्ष 2022-2023 में महानगर एवं बादशाहनगर स्थित कालोनियों में हुए ऑनलाइन आवंटन

#	Applicant Name	House No	Colony Name	Housetype	Designation	Alloted On
1	श्री ब्रहमजीत उपाध्याय	बी.महा0-2	बी-महानगर	3	समीक्षा अधिकारी	03-01-2023

Showing 1 to 1 of 1 entries

राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश

आवंटन वर्ष 2022-2023 में महानगर एवं बादशाहनगर स्थित कालोनियों में हुए ऑनलाइन आवंटन

#	Applicant Name	House No	Colony Name	Housetype	Designation	Alloted On
1	श्री अरविन्द कुमार राजपूत	सी-70	सी-महानगर	2	आरक्षी ना0पु0	01-08-2022

Showing 1 to 1 of 1 entries

राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश

आवंटन वर्ष 2022-2023 में महानगर एवं बादशाहनगर स्थित कालोनियों में हुए ऑनलाइन आवंटन

#	Applicant Name	House No	Colony Name	Housetype	Designation	Alloted On
1	श्री राज कुमार राना	5/5	महानगर टाइप-3	3	समीक्षा अधिकारी	03-01-2022
1	विनोद कुमार गौतम	9/2	महानगर टाइप-3	3	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	07-10-2022
1	दिलीप कुमार पटेल	8/1	महानगर टाइप-3	3	अपर निजी सचिव	05-12-2022

1	भवर सिंह	9/1	महानगर टाइप-3	3	अपर निजी सचिव	10-05-2023

Showing 1 to 4 of 4 entries

राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश

आवंटन वर्ष 2022-2023 में महानगर एवं बादशाहनगर स्थित कालोनियों में हुए ऑनलाइन आवंटन

#	Applicant Name	House No	Colony Name	Housetype	Designation	Alloted On
1	SURABHI DWIVEDI	cs-504	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	01-08-2022
2	विनय कुमार सिंह	BS-/ 5502	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	सहायक निदेशक	01-08-2022
3	Santosh Kumar Chaudhari	BS-1/103	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	02-09-2022
4	RAJIV KUMAR CHAKRAWARTI	cs-501	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	समीक्षाधिकारी लेखा	07-10-2022
5	NIKHIL SONKAR	BS-1/103	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	03-11-2022
6	IFTEKHAR KHAN	BS-5/502	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	03-01-2023
7	PANKAJ KUMAR RAI	cs-404	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	03-01-2023
8	Rahul Modanawal	cs-204	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	02-02-2023
9	सुश्री दीप्ति देवी	BS-2/201	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	02-03-2023
10	Satyarupa	BS-4/401	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	02-03-2023
11	Ashish pathak	BS-4/403	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	10-05-2023
12	SANTOSH KUMAR CHAUDHARI	As-1/103	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	06-06-2023
13	RAJIV KUMAR CHAKRAWARTI	cs-103	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	समीक्षाधिकारी लेखा	06-06-2023
14	Mohd Ahmad	BS-1/101	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	अपर निजी सचिव	06-06-2023
15	राहुल यादव	cs-101	बादशाहनगर नवनिर्मित कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	06-06-2023

Showing 1 to 15 of 15 entries

राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश

आवंटन वर्ष 2022-2023 में महानगर एवं बादशाहनगर स्थित कालोनियों में हुए ऑनलाइन आवंटन

#	Applicant Name	House No	Colony Name	House type	Designation	Alloted On
1	पूनम सिंह	एल-9/10	बादशाहनगर टाइप-एल टाईप-2	2	महिला आरक्षी	01-08-2022
2	श्री विजय शंकर राठौर	एल -6/9	बादशाहनगर टाइप एल टाईप-2	2	आरक्षी स0पु0	01-08-2022
3	श्री गंगा प्रसाद यादव	एल-1/3	बादशाहनगर टाइप-एल टाईप-2	2	समीक्षाधिकारी	02-09-2022
4	DEVENDRA VIKRAM MAURYA	एल-12/9	बादशाहनगर टाइप-एल टाईप-2	2	क्लर्क	02-09-2022
5	लल्लू वर्मा	एल-9/8	बादशाहनगर टाइप एल टाईप-2	2	वन रक्षक	05-12-2022
6	श्री महेन्द्र प्रताप यादव	एल-7/3	बादशाहनगर टाइप-एल टाईप-2	2	आरक्षी	03-01-2023
7	सुधांशु यादव	एल-7/7	बादशाहनगर टाइप-एल टाईप-2	2	कनिष्ठ सहायक	03-01-2023
8	JEET SINGH	एल-12/9	बादशाहनगर टाइप एल टाईप-2	2	आरक्षी ना0पु0	02-03-2023
9	JEET SINGH	एल-17/9	बादशाहनगर टाइप-एल टाईप-2	2	आरक्षी ना0पु0	10-05-2023
10	रवि सिंह	एल-12/9	बादशाहनगर टाइप-एल टाईप-2	2	आरक्षी ना0पु0	06-06-2023
11	ravi kumar	एल-18/5	बादशाहनगर टाइप-एल टाईप-2	2	आशुलिपिक (ग्रेड-3)	06-06-2023
12	नवीन द्विवेदी	एल -4/3	बादशाहनगर टाइप-एल टाईप-2	2	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए	04-07-2023

Showing 1 to 12 of 12 entries

राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश

आवंटन वर्ष 2022-2023 में महानगर एवं बादशाहनगर स्थित कालोनियों में हुए ऑनलाइन आवंटन

#	Applicant Name	House No	Colony Name	House type	Designation	Alloted On
1	Sachin Kumar Mishra	NW3/3	बादशाहनगर न्यू कालोनी	3	अपर निजी सचिव	01-08-2022
2	RAJESH KUMAR VERMA	NW2/3	बादशाहनगर न्यू कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	01-08-2022
3	गिरीश चन्द्र सक्सेना	NW6/7	बादशाहनगर न्यू कालोनी	3	अपर निजी सचिव	07-10-2022
4	GYAN SINGH	NW4/7	बादशाहनगर न्यू कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	05-12-2022
5	JALAJ AWASTHI	NW6/6	बादशाहनगर न्यू कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	05-12-2022
6	अभिषेक अवस्थी	NW6/7	बादशाहनगर न्यू कालोनी	3	अपर निजी सचिव	03-01-2023
7	श्री अमित कुमार चौधरी	NW3/2	बादशाहनगर न्यू कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	04-07-2023
8	RAJAN BHARTI	NW3/1	बादशाहनगर न्यू कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	04-07-2023
9	HANUMANT LAL MISHRA	NW6/7	बादशाहनगर न्यू कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	04-07-2023

Showing 1 to 9 of 9 entries

राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।

आवंटन वर्ष 2022-2023 में महानगर एवं बादशाहनगर स्थित कालोनियों में हुए ऑनलाइन आवंटन

#	Applicant Name	House No	Colony Name	House type	Designation	Alloted On
1	श्री मनोज कुमार दिनकर	U1/5	बादशाहनगर-यू कालोनी	3	समीक्षाधिकारी	01-08-2022
2	श्री अमित कुमार	U3/3	बादशाहनगर-यू कालोनी	3	सूचनाधिकारी	03-11-2022
3	Mohd Ahmad	U17/3	बादशाहनगर-यू कालोनी	3	अपर निजी सचिव	05-12-2022
4	संतोष कुमार उपाध्याय	U1/1	बादशाहनगर-यू कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	03-01-2023

#	Applicant Name	House No	Colony Name	House type	Designation	Alloted On
5	KRAPAL SINGH PARIHAR	U2/1	बादशाहनगर-यू कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	02-02-2023
6	श्री जय प्रकाश यादव	U14/3	बादशाहनगर-यू कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	06-06-2023
7	प्रवीण कुमार मणि	U3/2	बादशाहनगर-यू कालोनी	3	समीक्षा अधिकारी	06-06-2023

Showing 1 to 7 of 7 entries

राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 22 विधान सभा (28)-10-05-2024-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।